रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30032020-218957
CG-DL-E-30032020-218957

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1090] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 30, 2020/चैत्र 10, 1942
No. 1090] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 2020/CHAITRA 10, 1942

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2020

का. आ. 1226(अ). —केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2019 (2019 का 7) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, का.आ. 115 (अ) तारीख 8 जनवरी, 2020 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "1 अप्रैल 2020" शब्दों और अंकों के स्थान पर "1 जुलाई 2020" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

[फा. सं. एस. 33013/3/2019 एसटी-I, डीओआर]

ऋत्विक पांडे, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 4419 (अ) तारीख 10 दिसंबर, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसके पश्चात का. आ. 115 (अ) द्वारा तारीख 8 जनवरी, 2020 को प्रकाशित अधिसूचना द्वारा तारीख 8 जनवरी, 2020 को संशोधित की गई।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2020

S.O. 1226(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Finance Act, 2019 (7 of 2019), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, published in the Gazette of India vide S.O. 115 (E), dated the 8th January, 2020 namely:—

In the said notification, for the words and figures "the 1st day of April 2020, the words, figures and letters "the 1st day of July 2020" shall be substituted.

[F. No. S.33013/3/2019 ST-I, DOR]

RITVIK PANDEY, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 4419 (E), dated the 10th December, 2019 and subsequently amended vide notification dated 8th January, 2020, published vide number S.O.115 (E) dated the 8th January, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

महत्वपूर्ण / सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या-11 / 2020 / 463 / 36-3-2020-30(सा0) / 2020

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,

मुख्य सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. श्रमायुक्त, उ0प्र0, कानपुर।

श्रम अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 03 अप्रैल, 2020

विषय :- मा0 सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में योजित रिट पिटीशन (सिविल) संख्या-468/2020, 469/2020 अलख आलोक श्रीवास्तव बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित आदेश दिनांक 31.03.2020 का अनुपालन।

महोदय,

कोविड- 2019 (करोना वायरस) महामारी की रोकथाम हेतु देशभर में लॉक डाउन लागू है। उक्त लॉकडाउन में प्रवासी श्रमिकों के पलायन से उत्पन्न स्थिति में देश के विभिन्न भागों में प्रवासी कर्मकारों के हितों को सुरक्षित करने हेतु मा0 सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में योजित रिट पिटीशन (सिविल) संख्या-468/2020, 469/2020 अलख आलोक श्रीवास्तव बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में दिनांक 31.03.2020 (प्रति संलग्न) को आदेश पारित करते हुए राज्य सरकार एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को मुख्यतः निम्नवत् आदेश/निर्देश दिये गये है:-

> The anxiety and fear of the migrants should be understood by the police and other authorities. As directed by the Union of India, they should deal with the migrants in a humane manner. Considering the situation, we are of the opinion that state Governments/Union Territories should endeavour to engage volunteers along with the police to supervise the welfare activities of the migrants. We expect those concerned to appreciate the trepidation of the poor men, women and children and treat them with kindness.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.03.2020 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

संख्या-11 / 2020 / 463(1) / 36-3-2020-30(सा0) / 2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह विभाग/नगर विकास विभाग/ग्राम्य विकास विकास विभाग/खाद्य एवं रसद विभाग व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र शासन को इस अनुरोध के साथ कि कृपया अपने स्तर से भी आदेश जारी करने का कष्ट करें।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, मा0 मंत्री, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. सचिव, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड गोमतीनगर, लखनऊ।
6. समस्त अपर/उप/सहायक श्रम आयुक्त, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

ITEM NO.1 + 2 COURT NO.0 SECTION PIL-W
(VIRTUAL COURT)

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
RECORD OF PROCEEDINGS

Writ Petition(s)(Civil) No(s).468/2020

ALAKH ALOK SRIVASTAVA Petitioner(s)

VERSUS

UNION OF INDIA Respondent(s)

(WITH IA No. 48211/2020 - EXEMPTION FROM FILING O.T. AND IA No. 48209/2020 - INTERVENTION APPLICATION AND IA No. 48210/2020 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES)

WITH
Writ Petition(s)(Civil) No(s). 469/2020

Date : 31-03-2020 These matters were called on for hearing today.

CORAM :
HON'BLE THE CHIEF JUSTICE
HON'BLE MR. JUSTICE L. NAGESWARA RAO

For Petitioner(s) Petitioners-in-person

For Respondent(s)/ Applicant(s) Mr. Tushar Mehta, Ld. SG
Mr. B.V. Balaram Das, AOR

Ms. Mithu Jain, AOR (Not Present)

UPON hearing the counsel the Court made the following
O R D E R

The petitioners-in-person who are Advocates practising in this Court have filed the instant writ petitions in public interest for redressal of grievances of migrant labourers in different parts of the country.

Signature Not Verified
Digitally signed by SANJAY KUMAR
Date: 2020.03.31 20:37:49 IST
Reason:

As the issues raised in both the writ petitions are similar, we have taken up both the writ petitions together.

In the above writ petitions, the petitioners have highlighted the plight of thousands of migrant labourers who along with their families were walking hundreds of kilometres from their work place to their villages/towns.

The concern of the Petitioners pertains to the welfare of the migrant labourers. They are seeking a direction to the authorities to shift the migrant labourers to government shelter homes/accommodations and provide them with basic amenities like food, clean drinking water, medicines, etc.

The writ petitions were listed on 30.03.2020 when we directed Mr. Tushar Mehta, learned Solicitor General appearing for the respondent - Union of India, to submit the response of the Union of India. A status report has been filed on behalf of Union of India today.

The respondent – Union of India has referred to various steps that were taken to prevent the spread of Corona virus [COVID 19]. Reference is made to the institutional response regarding the management of the spread of the disease scientifically at the highest level. Early steps taken by the Government of India to prevent the spread of Corona Virus have been highlighted in the Status Report. It is mentioned in the Status Report that an expert group has been constituted under Dr. Vinod Paul, Member, NITI Aayog to provide guidance for prevention of the spread of the Virus in the country. Experts from cross sections in the medical field and public health fraternity are members of the said Expert Committee.

Various other measures taken by the Central Government in dealing with the needs of the lower strata of the society by providing basic amenities viz., food, clean drinking water, medicines, etc. have been dealt with in the status report.

Apart from the announcement of the relief package totalling Rs.1.70 lakh crore under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, the Status Report refers to other schemes which were formulated to ensure that the persons in need are taken care of.

In the instant writ petitions, we are concerned about the migrant labourers who have started leaving their places of work for their home villages/towns located at distant places. For example, thousands of migrant labourers left Delhi to reach their homes in the States Uttar Pradesh and Bihar, by walking on the highways.

We are informed that the labourers who are unemployed due to lock down were apprehensive about their survival. Panic was created by some fake news that the lock down would last for more than three months.

The initial reaction of the State Governments and the Union Territories was to transport migrant labourers from their borders to their villages. Later, on 29.03.2020 the Ministry of Home Affairs has issued a Circular prohibiting movement as transportation of migrant labourers in overcrowded buses would cause more damage than help to the migrant labourers. The very idea of lock down was to ensure that the virus would not spread. It was felt that transportation of migrant labourers would aggravate the problem of spread of the Virus. In such view, the movement of

migrant labourers was prohibited and a direction was given to the State Governments to stop the migrant labourers wherever they were and shift them to nearby shelter homes/relief camps. A further direction was issued to the District Collectors/Magistrates to ensure that medical tests were done and the migrant labourers be provided with basic amenities like food, clean drinking water, medicines, etc. in the shelter homes.

During the course of hearing, the Solicitor General of India made a statement that the information received by the Control Room today at 2.30 A.M. showed that 21,064 relief camps have been set up by various State Governments/Union Territories where the migrant labourers have been shifted and they are being provided with basic amenities like food, medicines, drinking water, etc. According to the Status Report, 6,66,291 persons have been provided shelters and 22,88,279 persons have been provided food.

The Solicitor General of India made a statement on instructions that at 11 A.M. today, there is no person walking on the roads in an attempt to reach his/her home towns/villages. Advisories issued by the Ministry of Home Affairs on 27.03.2020 and 28.03.2020 have also been mentioned in the Status Report, according to which a direction was given by the Ministry of Home Affairs, to the State Governments/Union Territories to provide adequate facilities for migrant labourers.

The National Disaster Management Authority has also issued an advisory on 28.03.2020 suggesting various measures to be taken by the State and District Emergency Operation Centres. One of the

issues highlighted in the said advisory is that the police and the other administrative authorities have to adopt a humane approach in dealing with migrant workers and stranded tourists.

The Solicitor General of India has also referred to the Status Report to make a submission that the exodus of migrant labourers was triggered due to panic created by some fake/misleading news and social media.

The Status Report refers to an advisory given by the Government of India on 24.03.2020 to the authorities to effectively deal with rumour mongering.

While informing this Court about the steps taken by the Government of India to ensure that the migrant labourers are being shifted to nearby shelters/relief camps from place they were found to be walking and basic amenities being provided to them, the Union of India has sought a direction from this Court to the State Governments and the Union Territories to implement the directions issued by the Central Government. A further direction was sought to prevent fake and inaccurate reporting whether intended or not, either by electronic print or social medial which will cause panic in the society.

Having considered the submissions made by the petitioners-in-person and the learned Solicitor General of India and upon perusal of the Status Report filed on behalf of the respondent – Union of India, we are satisfied with the steps taken by the Union of India for preventing the spread of Corona Virus [COVID 19] at this stage.

As stated above, we are concerned in these writ petitions mainly with the welfare of the migrant labourers. The circular issued by the Ministry of Home Affairs on 29.03.2020 has been implemented by the various State Governments/Union Territories. The mass migration has stopped according to Union of India. All the migrant labourers who were on the road have been shifted to relief camps/shelter homes which are set up at various points in each State/Union Territory. The directions issued by the Union of India and the State Governments/Union Territories to provide all basic amenities like food, drinking water, medicines, etc. to the migrants are being complied with by the concerned District Collectors/Magistrates.

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General, World Health Organisation (WHO), recently stated as under:

> ***"We are not just fighting an epidemic; we are fighting an infodemic. Fake news spreads faster and more easily than this virus, and is just as dangerous."***

The migration of large number of labourers working in the cities was triggered by panic created by fake news that the lock down would continue for more than three months. Such panic driven migration has caused untold suffering to those who believed and acted on such news. In fact, some have lost their lives in the

process. It is therefore not possible for us to overlook this menace of fake news either by electronic, print or social media.

Section 54 of the Disaster Management Act, 2005 provides for punishment to a person who makes or circulates a false alarm or warning as to disaster or its severity or magnitude, leading to panic. Such person shall be punished with imprisonment which may extend to one year or with fine.

Disobedience to an order promulgated by a public servant would result in punishment under section 188 of the Indian Penal Code. An advisory which is in the nature of an order made by the public authority attracts section 188 of the Indian Penal Code.

We trust and expect that all concerned viz., State Governments, Public Authorities and Citizens of this country will faithfully comply with the directives, advisories and orders issued by the Union of India in letter and spirit in the interest of public safety.

In particular, we expect the Media (print, electronic or social) to maintain a strong sense of responsibility and ensure that unverified news capable of causing panic is not disseminated. A daily bulletin by the Government of India through all media avenues including social media and forums to clear the doubts of people would be made active within a period of 24 hours as submitted by the Solicitor General of India. We do not intend to interfere with the free discussion about the pandemic, but direct the media refer to and publish the official version about the developments.

It is well known that panic can severely affect mental health. We are informed that the Union of India is conscious of the importance of mental health and the need to calm down those who are in a state of panic.

Learned Solicitor General of India states that within 24 hours the Central Government will ensure that trained counsellors and/or community group leaders belonging to all faiths will visit the relief camps/shelter homes and deal with any consternation that the migrants might be going through. This shall be done in all the relief camps/shelter homes wherever they are located in the country.

The anxiety and fear of the migrants should be understood by the Police and other authorities. As directed by the Union of India, they should deal with the migrants in a humane manner. Considering the situation, we are of the opinion that the State Governments/Union Territories should endeavour to engage volunteers along with the police to supervise the welfare activities of the migrants. We expect those concerned to appreciate the trepidation of the poor men, women and children and treat them with kindness.

List the matters on 07.04.2020.

(SANJAY KUMAR-II)
ASTT. REGISTRAR-cum-PS

(VIRENDER SINGH)
BRANCH OFFICER

महत्वपूर्ण

संख्या-1189/बीस-मु0रि0का0-20-01/2015

प्रेषक,

आकाश दीप,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सचिवालय प्रशासन विभाग, मुख्य प्रवेश पत्र कार्यालय लखनऊः दिनांक 08 अप्रैल, 2020

विषयः- कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के दृष्टिगत लगाये गये लॉकडाउन अवधि हेतु निर्गत किये गये ड्यूटी पासों की समीक्षा कर समर्पित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-255/ पीएसएमएस/2020, दिनांक 08.04.2020 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं कि लखनऊ जनपद सहित प्रदेश के कतिपय अन्य जनपदों में लॉकडाउन व्यवस्था को पूरी तरह सुदृढ़ करते हुए प्रभावित क्षेत्रो को पूरी तरह सील कर दिया जाय। जिलों में निर्गत पासों की पुनः समीक्षा कर ली जाय तथा अनावश्यक पासों को निरस्त कर दिया जाय।

2- इस सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके विभाग में जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के लॉकडाउन की अवधि के लिए प्रवेश-पत्र निर्गत किये गये हैं, उन अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची संलग्न करते हुए इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया अपने विभाग के निर्गत ड्यूटी प्रवेश-पत्रों की पुनः समीक्षा करने का कष्ट करें तथा जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है उनके लॉकडाउन अवधि के लिए निर्गत प्रवेश-पत्रों को मुख्य प्रवेश-पत्र कार्यालय में समर्पित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
(आकाश दीप)
विशेष सचिव।

संख्या-1189(1)/बीस-मु0रि0का0-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश के निजी सचिव।
2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4- मा0 उप मुख्य मंत्रीगण, मा0 मंत्रीगण, मा0 राज्य मंत्रीगण (स्वतंत्र प्रभार), मा0 राज्य मंत्रीगण, उत्तर प्रदेश शासन के निजी सचिव।
5- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के निजी सचिव।
6- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन के निजी सचिव।
7- औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन के निजी सचिव।
8- समाज कल्याण आयुक्त, उ0प्र0 शासन के निजी सचिव।
9- वित्त आयुक्त, उ0प्र0 शासन के निजी सचिव।
10- मुख्य सुरक्षा अधिकारी, उ0प्र0 सचिवालय।
11- मुख्य सुरक्षा अधिकारी, मा0 मुख्यमंत्री, सुरक्षा, उ0प्र0 शासन।
12- राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उ0प्र0 सचिवालय।
13- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, लखनऊ।
14- समस्त शाखा अधिष्ठान, उ0प्र0 सचिवालय।
15- गार्डबुक।

आज्ञा से,
(आकाश दीप)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या 255 /पीएसएमएस/2020

मुख्य सचिव कार्यालय, उ0प्र0 शासन
प्रथम तल, लोक भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ
दूरभाष संख्या–0522–2289212, 2289296, फैक्स–2239283

दिनांक: 08 अप्रैल 2020

सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, आगरा, लखनऊ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, कानपुर नगर, वाराणसी, शामली, मेरठ, बरेली, बुलन्दशहर, बस्ती, फिरोजाबाद, सहारनपुर, महाराजगंज एवं सीतापुर,

उच्च स्तरीय समीक्षा में यह पाया गया है कि आपके जनपदों में कोविड–19 का लोड अत्याधिक है। अतः इन जनपदों में लाक डाउन व्यवस्था को पूरी तरह सुदृढ़ करते हुए प्रभावित क्षेत्रों को पूरी तरह सील कर दिया जाय। जिलों में निर्गत किये गये पासों की पुनः समीक्षा कर ली जाय तथा अनावश्यक पासों को निरस्त कर दिया जाय। प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की शत–प्रतिशत होम डिलीवरी सुनिश्चित की जाय तथा दुकानों अथवा सब्जी मण्डी आदि को भी न खोला जाय, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग एवं लाक डाउन का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित हो सके। शत–प्रतिशत घरों की जॉच करते हुए सेनीटाइजेशन किया जाय। आवश्यक वस्तुओं से सम्बन्धित फैक्ट्री/प्रतिष्ठानों के कार्मिकों/श्रमिकों जिनका आना–जाना अपरिहार्य है उन्हें भी अलग–अलग वाहनों के स्थान पर पूल वाहनों के माध्यम से लाने की व्यवस्था की जाय। सड़कों पर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में लगे व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को बाहर न निकलने दिया जाय एवं उन्हें घर पर ही रहने के लिए कहा जाय। सघन पेट्रोलिंग कर इसे सुनिश्चित किया जाय तथा इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही कर इसकी सूचना नियमित रूप से प्रेषित की जाय।

08.04.2020
(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह, चिकित्सा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन।

2–पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।

08.04.2020

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

Scanned by CamScanner

संख्याः 22/2020/बी-2-67/दस-2020-एम-01/2020

प्रेषक,

अपर मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त,
वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- अपर मुख्य सचिव,
राजस्व विभाग/दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

2- प्रमुख सचिव
नगर विकास/ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज/श्रम/खाद्य एवं रसद/
समाज कल्याण/महिला कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊः 21 मार्च, 2020

विषयः विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित महामारी कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में सहायता उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित महामारी कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं जिससे दैनिक रूप से काम करने वाले मजदूरों आदि के सामने भरण पोद्राण की समस्या उत्पन्न होने की सम्भावना है।

2- ऐसे दैनिक वेतनभोगियों तथा मजदूरों आदि को भरण पोषण हेतु सहायता उपलब्ध कराने पर विचार करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा मा0 वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय मंत्री समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा दिनांक-20 मार्च, 2020 को अपनी रिपोर्ट मा0 मुखयमंत्री जी को प्रस्तुत की गयी जिसकी प्रति संलग्न है। समिति की संस्तुतियों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया हैः-

"समिति की संस्तुतियों में से क्रमांक 1 को छोड़कर शेष को अनुमोदित किया जाता है।

क्रमांक 2 से 7 पर अंकित संस्तुतियों के अनुसार सहायता देने के बाद भी ऐसे व्यक्ति बच सकते हैं, जिनके पास अपने परिवार के भरण-पोषण की सुविधा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी की समिति ऐसे व्यक्तियों की परिस्थितियों

की जांच कर सहायता हेतु अपनी संस्तुति जिला अधिकारी को उपलब्ध कराएगी। शहरी क्षेत्रों में सम्बन्धित नगर मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी एवं सम्बन्धित नगर निकाय के आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी की समिति इस प्रकार की संस्तुति जिलाधिकारी को उपलब्ध कराएगी। जिलाधिकारी द्वारा ऐसे पात्र पाए गए सभी जरूरत मन्द व्यक्तियों को 1000 रूपये प्रतिमाह की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

समिति की अनुमोदित संस्तुतियों व उपर्यक्तानुसार दी जाने वाली सहायता से सम्बन्धित प्रक्रियाओं के शासनादेश तत्काल जारी कराए जाएं तथा समुचित वित्तीय व्यवस्था भी सुनिश्चित कर ली जाए।"

3- राज्य सरकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के अनुपालन में उत्तर प्रदेश शासन के सभी सम्बन्धित विभाग विस्तृत शासनादेश जारी करने की कार्यवाही प्रत्येक दशा में दिनांक 24 मार्च, 2020 तक सुनिश्चित करेंगे।

4- उपरोक्त निर्णय के अनुपालन एवं अनुश्रवण हेतु राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन को नोडल विभाग नामित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता धनराशि राजस्व विभाग के बजट से जिलाधिकारियों के माध्यम से सम्बन्धित लाभार्थी को उपलब्ध करायी जायेगी। जिला स्तर पर अनुश्रवण का कार्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

5- इस सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही की निरन्तर समीक्षा मुखय सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के स्तर पर की जायेगी।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

संजीव मित्तल

अपर मुख्य सचिव

प्रतिलिपिः संख्याः 22/2020/बी-2-67/दस-2020-एम-01/2020 तद्दिनांक

निम्नलिखित को सूचनार्थ

1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

प्रमुख सचिव, मुखयमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

विवेक त्रिपाठी

संयुक्त सचिव

कोविड-19 के संबंध में

राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में दैनिक रूप से काम करने वाले प्रभावित मजदूरों आदि के भरण पोषण के लिये सहायता हेतु

मा0 वित्त मंत्री जी की

अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट

प्रस्तावना

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड-19 को विश्ववव्यापी महामारी घोद्गित किा गया है जिसके परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न निर्णय लिये गये हैं, जिनमें द्गौक्षिक संस्थानों, सिनेमा हालों, मल्टीप्लेक्स, जिम, तरणताल आदि को बन्द करना द्गामिल है। राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय से दैनिक रूप से काम करने वाले मजदूरों तथा समाज के ऐसे व्यक्तियों जो पूर्णतया इन व्यवसायिक गतिविधियों पर निर्भर होते हैं, के सामने भरण पोद्गाण की बड़ी समस्या है। ऐसे दैनिक वेतनभोगी जैसे रिक्शे वाले, मजदूरों आदि को भरण पोद्गाण हेतु सहायता उपलब्ध कराये जाने के उद्दे [illegible] य से प्रदे [illegible] ा के मा0 मुखयमंत्री जी द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2020 को तीन सदस्यीय समिति का गठन निम्नवत् किया गयाः-

1. मा0 वित्त मंत्री जी अध्यक्ष
2. मा0 कृषि मंत्री जी सदस्य
3. मा0 श्रम मंत्री जी सदस्य

अपर मुख्य सचिव, वित्त को समिति का सचिव नियुक्त किया गया।

समिति के गठन का आदेश संलग्नक-1 पर दृष्टव्य है। समिति से अपेक्षा की गयी है कि विषय की तात्कालिता के दृष्टिग तीन दिन में अपनी स्पष्ट आख्या एवं एक सुविचारित प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी।

समिति की बैठकें

2- समिति द्वारा अपनी कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ करते हुये दिनांक 18 मार्च, 2020 के 12:30 बजे अपराह्न में प्रथम बैठक तथा दिनांक 18 मार्च, 2020 को ही 05:45 बजे सांय द्वितीय बैठक आयोजित की गयी। समिति की तृतीय व अन्तिम बैठक दिनांक 19 मार्च, 2020 को 06:00 बजे सांय आयोजित की गयी।

समिति के समक्ष चुनौतियां एवं सुझाव

3- समिति के समक्ष सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि कोविड-19 के कारण विभिन्न क्षेत्रों में दैनिक रूप से काम करने वाले मजदूरों एवं अन्य प्रभावित जरूरतमंद श्रमिकों जिनको

सरकारी सहायता की आवश्यकता होगी, उनका चिन्हांकन किस प्रकार किया जायेगा ? इस सम्बन्ध में समिति के समक्ष विभागों द्वारा विभिन्न प्रकार के विचार रखे गये।

4- खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि अधिकांश जरूरतमंद परिवार के पास राशन कार्ड उपलब्ध हैं जिसके आधार पर इन्हें चिन्हित किया जा सकता है।

श्रम विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि असंगठित क्षेत्र में कुल 20.37 लाख श्रमिकों की सूची विभाग के पास उपलब्ध हैं, जिसमें से 5.97 लाख लोगों के बैंक एकाउण्ट भी खुले हुये हैं।

ग्राम्य विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि मनरेगा के अन्तर्गत लगभग 88 लाख जाब कार्ड धारक प्रदेश में हैं जिनका बैंक खाता विवरण विभाग के पास उपलब्ध है।

5- समिति के समक्ष यह विचार भी लाया गया कि ऐसे स्ट्रीट वेण्डर, रिक्शा चालक, साप्ताहिक बाजार लगाने वाले घुमन्तू प्रकृति के श्रमिक भी हैं जिनके सम्बन्ध में यह स्पष्ट नहीं है कि यह श्रम विभाग में पंजीकृत हैं अथवा नहीं। यह भी ज्ञात नहीं है कि इनके पास राशन कार्ड या मनरेगा का जाब कार्ड उपलब्ध है अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में नगर विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि इनको निम्न सात वर्गों में विभाजित कर चिन्हित किये जाने की कार्यवाही प्रत्येक जनपद में की जा सकती हैः-

1. पटरी दुकानदार।
2. रिक्शे चालक, किराये पर रिक्शे चलाने वाले, ट्राली चालक आदि।
3. नगरों में लगने वाली श्रम मण्डी जहां घुमन्तू प्रकृति का कार्य करने वाले कर्मी रोज आते हैं।
4. टैम्पो, आटो, रिक्शे चलाने आदि चलाने वाले चालकों की संखया।
5. फल मण्डी, सब्जी मण्डी आदि में पल्लेदार, ठेलावाले बड़ी संखया में कार्य करते हैं।
6. साप्ताहिक बाजार लगाने वाले दुकानदार एवं कार्यरत मजदूर।
7 शहरों में एक्का, तांगा चलाने वाले।

ऐसे सभी श्रमिकों का कोई स्पष्ट आंकड़ा उपलब्ध नहीं है परन्तु प्रदेश में ऐसे लगभग 15.60 लाख व्यक्तियों के होने का अनुमान है।

6- समिति के समक्ष यह सुझाव भी रखा गया कि मॉल, दुकानों, उद्योग, कारखाने, छोटे दुकान, ढाबा आदि में कार्यरत् असंगठित क्षेत्र के कार्मिक जो दिहाड़ी पर कार्य करते हैं, इनके बन्द होने की स्थिति में इनका वेतन आदि सम्बन्धित स्वामियों द्वारा न रोका जाय।

7- समिति द्वारा इस बिन्दु पर भी विचार किया गया कि जरूरतमंद लोगों को खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध करायी जाय अथवा डी.बी.टी. के माध्यम से एक निश्चित धनराशि हस्तान्तरित की जाय।

खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि अन्त्योदय एवं गृहस्थ पात्र सभी राशन कार्ड धारक को निःशुल्क राशन का वितरण किया जा सकता है। समिति के समक्ष यह सुझाव भी रखा गया कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें भी राशन की दुकान से खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही की जा सकती है। इस हेतु पात्र व्यक्तियों की सूची सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी एवं नगर आयुक्त, कोटेदार को उपलब्ध करायेंगे तथा प्रत्येक राशन की दुकान पर इसका व्यवस्थित वितरण भी सुनिश्चित करेंगे।

8- समिति के समक्ष यह सुझाव भी रखा गया कि सर्वप्रथम सबसे अधिक जरूरतमंद वर्ग को ही लाभ दिया जाना चाहिये। इस हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर इनका चिन्हांकन कर इनको सहायता उपलब्ध कराये जाने पर सरकार के उद्देश्यों की पूर्ति होगी।

समिति की संस्तुतियां

1. समिति द्वारा बैठक में उठाये सभी सुझावों पर गहन विचार-विमर्श किया गया जिसके उपरान्त प्रदेश् में जरूरतमंद व्यक्तियों को सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्न संस्तुतियां की जाती हैः-
   प्रदेश की 58,906 ग्राम पंचायतों में आर्थिक रूप से विपन्न एवं जरूरतमंद परिवार को चिन्हित करते हुये 1,000 रूपये प्रति माह की सहायता उपलब्ध करायी जाय। पारदर्शिता की दृष्टि से ऐसे परिवारों का चयन खण्ड विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा किया जायेगा। सहायता की धनराशि डी.बी.टी. के माध्यम से लाभार्थी को उपलब्ध करायी जायेगी।

(कार्यवाहीः पंचायती राज विभाग)

2. प्रदेश के श्रम विभाग विभाग में 20.37 लाख निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं जिनमें 5.97 लाख श्रमिकों के बैंक खाते विभाग के पास उपलब्ध हैं। श्रम विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि विभाग में 'Labour Cess Fund' सृजित है जिससे इन पंजीकृत श्रमिकों को धनराशि उपलब्ध करायी जा सकती है। बैठक में निर्णीत हुआ कि श्रम विभाग 5.97 लाख श्रमिकों के बैंक खाते में 1000 रूपये प्रतिमाह डीके माध्यम .टी.बी. से हस्तान्तरित करेंगे।अवशेष श्रमिक का बैंक खाता का डेटाबेस श्रम विभाग तत्काल तैयार कर इन अवशेष श्रमिकों को भी 1000 रूपये की सहायता उपलब्ध करायी जाय। इस पर लगभग 203 करोड़ रूपये के व्यय भार की सम्भावना है जिसका वित्त पोषण श्रम विभाग द्वारा 'Labour Cess Fund' से किया जायेगा।

(कार्यवाहीः श्रम विभाग)

3-शहर में घुमन्तू प्रकृति जैसे ठेला, खोमचा, साप्ताहिक बाजार आदि का कार्य करने वाले श्रमिक जिनकी अनुमानित संखया प्रदेश में लगभग 15 लाख है, का बैंक खाता विवरण सहित डेटाबेस नगर विकास विभाग द्वारा तैयार किया जाय। इस हेतु प्रत्येक जिले में ए.डी.एम. स्तर के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जाय तथा यह कार्य 15 दिन के अन्दर पूर्ण कर लिया जाय।

ऐसे सभी श्रमिकों का डेटाबेस तैयार करने के उपरान्त इनके खाते में भी प्रतिमाह 1,000 की धनराशि हस्तान्तरित किये जाने की कार्यवाही की जाय जिसपर लगभग 150 करोड़ रूपये का व्यय भार अनुमानित है। शहरी क्षेत्र के ऐसे दिहाड़ी मजदूर जिनके पास राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है, उनका राशन कार्ड इनके निवास के पते पर प्राथमिकता के आधार पर बनाये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी एवं डी.एस.ओ. के माध्यम से खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाहीः नगर विकास, खाद्य एवं रसद, समस्त जिलाधिकारी)

4-कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा शैक्षिक संस्थान, मॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, तरणताल आदि को अग्रिम आदेशों तक बन्द करने के निर्देश दिये गये हैं जिससे इन संस्थानों आदि में कार्यरत श्रमिकों/कार्मिकों के समक्ष भरण-पोषण की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अतः समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि सभी बन्द

5-शैक्षिक संस्थान, मॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, तरणताल, दुकान आदि के स्वामियों को निर्देशित किया जाये कि प्रभावित श्रमिकों/कार्मिकों को उनके नियोजकों द्वारा प्रतिष्ठान की बन्दी अवधि में 'Paid Leave' प्रदान किया जायेगा। इस सम्बन्ध में श्रम विभाग द्वारा शासनादेश/अधिसूचना जारी किया जाय।

(कार्यवाहीः श्रम विभाग)

6- मनरेगा के अन्तर्गत प्रदेश में किये जा चुके कार्य के सन्दर्भ में भारत सरकार से लगभग 556 करोड़ रूपये की धनराशि प्राप्त न होने के कारण मनरेगा जाब कार्ड धारकों को भुगतान नहीं किया जा सका है। इस सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग, भारत सरकार से सम्पर्क कर धनराशि प्राप्त कर जाब कार्ड धारकों को भुगतान की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर माह मार्च, 2020 में करायें।

(कार्यवाहीः ग्राम्य विकास विभाग)

7- प्रदेश में अन्त्योदय योजना, मनरेगा, श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक एवं दिहाड़ी मजदूर की स्थित निम्नवत् हैः-

		संख्या (लाख)
1.	अन्त्योदय ग्रामीण क्षेत्र	37.51
2.	अन्त्योदय शहरी क्षेत्र	3.43
3.	मनरेगा जाब कार्ड धारक	88.40
4.	श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक	20.37
5.	दिहाड़ी मजदूर (अनुमानित)	15.60
योग		165.31

अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत प्रतिकार्ड 85 रूपये पर 34.80 करोड़ रूपये तथा मनरेगा, निर्माण श्रमिक एवं दिहाड़ी मजदूर को प्रति कार्ड 48 रूपये पर कुल 59.70 करोड़ रूपये का व्यय भार निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने पर आयेगा। इस प्रकार कुल 94.50 करोड़ रूपये का व्यय भार अनुमानित है।

समिति द्वारा प्रस्तावित किया गया कि प्रदेश के सभी लगभग 1.65 करोड़ जरूरतमंदों को एक माह का निःशुल्क राशन माह अप्रैल में उपलब्ध कराये जाने हेतु सभी तैयारियां विभागीय स्तर पर पूर्ण कर ली जायें। भविष्य में स्थिति का आंकलन करने के उपरान्त इस बिन्दु पर निर्णय लिया जायेगा।

(कार्यवाहीः खाद्य एवं रसद विभाग, समस्त जिलाधिकारी/नगर आयुक्त)

प्रदेश में लागू विभिन्न पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत निम्नानुसार लाभार्थियों को देय पेंशन का वितरण त्रैमासिक रूप में किया जाता हैः-

	योजना	लाभार्थी संखया (लाख)
1.	वृद्धावस्था पेंशन	46.97
2.	दिव्यांगजन संशक्तीकरण पेंशन	10.76
3.	निराश्रित विधवा के भरण पोषण हेतु	26.10
योग		83.83

उक्त पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत सम्बन्धित लाभार्थियों को दो माह का अग्रिम पेंशन माह अप्रैल में दिये जाने पर विचार किया जा सकता है।

(कार्यवाहीः समस्त सम्बन्धित विभाग)

8. समिति यह भी संस्तुति करती है कि उपर उल्लिखित संस्तुति संख्या–2 के अतिरिक्त अन्य सभी कार्ययोजना के लिये राजस्व विभाग को नोडल विभाग बनाया जाय। राजस्व विभाग की ग्रान्ट से जिलाधिकारियों के माध्यम से समस्त जरूरतमंद श्रमिक आदि को सहायता हेतु धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

(स्वामी प्रसाद मौर्य)	**(सूर्य प्रताप शाही)**	**(सुरेश कुमार खन्ना)**
श्रम मंत्री	कृषि मंत्री	वित्त मंत्री
सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष

Scanned with Can

संलग्नक–1

115/CMS/CM/2020

संख्या- डी- 154 /सी-एम-1/2020

योगी आदित्यनाथ

मुख्य मंत्री
उत्तर प्रदेश

लोक भवन,
लखनऊ - 226001

दिनांक : 17-03-2020

ICS वित्त/

7/03/2020
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित महामारी कोविड 19 के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न निर्णय लिए गए हैं, जिनमें शैक्षिक संस्थानों, सिनेमा हॉलो, मल्टीप्लेक्स, जिम, तरणताल आदि को बन्द करना आदि शामिल है।

राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय से दैनिक रूप से काम करने वाले मजदूरों तथा समाज के ऐसे व्यक्तियों जो पूर्णतया इन व्यावसायिक गतिविधियों पर निर्भर होते हैं, के सामने भरण पोषण का संकट उत्पन्न होने की सम्भावना है। ऐसे दैनिक वेतनभोगी जैसे रिक्शेवाले, मजदूरों आदि को भरण पोषण हेतु सहायता उपलब्ध कराने पर विचार करने के सम्बन्ध में निम्न समिति गठित की जाती है:-

1-	मा0 वित्त मंत्री जी	अध्यक्ष
2-	मा0 कृषि मंत्री जी	सदस्य
3-	मा0 श्रम मंत्री जी	सदस्य

अपर मुख्य सचिव, वित्त इस समिति के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

समिति से अपेक्षा है कि विषय की तात्कालिकता के दृष्टिगत तीन दिन में अपनी सुस्पष्ट आख्या व एक सुविचारित प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

17-03-2020
(योगी आदित्यनाथ)
मुख्यमंत्री,
उत्तर प्रदेश।

मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1- मा0 वित्त मंत्री जी।
2- मा0 कृषि मंत्री जी।
3- मा0 श्रम मंत्री जी।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त।

17-03-2020

Scanned with Cam

उत्तर प्रदेश प्रशासन
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अनुभाग
संख्या-14/2020/706/अटठासी-2020
लखनऊ : दिनांक 27 अप्रैल, 2020

कार्यालय-आदेश

कोरोना (कोविड-19) वैश्विक महामारी की आपात/विशिष्ट परिस्थिति के दृष्टिगत प्रदेश में दिनांक 30.06.2020 तक, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के शिड्यूल-के(12) एवं सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत हैण्ड सेनेटाइजर के खुदरा विक्रय हेतु औषधि विक्रय लाइसेन्स की अनिवार्यता को तत्काल प्रभाव से शिथिल करते हुए मेडिकल स्टोर/जनरल स्टोर/ग्रोसरीज आदि के माध्यम से हैण्ड सेनेटाइजर के खुदरा विक्रय की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) विक्रय लाइसेन्स की अनिवार्यता को छोड़ते हुए स्थानीय औषधि निरीक्षक द्वारा पूर्ववत् औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली, 1945 के प्राविधानों के अन्तर्गत हैण्ड सेनेटाइजर के क्रय-विक्रय एवं नमूना संकलन प्रवर्तन आदि की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी, जिसमें हैण्ड सेनेटाइजर का खुदरा विक्रय करने वाले प्रतिष्ठान/फर्म द्वारा अनिवार्यत: अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा।

(2) उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 21.03.2020 द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा-2 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्धारित किये गये मूल्य पर ही हैण्ड सेनेटाइजर की विक्री सुनिश्चित की जायेगी।

2- उक्त आदेश दिनांक 30.06.2020 तक के लिए प्रभावी रहेंगे।

अनीता सिंह
प्रमुख सचिव।

संख्या-14/2020/706(1)/अटठासी-20, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- अपर मुख्य सचिव, सूचना विभाग, उ0प्र0 शासन को समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने के अनुरोध सहित प्रेषित।

4- आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या-ड्रग/5846/1058, दिनांक 23.04.2020 के सन्दर्भ में।

5- निदेशक, सूचना, उ0प्र0 लखनऊ को समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु प्रेषित।

6- चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।

7- आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 प्रयागराज।

8- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

9- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

10- उप आयुक्त (औषधि)/औषधि अनुज्ञापन एवं नियंत्रण प्राधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।

11- सहायक आयुक्त (खाद्य) (मुख्यालय), खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0 लखनऊ।

12- समस्त सहायक आयुक्त (औषधि)/समस्त औषधि निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रेणु तिवारी
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

महत्वपूर्ण/समयबद्ध

संख्या-01/2020/675(2)/86-2020-1(216)/93

प्रेषक,

डा0 रोशन जैकब,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांकः 23 अप्रैल, 2020

विषयः-ईट-भट्ठो के संचालन पर ईट भट्ठा सत्र 2019-20 के लिए देय विनियमन शुल्क Regulating Fees पर ब्याज की देयता के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया ईट भट्ठा सत्र 2019-20 के लिए विभिन्न श्रेणी के जनपदों के लिए पायेंवार साधारण भट्ठे तथा जिग-जैग भट्ठे के लिए विनियमन शुल्क की धनराशि निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-2376/86-2019, दिनांक 26.11.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या-7 के अन्तर्गत यह प्राविधानित है कि दिनांक-31 मार्च 2020 तक जमा की गयी विनियमन शुल्क Regulating Fees की धनराशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा, किन्तु उक्त तिथि के उपरान्त जमा की गयी धनराशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा।

2. उक्त के सम्बन्ध मंे शासन के संज्ञान में लाया गया है कि कोविड-19 की महामारी होने के कारण प्रदेश में काफी संख्या में ईंट-भट्टा इकाईयों द्वारा संगत भट्ठा वर्ष के लिए विनियमन शुल्क जमा नहीं किया जा सका है। अतः सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक-26.11.2019 के बिन्दु सं0-7 में बिना ब्याज के विनियमन शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक-31 मार्च 2020 के स्थान पर दिनांक- 31 मई 2020 निर्धारित किया जाता है। कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,

(डा0 रोशन जैकब)
सचिव।

संख्याः 675(3)/86-2020, तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके संख्या-04 /एम-ईंट-भट्टा /2019-20, दिनांक 17.04.2020 के सन्दर्भ में।
4. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला परिषद्, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जनपदीय ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
6. गाई फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 रोशन जैकब)
सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 11/2020/455/नौ-7-20

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

1. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।	2. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।
नगर विकास अनुभाग-7	लखनऊ: दिनांक: 27 अप्रैल, 2020

विषयः कोविड-19 के अवांछित प्रसार को नियन्त्रित करने के दृष्टिगत नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत है कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का दायित्व नगरीय निकायों का है। वर्तमान में सम्पूर्ण देश में नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के अवांछित प्रसार पर नियंत्रण पाने के लिये लॉक-डाउन लागू किया गया है। प्राप्त आकडों से यह स्पष्ट है कि नोवेल-कोरोना वायरस से संक्रमित अधिकांश हॉट-स्पाट क्षेत्र शहरी क्षेत्रों में हैं। उक्त के दृष्टिगत शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ एवं शुद्ध पेय जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का नगरीय निकायों का दायित्व और अधिक बढ़ जाता है।

2. उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने नगरीय निकायों में पेयजल के मुख्य स्रोतों पर गहन निगरानी रखते हुये स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त इस तथ्य पर भी विशेष ध्यान दिया जाय कि ग्रीष्म ऋतु के कारण पेयजल की उपलब्धता में कोई कठिनाई न हो।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(संजय कुमार सिंह यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताजक्षर की आवश्य कता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यारपित की जा सकती है ।

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।
2. महानिदेशक, पिरवार कल्याण, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-9 लखनऊ:दिनांक 28 अप्रैल, 2020

विषयः कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के साथ-साथ वी.एच.एन.डी., टीकाकरण एवं एच.बी. एन.सी. सेवाओं के संबंध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं प्रदेश में कोरोना संक्रमण (कोविड-19) का प्रकोप परिलक्षित होते ही इसकी रोकथाम एवं प्रबन्धन हेतु समस्त संसाधनों को एकीकृत करते हुए सभी स्वास्थ्य पदाधिकारियों/सेवा प्रदाताओं द्वारा युद्धस्तर पर महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहें है, जिसके परिणामस्वरूप मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सामुदायिक आउटरीच सेवाएं स्थगित करने की बाध्यता थी, जिन्हे पुनः संचालित किया जाना है। कोविड-19 महामारी की स्थिति में भी जनमानस का स्वास्थ्य विभाग के प्रति विश्वास बनाए रखने एवं समुदाय में आवश्यक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य एवं टीकाकरण संबंधी सेवाए प्रदान करना अत्यावश्यक है, जिससे किसी भी प्रकार की बीमारी के गम्भीर रूप लेने एवं मातृ -शिशु मृत्यु दर को बढ़ने से रोका जा सके।

2- प्रदेश में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं जैसे प्रसवपूर्व देखभाल, गृह आधारित नवजात की देखभाल, टीकाकरण, उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं की जांच एवं परिवार नियोजन संबंधी सेवाएं समुदाय स्तर पर पुनः प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए:-

(1) उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग-2, ज्ञाप संख्या 1103/सेक-2-पांच-2020-आर-1023/2020 दिनांक 24 अप्रैल 2020 द्वारा 18 जनपदों (20 से ज्यादा कोविड-19)यथा-आगरा, लखनऊ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, कानपुर नगर, मुरादाबाद, शामली, मेरठ, फिरोजाबाद, सहारनपुर, रायबरेली, बिजनौर, अमरोहा, बुलन्दशहर, बस्ती, सीतापुर, औरैया एवं सम्भल में कोविड-19 के अधिक केस संज्ञानित हुए है। अतः इन जनपदों में सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं एवं गतिविधियां तब तक निलंबित रहेगी जब तक वहां की स्थिति में सुधार नही हो जाता है।

(2) 40 जनपदों यथा-अलीगढ, आजमगढ, अयोध्या, बागपत, बहराइच, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बदायूं, एटा, गाजीपुर, गोण्डा, हापुर, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कन्नौज, कासगंज, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, महराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मिर्जापुर, मुजफ्ॅफरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ, प्रयागराज, रामपुर, संतकबीर नगर, भदोही, शांहजहांपुर, सुल्तानपुर, उन्नाव एवं वाराणसी में उन ब्लॉकों/शहरी क्षेत्रों जहां पर कोविड-19 के केस दर्ज हुए है, को छोडकर अन्य सभी ब्लॉकों/शहरी क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं की प्रसवपूर्व जांच एवं बच्चों हेतु टीकाकरण सेवाएं पूर्व की भांति दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उन ए.एन.एम./आशा या अन्य स्वास्थ्य कर्मियो जिनकी कोविड-19 के हॉट स्पॉट कन्टेनमेंट क्षेत्र गतिविधि में ड्यूटी लगाई है अथवा जो ए0एन0एम0/आशा या अन्य स्वास्थ्य कर्मी जो हाट स्पाट कन्टेनमेंट क्षेत्र में निवास करते है उनकी ड्यूटी उपरोक्त कार्य हेतु ना लगायी जाय। उपरोक्त स्वास्थ्यकर्मियों के क्षेत्र मे वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए कार्य सम्पादित कराना सुनिश्चत कराया जाए।

(3) शेष 17 जनपदों यथा-अम्बेडकर नगर, अमेठी, बलिया, सिद्धार्थनगर, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, देवरिया, फर्रूखाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर देहात, कुशीनगर, ललितपुर, चन्दौली, सोनभद्र, एवं फतेहपुर (जहाॅ कोविड-19 का कोई केस दर्ज नहीं हुआ है) में गर्भवती महिलाओं की प्रसवपूर्व जांच एवं बच्चों हेतु टीकाकरण सेवाएं पूर्व की भांति चिकित्सा इकाईयों में निश्चित दिवस पर एवं समुदाय स्तर पर ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस के दिन यथावत दिया जाना सुनिश्चित किया जाए।

3- यदि किसी भी जनपद में कोई नया कोविड-19 का केस आता है अथवा जनपद की उपरोक्तानुसार (क्रमांक 1,2 एवं 3) स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अपेक्षित है कि वह नई स्थिति के अनुरुप कार्य करना सुनिश्चत करें।

4- उपरोक्त क्रम में ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस (वी.एच.एन.डी.) का आयोजन एवं आशा द्वारा एच.बी.एन.सी. कार्यक्रम के माध्यम से समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य संबन्धित सेवाऐ सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायें:-

(I) समुदाय स्तर पर कोविड-19 संक्रमण संबंधी सावधानियों का पालन करते हुए वी.एच.एन.डी. सत्रों का आयोजन एवं गर्भवती महिलाओ की देखभाल-

- वी.एच.एन.डी. सत्रो से पूर्व आषा कार्यकत्री द्वारा ऐसे गर्भवती महिलाओं की जिनमें कोविड-19 से सम्भावित संक्रमित होने के लक्षण पाया जाता है तो ऐसे सभी संदिग्ध गर्भवती महिलाओं की सूची प्रभारी चिकित्साधिकारी को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जाये।
- वी.एच.एन.डी. सत्रो के आयोजन के समय सोशल डिस्टेन्सिंग, मास्क पहनने, साबुन से हाथ धोने एवं संक्रमण रोकथाम संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए।
- आशा द्वारा हेल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर भी प्रसवपूर्व सेवाएं लेने के लिए गर्भवती महिलाओं को सोशल डिस्टेंन्सिंग का अनुसरण करते हुए मोबिलाइज किया जाए।

http://shasanadesh.up.nic.in

- वी.एच.एन.डी. सत्र के परिसर या क्षेत्र को कोविड-19 कीटाणुरहित करने के लिए स्थानीय पंचायत के सदस्यों की सहायता से 0.1: ब्लीचिंग पाउडर सॉल्युशन (30 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर/लीटर पानी में) का प्रयोग कर डिसइन्फेक्ट किया जाए।
- यदि कहीं पर भी वी.एच.एन.डी. सत्र के आयोजन स्थल को क्वारेन्टाईन सेन्टर के रूप में प्रयोग किया जा रहा है तो आशा अपने क्षेत्र में वी.एच.एन.डी. के आयोजन हेतु वैकल्पिक स्थान चिन्हित करें जो कि समुदाय के लोगो की पहुंच में हो, साथ ही स्थल परिवर्तन के संबंध में ए.एन.एम. एवं समुदाय को भी सूचित करें।
- ए.एन.एम. द्वारा उपयोग किए जा रहे सभी उपकरणों यथा बी.पी. उपकरण, स्टेथोस्कोप आदि को प्रत्येक उपयोग से पहले सैनिटाइजर द्वारा डिसइन्फेक्ट किया जाना अनिवार्य है।
- वी.एच.एन.डी. सत्र पर हाथ धोने के लिए एक कॉर्नर अवश्य बनाया जाए जहां पर एक बाल्टी, स्वच्छ पानी, एक मग और एक साबुन की व्यवस्था होनी चाहिए।
- ए.एन.एम. आशा एवं आंगनवाडी द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि वी.एच.एन.डी. सत्र पर आए सभी लाभार्थी/देखभालकर्ता साबुन पानी से कम से कम 20 सेकेण्ड तक हाथ धोकर ही प्रवेश करें।

(II) प्रथम पंक्ति कार्यकर्ताओं (ए.एन.एम. आशा एवं आंगनवाडी कार्यकत्री) द्वारा स्वयं की सुरक्षा हेतु सावधानियां-

समुदाय में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने से पहले सभी प्रथमपंक्ति कार्यकर्ताओं द्वारा स्वयं की सुरक्षा हेतु निम्न सावधानियां अवश्य बरती जायें:-

ए.एन.एम. आशा एवं आंगनवाडी कार्यकत्रीयों द्वारा सेवा प्रदान करते समय मास्क का प्रयोग अवश्य किया जाए। ए.एन.एम. द्वारा प्रत्येक गर्भवती महिलाओं की प्रसवपूर्व जांच के समय नये दस्तानों का प्रयोग किया जाए।

- ए.एन.एम. द्वारा सत्र के प्रारम्भ होने से पूर्व स्वच्छता के मानक प्रोटोकॉल अनुसार कम से कम 20 सेकण्ड तक साबुन पानी से हाथ अवश्य धोना चाहिए ।
- प्रत्येक लाभार्थी को टीका लगाने या प्रसवपूर्व सेवाएं देने के बाद सैनिटाइजर से हाथ को साफ करना सुनिश्चित करे।
- प्रत्येक ए.एन.एम. के पास कम से कम एक सैनिटाइजर प्रति सत्र अवश्य उपलब्ध कराया जाए और सत्र के दौरान ए.एन.एम., आशा एवं आंगनवाडी द्वारा इसका उपयोग किया जाए।
- लभार्थीयों एवं साथ आए व्यक्तियों को भी मास्क के उपयोग के लिए प्रेरित करे। यदि मास्क उपलब्ध नही हो तो कॉटन कपडा/गमछा उपयोग करने की सलाह दें।
- गर्भावस्था में प्रसवपूर्व जांच में शरीर के तरल पदार्थ का परीक्षण जैसे कि मूत्र परीक्षण आदि करने में विशेष सावधानी रखें एवं संक्रमण से बचाव के आवश्यक उपायों/निर्देशों का अनुपालन करें।
- यदि किसी भी प्रथम पंक्ति कार्यकर्ताओं में इन्फलूएन्जा लायक इन्फेक्शन के लक्षण (सर्दी, खाँसी, गले में खराश एवं बुखार) परीलक्षित होते है तो उसे तत्काल ड्यूटी से प्रतिबंधित करते हुए कोविड-19 की जाँच आदि की कार्यवाही की जाये।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(III) सोशल डिस्टेंन्सिंग का अनुसरण करते हुए लाभार्थीयों को मोबिलाईज करना-

- आशा एवं आंगनवाडी कार्यकत्री द्वारा उस सत्र की ड्यू लिस्ट के अनुसार गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को घंटावार स्लॉट के अनुसार विभाजित कर उनका मोबिलाइजेशन उसी स्लॉट के अनुसार सुनिश्चित करवाए जिससे एक समय में भीड इकठ्ठी न हो।
- आशा एवं आंगनवाडी कार्यकत्रियां यह भी सुनिश्चित करें की प्रत्येक स्लॉट में बुलाए गए लाभार्थी सोशल डिस्टेंन्सिंग (दो लाभार्थीयों के मध्य कम से कम 1 मीटर की दूरी) का अनुसरण करें।
- लाभार्थीयों के मोबिलाइजेशन में गृह भ्रमण के दौरान आशा एवं आंगनवाडी कार्यकत्री उनके वी.एच.एन.डी. सत्र पर आने के समय स्लॉट को अवश्य बताए और उसके पालन के लिए लाभार्थी एवं परिवार के सदस्यों से अनुरोध करें।
- लाभार्थीयों को मोबिलाइज करने में आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकत्रीयां इस बात पर अवश्य जोर दे कि प्रत्येक लाभार्थी के साथ एक से अधिक देखभालकर्ता न हो एवं यदि परिवार में किसी को भी बुखार खांसी या सांस लेने में तकलीफ के लक्षण है तो वे वी.एच.एन.डी. सत्र पर ना आएं। ऐसे परिवार के संबंध में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को सूचित करे।
- किसी भी वी.एच.एन.डी. सत्र में एक समय पर 4 से अधिक लाभार्थी एकत्रित नही होने चाहिए।

(IV) वी.एच.एन.डी. सत्र के लिए आवश्यक लॉजिस्टिक्स-औषधियों की आपूर्ति एवं समन्वय-

- संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपने अधीनस्थ सभी चिकित्सा अधिकारियों/अधीक्षकों को वी.एच.एन.डी. सत्र के आयोजन हेतु आवश्यक लॉजिस्टिक्स एवं औषधियों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करवाने हेतु निर्देशित करे।
- साथ ही वी.एच.एन.डी. सत्रो के आयोजन हेतु संबंधित विभागों जैसे पंचायत एवं आईसी.डी.एस. आदि से समन्वय स्थापित कर आवश्यक सहयोग प्राप्त करना सुनिश्चित करे।
- प्रदेश के सभी जनपदो में संस्थागत प्रसव के बाद बर्थ डोज वैक्सीन पूर्व की भांति ही दिया जाता रहे।

(V) कोविड- 19 महामारी के दौरान आशा द्वारा एच.बी.एन.सी. (गृह आधारित नवजात की देखभाल)-

- आशा द्वारा गृह आधारित नवजात की देखभाल के समय स्वयं के बचाव हेतु निम्न सावधानियां रखी जाए-
- सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे और भ्रमण के दौरान मां और बच्चे को बिना छुए ही बात करे।
- गृह भ्रमण के पहले और बाद में हाथ को साबुन और पानी से कम से कम 20 सेकण्ड तक अवश्य धोएं।
- आशा द्वारा भ्रमण के दौरान मास्क का प्रयोग अवश्य किया जाए।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- कोविड-19 महामारी के दौरान आशा द्वारा गृह आधारित नवजात की देखभाल निम्न दिशा-निर्देशानुसार सुनिश्चित करायी जाय -

- आशा द्वारा क्रम सं. 1 में उल्लेखित जनपदो में एच.बी.एन.सी. (गृह आधारित नवजात की देखभाल) भ्रमण नही किया जाना है। इसके स्थान पर दूरभाष पर मां एवं बच्चे के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली जाए। इसके लिए नीचे दिए गए बिन्दु क्र.सं. 1 से 6 तक की जानकारी ली जाए।
- आशा द्वारा क्रम सं. 3 में निर्दिष्ट 17 जनपदो में एवं क्रम सं. 2 में निर्दिष्ट 40 जनपदो में उन ब्लॉकों जहां पर कोविड-19 के केस दर्ज हुए है, उन्हे छोडकर अन्य सभी ब्लॉकों में एच.बी.एन.सी. भ्रमण पूर्व की भांति सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उन आशाओं जिनकी कोविड-19 के हॉट स्पॉट कन्टेनमेंट क्षेत्र गतिविधि में ड्यूटी लगाई है उन्हें छोडकर सभी आशाएं यथावत कार्य करेगीं। उपरोक्त आशा क्षेत्रों में वैकल्पिक व्यवस्था के करते हुए एच.बी.एन.सी. भ्रमण किया जाए।
- आशा द्वारा उच्च जोखिम वाले नवजात शिशुओं (जन्म के समय कम वजनए एस.एन.सी.यू. से डिस्चार्ज एवं घर पर हुए प्रसव वाले नवजात शिशु) के घर का प्राथमिकता के आधार पर भ्रमण किया जाए।
- आशा ध्यान रखें कि नवजात के घर के भ्रमण के दौरान मां और बच्चे को नही छुएगी और निम्न बातें पूछ कर परीक्षण करेगी:-

1. नवजात में खतरे के लक्षणों जैसे- सुस्ती बेहोशी या शरीर छूने पर ठंडा/गर्म के बारे में और स्तनपान कराने के बारे में पूछे।

2. यदि प्रसव अस्पताल में हुआ है तो आशा जन्म के समय का वजन पूछेगी और पूछकर आंकलन करे कि बच्चे को रेफरल की आवश्यकता तो नही है।

3. मां एवं परिवार को नवजात शिशु को कपडे में लपेटकर और कंगारू मदर केयर द्वारा गर्म रखने की सलाह दे।

4. मां एवं परिवार को प्रसव के बाद मां एवं बच्चे में होने वाले खतरे के लक्षणों के बारे में बताए।

5. बच्चे की मां को छः माह तक केवल स्तनपान कराने की सलाह दे एवं परिवार नियोजन का साधन अपनाने हेतु प्रेरित करे।

6. यदि पूछताछ में बच्चे में किसी भी प्रकार के खतरे के लक्षण पाएं जाते है तो बी.सी.पी.एम. को सूचित करे और 102 एम्बुलेन्स द्वारा बच्चे को संदर्भित कर समुचित सेवाएं प्रदान करवाए।

7- अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त प्रस्तर-1 से 6 में वर्णित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-13/2020/284(1)/पॉच-9-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

2- प्रमुख सचिव, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश शासन।

3- मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

4- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

5- अधिशासी निदेशक, उ.प्र. तकनीकी सहयोग इकाई, उ.प्र.।

6- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चि0स्वा0 एवं प0क0, उ0प्र0।

7- राज्य प्रतिनिधि - डब्ल्यू.एच.ओ., यूनिसेफ, यू.एन.डी.पी.।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम नगीना मौर्य)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 07/ 2020 /ए-1- 304 /दस-2020-15(1)/96 टी0सी0

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

2- समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 30 मार्च, 2020

विषय - कोषागार नियम-27 के अन्तर्गत COVID-19 हेतु आहरण ।

महोदय,

अवगत कराना है कि वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के अपेन्डिक्स-2 में दिये गये कोषागार नियम-27 (टी0आर0-27) के अन्तर्गत निम्न व्यवस्था है-

A Collector may, in circumstances of urgency, by an order in writing authorize and require a Treasury Officer to make a payment, not being a payment of pension, without complying with the provisions of these rules. In any such case the Collector shall at once forward a copy of his order and a statement of the circumstances requiring it, and the Treasury Officer shall at once report the payment to the Accountant General.

2- शासनादेश संख्या- ए-1-1101/दस-96-15(1)/96, दिनांक 21 मई, 1996 द्वारा कोषागार नियम-27 (टी0आर0-27) के अन्तर्गत आहरण की प्रक्रिया के सम्बन्ध में विस्तृत दिशानिर्देश निर्गत किये गयें है।

3- वर्तमान में वैश्विक महामारी COVID-19 से निपटने के लिये प्रदेश के विभिन्न विभागों को आकस्मिक रूप से भुगतान करने पड़ सकते हैं। अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आकस्मिक परिस्थितियों में यदि इस महामारी से सम्बन्धित किसी भुगतान हेतु धनराशि उपलब्ध न हो, तो उक्त शासनादेश दिनांक 21 मई, 1996 में विहित प्रक्रियानुसार जिलाधिकारी, कोषागार नियम-27 (टी0आर0-27) के अन्तर्गत भुगतान हेतु कोषाधिकारी को निर्देशित कर सकतें हैं।

भवदीय,
संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव ।

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 07/ 2020 /ए-1- 304 /दस-2020-15(1)/96 टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज (इलाहाबाद)।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज (इलाहाबाद)।

3- समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

4- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

5- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, 1018-जवाहर भवन, लखनऊ।

7- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

8- समस्त उपक्रमों के अधिशासी, उत्तर प्रदेश।

9- समस्त वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग।

10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2।

आज्ञा से,
पंकज सक्सेना
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या- 08/ 2020 /ए-1- 305 /दस-2020-15(1)/96 टी0सी0

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

2- समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 30 मार्च, 2020

विषय - COVID-19 के कारण लॉकडाउन की अवधि में,विशेष रूप से दिनांक30 व 31 मार्च, 2020 को प्रदेश के कोषागारों में बिल प्रस्तुतिकरण के समय उचित दूरी (Social Distance) बनाये रखने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कोरोना वाइरस (COVID-19) के संक्रमण से रोकथाम हेतु किसी भी स्थल पर अनावश्यक भीड इकठ्ठा न होने देने तथा उचित दूरी (Social Distance) बनाये रखने के दिशा-निर्देश जारी हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 के अन्तिम दिवसों में कार्य की अधिकता के कारण आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागारों में देयक अधिक संख्या में प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है, जिसके कारण कोषागारों में अधिक संख्या में कार्मिकों की उपस्थिति सम्भावित है।

2- अत: उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार में देयकों को प्रस्तुत करने की इस प्रकार व्यवस्था की जाय कि कोषागार में अनावश्यक भीड इकठ्ठा न हो तथा देयक प्रस्तुत करने वालेकार्मिको के मध्य उचित दूरी (Social Distance) बनाये रखा जाय। साथ ही समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी कोषागार स्तर पर बिल प्राप्ति, पारण एवं भुगतान हेतु उपस्थित कार्मिकों के Social Distancing हेतु समुचित प्रबन्ध करना सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय,
संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव ।

संख्या- 08/ 2020 /ए-1- 305 /दस-2020-15(1)/96 टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
2- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
4- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, 1018-जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,
पंकज सक्सेना
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 07/ 2020 /ए-1- 304 /दस-2020-15(1)/96 टी0सी0

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

2- समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 30 मार्च, 2020

विषय - कोषागार नियम-27 के अन्तर्गत COVID-19 हेतु आहरण ।

महोदय,

अवगत कराना है कि वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के अपेन्डिक्स-2 में दिये गये कोषागार नियम-27 (टी0आर0-27) के अन्तर्गत निम्न व्यवस्था है-

A Collector may, in circumstances of urgency, by an order in writing authorize and require a Treasury Officer to make a payment, not being a payment of pension, without complying with the provisions of these rules. In any such case the Collector shall at once forward a copy of his order and a statement of the circumstances requiring it, and the Treasury Officer shall at once report the payment to the Accountant General.

2- शासनादेश संख्या- ए-1-1101/दस-96-15(1)/96, दिनांक 21 मई, 1996 द्वारा कोषागार नियम-27 (टी0आर0-27) के अन्तर्गत आहरण की प्रक्रिया के सम्बन्ध में विस्तृत दिशानिर्देश निर्गत किये गयें है।

3- वर्तमान में वैश्विक महामारी COVID-19 से निपटने के लिये प्रदेश के विभिन्न विभागों को आकस्मिक रूप से भुगतान करने पड़ सकते हैं। अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आकस्मिक परिस्थितियों में यदि इस महामारी से सम्बन्धित किसी भुगतान हेतु धनराशि उपलब्ध न हो, तो उक्त शासनादेश दिनांक 21 मई, 1996 में विहित प्रक्रियानुसार जिलाधिकारी, कोषागार नियम-27 (टी0आर0-27) के अन्तर्गत भुगतान हेतु कोषाधिकारी को निर्देशित कर सकतें हैं।

भवदीय,
संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव ।

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 07/ 2020 /ए-1- 304 /दस-2020-15(1)/96 टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज (इलाहाबाद)।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज (इलाहाबाद)।

3- समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

4- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

5- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, 1018-जवाहर भवन, लखनऊ।

7- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

8- समस्त उपक्रमों के अधिशासी, उत्तर प्रदेश।

9- समस्त वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग।

10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2।

आज्ञा से,
पंकज सक्सेना
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

महत्वपूर्ण/सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या-10 / 2020 / 462 / 36-3-2020-30(सा0)/2020

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,

मुख्य सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. श्रमायुक्त, उ0प्र0, कानपुर।
2. निदेशक, कारखाना, उ0प्र0, कानपुर।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

श्रम अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2020

विषय:- कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु लॉकडाउन की अवधि में देहाड़ी मजदूर एवं ऐसे अन्य श्रमिकों/अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों की समस्याओं के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु लॉकडाउन की अवधि में देहाड़ी मजदूर एवं ऐसे अन्य श्रमिकों/अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों के समक्ष आर्थिक स्थिति की समस्या उत्पन्न हो गयी है। शासन द्वारा उनकी आर्थिक एवं वित्तीय समस्याओं के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत् निर्णय लिया गया है:-

1. देहाड़ी मजदूर एवं अन्य अल्प आय व्यक्तियों द्वारा यदि किराये के भवन में निवास किया जा रहा है तो भवन स्वामियों को यह निर्देश दिया जाए कि उनसे आगामी माह में देय माह का किराया फिलहाल न लें तथा इस आधार पर किसी से मकान खाली न कराया जाए।
2. ऐसे व्यक्तियों की विद्युत एवं जलापूर्ति निर्बाध रूप से सुनिश्चित की जाए तथा लॉकडाउन अवधि में इनके विच्छेदन न किये जायें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. लॉकडाउन अवधि में कर्मचारियों द्वारा Work From Home किया जा रहा है। अतः उनका पूरा वेतन/मजदूरी आगामी माह के प्रथम सप्ताह में वितरित कर दिया जाए।

2- कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

संख्या- 10 / 2020 / 462(1) / 36-3-2020-30(सा0)/2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग/नगर विकास विभाग/खाद्य एवं रसद विभाग व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ कि कृपया अपने स्तर से भी आदेश जारी करने का कष्ट करें।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. सचिव, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड गोमतीनगर, लखनऊ।
5. समस्त अपर/उप/सहायक श्रम आयुक्त, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

उत्तर प्रदेश शासन
सचिवालय प्रशासन अनुभाग-03 (अधि0)
संख्या-07/2020/1468/बीस-ई-3/2020
लखनऊः दिनांकः 31 मार्च, 2020

कार्यालय ज्ञाप

कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रसार को रोकने के लिए लाकडाउन की अवधि में उत्तर प्रदेश सचिवालय के संचालन के संबंध में सचिवालय प्रशासन अनुभाग-3(अधि0) के कार्यालय ज्ञाप सं0-1432/बीस-ई-3/2020 दिनांक 23 मार्च, 2020 द्वारा निर्गत विस्तृत दिशा-निर्देश व परिपत्र सं0 1457/ बीस-ई-3/2020 दिनांक 25 मार्च, 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त दिशा-निर्देशों के क्रम में निम्नवत व्यवस्था निर्धारित की जाती है:-

1. निम्न विभाग महामारी से निबटने के दृष्टिगत आवश्यक व्यवस्थाओं के संचालन के लिए सचिवालय के सुसंगत अनुभागोंके माध्यम से व्यवस्थाओं का संचालन सुनिश्चित करायेगे:-
    1. चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
    2. चिकित्सा शिक्षा।
    3. गृह विभग।
    4. गोपन विभाग।
    5. खाद्य एवं रसद विभाग।
    6. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग।
    7. पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग।
    8. राजस्व (केवल राहत आयुक्त संगठन)।
    9. नगर विकास।
    10. ग्राम्य विकास विभाग।
    11. पंचायतीराज विभाग।
    12. परिवहन विभाग।
    13. सूचना विभाग।
    14. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग।
    15. वित्त विभाग।
    16. राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0)।
    17. ऊर्जा (विभाग के विभिन्न निगमों के माध्यम से विद्युत की अबाध व्यवस्था)।

2- उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न विभागआवश्यक सेवाओं के संचालन के लिए न्यूनतम स्टाफ के साथ संचालित किए जायेगें। □न विभागों में केवल वही अनुभाग खोले जायेगें जो □स महामारी के लिए आवश्यक व्यवस्था हेतु उत्तरदायी है:-

1. कृषि विभाग।
2. कृषि विपणन विभाग।
3. उद्यान विभाग (आलू के भण्डारण की व्यवस्था)।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. गन्ना एवं चीनी विकास विभाग।
5. कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग।
6. नागरिक सुरक्षा विभाग।
7. श्रम विभाग।
8. आबकारी विभाग।
9. राज्य सम्पत्ति विभाग (सचिवालय की आवश्यक अनुरक्षण व्यवस्थाओं के बारे में)।
10. सचिवालय प्रशासन विभाग- सचिवालय के संचालन हेतु आवश्यक व्यवस्थाओं के संचालन के लिए- यथा सुरक्षा, साफ-सफाई,टेलीफोन, इंटरनेट अबाध व्यवस्था, भण्डारण, प्रवेश पत्र कार्यालय आदि।

3- क्रमांक-1 व 2 पर उल्लिखित विभागों के अतिरिक्त सचिवालय के अन्य समस्त विभागों के कार्यालय भी न्यूनतम स्टाफ के साथ आवश्यक सरकारी कार्य हेतु खुले रहेंगे।

4- उपरोक्तानुसार विभागों के संचालन के दौरान जो अधिकारी/कर्मचारीगण कार्यालय नहीं आ रहें हैं वह Work From Home करेगे और दूरभाष पर अथवा इलेक्ट्रानिक्स माध्यमों से सम्पर्क हेतु सुलभ रहेगे। यथावश्यकता उन्हें कार्यालय बुलाकर आवश्यक कार्यों का निर्वहन कराया जा सकेगा।

5- उपरोक्त दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होगे और '' लाकडाउन की अवधि'' में प्रभावी रहेगे।

महेश कुमार गुप्ता
अपर मुख्य सचिव

संख्या-07/2020/1468(1)/बीस-ई-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
8. स्थानिक आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली।
9. मण्डलायुक्त लखनऊ मण्डल लखनऊ।
10. पुलिस आयुक्त, लखनऊ नगर तथा जिलाधिकारी, लखनऊ।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
12. राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उ0प्र0 शासन।
13. मुख्य सुरक्षा अधिकारी/मुख्य स्वागत अधिकारी, उ0प्र0 सचिवालय।
14. उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग द्वारा शाखा अधिष्ठान।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूरजन सिंह)
विषेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 1/2020/135/74-2-2020-08(बजट)/2019

प्रेषक,

नरेन्द्र सिंह पटेल,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रेशम विकास विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

रेशम विकास अनुभाग-2 लखनऊ:: दिनांक अप्रैल, 2020

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) में लेखा शीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय-रेशम निदेशालय" के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-007/सेरी0/लेखा/अधिष्ठान/बजट मांग/2020-21, दिनांक 17 अप्रैल, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) में लेखा शीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय- रेशम निदेशालय" हेतु कुल प्रावधानित धनराशि रू0 2774.66 लाख (रूपये सत्ताइस करोड़ चौहत्तर लाख छाछठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित विवरण के अनुसार निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

मद सं0	मद का नाम	प्राविधानित धनराशि	अवमुक्त धनराशि
01	वेतन	1937.33	1937.33
02	मजदूरी	10.00	10.00
03	मंहगाई भत्ता	484.33	484.33
04	यात्रा व्यय	8.00	8.00
05	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2.00	2.00
07	मानदेय	1.00	1.00
08	कार्यालय व्यय	8.25	8.25
09	विद्युत देय	50.00	50.00
10	जलकल/जल प्रभार	5.00	5.00
11	लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	5.00	5.00
12	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5.00	5.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

13	टेलीफोन पर व्यय	3.50	3.50
15	गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	35.00	35.00
16	व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2.00	2.00
17	किराया उपशुल्क और कर स्वामिस्व	5.00	5.00
19	विज्ञापन बिक्री और विख्यापन व्यय	1.00	1.00
22	आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	1.00	1.00
29	अनुरक्षण	10.00	10.00
42	अन्य व्यय	6.00	6.00
43	सामग्री एवं सम्पूर्ति	20.00	20.00
44	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	3.00	3.00
45	अवकाश यात्रा व्यय	2.00	2.00
46	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	3.00	3.00
47	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	4.00	4.00
49	चिकित्सा व्यय	25.00	25.00
51	वर्दी व्यय	1.00	1.00
55	मकान किराया भत्ता	110.00	110.00
56	नगर प्रतिकर भत्ता	25.00	25.00
58	आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	2.00	2.00
	योग	**2774.66**	**2774.66**

(रूपए सत्ताइस करोड चौहत्तर लाख छाछठ हजार मात्र)

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य आदेशों के अन्तर्गत् राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व सक्षम स्तर से ऐसी स्वीकृति/सहमति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2) नियंत्रक अधिकारी द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि विभाग के आहरण वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर है तो व्यय की जाने वाली धनराशि को सम्बन्धित जनपद के आहरण वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड प्रबन्धन (कैश मैनजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है।

(3) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाईनेन्शिल प्रोप्राईटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय नियमों का पूर्णत: अनुपालन किया जायेगा।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किए जाने के पश्चात यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है, तो अवशेष धनराशि शासन को विलम्बतम 15 मार्च, 2021 तक निश्चित रूप से समर्पित कर दिया जाय।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययिता का विशेष ध्यान रखा जाये तथा मितव्ययिता के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन कडाई से सुनिश्चित किया जाय।

(7) स्वीकृत धनराशि का मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र निश्चित रूप से प्रत्येक माह की 5 तारीख तक शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जाये। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत धनराशि का योजनान्तर्गत कारित कार्यो हेतु ही उचित उपयोग किया जा रहा है।

(8) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वीक़त धनराशि का सदुपयोग वित्तीय वर्ष 2020-21 में लक्षित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जाय।

(9) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वीकृत की गयी धनराशि के फेजिंग कार्य की प्रगति एवं अवसर के अनुसार किया जाय, जहॉं तक संभव हो व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रति माह समान रूप से की जाय। वित्तीय वर्ष के अन्तिम त्रैमास में कुल स्वीकृत धनराशि के 30 प्रतिशत से अधिक धनराशि तथा वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में 15 प्रतिशत से अधिक धनराशि का व्यय न किया जाय।

(10) स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप शासनादेश संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24-03-2020 में दी शर्तो/नियमों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(11) प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता संबंधी शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों का कडाई से पालन किया जाय, ताकि अपव्यय को रोका जा सकें। यात्रा व्यय, टेलीफोन व्यय, मोटर गाडियों का अनुरक्षण एवं ईंधन पर व्यय की मदों के अन्तर्गत होने वाले व्यय को इस प्रकार नियोजित किया जाय, जिससे यथा संभव आवंटित धनराशि के अन्तर्गत ही व्यय को पूरा किया जा सकें और स्वीकृत धनराशि का व्यय समान रूप से प्रतिमाह सीमित रखते हुए पूरे वित्तीय वर्ष के लिये किया जाय।

(12) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।

(13) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीक़ृतियों की पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(14) स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उन्हीं कार्यों/मदों पर किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता माना जायेगा एवं पूर्ण दायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

(15) कोविड-19 के कारण प्रदेश में लाकडाउन घोषित होने के फलस्वरूप उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 दिनांक 11-04-2020 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

(16) किसी भी प्रकार का एरियर का भुगतान दिनांक 30-06-2020 के उपरान्त ही किया जाय।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) में लेखा शीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय-रेशम निदेशालय" की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(नरेन्द्र सिंह पटेल)
विशेष सचिव।

संख्या- /2020/135(1)/74-2-2020 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम व द्वितीय, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, रेशम निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,
(7) समन्वय अनुभाग/उद्यान अनुभाग।
(8) नियोजन अनुभाग-4
(9) गार्ड फाईल/कार्यालय प्रति।

आज्ञा से,

(श्रीनाथ राम)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Annexure to Ministry of Home Affairs Order No .40-3/2020-D dated ()24.03.2020

Guidelines on the measures to be taken by Ministries/ Departments of Government of India, State/Union Territory Governments and State/ Union Territory Authorities for containment of COVID-19 Epidemic in the Country.

1. Offices of the Government of India, its Autonomous/ Subordinate Offices and Public Corporations shall remain closed.
   Exceptions:
   Defence, central armed police forces, treasury, public utilities (including petroleum, CNG, LPG, PNG), disaster management, power generation and transmission units, post offices, National Informatics Centre, Early Warning Agencies

2. Offices of the State/ Union Territory Governments, their Autonomous Bodies, Corporations, etc. shall remain closed.
   Exceptions:
   a. Police, home guards, civil defence, fire and emergency services, disaster management, and prisons.
   b. District administration and Treasury
   c. Electricity, water, sanitation
   d. Municipal bodies—Only staff required for essential services like sanitation, personnel related to water supply etc

The above offices (Sl. No 1 & 2) should work with minimum number of employees. All other offices may continue to work-from-home only.

3. Hospitals and all related medical establishments, including their manufacturing and distribution units, both in public and private sector, such as dispensaries, chemist and medical equipment shops, laboratories, clinics, nursing homes, ambulance etc. will continue to remain functional. The transportation for all medical personnel, nurses, para-medical staff, other hospital support services be permitted.

4. Commercial and private establishments shall be closed down.
   Exceptions:
   a. Shops, including ration shops (under PDS), dealing with food, groceries, fruits and vegetables, dairy and milk booths, meat and fish, animal fodder. However, district authorities may encourage and facilitate home delivery to minimize the movement of individuals outside their homes.
   b. Banks, insurance offices, and ATMs.
   c. Print and electronic media
   d. Telecommunications, internet services, broadcasting and cable services. IT and IT enabled Services only (for essential services) and as far as possible to work from home.
   e. Delivery of all essential goods including food, pharmaceuticals, medical equipment through E-commerce.

f. Petrol pumps, LPG, Petroleum and gas retail and storage outlets.
g. Power generation, transmission and distribution units and services.
h. Capital and debt market services as notified by the Securities and Exchange Board of India
i. Cold storage and warehousing services.
j. Private security services

All other establishments may work-from-home only.

5. Industrial Establishments will remain closed.
   Exceptions:
   a. Manufacturing units of essential commodities.
   b. Production units, which require continuous process, after obtaining required permission from the State Government

6. All transport services – air, rail, roadways – will remain suspended.
   Exceptions:
   a. Transportation for essential goods only.
   b. Fire, law and order and emergency services.

7. Hospitality Services to remain suspended
   Exceptions:
   a. Hotels, homestays, lodges and motels, which are accommodating tourists and persons stranded due to lockdown, medical and emergency staff, air and sea crew.
   b. Establishments used/ earmarked for quarantine facilities.

8. All educational, training, research, coaching institutions etc. shall remain closed.

9. All places of worship shall be closed for public. No religious congregations will be permitted, without any exception.

10. All social/ political/ sports/ entertainment/ academic/ cultural/ religious functions / gatherings shall be barred.

11. In case of funerals, congregation of not more than twenty persons will be permitted.

12. All persons who have arrived into India after 15.02.2020, and all such persons who have been directed by health care personnel to remain under strict home/ institutional quarantine for a period as decided by local Health Authorities, failing which they will be liable to legal action under Sec. 188 of the IPC.

13. Wherever exceptions to above containment measures have been allowed, the organisations/employers must ensure necessary precautions against COVID-19

virus, as well as social distance measures, as advised by the Health Department from time to time.

14. In order to implement these containment measures, the District Magistrate will deploy Executive Magistrates as Incident Commanders in the respective local jurisdictions. The Incident Commander will be responsible for the overall implementation of these measures in their respective jurisdictions. All other line department officials in the specified area will work under the directions of such incident commander. The Incident Commander will issue passes for enabling essential movements as explained.

15. All enforcing authorities to note that these strict restrictions fundamentally relate to movement of people, but not to that of essential goods.

16. The Incident Commanders will in particular ensure that all efforts for mobilisation of resources, workers and material for augmentation and expansion of hospital infrastructure shall continue without any hindrance.

17. Any person violating these containment measures will be liable to be proceeded against as per the provisions of Section 51 to 60 of the Disaster Management Act, 2005, besides legal action under Sec. 188 of the IPC (as per Appendix).

18. The above containment measures will remain in force, in all parts of the country, for a period of 21 days with effect from 25.03.2020.

24/3/2020

Union Home Secretary

Appendix

1. **Section 51 to 60 of the Disaster Management Act, 2005**

OFFENCES AND PENALTIES

51. Punishment for obstruction, etc.—Whoever, without reasonable cause —

(a) obstructs any officer or employee of the Central Government or the State Government, or a person authorised by the National Authority or State Authority or District Authority in the discharge of his functions under this Act; or

(b) refuses to comply with any direction given by or on behalf of the Central Government or the State Government or the National Executive Committee or the State Executive Committee or the District Authority under this Act,

shall on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine, or with both, and if such obstruction or refusal to comply with directions results in loss of lives or imminent danger thereof, shall on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years.

52. Punishment for false claim.—Whoever knowingly makes a claim which he knows or has reason to believe to be false for obtaining any relief, assistance, repair, reconstruction or other benefits consequent to disaster from any officer of the Central Government, the State Government, the National Authority, the State Authority or the District Authority, shall, on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, and also with fine.

53. Punishment for misappropriation of money or materials, etc.—Whoever, being entrusted with any money or materials, or otherwise being, in custody of, or dominion over, any money or goods, meant for providing relief in any threatening disaster situation or disaster, misappropriates or appropriates for his own use or disposes of such money or materials or any part thereof or wilfully compels any other person so to do, shall on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, and also with fine.

54. Punishment for false warning.—Whoever makes or circulates a false alarm or warning as to disaster or its severity or magnitude, leading to panic, shall on conviction, be punishable with imprisonment which may extend to one year or with fine.

55. Offences by Departments of the Government.—(1) Where an offence under this Act has been committed by any Department of the Government, the head of the Department shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly unless he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a Department of the Government and it is proved that the

offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any officer, other than the head of the Department, such officer shall be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

56. Failure of officer in duty or his connivance at the contravention of the provisions of this Act.—Any officer, on whom any duty has been imposed by or under this Act and who ceases or refuses to perform or withdraws himself from the duties of his office shall, unless he has obtained the express written permission of his official superior or has other lawful excuse for so doing, be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine.

57. Penalty for contravention of any order regarding requisitioning.—If any person contravenes any order made under section 65, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine or with both.

58. Offence by companies.—(1) Where an offence under this Act has been committed by a company or body corporate, every person who at the time the offence was committed, was in charge of, and was responsible to, the company, for the conduct of the business of the company, as well as the company, 25 shall be deemed to be guilty of the contravention and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly: Provided that nothing in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised due diligence to prevent the commission of such offence. (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company, and it is proved that the offence was committed with the consent or connivance of or is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also, be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation.—For the purpose of this section— (a) "company" means any body corporate and includes a firm or other association of individuals; and (b) "director", in relation to a firm, means a partner in the firm.

59. Previous sanction for prosecution.—No prosecution for offences punishable under sections 55 and 56 shall be instituted except with the previous sanction of the Central Government or the State Government, as the case may be, or of any officer authorised in this behalf, by general or special order, by such Government.

60. Cognizance of offences.—No court shall take cognizance of an offence under this Act except on a complaint made by— (a) the National Authority, the State Authority, the Central Government, the State Government, the District Authority or any other authority or officer authorised in this behalf by that Authority or Government, as the case may be; or (b) any person who has given notice of not less than thirty days in the manner prescribed, of the alleged offence and his intention to make a complaint to

the National Authority, the State Authority, the Central Government, the State Government, the District Authority or any other authority or officer authorised as aforesaid.

2. Section 188 in The Indian Penal Code

188. Disobedience to order duly promulgated by public servant.—Whoever, knowing that, by an order promulgated by a public servant lawfully empowered to promulgate such order, he is directed to abstain from a certain act, or to take certain order with certain property in his possession or under his management, disobeys such direction, shall, if such disobedience causes or tends to cause obstruction, annoyance or injury, or risk of obstruction, annoyance or injury, to any person lawfully employed, be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month or with fine which may extend to two hundred rupees, or with both; and if such disobedience causes or trends to cause danger to human life, health or safety, or causes or tends to cause a riot or affray, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

Explanation.—It is not necessary that the offender should intend to produce harm, or contemplate his disobedience as likely to produce harm. It is sufficient that he knows of the order which he disobeys, and that his disobedience produces, or is likely to produce, harm.

Illustration
An order is promulgated by a public servant lawfully empowered to promulgate such order, directing that a religious procession shall not pass down a certain street. A knowingly disobeys the order, and thereby causes danger of riot. A has committed the offence defined in this section.

No. 40-3/2020-DM-I(A)
Government of India
Ministry of Home Affairs

North Block, New Delhi-110001
Dated 15th April, 2020

ORDER

Whereas, in exercise of the powers, conferred under Section 10(2)(l) of the Disaster Management Act 2005, the undersigned, in his capacity as Chairperson, National Executive Committee, has issued an Order dated 14th April, 2020 that the lockdown measures stipulated in the Consolidated Guidelines of Ministry of Home Affairs (MHA) for containment of COVID-19 epidemic in the country, will continue to remain in force upto 3rd May, 2020 to contain the spread of COVID-19 in the country;

Whereas, to mitigate hardship to the public, select additional activities will be allowed, which will come into effect from 20th April, 2020. However, these additional activities will be operationalized by States/ Union Territories (UTs)/ District Administrations based on strict compliance to the existing guidelines on lockdown measures. Before operating these relaxations, States/ UTs/ District Administrations shall ensure that all preparatory arrangements with regard to social distancing in offices, workplaces, factories and establishments, as also other sectoral requirements are in place. The consolidated revised guidelines incorporating these relaxations are enclosed;

Whereas, the consolidated revised guidelines will not apply in containment zones, as demarcated by States/ UTs/ District administrations. If any new area is included in the category of a containment zone, the activities allowed in that area till the time of its categorization as a containment zone, will be suspended except for those activities as are specifically permitted under the guidelines of Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW), Government of India;

Whereas, in exercise of the powers, conferred under Section 10(2)(l) of the Disaster Management Act, 2005, the undersigned, in his capacity as Chairperson, National Executive Committee, hereby issues directions to all the all Ministries/ Departments of Government of India, State/Union Territory Governments and State/Union Territory Authorities for the strict implementation of enclosed consolidated revised guidelines.

15/04/2020
Union Home Secretary

To:

1. The Secretaries of Ministries/ Departments of Government of India
2. The Chief Secretaries/Administrators of States/Union Territories
   (As per list attached)

Copy to:

i. All members of the National Executive Committee.

ii. Member Secretary, National Disaster Management Authority.

Consolidated Revised Guidelines on the measures to be taken by Ministries/ Departments of Government of India, State/ UT Governments and State/ UT authorities for containment of COVID-19 in the country

[As per Ministry of Home Affairs (MHA) Order No. 40-3/2020-DM-I (A) dated 15th April, 2020]

1. **With the extension of the lockdown period, the following activities will continue to remain prohibited across the country until 3rd May, 2020:**

   i. All domestic and international air travel of passengers, except for purposes enumerated in para 4 (ix), and for security purposes.

   ii. All passenger movement by trains, except for security purposes.

   iii. Buses for public transport.

   iv. Metro rail services.

   v. Inter-district and inter-State movement of individuals except for medical reasons or for activities permitted under these guidelines.

   vi. All educational, training, coaching institutions etc. shall remain closed.

   vii. All industrial and commercial activities other than those specifically permitted under these guidelines.

   viii. Hospitality services other than those specifically permitted under these guidelines.

   ix. Taxis (including auto rickshaws and cycle rickshaws) and services of cab aggregators.

   x. All cinema halls, malls, shopping complexes, gymnasiums, sports complexes, swimming pools, entertainment parks, theatres, bars and auditoriums, assembly halls and similar places.

   xi. All social/ political/ sports/ entertainment/ academic/ cultural/ religious functions/ other gatherings.

   xii. All religious places/ places of worship shall be closed for public. Religious congregations are strictly prohibited.

   xiii. In case of funerals, congregation of more than twenty persons will not be permitted.

2. **Operation of guidelines in Hotspots and containment zones**

   i. 'Hotspots', i.e., areas of large COVID-19 outbreaks, or clusters with significant spread of COVID-19, will be determined as per the guidelines issued by Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW), Government of India (GoI).

   ii. In these hotspots, containment zones will be demarcated by States/ UTs/ District administrations as per the guidelines of MoHFW.

   iii. In these containment zones, the activities allowed under these guidelines will not be permitted. There shall be strict perimeter control in the area of the containment zones to ensure that there is no unchecked inward/ outward movement of population from these zones except for maintaining essential services (including medical emergencies and law and order related duties) and Government business continuity. The guidelines issued in this regard by MoHFW will be strictly implemented by State/ UT Governments and the local district authorities.

3. Select permitted activities allowed with effect from 20th April, 2020:

i. To mitigate hardship to the public, select additional activities have been allowed which will come into effect from 20th April, 2020. These limited exemptions will be operationalized by States/ UTs/ district administrations based on strict compliance to the existing guidelines. Also, before allowing these select additional activities, States/ UTs/ district administrations shall ensure that all preparatory arrangements with regard to the Standard Operating Procedures (SOPs) for social distancing in offices, workplaces, factories and establishments, as also other sectoral requirements are in place.

ii. The consolidated revised guidelines incorporating these select permitted activities have been enumerated in paras 5-20 below.

4. Strict enforcement of the lockdown guidelines

i. State/ UT Governments shall not dilute these guidelines issued under the Disaster Management Act, 2005, in any manner, and shall strictly enforce the same.

ii. State/ UT Governments, may, however, impose stricter measures than these guidelines as per requirement of the local areas.

5. All health services (including AYUSH) to remain functional, such as:

i. Hospitals, nursing homes, clinics, telemedicine facilities.

ii. Dispensaries, chemists, pharmacies, all kinds of medicine shops including *Jan Aushadhi Kendras* and medical equipment shops.

iii. Medical laboratories and collection centres.

iv. Pharmaceutical and medical research labs, institutions carrying out COVID-19 related research.

v. Veterinary Hospitals, dispensaries, clinics, pathology labs, sale and supply of vaccine and medicine.

vi. Authorised private establishments, which support the provisioning of essential services, or efforts for containment of COVID-19, including home care providers, diagnostics, supply chain firms serving hospitals.

vii. Manufacturing units of drugs, pharmaceuticals, medical devices, medical oxygen, their packaging material, raw material and intermediates.

viii. Construction of medical/ health infrastructure including manufacture of ambulances.

ix. Movement (inter and intra State, including by air) of all medical and veterinary personnel, scientists, nurses, para-medical staff, lab technicians, mid-wives and other hospital support services, including ambulances.

6. Agricultural and related activities:

A. All agricultural and horticultural activities to remain fully functional, such as:

i. Farming operations by farmers and farm workers in field.

ii. Agencies engaged in procurement of agriculture products, including MSP operations.

iii. '*Mandis*' operated by the Agriculture Produce Market Committee (APMC) or as notified by the State/ UT Government (e.g., satellite *mandis*). Direct marketing operations by the State/ UT Government or by industry, directly

from farmers/ group of farmers, FPOs' co-operatives etc. States/ UTs may promote decentralized marketing and procurement at village level.

iv. Shops of agriculture machinery, its spare parts (including its supply chain) and repairs to remain open.

v. 'Custom Hiring Centres (CHC)' related to farm machinery.

vi. Manufacturing, distribution and retail of fertilizers, pesticides and seeds.

vii. Movement (inter and intra State) of harvesting and sowing related machines like combined harvester and other agriculture/ horticulture implements.

B. Fisheries - the following activities will be functional:

i. Operations of the fishing **(marine and inland)**/ aquaculture industry, including feeding & maintenance, harvesting, processing, packaging, cold chain, sale and marketing.

ii. Hatcheries, feed plants, commercial aquaria.

iii. Movement of fish/ shrimp and fish products, fish seed/ feed and workers for all these activities.

C. Plantations- the following activities will be functional:

i. Operations of tea, coffee and rubber plantations, with maximum of 50% workers.

ii. Processing, packaging, sale and marketing of tea, coffee, rubber and cashew, with maximum of 50% workers.

D. Animal husbandry – the following activities will be functional:

i. Collection, processing, distribution and sale of milk and milk products by milk processing plants, including transport and supply chain.

ii. Operation of animal husbandry farms including poultry farms & hatcheries and livestock farming activity.

iii. Animal feed manufacturing and feed plants, including supply of raw material, such as maize and soya.

iv. Operation of animal shelter homes, including *Gaushalas*.

7. Financial sector: following to remain functional:

i. Reserve Bank of India (RBI) and RBI regulated financial markets and entities like NPCI, CCIL, payment system operators and standalone primary dealers.

ii. Bank branches and ATMs, IT vendors for banking operations, Banking Correspondents (BCs), ATM operation and cash management agencies.

a. Bank branches be allowed to work as per normal working hours till disbursal of DBT cash transfers is complete.

b. Local administration to provide adequate security personnel at bank branches and BCs to maintain social distancing, law and order and staggering of account holders.

iii. SEBI, and capital and debt market services as notified by the Securities and Exchange Board of India (SEBI).

iv. IRDAI and Insurance companies.

8. **Social sector: following to remain functional:**

   i. Operation of homes for children/ disabled/ mentally challenged/ senior citizens/ destitutes/ women/ widows.

   ii. Observation homes, after care homes and places of safety for juveniles.

   iii. Disbursement of social security pensions, e.g., old age/ widow/ freedom fighter pensions; pension and provident fund services provided by Employees Provident Fund Organisation (EPFO).

   iv. Operation of *Anganwadis* – distribution of food items and nutrition once in 15 days at the doorsteps of beneficiaries, e.g., children, women and lactating mothers. Beneficiaries will not attend the *Anganwadis*.

9. **Online teaching/ distance learning to be encouraged:**

   i. All educational, training, coaching institutions etc. shall remain closed.

   ii. However, these establishments are expected to maintain the academic schedule through online teaching.

   iii. Maximum use of Doordarshan (DD) and other educational channels may be made for teaching purposes.

10. **MNREGA works to be allowed:**

   i. MNREGA works are allowed with strict implementation of social distancing and face mask.

   ii. Priority to be given under MNREGA to irrigation and water conservation works.

   iii. Other Central and State sector schemes in irrigation and water conservation sectors may also be allowed to be implemented and suitably dovetailed with MNREGA works.

11. **Public utilities: following to remain functional:**

   i. Operations of Oil and Gas sector, including refining, transportation, distribution, storage and retail of products, e.g., petrol, diesel, kerosene, CNG, LPG, PNG etc.

   ii. Generation, transmission and distribution of power at Central and State/ UT levels.

   iii. Postal services, including post offices.

   iv. Operations of utilities in water, sanitation and waste management sectors, at municipal/ local body levels in States and UTs.

   v. Operation of utilities providing telecommunications and internet services.

12. **Movement, loading/ unloading of goods/ cargo (inter and intra State) is allowed, as under:**

   i. All goods traffic will be allowed to ply.

   ii. Operations of Railways: Transportation of goods and parcel trains.

   iii. Operations of Airports and related facilities for air transport for cargo movement, relief and evacuation.

   iv. Operations of Seaports and Inland Container Depots (ICDs) for cargo transport, including authorized custom clearing and forwarding agents.

v. Operations of Land Ports for cross land border transportation of essential goods, including petroleum products and LPG, food products, medical supplies.

vi. Movement of all trucks and other goods/ carrier vehicles with two drivers and one helper subject to the driver carrying a valid driving license; an empty truck/ vehicle will be allowed to ply after the delivery of goods, or for pick up of goods.

vii. Shops for truck repairs and dhabas on highways, with a stipulated minimum distance as prescribed by the State/ UT authorities.

viii. Movement of staff and contractual labour for operations of railways, airports/ air carriers, seaports/ ships/ vessels, landports and ICDs is allowed on passes being issued by the local authority on the basis of authorizations issued by the respective designated authority of the railways, airports, seaports, landports and ICDs.

13. Supply of essential goods is allowed, as under:

i. All facilities in the supply chain of essential goods, whether involved in manufacturing, wholesale or retail of such goods through local stores, large brick and mortar stores or e-Commerce companies should be allowed to operate, ensuring strict social distancing without any restriction on their timing of opening and closure.

ii. Shops (including *Kirana* and single shops selling essential goods) and carts, including ration shops (under PDS), dealing with food and groceries **(for daily use)**, hygiene items, fruits and vegetables, dairy and milk booths, poultry, meat and fish, animal feed and fodder etc, should be allowed to operate, ensuring strict social distancing without any restriction on their timing of opening and closure.

iii. District authorities may encourage and facilitate home delivery to minimize the movement of individuals outside their homes.

14. Commercial and private establishments, as listed below, will be allowed to operate:

i. Print and electronic media including broadcasting, DTH and cable services.

ii. IT and IT enabled Services, with upto 50% strength.

iii. Data and call centres for Government activities only.

iv. Government approved Common Service Centres (CSCs) at Gram Panchayat level.

v. E-commerce companies. Vehicles used by e-commerce operators will be allowed to ply with necessary permissions.

vi. Courier services.

vii. Cold storage and warehousing services, including at ports, airports, railway stations, container Depots, individual units and other links in the logistics chain.

viii. Private security services and facilities management services for maintenance and upkeep of office and residential complexes.

ix. Hotels, homestays, lodges and motels, which are accommodating tourists and persons stranded due to lockdown, medical and emergency staff, air and sea crew.

x. Establishments used/ earmarked for quarantine facilities.

xi. Services provided by self-employed persons, e.g., electrician, IT repairs, plumbers, motor mechanics, and carpenters.

15. Industries/ Industrial Establishments (both Government and private), as listed below, will be allowed to operate:

i. Industries operating in rural areas, i.e., outside the limits of municipal corporations and municipalities.

ii. Manufacturing and other industrial establishments with access control in Special Economic Zones (SEZs) and Export Oriented Units (EoUs), industrial estates, and industrial townships. These establishments shall make arrangements for stay of workers within their premises as far as possible and/ or adjacent buildings and for implementation of the Standard operating protocol (SOP) as referred to in para 21 (ii) below. The transportation of workers to work place shall be arranged by the employers in dedicated transport by ensuring social distancing.

iii. Manufacturing units of essential goods, including drugs, pharmaceuticals, medical devices, their raw material and intermediates.

iv. Food processing industries in rural areas, i.e., outside the limits of municipal corporations and municipalities.

v. Production units, which require continuous process, and their supply chain.

vi. Manufacturing of IT hardware.

vii. Coal production, mines and mineral production, their transportation, supply of explosives and activities incidental to mining operations.

viii. Manufacturing units of packaging material.

ix. Jute industries with staggered shifts and social distancing.

x. Oil and gas exploration/ refinery.

xi. Brick kilns in rural areas i.e., outside the limits of municipal corporations and municipalities.

16. Construction activities, listed as below, will be allowed to operate:

i. Construction of roads, irrigation projects, buildings and all kinds of industrial projects, including MSMEs, in rural areas, i.e., outside the limits of municipal corporations and municipalities; and all kinds of projects in industrial estates.

ii. Construction of renewable energy projects.

iii. Continuation of works in construction projects, within the limits of municipal corporations and municipalities, where workers are available on site and no workers are required to be brought in from outside (in situ construction).

17. Movement of persons is allowed in the following cases:

i. Private vehicles for emergency services, including medical and veterinary care, and for procuring essential commodities. In such cases, one passenger besides the private vehicle driver can be permitted in the backseat, in case of

four-wheelers; however, in case of two-wheelers, only the driver of the vehicle is to be permitted.

ii. All personnel travelling to place of work and back in the exempted categories, as per the instructions of the State/ UT local authority.

18. Offices of the Government of India, its Autonomous/ Subordinate Offices will remain open, as mentioned below:

i. Defence, Central Armed Police Forces, Health and Family Welfare, Disaster management and Early Warning Agencies (IMD, INCOIS, SASE and National Centre of Seismology, CWC), National Informatics Centre (NIC), Food Corporation of India (FCI), NCC, Nehru Yuva Kendras (NYKs) and Customs to function without any restriction.

ii. Other Ministries and Departments, and offices under their control, are to function with 100% attendance of Deputy Secretary and levels above that. Remaining officers and staff to attend upto 33% as per requirement.

19. Offices of the State/ Union Territory Governments, their Autonomous Bodies and Local Governments will remain open, as mentioned below:

i. Police, home guards, civil defence, fire and emergency services, disaster management, prisons and municipal services will function without any restrictions.

ii. All other Departments of State/ UT Governments to work with restricted staff. Group 'A' and 'B' officers may attend as required. Group 'C' and levels below that may attend upto 33% of strength, as per requirement to ensure social distancing. However, delivery of public services shall be ensured, and necessary staff will be deployed for such purpose.

iii. District administration and Treasury (including field offices of the Accountant General) will function with restricted staff. However, delivery of public services shall be ensured, and necessary staff will be deployed for such purpose.

iv. Resident Commissioner of States/ UTs, in New Delhi, only to the extent of coordinating COVID-19 related activities and internal kitchen operations.

v. Forest offices: staff/ workers required to operate and maintain zoo, nurseries, wildlife, fire-fighting in forests, watering plantations, patrolling and their necessary transport movement.

20. Persons to remain under mandatory quarantine, as under:

i. All such persons who have been directed by health care personnel to remain under strict home/ institutional quarantine for a period as decided by local Health Authorities.

ii. Persons violating quarantine will be liable to legal action under Section 188 of the IPC, 1860.

iii. Quarantined persons, who have arrived in India after 15.2.2020, after expiry of their quarantine period and being tested Covid-19 negative, will be released following the protocol prescribed in the SOP issued by MHA.

21. Instructions for enforcement of above lockdown measures:

i. All the district magistrates shall strictly enforce the National COVID 19 directives as specified in **Annexure I**. Penalties prescribed shall be levied and collected from all persons and entities violating these directives.

ii. All industrial and commercial establishments, work places, offices etc. shall put in place arrangements for implementation of SOP as in **Annexure II** before starting their functioning.

iii. In order to implement these containment measures, the District Magistrate will deploy Executive Magistrates as Incident Commanders in the respective local jurisdictions. The Incident Commander will be responsible for the overall implementation of these measures in their respective jurisdictions. All other line department officials in the specified area will work under the directions of such incident commander. The Incident Commander will issue passes for enabling essential movements as explained.

iv. The Incident Commanders will in particular ensure that all efforts for mobilization of resources, workers and material for augmentation and expansion of hospital infrastructure shall continue without any hindrance.

v. **Additional activities permitted in these guidelines shall be implemented in a phased manner, after making all arrangements necessary for strict implementation of the guidelines. These will come into force with effect from 20th April, 2020.**

22. Penal provisions

Any person violating these lockdown measures will be liable to be proceeded against as per the provisions of Section 51 to 60 of the Disaster Management Act, 2005, besides legal action under Sec. 188 of the IPC, and other legal provisions as applicable. Extracts of these penal provisions are at **Annexure III**.

15/04/2020

Union Home Secretary

Annexure I

National Directives for COVID-19 Management

The National Directives shall be enforced by the District Magistrate through fines and penal action as prescribed in the Disaster Management Act 2005.

PUBLIC SPACES

1. Wearing of face cover is compulsory in all public places, work places.
2. All persons in charge of public places, work places and transport shall ensure social distancing as per the guidelines issued by Ministry of Health and Family Welfare.
3. No organization /manager of public place shall allow gathering of 5 or more persons
4. Gatherings such as marriages and funerals shall remain regulated by the District Magistrate.
5. Spitting in public spaces shall be punishable with fine.
6. There should be strict ban on sale of liquor, gutka, tobacco etc. and spitting should be strictly prohibited.

WORK SPACES

7. All work places shall have adequate arrangements for temperature screening and provide sanitizers at convenient places.
8. Work places shall have a gap of one hour between shifts and will stagger the lunch breaks of staff, to ensure social distancing.
9. Persons above 65 years of age and persons with co-morbidities and parents of children below the age of 5 may be encouraged to work from home.
10. Use of Arogya setu will be encouraged for all employees both private and public.
11. All organizations shall sanitize their work places between shifts.
12. Large meetings to be prohibited.

MANUFACTURING ESTABLISHMENTS

13. Frequent cleaning of common surfaces and mandatory hand washing shall be mandated.
14. No overlap of shifts and staggered lunch with social distancing in canteens shall be ensured.
15. Intensive communication and training on good hygiene practices shall be taken up.

Annexure II

Standard Operating Procedure for Social Distancing for Offices, Workplace, Factories and Establishments

The following measures shall be implemented by all offices, factories and other establishments:

1. All areas in the premises including the following shall be disinfected completely using user friendly disinfectant mediums:
   - **a.** Entrance Gate of building, office etc.
   - **b.** Cafeteria and canteens.
   - **c.** Meeting room, Conference halls/ open areas available/ verandah/ entrance gate of site, bunkers, porta cabins, building etc.
   - **d.** Equipment and lifts.
   - **e.** Washroom, toilet, sink; water points etc.
   - **f.** Walls/ all other surfaces
2. For workers coming from outside, special transportation facility will be arranged without any dependency on the public transport system. These vehicles should be allowed to work only with 30-40% passenger capacity.
3. All vehicles and machinery entering the premise should be disinfected by spray mandatorily.
4. Mandatory thermal scanning of everyone entering and exiting the work place to be done.
5. Medical insurance for the workers to be made mandatory.
6. Provision for hand wash & sanitizer preferably with touch free mechanism will be made at all entry and exit points and common areas. Sufficient quantities of all the items should be available.
7. Work places shall have a gap of one hour between shifts and will stagger the lunch breaks of staff, to ensure social distancing.
8. Large gatherings or meetings of 10 or more people to be discouraged. Seating at least 6 feet away from others on job sites and in gatherings, meetings and training sessions.
9. Not more than 2/4 persons (depending on size) will be allowed to travel in lifts or hoists.
10. Use of staircase for climbing should be encouraged.
11. There should be strict ban of gutka, tobacco etc. and spitting should be strictly prohibited.
12. There should be total ban on non-essential visitors at sites.
13. Hospitals/clinics in the nearby areas, which are authorized to treat COVID-19 patients, should be identified and list should be available at work place all the times.

Annexure III

Offences and Penalties for Violation of Lockdown Measures

A. Section 51 to 60 of the Disaster Management Act, 2005

51. Punishment for obstruction, etc.—Whoever, without reasonable cause —

(a) obstructs any officer or employee of the Central Government or the State Government, or a person authorised by the National Authority or State Authority or District Authority in the discharge of his functions under this Act; or

(b) refuses to comply with any direction given by or on behalf of the Central Government or the State Government or the National Executive Committee or the State Executive Committee or the District Authority under this Act,

shall on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine, or with both, and if such obstruction or refusal to comply with directions results in loss of lives or imminent danger thereof, shall on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years.

52. Punishment for false claim.—Whoever knowingly makes a claim which he knows or has reason to believe to be false for obtaining any relief, assistance, repair, reconstruction or other benefits consequent to disaster from any officer of the Central Government, the State Government, the National Authority, the State Authority or the District Authority, shall, on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, and also with fine.

53. Punishment for misappropriation of money or materials, etc.—Whoever, being entrusted with any money or materials, or otherwise being, in custody of, or dominion over, any money or goods, meant for providing relief in any threatening disaster situation or disaster, misappropriates or appropriates for his own use or disposes of such money or materials or any part thereof or wilfully compels any other person so to do, shall on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, and also with fine.

54. Punishment for false warning.—Whoever makes or circulates a false alarm or warning as to disaster or its severity or magnitude, leading to panic, shall on conviction, be punishable with imprisonment which may extend to one year or with fine.

55. Offences by Departments of the Government.—(1) Where an offence under this Act has been committed by any Department of the Government, the head of the Department shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly unless he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a Department of the Government and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any officer, other than the head of the Department, such officer shall be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

56. Failure of officer in duty or his connivance at the contravention of the provisions of this Act.—Any officer, on whom any duty has been imposed by or under this Act and who ceases or refuses to perform or withdraws himself from the duties of his office shall, unless he has obtained the express written permission of his official superior or has other lawful excuse for so doing, be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine.

57. Penalty for contravention of any order regarding requisitioning.—If any person contravenes any order made under section 65, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine or with both.

58. Offence by companies.—(1) Where an offence under this Act has been committed by a company or body corporate, every person who at the time the offence was committed, was in charge of, and was responsible to, the company, for the conduct of the business of the company, as well as the company, 25 shall be deemed to be guilty of the contravention and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly: Provided that nothing in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised due diligence to prevent the commission of such offence. (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company, and it is proved that the offence was committed with the consent or connivance of or is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also, be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation.—For the purpose of this section— (a) "company" means any body corporate and includes a firm or other association of individuals; and (b) "director", in relation to a firm, means a partner in the firm.

59. Previous sanction for prosecution.—No prosecution for offences punishable under sections 55 and 56 shall be instituted except with the previous sanction of the Central Government or the State Government, as the case may be, or of any officer authorised in this behalf, by general or special order, by such Government.

60. Cognizance of offences.—No court shall take cognizance of an offence under this Act except on a complaint made by— (a) the National Authority, the State Authority, the Central Government, the State Government, the District Authority or any other authority or officer authorised in this behalf by that Authority or Government, as the case may be; or (b) any person who has given notice of not less than thirty days in the manner prescribed, of the alleged offence and his intention to make a complaint to the National Authority, the State Authority, the Central Government, the State Government, the District Authority or any other authority or officer authorised as aforesaid.

B. Section 188 in the Indian Penal Code, 1860

188. Disobedience to order duly promulgated by public servant.—Whoever, knowing that, by an order promulgated by a public servant lawfully empowered to promulgate such order, he is directed to abstain from a certain act, or to take certain order with certain property in his possession or under his management, disobeys such direction, shall, if such disobedience causes or tends to cause obstruction, annoyance or injury, or risk of obstruction, annoyance or injury, to any person lawfully employed, be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month or with fine which may extend to two hundred rupees, or with both; and if such disobedience causes or trends to cause danger to human life, health or safety, or causes or tends to cause a riot or affray, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

Explanation.—It is not necessary that the offender should intend to produce harm, or contemplate his disobedience as likely to produce harm. It is sufficient that he knows of the order which he disobeys, and that his disobedience produces, or is likely to produce, harm.

Illustration

An order is promulgated by a public servant lawfully empowered to promulgate such order, directing that a religious procession shall not pass down a certain street. A knowingly disobeys the order, and thereby causes danger of riot. A has committed the offence defined in this section.

***

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Indirect Taxes & Customs

New Delhi the 23rd March 2020

PRESS RELEASE

Keeping in view the preventive measures taken to contain the spread of Novel Coronavirus (COVID-19) and the difficulties being faced by the GST taxpayers in meeting the compliance requirements under GST Law in view of the same, it has been decided to:

(i) Extend the due date of filing the return in FORM GSTR-3B for the month of February 2020 for all registered persons to 07.04.2020

(ii) Extend the due date of filing the Annual return in FORM GSTR-9 and reconciliation statement for the Financial Year 2018-19 for from 31.03.2020 to 30.06.2020

(iii) Extend the due date for opting for Composition Scheme from 31.03.2020 to 07.04.2020

2. Necessary notifications/orders in this regard will follow.

*****

संख्या- 3/2020/ 259 **/65-1-2020-07/2020**

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 01.04.2020

विषय- कोविड-19 से बचाव के दृष्टिगत वर्तमान में प्रभावी लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक कार्यों/सेवाओं की पूर्ति हेतु दिव्यांग कार्मिकों को ड्यूटी से मुक्त रखे जाने के संबंध में।

महोदय,

कोविड-19 से बचाव के दृष्टिगत वर्तमान में प्रभावी लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक कार्यों/सेवाओं की पूर्ति हेतु विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को विशेष परिस्थितियों में ड्यूटी पर बुलाने की आवश्यकता पड़ती है। दिव्यांगजन को कोविड-19 के खतरे से बचाने के लिए अपेक्षित है कि इस प्रकार की आवश्यक ड्यूटी के परिप्रेक्ष्य में दिव्यांग कार्मिकों को ड्यूटी से मुक्त रखा जाय। उक्त व्यवस्था को अपने विभाग में प्रभावी रूप से लागू कराने हेतु अधिनस्थ अधिकारियों को आवश्यक निर्देश कृपया अपने स्तर से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,
राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव।

संख्या- 3/2020/ 259(1) **/65-1-2020** तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

2- निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।

4- राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उ0प्र0।

आज्ञा से

महेश कुमार गुप्ता
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-168/18-2-2020

प्रेषक

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊः 03 अप्रैल, 2020

विषय- कोविड-19 (कोरोना वायरस) के कारण घोषित लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु ई-पास ऑनलाइन जारी किये जाने के संबंध में स्पष्टीकरण।

महोदय

उपर्युक्त विषयक राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या-210/एक-11-2020, दिनांक 02 अप्रैल, 2020, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अंतर्गत दिनांक 02-4-2020 को सायं 6.00 बजे से पूरे प्रदेश में लॉकडाउन से छूट के लिए ई-पास जारी किये जाने की व्यवस्था दी गई है। शासनादेश में उक्त ई-पास की व्यवस्था एक संस्था हेतु आवेदक सहित अधिकतम मात्र 05 कार्मिकों के लिए ही है।

2- उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि वर्तमान में यह जानकारी में आया है कि विभिन्न प्रकार के उद्योगों को गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर चलाए जाने की अनुमति दी गई है। सभी उद्योगों के कर्मचारियों, मजदूरों इत्यादि को वेतन देने तथा ऐसी इकाईयों को चालू रखने में ई-पास की व्यवस्था से कठिनाईयाँ उत्पन्न हो रही हैं।

3- अतः वर्तमान परिवेश में उद्योगों के संचालन में उत्पन्न हो रही कठिनाइयों के दृष्टिगत निम्नवत दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं-

(1) पूर्व में चल रहे उद्योगों को, जिनमें पूर्व व्यवस्था के अंतर्गत पास जारी किये गये हैं, उक्त व्यवस्था यथावत रहेगी।

(2) भविष्य में उद्योगों के संबंध में ई-पास के स्थान पर पूर्व में लागू व्यवस्था के अन्तर्गत उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र द्वारा वेतन व्यवस्था के संबंध में तथा जिलाधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी द्वारा नई इकाईयों को संचालित करने तथा इन इकाईयों में कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में अनुमति-पत्र जारी किये जाएंगे।

4- यहाँ यह भी निर्देश दिये जाते है कि जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों दिनांक 23-3-2020, 25-3-2020, 27-3-2020, 29-3-2020 व 02-4-2020 के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणियों के उद्योगों को चालू रखा जाये तथा क्रमांक-(2) की व्यवस्था के अनुसार ही ई-पास व कार्मिकों की सीमित संख्या की व्यवस्था से मुक्त रखते हुये इन इकाईयों को सोशल डिस्टेंशिंग व स्वास्थ्य संबंधी निर्देशों के साथ चालू करने में यथासंभव सहायता प्रदान की जाएः-

(1) आवश्यक वस्तुओं से संबंधित उद्योग, जिसमें खाद्य पदार्थ ब्रेड, बिस्किट, आटा, दाल, खाद्य तेल, चावल, चीनी, पीने का पानी, दूध व दूध से संबंधित उत्पाद तथा उन उत्पादों के लिए प्रयोग की जाने वाली पैकिंग सामग्री की इकाईयां।

(2) मेडिकल उपकरण जिसमें मास्क, सेनेटाइजर, वेंटीलेटर, पीपीई किट, दवा, जिनमें आयुष भी सम्मिलित है तथा दवाओं में काम आने वाली सामग्रियों इण्टरमिडयरी तथा इनकी पैकिंग से संबंधित सामग्री की इकाईयां।

(3) राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त ऐसी इकाइयां, जिनमें अनवरत उत्पादन की प्रक्रिया हो। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मास्क, सेनेटाइजर, पीपीई किट एवं वेंटीलेटर की इकाईयों को शत-प्रतिशत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।
http://shasanadesh.up.nic.in

क्षमता के अनुसार अनुमति-पत्र दिये जाएंगे। यहां यह भी प्रयास किया जाय कि यदि संभव हो तो इन उद्योगों की क्षमता वृद्धि कराई जाए।

(4) कोयला व खनिज पदार्थ का उत्पादन, परिवहन एवं खनन प्रक्रियाओं से संबंधित गतिविधियां।

(5) खाद, कीटनाशक, बीज उत्पादन तथा इनकी पैकिंग में प्रयुक्त होने वाली इकाइयां।

6- उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों के संचालन की अनुमति पूर्व में ही गृह मंत्रालय द्वारा पूर्व में ही जारी की जा चुकी है। उपर्युक्त इकाईयों के वाहन के संचालन को किसी प्रकार से न रोका जाए परंतु यह ध्यान रखा जाए कि उक्त मालवाहक वाहनों में कोई सवारी न हो।

7- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0, कानपुर।

(2) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

(3) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

(4) समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

(5) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क उ0प्र0।

(6) समस्त परिक्षेत्रीय अधिकारी, उद्योग/उपायुक्त उद्योग, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से

नवनीत सहगल
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-68/2020/830/65-2-2020-01(विविध)/2020

प्रेषक,

महेश कुमार गुप्ता,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 03 अप्रैल, 2020

विषय: दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के अन्तर्गत संचालित मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र, राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्वैच्छिक संस्थाओं एवं अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जनपद-बरेली, मेरठ एवं गोरखपुर में 50-50 आवासीय क्षमता का मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन किया जा रहा है। मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र में मानसिक रूप से रूग्ण दिव्यांगजनों की देखभाल एवं उनको प्रशिक्षण दिये जाने से संबंधित कार्यवाही सम्पादित की जाती है। कोविड-19 के बचाव के दृष्टिगत निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा अपने पत्र संख्या-सी-8467/निदे0दि0स0/कोरोना वायरस/2019-20 दिनांक 20.03.2020 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये जा चुके हैं। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 का दुष्प्रभाव किसी के स्वास्थ पर भी परिलक्षित हो सकता है, ऐसी स्थिति में उक्त प्रशिक्षण केन्द्रों में निवासित दिव्यांगजनों को उक्त दुष्प्रभाव से दूर रखने की महती आवश्यकता है।

2. यह भी अवगत कराना है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के अन्तर्गत अनुदानित विभिन्न स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा दिव्यांगजनों के हितों हेतु मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन किया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त विभिन्न स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा दिव्यांगजनों के हितों के लिये भी अपनी संस्थाओं के माध्यम से भी कार्य किये जा रहे हैं, जिसमें भी कोविड-19 के बचाव के दृष्टिगत उक्त स्वैच्छिक संस्थाओं के केन्द्रों में निवासित दिव्यांगजनों को कोविड-19 के दुष्प्रभाव से दूर रखने की भी महती आवश्यकता है।

3. अत: उपर्युक्त वर्णित स्थिति में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के अन्तर्गत संचालित मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र, राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्वैच्छिक संस्था एवं अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं में निवासरत दिव्यांगजनों को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत आप स्वयं तथा जनपद के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों/यथावश्यकता संबंधित चिकित्सकों से जनपद में संचालित मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र व अन्य अनुदानित संस्थाओं/अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं का समय-समय पर निरीक्षण कराते हुये उक्त संक्रमण से बचाव का समुचित प्रबन्ध सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
महेश कुमार गुप्ता
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-68/2020/830(1)/65-2-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उ0प्र0।
2. निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0।
4. समस्त जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, उ0प्र0।
5. संबंधित अधीक्षक, मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र जनपद-बरेली, मेरठ एवं गोरखपुर।
6. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
अनिल कुमार
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

महत्वपूर्ण

संख्या-3/2020/57/29-5-2020-5(1)/20

प्रेषक,

हरीराम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- आयुक्त,
खाद्य तथा रसद विभाग,
जवाहर भवन,लखनऊ।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

3- महाप्रबन्धक,
भारतीय खाद्य निगम,
क्षेत्रीय कार्यालय, गोमती नगर, लखनऊ।

4- समस्त सम्भागीय खाद्य नियंत्रक,
उत्तर प्रदेश।

5- प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश प्रादेशिक को-ऑपरेटिव संघ, (पी0सी0एफ0)
32 स्टेशन रोड, लखनऊ।

6- प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, 17 गोखले मार्ग, लखनऊ।

7- प्रबन्ध निदेशक,
यू0पी0 एग्रो,
22 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

8- प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव यूनियन लि0 (पी0सी0यू0)

9- अधिशाषी निदेशक,
उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम,
जवाहर भवन, लखनऊ।

10- प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 राज्य भण्डारागार निगम,
न्यू हैदराबाद, लखनऊ।

11- क्षेत्रीय प्रबन्धक,
केन्द्रीय भण्डारागार निगम,
गोमती नगर, लखनऊ।

12- शाखा प्रबंधक,
नेशनल एग्रीकल्चर को-आपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड (नैफेड),
लखनऊ।

13- प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ
(यू0पी0एस0एस0), लखनऊ।

14- शाखा प्रबन्धक,
भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित (एन0सी0सी0एफ0), लखनऊ।

खाद्य तथा रसद अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 03 अप्रैल, 2020

विषय:- रबी विपणन वर्ष 2020-21 में केन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत गेहूँ क्रय की व्यवस्था हेतु नीति निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2/2020/55/29-5-2020-5(1)/20 दिनांक 16 मार्च, 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके प्रस्तर 5.1 में यह व्यवस्था है कि रबी विपणन वर्ष 2020–21 में गेहूँ

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्रय की अवधि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिये 01 अप्रैल, 2020 से 15 जून, 2020 तक प्रभावी रहेगी।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड–19 के लाकडाउन के दृष्टिगत दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से प्रारम्भ होने वाली गेहूँ की खरीद को स्थगित करते हुए दिनांक 15 अप्रैल, 2020 से गेहूँ खरीद प्रारम्भ किये जाने की अनुमति एतदद्वारा प्रदान की जाती है। शासनादेश संख्या-2/2020/55/29-5-2020-5(1)/20 ,दिनांक 16 मार्च, 2020 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

भवदीय,

हरीराम
उप सचिव

<u>संख्या-3/2020/57(1)/29-5-2020 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल।
2- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग/संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
6- प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, सहकारिता/कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग।
7- समस्त मण्डलायुक्त,उ0प्र0।
8- संयुक्त सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, नागरिक आपूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
9- आंचलिक प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली।
10- निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, लखनऊ।
11- आयुक्त, वाणिज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
12- नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, 7 बालाकदर रोड, लखनऊ।
13 आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारी समितियॉ, उ0प्र0, लखनऊ।
14- कृषि निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
15- अपर आयुक्त (विपणन)/वित्त नियंत्रक, खाद्य तथा रसद विभाग, लखनऊ।
16- समस्त सम्भागीय खाद्य विपणन अधिकारी/जिला खाद्य विपणन अधिकारी, उ0प्र0।
17- समस्त सम्भागीय लेखाधिकारी, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0।
18- प्रभारी, खाद्य नियंत्रण कक्ष, जवाहर भवन, लखनऊ।
19- खाद्य तथा रसद विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग अधिकारी।
20- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
21- मीडिया सलाहकार, मा0 मुख्य मंत्री जी, उ0प्र0।
22- गार्ड फाइल/एन0आई0सी0, लखनऊ।

आज्ञा से

हरीराम
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

महत्वपूर्ण

संख्या-123/2020/530/पांच-6-2020-01(बजट)/2019टी0सी0

प्रेषक

शत्रुन्जय कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

(2) प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज्
कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ

चिकित्सा अनुभाग-6 **लखनऊः दिनांक 04 अप्रैल,** 2020

विषयः- कोरोना वायरस-19(कोविड-19) के प्रसार को रोकने एवं प्रभारी नियन्त्रण हेतु कतिपय लाजिस्टिक,जैसे-मास्क,पीपीआई, आरटी-पीसीआर उपकरण, वेंटीलेटर्स आदि क्रय करने के लिये धनआवंटन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या-166/एक-10-2020 33(221)/ 2011टी0सी0, दिनांक 01-04-2020 तथा एलाटमेंट ग्रिड रिपोर्ट दिनांक 01-04-2020 (छायाप्रति संलग्न) के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रसार को रोकने एवं प्रभारी नियन्त्रण हेतु कतिपय लाजिस्टिक,जैसे-मास्क,पीपीआई, आरटी-पीसीआर उपकरण, वेंटीलेटर्स आदि क्रय करने के लिये वित्तीय वर्ष, 2020-21 **में सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को अग्रिम रूप से स्वीकृत धनराशि रूपया 100,00,00,000(एक सौ करोड़ रूपये मात्र) को प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के निवर्तन पर रखते हुये निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1- जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाय।

2- उपरोक्त धनराशि से वायरस (कोविड-19) के प्रसार को रोकने एवं प्रभावी नियन्त्रण हेतु आवश्यक लाजिस्टिक,जैसे-मास्क,पीपीआई, आरटी-पीसीआर उपकरण, वेंटीलेटर्स आदि का क्रय वर्तमान में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित दरों/गाईड लाइन्स के अनुसार ही किया जाय।

3- राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

4- समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31-03-2021 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31-03-2021 से पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

5- राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत उक्त धनराशि के व्यय का विवरण निर्धारित प्रारूप पर राहत आयुक्त की बेबसाइट (https://rahat.up.nic.in) पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाए।

6- राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2/1-11-2013-रा0-11 दिनांक 04-03-2013 का अनुपालन किया जायेगा।

7- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाए।

8- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

9- उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा उक्त धनराशि से उपकरणों का क्रय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऍ, उ0प्र0 /

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 द्वारा प्रेषित इन्डेन्ट के आधार पर किया जायेगा।

2- उक्त धनराशि व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांन्स फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांन्स फण्ड से व्यय-10-स्टेट डिजास्टर रेस्पांन्स फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय " के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक:- यथोक्त। भवदीय,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-123/2020/530(1)/पांच-6-2020 एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार प्रथमआडिट प्रथम/, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- अपर मुख्य सचिव, वित्त/राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त नियन्त्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें/उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ
7- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय, राहत आयुक्त संगठन, उत्तर प्रदेश।
8- निदेशक (संचारी/संक्रामक रोग), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
9- कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
10- अपर मुख्य कार्यापालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, लखनऊ / राजस्व अनुभाग-10, उ०प्र० शासन ।
11- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-3/5, उ०प्र० शासन ।
12- गार्ड फाइल/चिकित्सा अनुभाग-1/5

आज्ञा से,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-170/18-2-2020

प्रेषक

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊः 06 अप्रैल, 2020

विषय-कोविड-19 (कोरोना वायरस) के कारण घोषित लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु ई-पास ऑनलाइन जारी किये जाने के संबंध में स्पष्टीकरण।

महोदय

उपर्युक्त विषयक राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या-210/एक-11-2020, दिनांक 02 अप्रैल, 2020 के क्रम में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश संख्या-168/18-2-2020, दिनांक 03-4-2020, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा COVID-19 (कोरोना वायरस) के कारण घोषित लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु e-Pass_आनलाइन जारी किये जाने के संबंध में स्पष्टीकरण निर्गत किये गये हैं।

2- अवगत कराना है कि उक्त शासनादेश द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत करते हुये शासनादेश के प्रस्तर-4 में निम्नलिखित श्रेणी/प्रकार की इकाईयों को ई-पास व कार्मिकों की सीमित संख्या की व्यवस्था से मुक्त रखते हुये इन इकाईयों को सोशल डिस्टेंशिंग व स्वास्थ्य संबंधी निर्देशों के साथ चालू करने में यथासंभव सहायता प्रदान किये जाने के निर्देश दिये गये हैं-

(1) आवश्यक वस्तुओं से संबंधित उद्योग, जिसमें खाद्य पदार्थ ब्रेड, बिस्किट, आटा, दाल, खाद्य तेल, चावल, चीनी, पीने का पानी, दूध व दूध से संबंधित उत्पाद तथा उन उत्पादों के लिए प्रयोग की जाने वाली पैकिंग सामग्री की इकाईयां।

(2) मेडिकल उपकरण जिसमें मास्क, सेनेटाइजर, वेंटीलेटर, पीपीई किट, दवा, जिनमें आयुष भी सम्मिलित है तथा दवाओं में काम आने वाली सामग्रियों इण्टरमिडयरी तथा इनकी पैकिंग से संबंधित सामग्री की इकाईयां। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मास्क, सेनेटाइजर, पीपीई किट एवं वेंटीलेटर की इकाईयों को शत-प्रतिशत क्षमता के अनुसार अनुमति-पत्र दिये जाएंगे। यहां यह भी प्रयास किया जाय कि यदि संभव हो तो इन उद्योगों की क्षमता में वृद्धि भी कराई जाए।

(3) राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त ऐसी इकाइयां, जिनमें अनवरत उत्पादन की प्रक्रिया हो।

(4) कोयला व खनिज पदार्थ का उत्पादन, परिवहन एवं खनन प्रक्रियाओं से संबंधित गतिविधियां।

(5) खाद, कीटनाशक, बीज उत्पादन तथा इनकी पैकिंग में प्रयुक्त होने वाली इकाइयां।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि शासन के संज्ञान में आया है कि निम्न श्रेणी की इकाईयां अभी तक चालू नहीं हो पायी हैं, जिनके कारण मानवों, व पशु-पछियों की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि निम्नलिखित श्रेणी की इकाईयां, जो आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में आती हैं, उन्हें व उनकी सहयोगी की श्रेणी में आने वाली इकाईयों को भी चालू किया जाय-

(1) पशु/पक्षी/मत्स्य आहार एवं संबंधित उत्पादों की इकाईयां।

(2) कृषि संयत्र एवं उनसे संबंधित उत्पाद बनाने वाली इकाईयां।

(3) सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ उत्पाद करने वाली इकाईयां यथा दाल, आटा, चावल, तेल, घी, मसाला आदि।

(4) डिटरजेंट एवं साबुन उत्पाद की इकाईयां।

(5) साल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लाण्ट।

(6) खाद्य प्रसंस्करण बनाने वाली इकाईयां व फल/सब्जी की पैकेजिंग इकाईयां।

(7) उपरोक्त उत्पादों की प्रिण्टिंग व पैकेजिंग करने वाली इकाईयां।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उपरोक्त के अतिरिक्त प्रस्तर-2(3) में उल्लिखित विषय के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा शासन को संस्तुति उपलब्ध करायी जाय ताकि शासन स्तर पर निर्णय लेकर अनवरत उत्पाद करने वाली ऐसी इकाईयां, जिनके संचालन की आवश्यकता है, के संबंध में शासन स्तर पर निर्णय लेकर अनुमति जारी की जा सके।

5- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत शासनादेश दिनांक 03-4-2020 में वर्णित दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत संबंधित इकाईयों को सुविधायें प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0, कानपुर।
(2) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(4) समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
(5) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क उ0प्र0।
(6) समस्त परिक्षेत्रीय अधिकारी, उद्योग/उपायुक्त उद्योग, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से

नवनीत सहगल
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-01/2020/448/नौ-7-2020

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

(1) समस्त नगर आयुक्त,
नगर निगम,
उ0प्र0।

(2) समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत,
उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग-7 **लखनऊ: दिनांकः 07 अप्रैल, 2020**

विषयः नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के दृष्टिगत लाकडाउन के दौरान बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के लाभार्थियों को डोर-टू-डोर टेक होम राशन वितरण कराने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या- 1169/58-1-20-2/13(19)05टीसी-1 दिनांक 06.04.2020 (छायाप्रति संलग्न) की कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के लाभार्थियों की इम्युनिटी बनाये रखने की दृष्टि से सोशल डिस्टेंन्सिंग का पालन कर लाकडाउन के दौरान पोषाहार वितरण में पर्याप्त पारदर्षिता रखते हुये दिनांक 10, 13 व 16 अप्रैल 2020 को आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा लाभार्थियों को घर-घर जाकर पोषाहार वितरण सुनिश्चित किया जायेगा।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने निकाय के समस्त पार्षद/सभासद को पोषाहार वितरण की उक्त सूचना **वाट्सएप ग्रुप** अथवा अन्य माध्यम से उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कि उनके द्वारा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के लाभार्थियों को पोषाहार उपलब्ध कराये जाने की सूचना ससमय प्रदान की जा सके।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त, जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2. प्रमुख सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 06.04.2020 के क्रम में सूचनार्थ।

आज्ञा से,

(संजय कुमार सिंह यादव)
विशेष सचिव।

http://shasandesh.up.gov.in

संख्याः-02/2020/1325/नौ-5-2020-65सा/2020

प्रेषक,

दीपक कुमार
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-5 **लखनऊः दिनांक 08 अप्रैल, 2020**

विषयः कोविड- 19 (नोवेल कोरोना वायरस) के सम्भावित संक्रमण के प्रभावी रोकथाम में नगरीय निकायों की भूमिका एवं दायित्व।

महोदय,

पूर्व निर्गत प्रमुख निर्देश

1. शासनादेश संख्या 409/नौ-7-2020, दि0 14.03.20
2. नि0दे0कैम्प/510/पीए/2020, दि0 18.03.20
3. शासनादेश संख्या 432/नौ-7/2020, दि0 19.03.20
4. शासनादेश संख्या 432(1)/नौ-7/2020, दि0 21.03.20
5. राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या 198/एक-11- 2020-रा-11, दि0 24.03.20
6. शासनादेश संख्या 700/नौ-9-2020-58ज/20, दि0 26.03.20
7. पीएमयू/3708/429(12)/2019-20, दि0 03.04.20

कृपया उपरोक्त विषयगत शासन स्तर से पूर्व निर्गत निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जोकि आप सबको उपरोक्त महामारी के संक्रमण को प्रभावी रूप से रोके जाने के विषयगत निकायों द्वारा किये जाने वाले विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों एवं दायित्वों के संबंध में **राज्य सरकार व भारत सरकार** द्वारा सतत रूप से जारी किये गये हैं।

जैसा कि आप सभी अवगत है कि अभी तक के अनुभवों से यह स्पष्ट रहा है कि उक्त महामारी के संक्रमण को रोके जाने में सर्वाधिक कारगर उपाय **"सामाजिक दूरी"** के रूप में सर्वमान्य हुआ है। परन्तु नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व के अधिक होने और विशेष कर शहरों में सधन बस्तियां होने के कारण उपरोक्त उपाय (सामाजिक दूरी) को कारगर रूप से बनाये रखने हेतु विशेष जागरूकता एवं सावधानी की आवश्यकता है। साथ ही साथ शहरों में दैनिक कामगारों की सामाजिक सुरक्षा एवं अल्प विकसित क्षेत्रों में जन सामान्य के सधन रूप से निवासरत होने के दृष्टिगत उपरोक्त हेतु भी विशेष प्रयास किया जाना आवश्यक है। उक्त महामारी का सम्भावी संक्रमण अभी पूरी तरह से नियंत्रित नही हुआ है और उक्त संक्रमण की रोकथाम हेतु तात्कालिक एवं दीर्धकालिक रूप से कार्य सुनिश्चित किया जाना अपरिहार्य है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में यथा आवश्यक कार्य किये जाने हेतु यद्यपि उपरिवर्णित पूर्व निर्गत निर्देशों से अवगत कराया गया है जिनमें मुख्यतः निम्नक दायित्व वर्णित किये गये हैः-

1. कोविड-19 के संक्रमण से बचाव विषयगत विशेष प्रचार-प्रसार अभियान।
2. **Environmental Sanitation** (नियमित साफ-सफाई को विशेष रूप से सुनिश्चित करना)
3. स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था।
4. दवा का छिड़काव एवं सैनिटाइजेशन।
5. क्वाकरंटाइन किये गये परिसर/क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान एवं आवश्यकतानुसार क्षेत्रों को जिला प्रशासन/स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय कर विसंक्रमित करना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्तागक्षर की आवश्य कता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यारपित की जा सकती है ।

6. नगरीय क्षेत्र में जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा/ फूड पैकेट उपलब्ध कराने हेतु सक्रिय रूप से कार्य करना एवं शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों की सामाजिक सुरक्षा/भरण पोषण के विषयगत जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर कार्यवाही करना।
7. दैनिक रूप से कार्य कर जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों के सहायतार्थ डी0बी0टी0 किये जाने के विषयगत सूची तैयार करना।

यद्यपि निकाय स्तर पर उपरिवर्णित विशेष कार्यों/दायित्वों को सुनिश्चित किया जा रहा है तथापि वर्तमान परिदृश्य में महामारी के संक्रमण को रोके जाने में निकायों की महती भूमिका के विषयगत संवैधानिक/वैधानिक रूप से निकायों को प्रदत्त अधिकार एवं उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों के संदर्भ में निम्न महत्वपूर्ण प्राविधानों की ओर भी आपका ध्यानाकर्षण किया जाना समीचीन प्रतीत होता है:-

❖ **महामारी के संक्रमण को प्रभावी रूप से रोकने में नगरीय निकायों के विशेष दायित्व एवं कार्य:-**

संवैधानिक व्यवस्था में केन्द्र एवं राज्य सरकार के साथ-साथ विकेन्द्रीयकरण की अवधारणा के अनुरूप नगरीय निकायों को त्रिस्तरीय प्रशासनिक ढांचे का महत्वपूर्ण अंग बनाया गया है एवं स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक कार्यों हेतु अनेक महत्वपूर्ण दायित्व निकायों को प्रदत्त किये गये है। संविधान की धारा 243 (ब) के अनुक्रम में बारहवीं अनुसूची के अनुसार निकायों को सौपे गये 18 दायित्वों में उपरोक्त अनुसूची के क्रमॉक 06 पर **लोक स्वास्थ्य** के दायित्व को वर्णित किया गया है।

उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 के **अध्याय 8** में **''स्वच्छता और रोग का निवारण ''** के विषयगत निकाय द्वारा किये जाने वाले कार्यों के संबंध में **अधिनियम की धारा 267 लगायत धारा 286 तक** विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है और **धारा 277, 279, 279(क) व 280** में संक्रामक/भयानक रोगों के रोके जाने में निकायों की भूमिका को स्पष्टतया वर्णित किया गया है। उपरोक्त के साथ ही उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 के **अध्याय 5 की धारा 114** में **''निगम के कर्तव्य और कार्य''** के विषयगत क्रमॉक (11) पर स्पष्ट रूप से **''संक्रामक, संसर्गजन्य तथा भयानक रोगों की रोकथाम करना और उसके प्रसार को नियंत्रित करना वर्णित है।''** साथ ही उक्त अधिनियम के **अध्याय 15** में जहां एक ओर **विस्तृत रूप से सफाई व्यवस्था एवं स्वच्छता के विषयगत कृत्यों** का उल्लेख किया गया है वहीं **धारा 406 से लगायत धारा 411** के अन्तर्गत **भयानक रोगों के निवारण और उनकी रोकथाम** के संबंध में विशेष रूप से उल्लिखित किया गया है।

उपरिवर्णित संवैधानिक/विधिक प्राविधानों से स्पष्ट है कि **साफ सफाई, पेयजल, निर्बल वर्ग के हितों की सुरक्षा एवं नगरीय क्षेत्रों में कल्याण कारी कार्य किये जाने के नियमित दायित्वों के साथ-साथ ''नगरीय क्षेत्र में महामारी के प्रभावी रोकथाम एवं लोक स्वास्थ्य ''** के विषयगत भी नगरीय निकायों की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है , एवं वर्तमान में उपरोक्त कोविड-19 महामारी के संक्रमण को प्रभावी रूप से रोकने हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार के द्वारा निर्गत अनुदेशों/निर्देशों के अनुपालन/ क्रियान्वयन के साथ ही साथ निकायों द्वारा स्वमेव सक्रिय रूप से अपने क्षेत्राधिकार में तदनुसार कार्य करने एवं दायित्वों के निर्वहन किये जाने के विषयगत संवैधानिक और विधिक जिम्मेदारी भी इस समय में और गुरूत्तर हो जाती है।

उपरोक्त पृष्ठभूमि के क्रम में पूर्व से सतत रूप से किये जा रहे कार्यों को और प्रभावी बनाये जाने हेतु समस्त निकाय निम्नवत अग्रेतर कार्यवाही किये जाने हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करें:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ता क्षर की आवश्य कता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यारपित की जा सकती है ।

1. स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति को प्रभावी रूप से सक्रिय करना:-

शासनादेश संख्या 3483/नौ-5-2017-355सा/2014, दिनांक 04.09.2017 द्वारा प्रदेश के प्रत्येक नगरीय निकाय में वार्ड स्तर पर स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति के गठन हेतु निर्देश निर्गत किये गये थे एव उन्हें सक्रिय कर वार्ड स्तर पर स्वच्छता के मानकों को भली-भांति सुनिश्चित किये जाने के विषयगत विस्तृत रूप से समिति के गठन के उद्देश्य एवं कृत्यों में वर्णित किया गया है। जैसाकि उक्त शासनादेश में भी वर्णित किया गया है कि **"स्वच्छता का लोगों के स्वास्थ्य से गहरा नाता है। वातावरण को पूर्ण रूप से स्वच्छ एवं साफ रख चिकित्सा पर होने वाले व्यय को काफी हद तक कम किया जा सकता है।**

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उपरोक्तानुसार स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समितियों द्वारा अपने गठन के उद्देश्य के अनुरूप कार्य करने के साथ-साथ कोविड-19 के संक्रमण को रोके जाने के विषयगत निकायों में किये जाने वाले कार्य हेतु तदनुसार उक्त समितियों के माध्यम से निकाय स्तर पर सेवा प्रदत्त करने के संस्थागत ढांचे का सुदृढ़ीकरण प्रभावी एवं कारगर बनाया जा सकता है और उपरोक्त स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समितियों द्वारा अपने गठन के उद्देश्य में वर्णित कार्यों को करने के साथ-साथ निम्न महत्वपूर्ण कार्यों में भी सक्रिय भूमिका निभाया जा सकता है:

1.1 जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार:-

- समिति के प्रत्येक सदस्य को बीमारी से बचाव एवं रोकथाम की सही एवं पूर्ण जानकारी रखना होगा ताकि जन सामान्य को इस बीमारी के बारे में सही जानकारी दी जा सके।
- बीमारी की रोकथाम में मदद हेतु जारी किये गये स्वास्थ्य सेवाओं , आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति , विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों तथा उपरोक्त विषयगत बनाये गये कन्ट्रोल रूम एवं जिले के नोडल अधिकारियों के नम्बर रखना।
- वार्ड स्तर पर इस बीमारी के बचाव एवं रोकथाम के लिये उचित माध्यमों का प्रयोग कर लोगों को जागरूक करने एवं बीमारी से जुड़ी सही जानकारी पहुँचाना एवं उपरोक्त विषयगत निर्गत निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने में सक्रिय सहयोग देना।
- शासन के आदेश , निर्देश की जानकारी को वार्ड/क्षेत्र में जन सामान्य में प्रसारित करने में सहयोग देना।

1.2 आवश्यक पाबन्दी लगवाने में सक्रिय भूमिका:-

- यह बीमारी ड्रापलेट से फैलती है, इसलिये वार्ड अन्तर्गत किसी भी प्रकार के ऐसे आयोजन अथवा गतिविधि जिसमें व्यक्तियों के समूह का एक स्थान पर एकत्रित होना सम्भावित हो , उसके विषयगत सतत रूप से सतर्क रहते हुए जानकारी करना एवं ऐसे किसी भी आयोजन अथवा कृत्य को हतोत्साहित करना और इस विषयगत जिला प्रशासन द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुरूप वार्ड में निवासरत आम जन को भली-भांति भिज्ञ कराने के साथ-साथ यदि किसी अपरिहार्यता के कारण इस प्रकार की कोई गतिविधि रोका जाना सम्भव न हो तो उपरोक्त में शामिल होने वाले व्यक्तियों को **"सामाजिक दूरी (Social Distancing)"** के बिन्दु से अवगत कराते हुए निगम प्रशासन के साथ समन्वय कर अन्य सावधानिया जैसे कि साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था आदि के विषयगत समुचित रूप से प्रचार-प्रसार करते हुए जानकारी देना।
- वार्ड अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकले , खुले में शौच पूर्णतः प्रतिबन्धित रहे और किसी कारण से अनावश्यक वार्ड क्षेत्र अन्तर्गत लोग जमा न हो इस विषयगत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्तानक्षर की आवश्य कता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यारपित की जा सकती है ।

लोगों को जागरूक करना और उक्त के संबंध में जिला प्रशासन/निगम द्वारा निर्गत निर्देशों का प्रभावी रूप से आम जन मानस में प्रचार-प्रसार करेंगे।

1.3 <u>सामुदायिक सेवाओं के उपयोग हेतु की जानी वाली व्यवस्था:-</u>

- उपरोक्त समिति के सदस्यों द्वारा उचित मूल्य की दुकान, किराना दुकान , सब्जी की दुकान , हैण्डपम्प/पेयजल हेतु चिन्हित टंकी , सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालय आदि का उपयोग करते समय नागरिकों द्वारा सामाजिक दूरी बनाये रखने की व्यवस्था बनाने में सहयोग करना एवं इसकी निगरानी करना।
- उक्त सेवाओं के स्थल पर सैनेटाइजर अथवा साबुन व पानी की व्यवस्था हो इस हेतु संबंधित से समन्वय कर इसे सुनिश्चित कराया जाना।
- सामुदायिक सेवा स्थलों एवं लोगों के बीच दूरी बनाकर रखने के लिये एक-एक मीटर से अधिक की दूरी पर चूना या चॉक से गोल घेरे बनाने का के कार्य हेतु संबंधित के साथ समन्वय कर उक्त को सुनिश्चित कराने में सहायता करना।
- प्रत्येक व्यक्ति द्वारा घर से बाहर अपरिहार्यतः की स्थिति में किसी वस्तु/सामग्री के सम्पर्क में आने अथवा छूने की दशा में अपने हाथ को साबुन से 20 सेकेण्ड तक
- भली-भांति धोने/स्वच्छ रखने का कार्य किया जाये , इस विषयगत वार्ड क्षेत्र में समस्त को विशेषतः जागरूक करना।

1.4 <u>आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनाना:-</u>

- इस दौरान वार्ड स्तर पर आवश्यक वस्तुएं जैसे राशन, दाल, तेल, मसालें, बीमार व्यक्तियों के लिये दवा आदि की उपलब्धत बनी रहे , इसकी लगातार निगरानी करना और उपरोक्त के विषय में निगम/जिला प्रशासन को सतत रूप से अवगत कराना।
- वार्ड क्षेत्रान्तर्गत यदि कोई परिवार अथवा व्यक्ति आर्थिक रूप से अपना जीवनयापन करने में अक्षम हो तो उपरोक्त के विषय में निगम/जिला प्रशासन के कन्ट्रोल रूम पर अवगत कराकर संबंधित की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराये जाने हेतु सहयोग करना। स्थानीय आवश्यकता व परिस्थिति तथा राज्य सरकार व जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेशों-निर्देशों को दृष्टि में रखते हुए इसके अतिरिक्त भी कार्य समिति को दिये जा सकते है।

उपरोक्तानुसार स्वच्छ वार्ड समितियों द्वारा प्रभावी रूप से कार्य सुनिश्चित हो इस हेतु यह आवश्यक होगा कि न केवल प्रत्येक वार्ड में समिति का भली-भांति गठन सुनिश्चित हो बल्कि उपरोक्त समिति को सक्रिय किये जाने के विषयगत भी निकायों के नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी द्वारा विशेष अभिरूचि लेकर तदनुसार कार्य किये जाने के लिये अपेक्षित कार्यवाही की जाये जिससे कि न केवल तात्कालिक रूप से उपरोक्त समितियां सक्रिय होकर उक्त महामारी के संक्रमण को प्रभावी रूप से रोके जाने में निकाय को भली-भांति सहयोग कर सकें बल्कि दीर्घकालिक रूप से भी नगरीय निकायों में तदनुसार वार्ड स्तर तक संस्थागत ढांचा भली-भांति सुदृढ हो एवं स्वच्छता के साथ-साथ ऐसे किसी भी संक्रमण की परिस्थिति में निकाय स्वयं के दायित्वों को भली-भांति निर्वहन करने में सक्षम रहें।

2. <u>निकायो द्वारा अन्य राज्यों से लौटकर आये लोगों की व्यवस्था में सहयोग एवं समन्वय:-</u>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्तारक्षर की आवश्य कता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यारपित की जा सकती है ।

- वर्तमान में महामारी के दृष्टिगत बडे पैमाने पर शहरी क्षेत्रों में नागरिकों का आना जाना हुआ है और आने वाले व्यक्ति न केवल अन्य प्रदेशों के हैं बल्कि विदेशों से भी नागरिक लौटकर निकायों में आये है। उपरोक्त बाहर से आने वाले व्यक्तियों के विषयगत पूर्व से क्वादरंटाइन किये जाने/सेल्टर होम में रखे जाने की व्यवस्था बनायी गयी है। उपरोक्त व्यवस्था में निकाय द्वारा जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर यथा अपेक्षित दिये गये दायित्वों का निर्वहन भली-भांति सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।
- ऐसे व्यक्ति/परिवार/घर/स्थल जहां पर उपरोक्त महामारी के संक्रमण की सूचना के दृष्टिगत विशेष रूप से विसंक्रमित किये जाने की कार्यवाही की जानी है , उपरोक्त के विषयगत जिला प्रशासन एवं चिकित्सा विभाग के साथ समन्वय कर निकाय द्वारा यथा अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। अग्रेतर ऐसे प्रकरणों में वहां पर जनित वेस्ट को बायोमेडिकल वेस्ट के रूप में पृथक से निस्तारित कराये जाने के विषयगत पूर्व से ही मार्ग-दार्शिका/दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है , जिसका अनुपालन संबंधित के साथ समन्वय कर सुनिश्चित कराया जायेगा , जिससे कि उपरोक्त वेस्ट निकायों के रूटीन सॉलिड वेस्ट के कलेक्शन एवं ट्रांसपोर्टेशन में मिश्रित न हो।

3. विशेष सफाई अभियान के साथ-साथ बरती जाने वाली सावधानी:-

यद्यपि पूर्व में निर्गत दिशा-निर्देशों में विस्तृत रूप से आप सभी को भिज्ञ कराया गया है तथापि पुनः यह उल्लेख किया जा रहा है कि उक्त महामारी के संक्रमण को रोके जाने के प्रभावी उपायों में नगरीय क्षेत्रों में अधिकांश नागरिकों द्वारा मास्क का प्रयोग किया जा रहा है। उपरोक्त मास्क के निस्तारण किये जाने में कोई संक्रमण न हो इस हेतु यह आवश्यक है कि आम जन-मानस को इस बिन्दु पर जानकारी दी जाये कि मास्क निस्तारण किये जाने में उक्त को संबंधित घरों द्वारा घरेलू नियमित कचरे के साथ मिश्रित न किया जाये बल्कि घरेलू खतरनाक कचरे के प्राविधान के अनुरूप पृथक थैले/पाउच में रखते हुए उस पर लाल निशान अंकित करके अलग से कचरा संग्रहण करने वाले को दिया जाये जिससे कि उपरोक्त यूज किये हुए मास्क निकाय के रूटीन सॉलिड वेस्ट में मिश्रित न हो और उक्त के विषयगत पृथक से जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप उक्त का समुचित निस्तारण सुनिश्चित हो।

4. डूडा अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही:

नगरीय निकाय क्षेत्र में जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) के माध्यम से सिटी लाइवलीहुड सेन्टर (सी0एल0सी0) का गठन किया गया है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह का भी गठन किया गया है। सी0एल0सी0 के साथ-साथ स्वयं सहायता समूह के माध्यम से निम्न कार्यवाही की जा सकती हैः-

- उपरोक्त सी0एल0सी0/स्वयं सहायता समूहों द्वारा अपने नेटवर्क के माध्यम से कोविड-19 के सम्बन्ध मे समुचित प्रचार-प्रसार करने के साथ-साथ स्वयं सहायता समूहों की मदद से 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए विशेष सावधानी हेतु मदद की जा सकती है।
- समूहों द्वारा स्थानीय स्तर पर मास्क, ग्लब्स आदि बनाने की कार्यवाही उचित व आवश्यक स्टेण्डर्ड मेनटेन करते हुए की जा सकती है।
- चूंकि उपरोक्त समूहों के कार्य क्षेत्र में निकाय अन्तर्गत अल्प विकसित बस्तियां (SLUM) मुख्य रूप से आती हैं एवं अल्प विकसित बस्तियों में घनी आबादी के रूप में रहने वाले परिवारों के मध्य

कोविड-19 बीमारी के संक्रमण को रोके जाने की सावधानी के संबंध में प्रचार-प्रसार/जानकारी दिये जाने में उक्त समूहों द्वारा सक्रिय भूमिका निभायी जा सकती है। ऐसी बस्तियों में अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ उक्त समूहों द्वारा समन्वय कर पेयजल की व्यवस्था तथा सैनटाइजर/साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था को प्रभावी रूप से किये जाने की कार्यवाही की जा सकती है।

- ऐसे अल्प विकसित बस्तियों में बीमारी के संक्रमण के लक्षण के विषयगत ससमय सूचना दिये जाने में भी उपरोक्त समूह के सदस्यों द्वारा प्रभावी भूमिका निभायी जा सकती है। साथ ही साथ गरीब जरूरतमंद परिवारों को सहायता उपलब्ध कराये जाने में भी समूह के सदस्यों की सहायता ली जा सकती है।

5. **कम्युनिटी किचेन के प्रभावी संचालन हेतु आवश्य कदिशा-निर्देश।**

कोविड-19 (कोरोना वायरस) से बचाव हेतु सरकार द्वारा सभी स्तर पर सतत प्रयास किये जा रहे हैं। इसी क्रम मे प्रदेश सरकार द्वारा जगह-जगह पर आइसोलेशन सेन्टर/कोरेन्टाईन सेन्टर बनाये गये हैं, जहाँ पर कम्युनिटी किचन भी स्थापित किये गये हैं। निकाय द्वारा जहां कहीं भी स्वयं कम्युनिटी किचेन संचालित किये जा रहे है अथवा यदि निकाय क्षेत्र में किसी अन्य स्वयंसेवी संस्था/जिला प्रशासन या किसी अन्य विभाग/संस्था द्वारा कम्युनिटी किचेन संचालित किया जा रहा है तो उपरोक्त के दृष्टिगत निम्न सावधानी/गतिविधि सुनिश्चित किया जाना समीचीन होगा:

वर्तमान महामारी के संक्रमण के दृष्टिगत कम्युनिटी किचन के उद्देश्यच:

- ऐसे व्यक्ति, जिन्हे **आइसोलेशन** अथवा **Quarantine** में रखा गया है , उन्हे नियमित रूप से आवश्यकतानुसार भोजन उपलब्ध हो सके।
- निराश्रित व जरूरतमंद परिवारों को भोजन मिल सकें।

कम्युनिटी किचन के सफल संचालन पूर्व की तैयारी:

- कम्युनिटी किचन हेतु उचित स्थान की पहचान आवश्यक है। सरकारी स्कूल/सामुदायिक भवन आदि को उपयोग मे लाया जा सकता है। स्कूल सबसे उचित स्थान है , क्योकि इनमें मिड-डे-मील हेतु एक अलग से कक्ष है और यहां पर बर्तन आदि की भी उपलब्धता है।
- कम्युनिटी किचन के संचालन हेतु टीम का निर्धारण करें , यथा-मिड-डे-मील का रसोईयां (कुक) , आगंनबाड़ी सहायिका , स्वयं सेवक जो कि ना केवल खाना बनाने बल्कि उसके वितरण में भी सहयोग करे।
- संबंधित संस्था के चयनित सदस्यों/शासकीय अथवा निगम के कर्मियों की एक समिति गठित की जाये, जिसका मुख्य कार्य होगा किचन की निगरानी (अनुश्रवण) करते हुए आवश्यक मार्गदर्शन व विभिन्न हितधारकों में समन्वय सुनिश्चित करना।
- समुदाय आधारित कुछ वालन्टियर (स्वयं सेवक) जो कि प्रतिदिन की सामग्री की खरीद हेतु सहयोग दे सकें।
- जहां तक सम्भव हो किचन में बनने वाले भोजन हेतु स्थानीय खाद्य पदार्थो का उपयोग करें, जो कि सभी आयु वर्ग की दैनिक आवश्यकता को पूर्ण कर सकें। उदाहरण के तौर पर दाल , अनाज व सब्जियों से बना भोजन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ता क्षर की आवश्य कता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यारपित की जा सकती है ।

सामुदायिक किचन का फ्लो चार्ट

भोजन तथा खाद्य सामग्री प्रबन्धन हेतु समिति द्वारा पर्यवेक्षण:

इस बात का ध्यान रखा जाये कि भोजन पकाने के लिये पानी का स्त्रोत सुरक्षित हो तथा पानी पाइप लाइन सप्लाई/फिल्टर अथवा इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प से लिया गया हो। भोजन भण्डारण के तरीके स्वच्छ हों तथा भोजन पकाने वाले कर्मियों की व्यक्तिगत स्वच्छता भी सही हो। साथ ही साथ किचन की साफ-सफाई, बर्तन धोने का स्थल तथा कूड़े के निस्तारण की भी समुचित व्यवस्था हो।

व्यक्तिगत स्वच्छताः

व्यक्तिगत स्वच्छता एक आवश्यक व्यवहार है तथा इसके अनुपालन हेतु कुछ आवश्यक नियमों को ध्यान में रखना जरूरी है जैसे-

- जो कोई कर्मी भोजन बनाने, भण्डारण वितरण की प्रक्रिया से जुड़े हैं, उन्हें अपने हाथों को साबुन व पानी से कम से कम 20 (बीस) सेकेण्ड धोना है।
- इन अवसरों पर आवश्यक रूप से हाथ धोना जरूरी हैः-
    - खाद्य सामाग्री बाहर से लाने के पश्चात
    - खाद्य सामाग्री को छूने के पश्चात विशेषतः सब्जी आदि
    - खाना बनाने के पहले व खाने के दौरान
    - भोजन परोसने/वितरण करने से पहले
    - भोजन पैक करने अथवा बची सामाग्री को स्टोर में रखने के बाद

- सुनिश्चित करें कि भोजन पकाने का स्थान, भण्डारण का स्थान तथा बर्तन साफ हों।
- किचन तथा खाना खाने के स्थान की सफाई प्रतिदिन हर बार भोजन बनाने के पहले की जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्य कता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यारपित की जा सकती है ।

- एक नियत स्थान का निर्धारण कर लें जहां ठोस अवशेष (Solid Waste) जैसे कि बची हुई/ बेकार सब्जियों का निस्तारण पशुओं को खाने के लिये अथवा अपशिष्ट प्रबन्धन केन्द्र (Solid Waste) पर किया जा सके। इसी प्रकार अवशेष पानी को भी सोक पिट में बहाया जा सके।
- यह भी सुनिश्चित करें कि साबुन से हाथ धोने तथा कीटाणुशोधन हेतु पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो।
- भोजन तैयार करते समय अपने सिर को ढक कर रखें।
- कोविड-19 से बचाव हेतु प्रयोग में लाये जाने वाले शौचालय की नियमित सफाई हो। शौचालय को सोडियम हाइपोक्लोराइट 1 प्रतिशत साबुन पाउडर/डिटर्जेंट से लम्बे हैण्डल वाले ब्रश से साफ करना चाहिए।
- कम्युनिटी किचन के पास कोविड-19 (कोरोना वायरस) रोगियों (संदिग्ध/संभावित/पुष्टि किए गए रोगियों) को सख्ती से प्रतिबंधित किया जाना चाहि ए। यदि ऐसा कोई व्यक्ति कम्युनिटी किचन से भोजन प्रदान करता है तो इससे बीमारी फैलने का खतरा बढ़ सकता है।

किचन की स्वच्छता:

समिति यह सुनिश्चित करे कि :

- कोई भी कार्य आरम्भ करने से पूर्व किचन की सतह, प्लेटफार्म तथा बर्तन आदि पूर्णतया साफ हो।
- सभी खाद्य पदार्थो का सही तरीक से भण्डारण हो, जिससे कि वह खराब न हो सकें।
- एक बार बनाने के पश्चात भोजन को ढक कर रखें।
- बर्तन साफ हो तथा बर्तनों की साफ-सफाई हेतु आवश्यक सामाग्री जैसे कि साबुन , जूना आदि उपलब्ध हो तथा कपड़े, झाडू, ब्रश आदि की व्यवस्था भी किचन में हो।
- बची हुई बेकार सामाग्री के निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित करें जिससे सड़न तथा बदबू न फैल सके। इस हेतु वर्मी कम्पोस्ट का प्रयोग किया जा सकता है।
- प्रयोज्य पानी को बहाने हेतु सोक पिट की व्यवस्था होनी चाहिए।

रजिस्टर में जानकारी भरें:

जो भी लाभार्थी सामुदायिक किचन से भोजन ग्रहण कर रहे है , उनसे संबंधित सूचनाए अपने पास उपलब्ध रजिस्टर में दर्ज करें-

1. लाभार्थी का नाम
2. आयु/उम्रः
3. लिंगः
4. गांव/शहर में आने की तिथिः
5. लौटने का स्थान (जनपद/प्रदेश)

उपरोक्त आदेश का यथाशीघ्र अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताहक्षर की आवश्य कता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यारपित की जा सकती है ।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

आज्ञा से,

(संजय कुमार सिंह यादव)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्य कता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यारपित की जा सकती है ।

संख्याः-08/2020/124/अड़तीस-9-20-500(39)/2013टी0सी0-1

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊः दिनांक 09 अप्रैल 2020**

विषयःविधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के वर्ष 2020-21 में अस्थाई स्थगन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्तमान में कोविड-19 से चिकित्सा क्षेत्र में उत्पन्न विपरीत परिस्थितियों के सम्यक् प्रबन्धन हेतु बड़ी धनराशि की आवश्यकता है। उक्त के अतिरिक्त प्रदेश को इस विषय पर भविष्य के लिए भी चिकित्सा के क्षेत्र में प्रभावी अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण तथा इससे सम्बन्धित अनुसंधान कार्यों/विश्व स्तरीय विशेषज्ञ संस्था की स्थापना आदि पर कार्य करने की आवश्यकता है।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि को वित्तीय वर्ष 2020-21 में अस्थाई रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। कृपया उपरोक्त लिये गये निर्णय से अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भी अनुपालनार्थ अवगत करा दें।

3- उपरोक्तानुसार विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्त तथा समय-समय पर जारी किये गये संगत शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
प्रमुख सचिव ।

-2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-08/2020/124/अड़तीस-9-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा एवं परीक्षा), प्रयागराज, उ0प्र0।
2- समस्त मा0 विधान सभा/विधान परिषद सदस्य (द्वारा सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी)।
3- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 शासन।
4- प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद उत्तर प्रदेश।
6- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/न्याय विभाग/नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष, विधान सभा,/मा0 सभापति, विधान परिषद, उ0प्र0।
8- निजी सचिव, मा0 मंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।
9- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।
10- निजी सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
11- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
13- समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।
14- समस्त कोषाधिकारी उ0प्र0।
15- समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उ0प्र0।
16- वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3/गोपन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
17- ग्राम्य विकास अनुभाग-3।
18- गार्डबुक।

आज्ञा से,

लाल धीरेन्द्र राव
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 5 /2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 **लखनऊ: दिनांक 11 अप्रैल, 2020**

विषय:- कोविड 19 के कारण प्रदेश में लॉकडाऊन घोषित होने के फलस्वरूप उत्पन्न विशेष परिस्थिति में भुगतान एवं वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी किए जाने के संबध में।

महोदय,

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा कोविड-19 को महामारी घोषित किए जाने तथा प्रदेश में लॉकडाऊन घोषित होने के कारण राज्य सरकार के राजस्व में कमी आई है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोविड 19 महामारी की रोकथाम संबंधी कार्यों तथा अन्य आवश्यक कार्यों को संपादित करने के लिए संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने हेतु कैश मैनेजमेंट की दृष्टि से निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं :-

(1) सभी राज्य कर्मचारियों, बेसिक शिक्षा परिषद एवं सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षण एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों तथा समस्त स्वशासी संस्थाओं, जिनके वेतन भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है, के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, मानदेय, पेंशन एव अन्य वचनबद्ध व्यय नियमित रूप से किए जाते रहेंगे। होमगार्ड,प्रादेशिक रक्षा दल एवं आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं आशा बहुओं के मानदेय/पारिश्रमिक का भुगतान भी नियमित रूप से किया जाता रहेगा।

(2) किसी भी प्रकार के एरिअर का भुगतान 30 जून, 2020 के बाद किया जाएगा ।

(3) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, आयुष विभाग, राजस्व विभाग तथा पुलिस विभाग के समस्त आवश्यक व्यय नियमित रूप से किए जाते रहेंगे।

(4) उत्तर प्रदेश शासन के अन्य विभाग जिनके द्वारा कोविड -19 की रोकथाम हेतु कार्य किए जा रहे हैं, द्वारा आवश्यक व्यय नियमित रूप से किए जाते रहेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) विभिन्न विभागों, संस्थाओं तथा निकायों द्वारा उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड / विद्युत वितरण निगमों को विद्युत देयों का भुगतान नियमित रूप से किया जाता रहेगा।

(6) विभिन्न विभागों, संस्थाओं तथा निकायों द्वारा देय भवनकर, जलकर का भुगतान भी नियमित रूप से किया जाता रहेगा।

(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24 मार्च, 2020 के प्रस्तर 2(9) तथा शासनादेश संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 07 अप्रैल, 2020 में निर्माण कार्यों से संबन्धित कतिपय अधिकार प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित किए गए हैं। वर्तमान विशेष परिस्थितियों में सभी विभागों से संबन्धित अनुदानों के अंतर्गत मानक मद '24-वृहत निर्माण कार्य' तथा मानक मद '60-भूमि क्रय' में प्रावधानित धनराशि के संबंध में वित्तीय स्वीकृतियाँ दिनांक 30 जून,2020 तक वित्त विभाग की सहमति के उपरांत ही जारी की जाएंगी।

(8) केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं (Centrally Sponsored Schemes) में प्राप्त केंद्रान्श की धनराशि से संबन्धित वित्तीय स्वीकृतियाँ वित्त विभाग की सहमति के उपरांत ही जारी की जाएंगी।

2- ऊपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त।

संख्या- 5 /2020/बी-1-196 /दस-2020-231/2020, तददिनाँक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2 महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
3 प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
4 प्रमुख सचिव, विधान परिषद् / विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश ।
5 वित्त विभाग के समस्त व्यय-नियंत्रण अधिकारी / व्यय-नियंत्रण अनुभाग ।
6 सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
7 समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
8 समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
9 समस्त वित्त नियंत्रक / मुख्य / वरिष्ठ / वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
10 गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-03/2020/409/नौ-7-2020

प्रेषक,

अनुराग यादव,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
2- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग-7 **लखनऊ** **दिनांकः** 14 **मार्च,** 2020

विषयः नोवेल कोरोना वायरस 2019 के नियंत्रण विषयक समुचित कार्यवाही/विशेष अभियान।

महोदय,

कृपया संचारी रोगों/वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम, नियंत्रण, बचाव एवं उपचार के विषयगत पूर्व निर्गत महत्वपूर्ण निर्देशों यथा शासनादेश संख्या सीएम96/**नौ**-7-19-27 (**ज**0)/2014 **टी0सी0, दिनांक** 31 **मई,** 2019, **संख्याः** 2084/**नौ**-7-19-27(**ज**0)/2014 **टी0सी0, दिनांक** 15 **नवम्बर,** 2019 **संख्याः** 349/**नौ**-7-20-27(**ज**0)/2014 **टी0सी0, दिनांक** 29 **फरवरी,** 2020 **का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा नगरीय निकायों में विभिन्न प्रकार के संचारी रोगों की रोकथाम हेतु प्रभावी उपाय एवं सफाई अभियान चलाये जाने के विषयगत विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये है।**

उपरोक्त निर्देशों के क्रम में जैसाकि आप सभी अवगत है कि वर्तमान में नोवेल कोरोना वायरस 2019 **के संभावित संक्रमण को प्रभावी रूप से नियंत्रित किये जाने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता पर समस्त यथावश्यक सुरक्षात्मक उपाय भली-भांति सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत विशेष सफाई अभियान के विषयगत पूर्व में निर्गत निर्देशों के अनुरूप विशेष रूप से निम्न कार्यवाही समस्त नगरीय निकायों में भली-भांति प्रभावी रूप से तत्काल सुनिश्चित की जायेः-**

1. **सफाई की समुचित व्यवस्था -सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी अपने-अपने निकाय में विशेष कार्य दल, जिसमें नगर निकाय के अधिकारी/कर्मचारी व कूड़ा उठाने के वाहन, मशीन व अन्य उपकरणों के साथ क्षेत्र में निकलेंगे व स्वयं की देख-रेख में निर्धारित क्षेत्र को साफ करायेंगे। यह सफाई अभियान प्रत्येक वार्ड में संचालित किया जाना है। इस दौरान नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों को विशेष सफाई टीम के नेतृत्व की वार्डवार जिम्मेदारी तय करते हुए नामित करेंगे। सफाई के दौरान एकत्रित किये गये कूड़े को उसी समय सेनेटरी लैण्डफिल साइट पर भिजवाया जायेगा।**

2. **नाले/नालियों की सफाई - सफाई अभियान के दौरान छोटे-बडे सभी नालों की सफाई भी सुनिश्चित की जायेगी। निकाय के वार्ड के अन्दर पड़ने वाले समस्त छोटे नालों की सफाई सुनिश्चित की जायेगी। बड़े नालों की संख्या अधिक होने की दशा में, वे नाले चिन्हित किये जायेंगे, जो जल निकासी के लिये अत्यधिक आवश्यक हों और उनकी सिल्ट की सफाई तली तक की जायेगी। नाले से निकला हुआ सिल्ट तत्काल वहां से सेनेटरी लैण्डफिल साइट पर अथवा उचित स्थान पर भिजवाया जायेगा। किसी भी दशा में एकत्रित किये गये कूड़े अथवा सिल्ट को सड़क पर नहीं छोड़ा जायेगा।**

3. **शुद्ध पेयजल की व्यवस्था-शुद्ध पेयजल की व्यवस्था बीमारियों से बचाव के लिये अत्यन्त आवश्यक है। जल संस्थान व नगर निकाय के अधिकारी इस अभियान के दौरान पेयजल व्यवस्था से जुड़े नलकूप, पाइपलाइन्स व अन्य उपकरणों का संचालन इस तरह सुनिश्चित करेंगे कि पाइप पेयजल की आपूर्ति उनके क्षेत्र में अधिक से**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अधिक समय तक सुचारू रूप से हो सके। जिन क्षेत्रों में पेयजल की सप्लाई हैण्डपम्प से हो रही है उन इलाकों में प्रत्येक घर को क्लोरीन के टेबलेट उचित मात्रा मंे वितरित कराये जायेंगे।

4. **खुले में शौंच से मुक्ति - स्वच्छता के अभियान में शौचालयों का निर्माण व निर्मित शौचालय के समुचित प्रयोग द्वारा खुले में शौच से मुक्ति (ओ0डी0एफ0) के लक्ष्य को हासिल करना एक महत्वपूर्ण अंग है। इस अभियान के तहत समस्त सामुदायिक शौचालय, पब्लिक टायलेट आदि की समुचित सफाई व रख-रखाव सुनिश्चित कराया जायेगा।**

5. **दवा का छिड़काव - वैक्टरजनित रोगों के रोकथाम के लिये आवश्यक है कि दवाई का नियमित छिड़काव व फागिंग की जाये। इस अभियान के दौरान जल भराव वाले स्थानों को चिन्हित करके प्रतिदिन, दिन में दवा का छिड़काव किया जायेगा तथा शाम के समय फागिंग की जायेगी।**

6. **विशेष प्रचार-प्रसार अभियान - कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु आम जन मानस के मध्य उपरोक्त विषयगत समुचित जानकारी एवं संवेदीकरण किये जाने के विषयगत विशेष रूप से प्रचार-प्रसार अभियान प्रत्येक निकाय में वार्ड स्तर पर प्रभावी रूप से सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त विषयगत प्रचार-प्रसार सामग्री विषयक नमूने चिकित्सा विभाग द्वारा तैयार कराये गये है, जिसकी प्रति ई-मेल से भी आप सभी को प्रेषित की जा रही है। तदनुसार आम जन मानस को उपरोक्त बीमारी से बचाव संबंधित उपायों के विषयगत जानकारी दिये जाने हेतु समुचित प्रचार-प्रसार तत्काल सुनिश्चित किया जाये। सार्वजनिक स्थलों, शासकीय भवनों एवं अन्य प्रमुख स्थलों आदि पर पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, हैंडबिल के माध्यम से प्रभावी रूप से नगरीय क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाये। उक्त कार्य हेतु स्वच्छ भारत मिशन नगरीय निदेशालय से आई0ई0सी0 मद में उपलब्ध करायी गयी धनराशि का उपयोग किया जा सकता है। आई0ई0सी0 मद में पूर्व से ही समस्त निकायों को धनराशि मिशन निदेशालय से उपलब्ध करायी गयी है साथ ही वर्तमान में पुनः प्रत्येक नगर निगम (10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर निगम हेतु 2.5 लाख, 10 लाख से कम आबादी वाले नगर निगम हेतु 2.00 लाख), प्रत्येक नगर पालिका परिषद (01 लाख से अधिक आबादी वाले प्रत्येक नगरपालिका परिषद हेतु 1.25 लाख एवं 01 लाख से कम आबादी वाली नगर पालिका परिषद हेतु 75 हजार), प्रत्येक नगर पंचायत हेतु (40 हजार) धनराशि आई0ई0सी0 मद में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से अवमुक्त की जा रही है। कृपया तदनुसार प्रभावी रूप से इस विषयगत प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराया जाये और मुख्यतः प्रचार-प्रसार हेतु चिकित्सा विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सामग्री के अनुरूप कोरोना वायरस के विषयगत बरती जाने वाली सावधानी एवं सतर्कता के बिन्दु को आम जन मानस में व्यापक रूप से जानकारी दिये जाने के विषयगत कार्यवाही की जाये।**

7. **सार्वजनिक प्रतिष्ठानों/स्थलों पर विशेष सफाई अभियानः- जैसाकि आप को विदित है कि उपरोक्त बीमारी के वायरस के संक्रमण को प्रभावी रूप से रोके जाने हेतु यह आवश्यक है कि समुचित रूप से साफ-सफाई प्रत्येक ऐसे स्थल/प्रतिष्ठान पर सुनिश्चित की जाये जहां व्यक्त्यिों का समूह एकत्रित होता हो यथा सिनेमाहाल परिसर, माल, बस स्टेशन, होटल आदि। यद्यपि वर्तमान परिस्थिति में यह उचित होगा कि जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर किसी प्रकार के सामूहिक आयोजनों अथवा सार्वजनिक स्थल पर होने वाले कार्यक्रमों को यथा सम्भव वर्तमान में हतोत्साहित किया जाये तथापि यदि अपरिहार्यतावश जन समूह के एकत्रित होने संबंधी कोई आयोजन यदि निकाय क्षेत्र में होता है तो वहां पर उपरोक्त समारोह के आयोजक के साथ समन्वय कर कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव संबंधित संदेश के विषयगत प्रचार-प्रसार भली-भांति सुनिश्चित कर आम जन मानस को जागरूक किया जाये। साथ ही साथ ऐसे सार्वजनिक स्थल/प्रतिष्ठान जहां पर भीड़-भाड़ रहती है अथवा व्यक्तियों के समूह का आवागमन रहता है, उक्त प्रकार के परिसर/स्थल हेतु विशेष सफाई की व्यवस्था के**

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

विषयगत चिकित्सा विभाग द्वारा दिये गये संलग्न सुझाव (सलग्नक-क) के अनुरूप सतत रूप से संबंधित परिसर के प्रभारी के साथ समन्वय कर उक्तानुसार उक्त स्थल/परिसर पर सम्बन्धित परिसर के प्रभारी द्वारा विशेष सफाई तदनुसार कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक - विशेष सफाई विषयक चिकित्सा विभाग द्वारा दिये गये सुझाव

- चिकित्सा विभाग द्वारा प्रचार-प्रसार विषयक सामग्री।

भवदीय,

(अनुराग यादव)
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- प्रमुख स्टाफ आफीसर मुख्य सचिव, उ0प्र0।

3- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0

4- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनुराग यादव)
सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

कोविड-19

पत्रांक-11/2020/452/सत्रह-म-2020-कोविड-19-6-9(79)/17

प्रेषक,

भुवनेश कुमार
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊः दिनांकः15 अप्रैल ,2020

विषय- नोवेल-कोरोना वायरस (कोविड-19) की रोकथाम के प्रभावी लाक-डाउन की अवधि में मत्स्य उत्पाद, मत्स्य बीज एवं मत्स्य पूरक आहार की बिक्री, उनके यातायात और मत्स्याखेट प्रबन्धन आदि की गतिविधियों को अनुमन्य किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के संबंध में सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय आदेश सं0-40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 10.04.2020 एवं अद्यतन संशोधित आदेश/समेकित दिशा निर्देश दिनांक 15.04.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त आदेशों के द्वारा अन्तस्थलीय मत्स्य पालन, प्रबन्धन एवं व्यवसाय और इससे जुड़ी समस्त गतिविधियों को, सामाजिक दूरी एवं स्वच्छता की व्यवस्था बनाये रखते हुये तथा लाक-डाउन की अवधि हेतु प्रभावी अन्य दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के प्रतिबन्धों के साथ अनुमन्य किया गया है।

2- मछली एक प्रोटीनयुक्त मांसाहार खाद्य पदार्थ है, जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। अतः जनपयोग हेतु इसकी उपलब्धता बनाए रखना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त मत्स्य उत्पाद शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ होने के कारण इनकी बिक्री को लाक-डाउन की अवधि में अनुमति नही दिये जाने से निर्धन मछुआ समुदाय एवं मत्स्य पालकों की आजीविका प्रभावित होगी। इसी के दृष्टिगत थोक एवं फुटकर मत्स्य विक्रेताओं एवं उनके प्रतिनिधि संगठन और मछुआ समुदाय एवं मत्स्य पालकों की आजीविका प्रभावित होने के कारण मछली बिक्री, मत्स्य उत्पादों के यातायात व निवेशों की उपलब्धता बहाल किये जाने की निरन्तर मांग की जा रही है।

3- अतः भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आदेश सं0-40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 24.03.2020 एवं उक्त आदेश के पांचवे एड्ेण्डम के रूप में जारी आदेश दिनांक 10.04.2020 एवं अद्यतन संशोधित आदेश/समेकित दिशा निर्देश दिनांक 15.04.2020 के अनुपालन के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विभागीय अधिकारियों एवं कार्मिकों सहित मछली उत्पादकों, मत्स्य विक्रेताओं मत्स्य बीज एवं मत्स्य पूरक आहार के उत्पादन एवं वितरण से सम्बन्धित व्यक्तियों, व्यवसायियों एवं प्रतिष्ठानों तथा उपरोक्त गतिविधियों को संचालित करने हेतु परिवहन कार्यो से जुड़े वाहनो के पास निर्गत कराये जायें। इस कार्य हेतु जनपदीय विभागीय अधिकारी नोडल अधिकारी होगें। लाक-डाउन की अवधि में सामाजिक

http://shasanadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

दूरी बनाये रखने तथा सैनिटाइजेशन एवं स्वच्छता के मानकों का पालन करते हुये जिला प्रशासन के निर्देशन में मत्स्य उत्पाद, मत्स्य उत्पादन निवेशों एवं मत्स्य प्रबन्धन कार्य का सम्पादन सुनिश्चित कराया जायेगा।

4- उक्त के सम्बन्ध में प्रदेश स्तर पर आने वाली परिवहन एवं अन्य समस्याओं के निराकरण हेतु निदेशालय स्तर पर एक कन्ट्रोल रूम भी स्थापित किया जायेगा, जो प्रातः 08:00 बजे से सांय 6:00 बजे तक संचालित किया जायेगा।

भवदीय

(भुवनेश कुमार)
प्रमुख सचिव।

पत्रांक-11/2020/452(1)/सत्रह-म-2020-कोविड-19-6-9(79)/17 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3- संयुक्त सचिव, मत्स्य विभाग, मत्स्य, पशुपालन एवं दुग्ध मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4- अपर मुख्य सचिव गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9- निदेशक राज्य कृषि मण्डी परिषद्, उत्तर प्रदेश।
10- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लि0, लखनऊ।
11- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0, लखनऊ।
12- समस्त उप निदेशक मत्स्य, उत्तर प्रदेश।
13- समस्त सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कायकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण, उ0प्र0।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(भुवनेश कुमार)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

उत्तर प्रदेश शासन
सचिवालय प्रशासन अनुभाग-3(अधि0)
संख्या- 09/2020/1470-बीस-ई-3/2020
लखनऊ: दिनांक 15 अप्रैल, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को रोकने के लिए जनपद लखनऊ में प्रभावी लाकडाउन की अवधि में उत्तर प्रदेश सचिवालय के संचालन के सम्बन्ध में सचिवालय प्रशासन अनुभाग-3 (अधि0) के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1432-बीस-ई-3/2020 दिनांक 23 मार्च, 2020 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-1468-बीस-ई-3/2020 दिनांक 31 मार्च, 2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त दिशा निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश सचिवालय के विभागों को लाकडाउन की अवधि में संचालित करने के सम्बन्ध में तात्कालिक प्रभाव से निम्नवत् संशोधित व्यवस्था निर्धारित की जाती है:-

a) कार्यालय ज्ञाप दिनांक 23 मार्च, 2020 के प्रस्तर-3 तथा कार्यालय ज्ञाप दिनांक 31 मार्च, 2020 के प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर-1 तथा 2 में वर्णित विभिन्न आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए विभागों का संचालन पूर्ववत चलता रहेगा।

b) उ0प्र0सचिवालय के समस्त विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव स्तर तक के अधिकारी कार्यालय अवधि में अपने कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे तथा कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों में से अधिकतम एक तिहाई अधिकारी/कर्मचारियों को शासकीय कार्यों के निष्पादन हेतु कार्यालय बुलाकर शासकीय कार्यों का निस्तारण करेंगे। इस हेतु विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव (यथास्थिति वरिष्ठतम) द्वारा एक रोस्टर तैयार किया जायेगा। रोस्टर बनाते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि दिव्यांगजनों को तथा गम्भीर रूप से अस्वस्थ ऐसे कार्मिकों को कार्यालय न बुलाया जाये जो कि कोरोना वायरस के दृष्टिकोण से संवेदनशील हों।

c) लाकडाउन अवधि में सचिवालय में आमजन का प्रवेश पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। किन्तु कार्यालय ज्ञाप दिनांक 23 मार्च, 2020 के प्रस्तर-3 तथा कार्यालय ज्ञाप दिनांक 31 मार्च, 2020 के प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर-1 तथा 2 में वर्णित विभिन्न आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए विभागों के विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव (यथास्थिति वरिष्ठतम) की अनुमति से किसी भी गैर-सचिवालय अधिकारी/कर्मचारी का प्रवेशपत्र बनाया जा सकेगा। इस हेतु न्यूनतम आवश्यक संख्या में सचिवालय प्रवेशपत्र कार्यालय खुलेंगे किन्तु ऐसे खुलने वाले प्रवेशपत्र कार्यालयों में केवल एक ही काउन्टर संचालित होगा।

d) इस दौरान किसी भी सरकारी अधिकारी/कार्मिक को विशेष या अपरिहार्य स्थिति के अलावा अवकाश या मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। जिन कार्मिकों की स्थिति घर से कार्य करने की है, उन्हें कार्यालय अवधि के दौरान घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे सभी अधिकारी/कार्मिक घर से कार्य सम्पादित करेंगे और इस अवधि में अपने मोबाइल एवं इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से कार्यालय के सम्पर्क में रहेंगे ताकि उन्हें आवश्यकता पड़ने पर बुलाया जा सके।

3. सचिवालय प्रशासन अनुभाग-3 (अधि0) के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1432-बीस-ई-3/2020 दिनांक 23 मार्च, 2020 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-1468-बीस-ई-3/2020 दिनांक 31 मार्च, 2020 में वर्णित अन्य व्यवस्थायें यथावत् प्रभावी रहेंगी।

4. उपरोक्त दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और ''लाकडाउन'' की अवधि में प्रभावी रहेंगे।

महेश कुमार गुप्ता
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-09/2020/1470(1)-बीस-ई-3/2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन।
3. औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, श्रीराज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
6. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उ0प्र0शासन।
7. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0शासन।
8. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0शासन।
9. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
10. स्थानिक आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली।
11. मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल/पुलिस आयुक्त, लखनऊ नगर/जिलाधिकारी, लखनऊ।
12. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
13. राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उ0प्र0।
14. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, उ0प्र0।
15. मुख्य सुरक्षा अधिकारी/मुख्य स्वागत अधिकारी/मुख्य व्यवस्था अधिकारी, उ0प्र0 सचिवालय।
16. उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग (द्वारा शाखा अधिष्ठान)
17. गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(सुरजन सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-09/2020/1470(2)-बीस-ई-3/2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निजी सचिव, समस्त मा0 उप मुख्य मंत्रीगण/मा0मंत्रीगण/मा0राज्य मंत्रीगण (स्वतन्त्र प्रभार)/मा0 राज्य मंत्रीगण को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त व्यवस्था से मा0 उप मुख्य मंत्रीजी/मा0मंत्रीजी/मा0राज्य मंत्री जी(स्वतन्त्र प्रभार)/मा0 राज्य मंत्रीजी को अवगत कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(सुरजन सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-11/2020/974/77-6-20-एल.सी.08/2019टी.सी.

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

1. समस्त मण्डलायुक्त।
2. समस्त जिलाधिकारी।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 16 अप्रैल, 2020

विषय- कोरोना वायरस डिजीज (कोविड-19) महामारी के दृष्टिगत सतत् प्रक्रिया उद्योगों (**continuous process industries**) के संचालन के संबंध में।

महोदय,

प्रायः यह देखा जा रहा है कि सतत् प्रक्रिया उद्योगों (**continuous process industries**) के संचालन के संबंध में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है तथा केस-टू-केस आधार पर अनुरोध भी प्राप्त हो रहे हैं। उक्त के अतिरिक्त आवश्यक सेवाओं के संबंध में भी संशय की स्थिति बनी रह रही है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि सतत् प्रक्रिया उद्योग जिनके संचालन की अनुमति दी जाती है, उनमें निम्नलिखित उद्योग सम्मिलित होंगे:-

1	स्टील	2	रिफाइनरीज	3	सीमेन्ट
4	रसायन	5	उर्वरक	6	वस्त्र (परिधान छोड़कर)
7	फाउन्ड्रीज	8	पेपर	9	टायर
10	कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स	11	चीनी मिलें		

2- उपरोक्त यूनिटों को कच्चा माल के परिवहन तथा आवश्यक अनुरक्षण (maintenance) सेवाओं की भी अनुमति रहेगी।

3- उपरोक्त प्रकार की इकाईयां बिना पृथक अनुमति के निम्नलिखित शर्तों के अधीन खुल/संचालित हो सकती हैं:-

(1) प्रथम चरण में समस्त औद्योगिक इकाईयाँ न्यूनतम आवश्यक श्रमिकों द्वारा चलायी जाए, जिनकी संख्या किसी भी परिस्थिति में 50 प्रतिशत से अधिक न हो।

(2) यह छूट केवल इकाईयों के संचालन हेतु लागू हैं उनके प्रधान कार्यालयों/प्रशासनिक कार्यालयों पर लागू नहीं है।

(3) विभिन्न जनपदों के कोविड हॉटस्पॉट क्षेत्र में जहां सैनिटाईजेशन/स्क्रीनिंग की कार्यवाही चल रही है, वहां पर कर्मियों/वाहनों के आने-जाने की अनुमति नहीं होगी।

(4) औद्योगिक परिसर/स्थल का भी राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाईन्स के अनुसार पूर्णतयाः सैनिटाइजेशन कराया जाय।

(5) कार्य-स्थल पर आने वाले सभी श्रमिकों/कार्मिकों की उनकी संख्या के अनुसार स्क्रीनिंग हेतु इन्फ्रारेड थर्मामीटर/थर्मल स्कैनर की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी।

(6) सभी श्रमिकों के लिये मास्क, सैनिटाइजर्स हाथ धोने के लिए साबुन एवं पानी की व्यवस्था के साथ-साथ उत्पादन प्रक्रिया के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के कान्सेप्ट को भी प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।

(7) संबंधित जिला प्रशासन/चिकित्सा विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्य सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन एवं पर्यवेक्षण किया जा रहा है।

(8) इकाईयों द्वारा यदि मानकों एवं सावधानियों का पालन नहीं किया जा रहा है तो उसे बन्द कर दिया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(9) औद्योगिक इकाई द्वारा कोविड-19 (वायरस संक्रमण) की रोकथाम हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी होने वाली एडवाइजरी का पूर्णयताः पालन किया जाएगा।

(10) किसी भी श्रमिक/कार्मिक को वायरस संक्रमण लक्षण दिखायी देने पर अविलम्ब जिला प्रशासन/स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया जाएगा।

(11) इकाई को प्रारम्भ करने के पूर्व न्यूनतम 5 एवं अधिकतम 10 श्रमिकों/कर्मचारियों का RT-PCR TEST RANDOM आधार पर कराकर यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उनमें Infection circulate नहीं कर रहा है।

(12) संबंधित इकाई द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 के संगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(13) उक्त के अतिरिक्त संबंधित जिलाधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/शर्तों का अनुपालन संबंधित इकाई द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

4- इकाईयों के स्वामी (OWNER)/कर्मचारी/मजदूर/श्रमिक के पास/आवागमन के संबंध में प्रक्रिया निम्नवत् होगीः-

(1) इकाईयों के स्वामी (OWNER)/कर्मचारी/मजदूर/श्रमिक के लिए किसी अलग पास की आवश्यकता नहीं है, यदि वह कार्य स्थल या कारखाने के परिसर के भीतर अकेले काम करने के उद्देश्य से रह रहें है। ऐसे स्टाफ/लेबर कॉलोनी में किसी अन्य उद्देश्य के लिए लॉकडाउन के दौरान घर में रहने की स्थितियां लागू की जाएंगी।

(2) अन्य व्यक्तियों के लिए जिन्हें घर से कार्य स्थल तक यात्रा की आवश्यकता पड़ती है, के संबंध में पूर्व में पास के संबंध में निर्गत प्रक्रिया लागू रहेगी।

(3) यथासंभव श्रमिकों के औद्योगिक परिसर में ही रहने की व्यवस्था पृथक से सुनिश्चित की जाए तथा उनके रहने खाने एवं दैनिक जीवन यापन की सभी व्यवस्थायें की जाए।

(4) अन्यथा की स्थिति में श्रमिकों को पूल वाहन से सोशल डिस्टेंसिंग का मानक पूर्ण करते हुए लाने ले जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उदाहरण के तौर पर 18 सीटर बस से 09 यात्रियों अर्थात 50 प्रतिशत की क्षमता पर चलाया जाय व सैनिटाइजेशन भी कराया जाए।

(5) कर्मचारी/श्रमिकों को लाने ले जाने के लिये पूल वाहनों के सैनिटाइजेशन व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव।

संख्या-11/2020/974/77-6-20-एल.सी.08/2019टी.सी.तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
7. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

आलोक कुमार
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्याः 264 / 2020 / सीएक्स–3

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त,
समस्त पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज
पुलिस आयुक्त, लखनऊ / नोयडा
समस्त जिलाधिकारी / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक

गृह(गोपन) अनुभाग–3 दिनांकः 16 अप्रैल, 2020

विषयः गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 40–3 / 2020–डीएम–1 (ए) दिनांक 15 अप्रैल, 2020 के अनुसार कोविड–19 महामारी के नियंत्रण हेतु लागू किया गया देशव्यापी लॉक डाउन, आदेश दिनांक 14 अप्रैल, 2020 के द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 03 मई, 2020 तक लागू होने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

महोदय,

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 40–3 / 2020–डीएम–1 (ए) दिनांक 15 अप्रैल, 2020 के अनुसार कोविड–19 महामारी के नियंत्रण हेतु लागू किया गया देशव्यापी लॉक डाउन, आदेश दिनांक 14 अप्रैल, 2020 के द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 03 मई, 2020 तक लागू रहेगा।

उपरोक्त के कम में कन्सॉलिडेटेड गाइडलाइन्स पुनः जारी की गयी हैं। आमजन की समस्याओं के समाधान हेतु भारत सरकार द्वारा कतिपय निर्धारित अतिरिक्त गतिविधियों को दिनांक 20 अप्रैल, 2020 से संचालित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है। इन गतिविधियों के सम्बन्ध में यह शर्त रखी गयी है कि सम्बन्धित गतिविधियाँ कन्टेनमेंट जोन / हॉट स्पाट्स में लागू नहीं होंगी एवं यदि कोई नया हॉट स्पाट शामिल किया जाता है तो वहाँ पूर्व में दी गयी अनुमति स्थगित हो जायेगी। उपरोक्त आधार पर यह उल्लेखनीय है कि प्रदेश में यदि कोरोना का एक भी केस किसी क्षेत्र में पाया जाता है तो उस क्षेत्र में हॉट स्पाट्स निर्धारित करने के निर्देश पुलिस महानिदेशक, उ.प्र. के आदेश संख्या डीजी–आठ–93(03)2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020 एवं गृह विभाग, उ.प्र. शासन के आदेश संख्या 247 / 2020–सीएक्स–3 गृह(गोपन)

Scanned with CamScanner

अनुभाग–3 दिनांक 14 अप्रैल, 2020 द्वारा भी इस सन्दर्भ में जारी किये गये आदेश को वर्तमान में निर्गत लॉक डाउन पीरियड तक निम्न कार्य नहीं किये जायेंगे:–

1. **प्रतिबन्धः**

   1. समस्त घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय उड़ान
   2. समस्त रेलयात्री, सुरक्षा सम्बन्धी छोड़कर।
   3. बस एवं पब्लिक ट्रॅांसपोर्ट
   4. मेट्रो रेल सर्विस
   5. अंतरजनपदीय/अंतर्राज्यीय मूवमेंट केवल चिकित्सकीय कारणों/कार्यों को छोड़कर
   6. समस्त शैक्षणिक संस्थायें/ट्रेनिंग एवं कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं खुलेंगे।
   7. औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधियॉं, जिनकी अनुमति हैं, को छोड़कर शेष बन्द रहेंगे।
   8. हास्पिटेलिटी सर्विसेज की अनुमति नहीं रहेगी, केवल जिनको विशेष अनुमति हो।
   9. समस्त टैक्सी, ऑटोरिक्शा एवं साइकिल रिक्शा एवं कैब सर्विसेज।
   10. समस्त सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग काम्प्लेक्स, जिमनेजियमस, स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल्स, इन्टरटेन्मेंट पार्क, थियेटर, बार एवं ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल्स एवं अन्य बन्द रहेंगे।
   11. समस्त सामाजिक/राजनैतिक/खेल/ मनोरंजन/शैक्षणिक/संस्कृति/धार्मिक कार्यक्रम/अन्य समारोह नहीं होंगे।
   12. समस्त धार्मिक स्थल आमजन के लिए बन्द रहेंगे एवं धार्मिक कार्यों से कोई इकट्ठा नहीं होंगे।
   13. मृतकों के अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति से ज्यादा नहीं होंगे।

2. **हॉट स्पाट्स तथा कन्टेनमेंट ज़ोन में दिशा निर्देशों का क्रियान्वयनः**

1. प्रदेश में दिनांक 14 अप्रैल, 2020 तक 45 जनपदों में कोविड के मामले थे, जिनके आधार पर हॉट स्पाट निर्धारित किये गये हैं। इनका निर्धारण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, भारत सरकार के गाइडलाइन्स एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार किया जाये।

Scanned with CamScanner

2. यदि कहीं भी कोविड मामले आते हैं तो ऐसे स्थानों को स्वतः ही हॉट स्पाट तय करते हुए प्रत्येक हॉट स्पाट के लिए मजिस्ट्रेट एवं क्षेत्राधिकारी की नियुक्ति की जायेगी। हॉट स्पाट की बैरीकेडिंग की जायेगी। स्वास्थ्य सम्बन्धी सभी व्यवस्था एवं आवश्यक सामग्रियों की सप्लाई एवं पुलिस की व्यवस्था के अलावा कोई भी सेवा वहाँ पर नहीं की जायेगी।

3. इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि जहाँ कोविड–19 के संक्रमण का एकल प्रकरण हों, वहाँ 01 किलोमीटर का दायरा कन्टेनमेन्ट जोन होगा तथा जहाँ एक से अधिक कोविड–19 के संक्रमण के प्रकरण हों, अर्थात् क्लस्टर हो, वहाँ 03 किलोमीटर का कन्टेनमेंट जोन एवं 02 किलोमीटर का बफर जोन होगा। जिला मजिस्ट्रेट कन्टेनमेंट जोन में इंगित 03 गतिविधियों (आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, चिकित्सकीय टीम एवं सेनिटाइजेशन टीम) के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की अनुमति नहीं देंगे। 28 दिनों तक कोई संक्रमण प्राप्त नहीं होने पर हॉट स्पॉट ग्रीन जोन में परिवर्तित हो जायेगा

4. 20 अप्रैल, 2020 से प्रदेश में निम्न गतिविधियों को अनुमति दी जायेगी। सभी गतिविधियाँ भारत सरकार की गाईडलाइन्स के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करते हुए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार की जायेगीः–

1) **स्वास्थ्य सेवाऐं (आयुष सहित) सशर्त कियाशील रहेंगीः**

1. चिन्हित अस्पतालों में इमरजेन्सी सेवायें सक्षम स्तर से अनुमति के बाद संचालित होंगी। सभी अस्पतालों में एन–95 मास्क, पीपीई व संक्रमण से सुरक्षा के सभी उपकरण पर्याप्त मात्रा में अनिवार्य रूप से रहेंगे। बिना कोविड–19 के नियंत्रण प्रशिक्षण व सुरक्षा उपाय के इमरजेन्सी सेवाओं का संचालन नहीं होगा। चिकित्सा संस्थानों में स्टाफ को संक्रमण से सुरक्षा व सभी प्रबन्ध उपलब्ध होने एवं डाक्टरों सहित चिकित्साकर्मी प्रशिक्षित होने पर जिला प्रशासन अनुमति देगा।
2. टेलीमेडिसिन के माध्यम से टेली कंसलटेन्सी व चिकित्सकीय परामर्श।
3. डिस्पेंसरीज, केमिस्टस, फार्मेसीज, जनऔषधि केन्द्र और मेडिकल उपकरण की दुकानों सहित सभी प्रकार की दवा की दुकानें।
4. चिकित्सा प्रयोगशालाऐं और संग्रह केन्द्र।
5. फार्मास्युटिकल और मेडिकल रिसर्च लैबस, कोविड–19 से संबंधित अनुसंधान करने वाले संस्थान।
6. पशु चिकित्सा अस्पताल, औषधालय, क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब, वैक्सीन और दवा की बिकी और आपूर्ति।

Scanned with CamScanner

7. प्राधिकृत निजी प्रतिष्ठान, जो आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था के सहभागी हों या कोविड–19 की रोकथाम के लिए प्रयास करते हैं, जिसमें होम केयर प्रोवाइडर, डायग्नोस्टिक्स, अस्पतालों में आपूर्ति करने वाली फर्में शामिल हैं।

8. दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों, चिकित्सा आक्सीजन की विनिर्माण इकाइयाँ, उनके पैकेजिंग सामग्री, कच्चे माल और मध्यवर्ती सामग्री का उत्पादन।

9. चिकित्सा/स्वास्थ्य सम्बन्धी बुनियादी ढांचे का निर्माण जिनमें एम्बुलेंस भी शामिल हैं।

10. आवागमन (राज्य के अन्दर और बाहर)– सभी चिकित्सा और पशु चिकित्सा कर्मियों, वैज्ञानिकों, नर्सों, पैरा मेडिकल स्टाफ, लैब तकनीशियन, मिड वाइफस व अन्य अस्पताल सहायता सेवाएँ, जिनमें एम्बुलेंस भी शामिल हैं।

2) **<u>कृषि और संबंधित गतिविधियाँ</u>** :

अ) सभी कृषि और बागवानी गतिविधियाँ पूरी तरह क्रियाशील बनी रहेंगी, यथा :

1. किसानों/कृषि श्रमिकों द्वारा संचालित समस्त कृषि कार्य ।
2. एमएसपी सहित कृषि उत्पादों की खरीद में लगी हुई एजेंसियाँ।
3. कृषि उत्पादन मंडी समिति द्वारा संचालित या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित, राज्य सरकार या उद्योग द्वारा संचालित विपणन क्रियायें, ऐसे किसान/किसानों के समूह जो सीधे विपणन क्रियाओं का संचालन करते हैं/FPO कोआपरेटिव आदि। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारें ग्राम स्तर पर विकेन्द्रीकृत विपणन एवं खरीद को बढ़ावा दे सकती हैं।
4. कृषि मशीनरी की दुकानें एवं इसके स्पेयर पाट्र्स (इसकी आपूर्ति श्रृंखला सहित), इनसे सम्बन्धित मरम्मत की दुकानें।
5. फार्म मशीनरी से संबंधित कस्टम हायरिंग सेंटर।
6. उर्वरकों, कीटनाशकों और बीजों का विनिर्माण एवं खुदरा वितरण।
7. फसलों की कटाई/बुआई आदि से संबंधित कृषि मशीनें जैसे कम्बाइन हार्वेस्टर एवं अन्य कृषि/उद्यान के उपकरणों का आवागमन (राज्य के अन्दर और बाहर)।

ब) **<u>मत्स्य पालन</u>**:

निम्नलिखित गतिविधियाँ क्रियाशील रहेंगी –

Scanned with CamScanner

1. मछली पकड़ने (समुद्री और अंतर्देशीय)/जलीय कृषि उद्योग भी कियाशील होंगे जिसमें फीडिंग और रखरखाव, कटाई, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, कोल्ड चेन, बिकी और विपणन शामिल हैं।

2. हैचरी, चारा संयंत्र, वाणिज्यिक एक्वैरिया।

3 मछली/झींगा और मछली उत्पादन, मछली बीज/चारा और इनमें संलग्न श्रमिकों का आवागमन।

स) **पशुपालनः**

निम्नलिखित गतिविधियाँ कियाशील होंगी:

1. दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्रों द्वारा दूध और दुग्ध उत्पादों का संग्रह, प्रसंस्करण, वितरण और बिकी, जिसमें परिवहन और आपूर्ति श्रृंखला भी शामिल हैं।

2. पोल्ट्री फार्म, हैचरी और पशुधन गतिविधियों सहित पशुपालन फार्मों का संचालन।

3. मक्के और सोया जैसे कच्चे माल की आपूर्ति सहित पशु आहार विनिर्माण।

4. गौशालाओं सहित पशु आश्रय गृहों का संचालन :

3) **वित्तीय क्षेत्रः**

निम्नलिखित गतिविधियाँ कियाशील रहेंगी:–

1. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और RBI द्वारा विनियमित वित्तीय बाजारों और संस्थाओं जैसे NPCI, CCIL, भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों और स्टैंड एलोन प्राथमिक डीलर

2. बैंक शाखाऐं और एटीएम, बैकिंग संचालन हेतु आईटी वेन्डर्स, बैंकिग correspondents, एटीएम संचालन और नगदी प्रबन्धक एजेन्सियाँ –

(अ) बैंक शाखाओं को डीबीटी नकद हस्तान्तरण के पूर्ण होने तक सामान्य कार्य घण्टों के अनुसार काम करने की अनुमति।

(ब) स्थानीय प्रशासन द्वारा बैंक शाखाओं के संचालन के समय पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी और बैंक–ग्राहकों द्वारा social distancing, और शान्ति व्यवस्था बनाए रखी जाएगी, बैंक प्रबन्धन ग्राहकों की भीड़ न होने देने के लिए ग्राहकों को समूह में बाँटकर उन्हें अलग–अलग समय नियत कर कार्य–निस्तारण करेंगे।

Scanned with CamScanner

3. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) एवं सेबी द्वारा अभिसूचित पूँजी एवं ऋण बाजार सेवायें।

4. IRDAI और बीमा कम्पनियॉ

4) **सामाजिक क्षेत्रः**

निम्नलिखित गतिविधियाँ कियाशील रहेंगी –

1. बच्चों / दिव्यॉग / मानसिक रूप से कमजोर / वरिष्ठ नागरिकों / निराश्रितों / महिलाओं / विधवाओं के लिए गृहों का संचालन।

2. Observation homes, after care homes और किशोर गृह

3. सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वितरण यथा वृद्धावस्था / विधवा / स्वतंत्रता सेनानी पेंशन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रदान की गयी पेंशन और भविष्य निधि सेवायें।

4. **आंगनवाड़ियों का संचालनः**

लाभार्थियों अर्थात बच्चों, महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को घर पर ही 15 दिनों में एक बार खाद्य पदार्थों और पोषण का वितरण। लाभार्थी आंगनबाड़ी के नियमित कियाकलापों में भाग नहीं लेंगे।

5) **आनलाइन शिक्षा / दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा दिया जानाः**

1. समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं कोचिंग संस्थान बन्द रहेगे।

2. उक्त संस्थान आनलाइन शिक्षा के माध्यम से शैक्षिक समय सारणी बनाये रखेंगे।

3. दूरदर्शन तथा अन्य शैक्षिक चैनलों का शिक्षा के उद्देश्य के लिए अधिकतम उपयोग किया जाय।

बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा, नर्सिंग, पैरा मेडिकल आदि की शिक्षा में ऑन लाईन पढ़ाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाये। ऑन लाईन शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित और वृहद रूप दिया जाये जिससे लॉक डाउन के कारण विद्यार्थियों की शिक्षा पर कोई प्रभाव न पड़े।

6) **मनरेगा के अन्तर्गत कार्यो को अनुमतिः**

Scanned with CamScanner

1. सोशल डिस्टेन्सिग व फेस मास्क पहनने का कड़ाई से पालन करते हुये मनरेगा के कार्यो को अनुमति दी जाये।

2. जल संरक्षण एवं सिंचाई के कार्यो को मनरेगा के अन्तर्गत प्राथमिकता दी जाये।

3. केन्द्र एवं राज्य सरकार की जल संरक्षण एवं सिंचाई के क्षेत्र की योजनाओं के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यो को भी मनरेगा के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाये।

7) **<u>सार्वजनिक उपयोगिता के क्षेत्र निम्नवत क्रियाशील रहेंगे:</u>**

1. तेल एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र का संचालन, जिसमें शोधन, परिवहन, वितरण, भण्डारण तथा उनका रिटेल विक्रय यथा (पेट्रोल, डीजल केरासीन, सी0एन0जी0, एल0पी0जी0, पी0एन0जी0 आदि)।
2. ऊर्जा क्षेत्र में उत्पादन, पारेषण तथा वितरण क्षेत्र हेतु समस्त कार्य क्रियाशील रहेंगे। विशेष रूप से विद्युत वितरण निगम के मीटर रीडरों को विशेष पास निर्गत किये जायेंगे।
3. डाक सेवा जिसमें डाकघर भी निहित है।
4. नगर निकाय तथा स्थानीय निकाय स्तर पर पेयजल, स्वच्छता एवं कूड़ा प्रबन्धन आदि का संचालन।
5. दूरसंचार तथा इंटरनेट सेवाओं का संचालन।

8) **<u>माल एवं वस्तुओं के यातायात तथा उसके लोडिंग–अनलोडिंग की अनुमति निम्नवत रहेगी:</u>**

1. समस्त मालवाहक यातायात को अनुमति रहेगी।
2. माल एवं पार्सल रेलगाड़ी का संचालन होगा।
3. हवाई यातायात में राहत–बचाव तथा माल के परिवहन अनुमति रहेगी।
4. समुद्री बन्दरगाहों तथा जलमार्गों के माध्यम से मालवाहक पोतों का यातायात आदि जिसमें कस्टम क्लियरेंस आदि अन्य औपचारिकतायें निहित है।
5. आवश्यक वस्तुओं जिसमे पेट्रोलियम पदार्थ, रसोई गैस खाद्य पदार्थ, चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति निहित है, का परिवहन एवं संचालन होगा।

9) **<u>आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति निम्नवत अनुमन्य रहेगा:</u>**

1. आवश्यक वस्तुओं के आपूर्ति श्रृंखला की समस्त सुविधायें चाहे वह उनके विनिर्माण से संबन्धित हो या उनके थोक एवं फुटकर विक्रय से संबन्धित हो, ऐसे समस्त बड़े एवं छोटे स्टोर अथवा ई–कामर्स कम्पनियों को व्यवसाय की

Scanned with CamScanner

अनुमति कड़ाई से सोशल डिस्टेंन्सिग के पालन की शर्त के साथ दी जायेगी।

2. ऐसी दुकानें जिसमें किराना अथवा अन्य आवश्यक वस्तुओं का विक्रय किया जाता है, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें, खाद्य तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकानें, फल–सब्जी, दूध एवं अन्य डेयरी प्रोड़क्ट,मीट–मुर्गा, मछली की दुकानें, पशुओं के चारे आदि की दुकानो के संचालन की अनुमति कड़ाई से सोशल डिस्टेंस रखनें की शर्त के साथ प्रदान की जाएगी। यहां भी उनके खोलने एवं बन्द करने के समय का प्रतिबन्ध नही रहेगा।
3. जिला प्रशासन आवश्यक वस्तुओं के होम डिलवरी के क्रिया–कलापों को बढ़ावा देगा, ताकि लोगों के घरों से बाहर जाने की गतिविधियों को न्यूनतम किया जा सके।

10) **<u>वाणिज्य और निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान</u>**

सूची निम्नवत् है, कियाशील रहेंगेः–

1. प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रसारण, डीटीएच एवं केबिल सेवायें
2 आई0टी0 एवं आई0टी0 संबंधी सेवायें – पचास प्रतिशत कार्य–क्षमता के साथ।
3. डेटा एवं कॉल सेन्टर्स केवल सरकारी कार्यकलापों हेतु
4. सरकारी मान्यता प्राप्त ग्राम पंचायत स्तर पर जन सेवा केन्द्र
5. ई–वाणिज्यिक कम्पनियॉ एवं ई–वाणिज्यिक ऑपरेटर्स द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले वाहन आवश्यक अनुमति के द्वारा प्रयोग में लाये जा सकते है।
6. कोरियर सेवायें।
7. बन्दरगाह, हवाई अडडे, रेलवे स्टेशन, कन्टेनर डिपोपर स्थित शीत गृह/भण्डार गृह, एकल यूनिट और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी अन्य इकाई के संचालन की अनुमति रहेगी।
8. निजी सुरक्षा सेवायें और सुविधा प्रबन्धन सेवायें जो कार्यालयीय एवं आवासीय रख–रखाव से सम्बन्धित है।

Scanned with CamScanner

9. ऐसे होटल और होमस्टे, लॉज, मोटेल ऐसे जहॉं पर्यटक/ यात्री लॉकडाउन के कारण फॅसे है अथवा लिया गया है, मेडिकल एवं आपातकालीन स्टॉफ, हवाई एवं समुद्री जहाजकर्मी।

10. क्वारन्टाइन सुविधा के लिये चिन्हित/उपयोग में लाये गये स्थल

11. स्वनियोजित व्यक्तियों यथा इलेक्ट्रीशियन, आई0टी0 रिपेयर्स, प्लम्बरर्स, मोटर मैकेनिक एवं बढ़ई।

11) **<u>औद्यौगिक/औद्योगिक प्रतिष्ठान (सरकारी एवं निजी प्रतिष्ठान):</u>**

1. ग्रामीण क्षेत्र में स्थित औद्योगिक इकाइयॉ (जो नगर निकायों की सीमा से बाहर हैं)
2. SEZ, Export Oriented Units, औद्योगिक आस्थानों तथा औद्योगिक नगरियों में स्थित access control युक्त औद्योगिक इकाइयॉ परन्तु इन्हें यथा सम्भव अपने कामगारों को अपनी ही इकाई में अथवा आस पास ठहराने का प्रबंध करना होगा। कामगारों को ऐसी इकाईयों द्वारा लगाये गये इस हेतु विशेषतया निर्धारित वाहनों द्वारा लाया जायेगा।
3. ग्रामीण क्षेत्र में स्थित खाद्य प्रसंस्करण इकाईयॉ।
4. आई0टी0 हार्डवेयर की मैन्यूफैक्चरिंग इकाइयॉ।
5. सतत् प्रक्रिया वाली इकाइयॉ।
6. सभी प्रकार के पैकेजिंग मैटेरियल की मैन्यूफैक्चरिंग इकाइयॉ।
7. स्थानीय नगर निकायों की सीमा से बाहर स्थित कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट तथा औद्योगिक आस्थानों में स्थित कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट।
8. रिन्यूवेबिल ऊर्जा से संबंधित परियोजनों का निर्माण।
9. तेल एवं गैस रिफाइनरी।
10. खनन एवं खनन–कियाओं से संबंधित विस्फोटकों की आपूर्ति एवं आवागमन।
11. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित ईंट–भट्टे।
12. स्थानीय नगर निकायों की सीमा में स्थित ऐसे कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट जहॉं कामगार निर्माण स्थल पर ही रहते हों और उनके किसी आवागमन की आवश्यकता न हो।
13. IT तथा ITES सेवाऍ जो अधिकतम अपनी 50 प्रतिशत मानव शक्ति का उपयोग कर सकती है।

Scanned with CamScanner

14. स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों द्वारा प्रदान करने वाली सेवाएँ यथा इलेक्ट्रिशियन, आई0टी0 से संबंधित मरम्मत, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक तथा कारपेन्टर।
15. ई–कामर्स के माध्यम से सभी प्रकार के समानों की आपूर्ति।
16. आवश्यक वस्तुओं से संबंधित किराना दुकानें जिनसे होम डिलीवरी की सुविधा दी जायेगी।
17. सरकार द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत कॉमन सर्विस सेन्टर।
18. मत्स्य पालन से संबंधित इकाईयॉ, कुक्कुट पालन तथा पशुपालन से संबंधित इकाईयॉ।
19. पशु–आहार तैयार करने वाली इकाईयॉ जिनके लिए संबंधित कच्चे माल की आपूर्ति भी अनुमन्य होगी।
20. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से संबंधित उपकरणों की मैन्यूफैक्चरिंग जिसमें एम्बुलेन्सेस भी सम्मिलित होंगी।

उक्त इकाइयों के संचालन एवं उनके सोसल डिस्टेंन्सिंग इत्यादि के सिद्धान्तो का पालन कराने तथा इकाइयों के कर्मचारियों के पास आदि जारी कराने की प्रक्रिया उपायुक्त उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों के माध्यम से जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी के स्तर से जारी किया जाना है।

12) **<u>निर्माण से सम्बन्धित निम्न गतिविधियॉ अनुमन्य की जायेंगी:</u>**

1. एक्सप्रेस–वे, हाई–वे सड़क, सिंचाई परियोजना, भवन तथा लघु एवं मध्यम उद्योग समेत समस्त प्रकार की औद्योगिक परियोजनाओं से सम्बन्धित निर्माण क्षेत्रों में यथा नगर पालिका व नगर निगम के क्षेत्रों के बाहर अनुमन्य होंगे।
2. रिन्यूवल इनर्जी परियोजनाओं से सम्बन्धी निर्माण कार्य।
3. नगर पालिका व नगर निगम क्षेत्रों के अन्तर्गत ऐसे निर्माण कार्यों को जारी रखा जा सकता है, जहॉ मजदूर उक्त साईट पर मौजूद हों तथा बाहर से किसी भी मजदूर को लाये जाने की आवश्यकता न हो।

13) **व्यक्तियों के आवागमन की अनुमति निम्न प्रकरणों में दी जाए:**

निजी वाहनों के आवश्यक वस्तुओं के परिचालन/आपातकालीन सेवाओं के लिए परिचालन की यथा चिकित्सकीय व पशु सेवाओं को सम्मिलित करते हुए, अनुमति प्रदान की जायेगी तथा चार पहिया वाहनों के प्रकरण में ड्राइवर के

Scanned with CamScanner

अतिरिक्त पीछे की सीट पर मात्र एक व्यक्ति के लिए तथा दो पहिया वाहन के प्रकरण में केवल वाहन चालक के लिए अनुमति होगी। राज्य सरकार के निर्देशानुसार, छूट दी गयी श्रेणियों में सभी व्यक्तियों को कार्यस्थल पर जाने व वापस आने की अनुमति होगी।

14) **भारत सरकार के कार्यालय तथा इसके स्वायत्त/अधीनस्थ कार्यालय निम्नानुसार खुले रहेंगे:**

1. रक्षा, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण, आपदा प्रबन्धन व पूर्व चेतावनी संस्थाएँ (IMD, IMCOIS, SASE, National Centre of Seismology, CWC) राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) भारतीय खाद्य निगम, एन0सी0सी0, नेहरू युवा केन्द्र एवं सीमा शुल्क (Customs), बिना किसी अवरोध के (पूर्ण क्षमता के साथ)।
2. अन्य मंत्रालय एवं विभाग तथा इनके नियंत्रणाधीन कार्यालय, उपसचिव एवं उससे ऊपर के अधिकारी की शत्–प्रतिशत् उपस्थिति के साथ तथा अन्य अधिकारियों की आवश्यकतानुसार 33 प्रतिशत उपस्थिति के साथ।

15) **राज्य सरकार/स्वायत्त संस्थाएँ व स्थानीय निकाय निम्नानुसार खुलेंगे:**

1. पुलिस, होमगार्डस, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन व आपातकालीन सेवाएँ, आपदा प्रबन्धन, कारागार एवं नगरीय निकाय बिना किसी restriction के कार्य (पूर्ण क्षमता के साथ) करेंगें।
2. राज्य के अन्य विभाग सीमित क्षमता के साथ कार्य करेंगे। समूह क व ख के अधिकारी आवश्यकतानुसार उपस्थिति होंगे। समूह ग तथा इससे निम्न श्रेणी के अधिकारी/कर्मचारी सामाजिक दूरी का मानक सुनिश्चित करते हुए 33 प्रतिशत क्षमता के साथ कार्य कर सकते हैं। प्रत्येक दशा में सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी और इसके लिए आवश्यक अधिकारी/कर्मचारी नियोजित किए जायेंगे।
3. जिला प्रशासन एवं कोषागार (महालेखाकार के क्षेत्रीय अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए) सीमित क्षमता (restricted staff) के साथ कार्य करेंगे। प्रत्येक दशा में सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी तथा इसके लिए आवश्यक अधिकारी/कर्मचारी नियोजित किए जायेंगे।
4. नई दिल्ली स्थित राज्यों के स्थानिक आयुक्त, केवल कोविड–19 सम्बन्धी कियाकलापों तथा आन्तरिक गतिविधियों विषयक कियाकलापों में सामंजस्य की सीमा तक कार्य करेंगे।

Scanned with CamScanner

5. वन विभाग के अधीन उतने अधिकारी/कर्मचारी क्रियाशील होगें जितने चिड़ियाघर व नर्सरी के संचालन व रखरखाव, वन्य जीव संरक्षण, वनों में आगजनी रोकने, पौधरोपण, पौधों की सिंचाई तथा वन क्षेत्र के अन्तर्गत पेट्रोलिंग व यातायात संचालन के लिए आवश्यक होंगे।

16) **व्यक्ति जिन्हें अनिवार्य रूप से क्वारन्टाइन में रखा जायेगा, निम्नवत है**

1. ऐसे सभी व्यक्ति जिन्हें स्थानीय हेल्थ केयर पर्सनल द्वारा स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि के लिये कड़ाई से होम क्वारन्टाइन/संस्थागत क्वारन्टाइन में रहने के लिये निर्देशित किया गया हो।

2. क्वारन्टाइन का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भा0दं0वि0 की धारा-188 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी।

3. क्वारन्टाइन व्यक्ति जो भारत में दिनांक 15.02.2020 के बाद प्रवेश किये है और क्वारन्टाइन अवधि समाप्ति के पश्चात कोविड-19 के परीक्षण मे निगेटिव पाये गये हो को गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित SOP का पालन करते हुये कोरोन्टाइन से मुक्त किये जायेंगे।

4. **उपरोक्त लॉकडाउन से सम्बन्धित निर्देशों के प्रवर्तन (Enforcement) के सम्बन्ध में निर्देश:**

1. समस्त जिला मजिस्ट्रेट निर्दिष्ट National Covid-19 directive का कड़ाई से अनुपालन करायेगें। उक्त निर्देशों के उल्लघंन करने वाले सभी व्यक्तियों के विरूद्ध Disaster Management Act-2005 में उल्लिखित विधिक कार्यवाही की जायेगी एवं अर्थदण्ड वसूला जायेगा।

2. समस्त औद्योगिक एवं वाणिज्यिक संस्थानों, कार्यस्थलों, कार्यालयों आदि को खोलने से पूर्व दिये गये दिशा निर्दशों/व्यवस्थाओं का पूर्ण पालन कराया जायेगा।

3. उपरोक्त रोकथाम उपायों को क्रियान्वित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को उनके अधिकार क्षेत्रों के लिए इन्सीडेन्ट कमाण्डर के रूप में तैनात किया जायेगा। इन्सीडेन्ट कमाण्डर अपने-अपने कार्यक्षेत्रों में उपरोक्त उपायों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे। उक्त निर्धारित कार्यक्षेत्रों में तैनात अन्य समस्त विभागों के अधिकारी इन्सीडेन्ट कमाण्डर के निर्देशन में कार्य करेंगे। इन्सीडेन्ट कमाण्डर आवश्यक आवागमन हेतु पास जारी करेंगे।

Scanned with CamScanner

4. इन्सीडेन्ट कमाण्डर चिकित्सालयों के इन्फ्रास्ट्रक्चर में विस्तार एवं वृद्धि हेतु आवश्यक संसाधन, कर्मी एवं सामग्री जुटाने हेतु सभी सम्भव प्रयास करेंगे जिससे चिकित्सालय बिना किसी बाधा के संचालित किये जा सकें।

5. उपरोक्त दिशा निर्देशों में अनुमन्य अतिरिक्त क्रियाकलापों को उपरोक्त दिशा निर्देशों के कठोर अनुपालन हेतु समस्त व्यवस्थायें करने के पश्चात चरणबद्ध रूप से लागू किया जायेगा। यह दिनांक 20 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

5. **दण्डात्मक प्राविधानः**

लॉकडाउन के दिशा निर्देशों के उल्लघंन करने पर किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध Disaster Management Act-2005 की धारा–51 से 60 तथा भा0दं0वि0 की धारा–188 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। दण्डात्मक प्राविधानों के उद्धहरण संलग्नक–3 में दिये गये है।

भवदीय,

16.04.2020

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव

संख्या व दिनांक तदैवः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. कृषि उत्पादन आयुक्त/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव, गृह

Scanned with CamScanner

महत्वपूर्ण

संख्या- 5 /2020/67/29-5-2020-5(1)/20

प्रेषक,

अखण्ड प्रताप सिंह,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- आयुक्त,
खाद्य तथा रसद विभाग,
जवाहर भवन,लखनऊ।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

3- महाप्रबन्धक,
भारतीय खाद्य निगम,
क्षेत्रीय कार्यालय, गोमती नगर, लखनऊ।

4- समस्त सम्भागीय खाद्य नियंत्रक,
उत्तर प्रदेश।

5- प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश प्रादेशिक को-आपरेटिव संघ,
(पी0सी0एफ0)
32, स्टेशन रोड, लखनऊ।

6- प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम,
17 गोखले मार्ग, लखनऊ।

7- प्रबन्ध निदेशक,
यू0पी0 एग्रो,
22 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

8- प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव यूनियन लि0 (पी0सी0यू0)

9- अधिशाषी निदेशक,
उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम,
जवाहर भवन, लखनऊ।

10- प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 राज्य भण्डारागार निगम,
न्यू हैदराबाद, लखनऊ।

11- क्षेत्रीय प्रबन्धक,
केन्द्रीय भण्डारागार निगम,
गोमती नगर, लखनऊ।

12- शाखा प्रबंधक,
नेशनल एग्रीकल्चर कोआपरेटिव मार्केटिंग-
फेडरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड (नैफेड),
लखनऊ।

13- प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ
(यू0पी0एस0एस0), लखनऊ।

14- शाखा प्रबन्धक,
भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित
(एन0सी0सी0एफ0), लखनऊ।

खाद्य तथा रसद अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 16 अप्रैल, 2020

विषय:- रबी विपणन वर्ष 2020-21 में केन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत गेहूँ क्रय की व्यवस्था हेतु नीति निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 2/2020/55/29-5-2020-5(1)/20 दिनांक 16 मार्च, 2020 एवं शासनादेश संख्या- 3/2020/55/29-5-2020-5(1)/20 दिनांक 03 अप्रैल, 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड–19 के लाकडाउन के दृष्टिगत गेहूँ की खरीद

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

एफ0पी0ओ0/एफ0पी0सी0 के माध्यम से प्रोत्साहित करने हेतु गेंहूँ क्रय नीति के शासनादेश दिनांक 16.03.2020 के निम्न प्रस्तरों में निम्नानुसार संशोधन/परिवर्द्धन एतदद्वारा किया जाता है:-

प्रस्तर	प्रचलित व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
3.3	रबी विपणन वर्ष 2020-21 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत खाद्य विभाग व अन्य क्रय एजेन्सियों द्वारा कृषकों से गेहूँ क्रय किया जायेगा। निबन्धक सहकारी समितियाँ उत्तर प्रदेश के यहाँ पंजीकृत सहकारी समितियों व केन्द्रीय निबन्धक, सहकारिता, कृषि भवन, नई दिल्ली के यहाँ पंजीकृत मल्टी सेक्टोरल/ मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी खाद्य विभाग को छोडकर अन्य क्रय एजेन्सियों से सम्बद्ध होकर गेहूँ क्रय कर सकेंगी।	रबी विपणन वर्ष 2020-21 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत खाद्य विभाग व अन्य क्रय एजेन्सियों द्वारा कृषकों से गेहूँ क्रय किया जायेगा। निबन्धक सहकारी समितियाँ उत्तर प्रदेश के यहाँ पंजीकृत सहकारी समितियों व केन्द्रीय निबन्धक, सहकारिता, कृषि भवन, नई दिल्ली के यहाँ पंजीकृत मल्टी सेक्टोरल/ मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी तथा **सोसाइटी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत फॉरमर्स प्रोड्यूसर आर्गनाईजेशन (एफ0पी0ओ0) तथा रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज से पंजीकृत फारमर्स प्रोड्यूसर कम्पनी(एफ0पी0सी0)** भी खाद्य विभाग व अन्य क्रय ऐजेन्सियों से सम्बद्ध गेहूँ क्रय कर सकेंगी।
3.4	पंजीकृत सहकारी समितियां एवं मल्टी स्टेट को ऑपरेटिव सोसाइटीज-अच्छी साख व आर्थिक स्थिति की होनी चाहिए। इन संस्थाओं के उपनियम (Bylaws) में खाद्यान्न की खरीद/बिक्री का कारोबार किया जाना उल्लिखित होना चाहिए। सरकार को क्षति पहुँचाने वाली खाद्यान्न खरीद में जिन समितियों के विरूद्ध अथवा उनके अध्यक्ष/निदेशक/सचिव/सदस्यों के विरूद्ध अनियमितता बरतने हेतु प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित है तथा ब्लैकलिस्टेड/डिबार पंजीकृत समितियों व मल्टी स्टेट को ऑपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से गेहूँ खरीद नहीं की जायेगी। पंजीकृत सहकारी समितिया, मल्टी स्टेट को ऑपरेटिव सोसाइटीज यदि किसी एक जनपद पर कार्य करना चाहती है तो उनकी नियुक्ति सम्बन्धित क्रय एजेन्सी की संस्तुति पर जिलाधिकारी द्वारा की जायेगी परन्तु यदि वे एक से अधिक जनपद में कार्य करने की इच्छुक हैं तो उनकी नियुक्ति सम्बन्धित क्रय एजेन्सी के स्टेट हेड द्वारा की जायेगी।	पंजीकृत सहकारी समितियां एवं मल्टी स्टेट को ऑपरेटिव सोसाइटीज व फारमर्स प्रोड्यूसर आर्गनाईजेशन (एफ0पी0ओ0) तथा फारमर्स प्रोड्यूसर कम्पनी (एफ0पी0सी0) अच्छी साख व आर्थिक स्थिति की होनी चाहिए इन संस्थाओं के उपनियम (Bylaws) में खाद्यान्न की खरीद/बिक्री का कारोबार किया जाना उल्लिखित होना चाहिए। सरकार को क्षति पहुँचाने वाली खाद्यान्न खरीद में जिन समितियों के विरूद्ध अथवा उनके अध्यक्ष/निदेशक/सचिव/सदस्यों के विरूद्ध अनियमितता बरतने हेतु प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित है तथा ब्लैकलिस्टेड/डिबार पंजीकृत समितियों व मल्टी स्टेट को ऑपरेटिव सोसाइटीज तथा फारमर्स प्रोड्यूसर आर्गनाईजेशन (एफ0पी0ओ0) तथा फारमर्स प्रोड्यूसर कम्पनी (एफ0पी0सी0) के माध्यम से गेहूँ खरीद नहीं की जायेगी। पंजीकृत सहकारी समितिया, मल्टी स्टेट को ऑपरेटिव सोसाइटीज व फारमर्स प्रोड्यूसर आर्गनाईजेशन (एफ0पी0ओ0) तथा फारमर्स प्रोड्यूसर कम्पनी (एफ0पी0सी0) यदि किसी एक जनपद पर कार्य करना चाहती है तो उनकी नियुक्ति सम्बन्धित क्रय एजेन्सी की संस्तुति पर जिलाधिकारी द्वारा की जायेगी परन्तु यदि वे एक से अधिक जनपद में कार्य करने की इच्छुक हैं तो उनकी नियुक्ति सम्बन्धित क्रय एजेन्सी के स्टेट हेड द्वारा की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3.5	पंजीकृत सहकारी समितियों, पंजीकृत मल्टी स्टेट कोआपरेटिव सोसाइटीज के बिल सम्बद्ध क्रय एजेन्सी के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम को प्रस्तुत किये जाएंगे तथा इनको गेहूँ के मूल्य का भुगतान भारतीय खाद्य निगम द्वारा सम्बन्धित एजेन्सी के माध्यम से किया जायेगा।	पंजीकृत सहकारी समितियों, पंजीकृत मल्टी स्टेट कोआपरेटिव सोसाइटीज व फॉरमर्स प्रोड्यूसर आर्गनाईजेशन (एफ0पी0ओ0) तथा फारमर्स प्रोड्यूसर कम्पनी(एफ0पी0सी0) के बिल सम्बद्ध क्रय एजेन्सी के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम को प्रस्तुत किये जाएंगे तथा इनको गेहूँ के मूल्य का भुगतान भारतीय खाद्य निगम द्वारा सम्बन्धित एजेन्सी के माध्यम से किया जायेगा।
8.2	समस्त क्रय संस्थायें एवं पंजीकृत सहकारी समितियां, मल्टी स्टेट कोआपरेटिव सोसाइटी अपने संसाधन से कम्प्यूटर/लैपटाप, आईपैड, इन्टरनेट कनेक्शन व इस निमित्त अन्य आवश्यक आधारभूत व्यवस्थायें समय से करेंगी। इस निमित्त राजस्व विभाग व कृषि विभाग तथा गत वर्षों में ई उपार्जन के माध्यम से क्रय गेहूँ व धान खरीद के डाटा बेस का उपयोग किया जा सकेगा।	समस्त क्रय संस्थायें एवं पंजीकृत सहकारी समितियां, मल्टी स्टेट को आपरेटिव-सोसाइटी व फॉरमर्स प्रोड्यूसर आर्गनाईजेशन (एफ0पी0ओ0) तथा फारमर्स प्रोड्यूसर कम्पनी(एफ0पी0सी0) अपने संसाधन से कम्प्यूटर/लैपटाप, आईपैड, इन्टरनेट कनेक्शन व इस निमित्त अन्य आवश्यक आधारभूत व्यवस्थायें समय से करेंगी। इस निमित्त राजस्व विभाग व कृषि विभाग तथा गत वर्षों में ई उपार्जन के माध्यम से क्रय गेहूँ व धान खरीद के डाटा बेस का उपयोग किया जा सकेगा।
19.6	--	पंजीकृत सोसाइटी, मल्टी स्टेट कोआपरेटिव सोसाइटीज व फॉरमर्स प्रोड्यूसर आर्गनाईजेशन (एफ0पी0ओ0) तथा फारमर्स प्रोड्यूसर कम्पनी(एफ0पी0सी0) को भुगतान गेहूँ के केन्द्रीय पूल में डिलीवरी हो जाने के पश्चात एक्नालेजमेंट के आधार पर बिल प्रस्तुत किये जाने पर किया जायेगा और भारतीय खाद्य निगम में बिल प्रस्तुत कर भुगतान लेने की कार्यवाही की जाय। पंजीकृत सोसाइटी, मल्टी स्टेट कोआपरेटिव सोसाइटीज व फॉरमर्स प्रोड्यूसर आर्गनाईजेशन (एफ0पी0ओ0) तथा फारमर्स प्रोड्यूसर कम्पनी(एफ0पी0सी0) को भारत सरकार की कास्टसीट में अनुमन्य सोसाइटी कमीशन नियमानुसार देय होगा एवं प्रशासनिक व्यय में भारत सरकार द्वारा अनुमन्य धनराशि अस्थाई रूप से जमानत के रूप में रखी जायेगी। भारत सरकार द्वारा कास्टसीट को अन्तिम रूप दिये जाने पर यदि संस्थाओं की कोई तत्समय देयता निकलेगी तो उसे इस रूकी धनराशि से समायोजित भी किया जायेगा। इस रूकी धनराशि पर इन संस्थाओं को किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जायेगा। यदि इन संस्थाओं पर भविष्य में कोई देयता केन्द्र/राज्य सरकार की निकलती है एवं उसकी प्रतिपूर्ति रूकी हुयी धनराशि से नही हो पाती तो इन संस्थाओं के विरूद्ध भू-राजस्व के बकाये की भॉति

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		रिकवरी सर्टिफिकेट निर्गत कराकर नियमानुसार वसूली की जायेगी।

3- उक्त शासनादेश दिनांक 16-03-2020 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

भवदीय,

अखण्ड प्रताप सिंह
विशेष सचिव।

संख्या- 5 /2020/ 67(1)/29-5-2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल।
2- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग/संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
6- प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, सहकारिता/कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग।
7- समस्त मण्डलायुक्त,उ0प्र0।
8- संयुक्त सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, नागरिक आपूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
9- आंचलिक प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली।
10- निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, लखनऊ।
11- आयुक्त, वाणिज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
12- नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, 7 बालाकदर रोड, लखनऊ।
13 आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारी समितियॉ, उ0प्र0, लखनऊ।
14- कृषि निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
15- अपर आयुक्त (विपणन)/वित्त नियंत्रक, खाद्य तथा रसद विभाग, लखनऊ।
16- समस्त सम्भागीय खाद्य विपणन अधिकारी/जिला खाद्य विपणन अधिकारी, उ0प्र0।
17- समस्त सम्भागीय लेखाधिकारी, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0।
18- प्रभारी, खाद्य नियंत्रण कक्ष, जवाहर भवन, लखनऊ।
19- खाद्य तथा रसद विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग अधिकारी।
20- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
21- मीडिया सलाहकार, मा0 मुख्य मंत्री जी, उ0प्र0।
22- गार्ड फाइल/एन0आई0सी0, लखनऊ।

आज्ञा से

हरीराम
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
सचिवालय प्रशासन अनुभाग-3(अधि0)
संख्या-03/2020/1327/बीस-ई-3/2020
दिनांक: 17 मार्च, 2020

परिपत्र

विषय:- सचिवालय परिसर में कोरोना वायरस के दृष्टिगत सतर्कता प्रबन्ध

वर्तमान में कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के रोकथाम के लिये समय-समय पर प्रकाशित सुरक्षात्मक उपायों को ध्यान में रखते हुये उत्तर प्रदेश सचिवालय में कृपया निम्न कार्यवाही अविलम्ब सुनिश्चित करायी जाये:-

1. भारत सरकार के चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सरकारी वेबसाइट के URL:mohfw.gov.in/DraftGuidelinesforhomequarantine.pdf तथा उत्तर प्रदेश सरकार की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की सरकारी वेबसाइट www.dgmhup-covid19.in में वर्णित कोरोना के संक्रमण से बचने और उसके फैलाव को रोकने के बारे में वर्णित सुरक्षा उपायों से सचिवालय के सभी अधिकारी/कर्मचारी कृपया भिज्ञ हो लें और सभी को इसके बचाव हेतु संवेदनशील भी करें।
2. सचिवालय परिसर में कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के उपयोगार्थ कोरोना वायरस(कोविड-19) से बचाव के लिये सुरक्षात्मक उपाय के तहत ''क्या करें'' और ''क्या न करें'' की एक सूची इस परिपत्र के साथ संलग्न है।
3. सचिवालय प्रशा0 अनुभाग-7(विविध), कोरोना वायरस(कोविड-19) से बचाव के उपायों के बारे में जो एडवाईजरी निर्गत की गयी है, उसके बारे में सचिवालय के समस्त भवनों में बैनर लगवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
(कार्यवाही-सचिवालय प्रशा0 अनुभाग-7(विविध))
4. सचिवालय के सभी अधिकारी/कर्मचारी जब भी प्रातःकाल कार्यालय में आयेंगे तो वह अनिवार्य रूप से सचिवालय के प्रसाधन-कक्षों में सुरक्षात्मक उपायों में बताये हुये तरीके से साबुन से हाथ धोना सुनिश्चित करेंगे। सचिवालय प्रशासन अनुभाग-7(विविध) एवं मुख्य व्यवस्थाधिकारी एवं सभी व्यवस्थाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सचिवालय के सभी भवनों के सभी प्रसाधन-कक्षों में नित्य-प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में लिक्विड सोप उपलब्ध रहे। (कार्यवाही-सचिवालय प्रशा0 अनुभाग-7(विविध)/मुख्य व्यवस्थाधिकारी/समस्त व्यवस्थाधिकारी, सम्बन्धित भवन)
5. सचिवालय में अनावश्यक आगन्तुक के प्रवेश को हतोत्साहित किया जाये। केवल उन्हीं आगन्तुकों को सचिवालय का अस्थायी दैनिक प्रवेश पत्र निर्गत किया जाये जिनके बारे में सचिवालय के अधिकारियों द्वारा आने की अनुमति की पुष्टि हो जाये। (कार्यवाही-मुख्य स्वागत अधिकारी)
6. सचिवालय में कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के अलावा जितने भी अन्य आगन्तुक सचिवालय में आयेंगे, उनके लिये सचिवालय प्रवेश-द्वारों के पास लिक्विड सोप से हाथ धुलाने की समुचित व्यवस्था करायी जाये। मुख्य व्यवस्थाधिकारी/सचिवालय प्रशासन अनुभाग-7(विविध) सचिवालय के समस्त प्रवेश-द्वारों पर पर्याप्त मात्रा में लिक्विड सोप और हाथ धोने के लिये पानी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे। प्रत्येक प्रवेश द्वार के पास हाथ धोने के लिये वाश-बेसिन/वाश-बेसिन में जलापूर्ति/वाश-बेसिन से सुरक्षित जल निकासी की व्यवस्था राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। मुख्य सुरक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करायेंगे कि सचिवालय कर्मियों के अलावा जितने भी पासधारक सचिवालय में प्रवेश करेंगे, वह प्रवेशद्वार पर उपलब्ध हाथ धोने की व्यवस्था का प्रयोग करते हुये, हाथ धोने के उपरान्त ही सचिवालय परिसर में प्रवेश करें। (कार्यवाही-राज्य सम्पत्ति अधिकारी/सचिवालय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रशा0 अनुभाग-7(विविध)/मुख्य सुरक्षा अधिकारी/मुख्य व्यवस्थाधिकारी/समस्त व्यवस्थाधिकारी, सम्बन्धित भवन)

7. सचिवालय परिसर में स्थित जिम/मनोरंजन स्थल/पुस्तकालय/प्रीतिबाला शिशु-सदन आगामी 03 अप्रैल, 2020 तक बन्द रहेंगे। (कार्यवाही-सम्बन्धित विशेष सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग)

8. सचिवालय परिसर में ऐसे सभी स्थान जहाँ पर हाथ का स्पर्श होता है, यथा-कुर्सी, मेज, दरवाजे, हैण्डल, आलमारी की सतहों, टेलीफोन रिसीवर, लिफ्ट के बटन, प्रसाधन कक्षों के नल/फासिट, सीढ़ियों की रेलिंग इत्यादि को नियमित रूप से सैनिटाईज करने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये। यह दायित्व सचिवालय प्रशासन अनुभाग-7(विविध) का होगा जो कि अपने सेवाप्रदाता के माध्यम से से सुनिश्चित करायेंगे। मुख्य व्यवस्थाधिकारी और सभी व्यवस्थाधिकारी गण से सुनिश्चित करायें। (कार्यवाही-सचिवालय प्रशा0 अनुभाग-7(विविध)/मुख्य व्यवस्थाधिकारी/समस्त व्यवस्थाधिकारी, सम्बन्धित भवन)

9. ऐसे कार्मिक जिनकी अवस्था अधिक है या गर्भवती महिला कर्मचारी या ऐसे कर्मी जो कि किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित हों जो उनकी प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता हो, के द्वारा विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। ऐसे कर्मचारियों से विशेष अनुरोध कर लिया जायें कि वह स्वयं अपना अधिक ध्यान रखें और सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन करें। ऐसे कार्मिकों को ऐसे स्थानों पर कतई न रखा जाये, जहाँ पर अधिक जनसम्पर्क होता हो।

10. यदि किसी कार्मिक को ऐसे लक्षण परिलक्षित होते हैं और वह अपने आपको अलग-थलग रखने के उद्देश से अवकाश लेना चाहते हैं, तो उन्हें अवकाश अवश्य प्रदान कर दिया जाये। (कार्यवाही-समस्त सम्बन्धित अधिकारीगण, उ0प्र0सचिवालय)

11. यदि सचिवालय के किसी अधिकारी/कर्मचारी को कोरोना वायरस(कोविड-19) से प्रभावित होने के कोई लक्षण प्रथमदृष्टया परिलक्षित होते हैं तो वह अनिवार्य रूप से अपनी जॉच स्वयं करा लें और बचाव की समुचित कार्यवाही स्वस्तर से करना सुनिश्चित करें। सचिवालय प्रांगण में स्थित सभी डिस्पेन्सरियों के चिकित्सकगण ऐसे कार्मिकों को आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध करायेंगे और यथा-आवश्यकता उन्हें उचित चिकित्सालयों को सन्दर्भित करना सुनिश्चित करेंगे। (कार्यवाही-चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी गण, सचिवालय परिसर के समस्त चिकित्सालय)

12. सचिवालय के अन्दर जितने भी कैन्टीन संचालित हो रहे हैं, वहाँ पर भी लिक्विड सोप/सैनिटाईजर की व्यवस्था कैन्टीन के प्रबन्धक, उ0प्र0सचिवालय सत्कार सेवा द्वारा सुनिश्चित करायी जायेगी। (कार्यवाही-प्रबन्धकगण, सचिवालय भवनों में स्थित समस्त जलपान-गृह उ0प्र0सचिवालय सत्कार सेवा)

13. सचिवालय परिसर में विभिन्न सेवाप्रदाताओं के माध्यम से जो कर्मी कार्यरत हैं, उनके सन्दर्भ में भी उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। (कार्यवाही-राज्य सम्पत्ति अधिकारी/सम्बन्धित विशेष सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग)

14. सचिवालय परिसर में सचिवालय अधिकारियों/कर्मचारियों को यह परामर्शित किया जाता है कि वह अनावश्यक रूप से समूह में न एकत्रित हों।

कृपया उपरोक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक-यथोपरि।

महेश कुमार गुप्ता
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रतिलिपि: संख्या- 03/2020/1327(1)/बीस-ई-3/2020 तद्दिनांक:-

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन को सूचनार्थ।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन को सूचनार्थ।
3. औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0शासन को सूचनार्थ।
4. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मन्त्री, उ0प्र0शासन को सूचनार्थ।
5. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0शासन को सूचनार्थ।
6. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,उ0प्र0शासन को □से अनुरोध के साथ कि कृपया अपने विभागीय अधिकारियों एवं समस्त अनुभागों/प्रकोष्ठों को उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
7. प्रमुख सचिव, विधान परिषद को □से अनुरोध के साथ कि कृपया विधान परिषद परिसर में उपरोक्त के दृष्टिगत यथा-आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
8. प्रमुख सचिव, विधान सभा को □से अनुरोध के साथ कि कृपया विधान सभा परिसर में उपरोक्त के दृष्टिगत यथा-आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
9. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लखनऊ को □से आशय से प्रेषित कि कृपया अपने नियन्त्रणाधीन सचिवालय में कार्यरत कार्मिकों को उपरोक्त के दृष्टिगत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
10. राज्य सम्पत्ति अधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग को □से अनुरोध के साथ कि कृपया यथानिर्देश समुचित प्रबन्ध सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
11. समस्त विशेष सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उ0प्र0शासन को □से अनुरोध के साथ कि कृपया यथानिर्देश समुचित प्रबन्ध सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
12. उत्तर प्रदेश सचिवालय से समस्त अनुभागों/प्रकोष्ठों को अनुपालनार्थ।
13. मुख्य व्यवस्थाधिकारी/समस्त व्यवस्थाधिकारी गण, उ0प्र0सचिवालय को अनुपालनार्थ।
14. मुख्य सुरक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश सचिवालय को अनुपालनार्थ।
15. मुख्य स्वागत अधिकारी, उ0प्र0शासन को अनुपालनार्थ।
16. चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी गण, सचिवालय प्रांगण स्थित समस्त चिकित्सालय को अनुपालनार्थ।
17. अधिशासी निदेशक, उत्तर प्रदेश सचिवालय सत्कार सेवा, लखनऊ को अनुपालनार्थ।
18. सचिवालय प्रशासन अनुभाग-7(विविध) को अनुपालनार्थ।
19. उ0प्र0सचिवालय के समस्त पंजीकृत सेवा संगठनों (द्वारा-सचिवालय प्रशासन (अधि0)अनुभाग-1) के निर्वाचित अध्यक्ष/सचिव गणों को □से आशय से प्रेषित कि कृपया अपने सेवा-संगठन के सदस्यों में परिचालित कराने का कष्ट करें।
20. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महेश कुमार गुप्ता)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
सचिवालय प्रशासन अनुभाग-3(अधि0)
संख्याः-10/2020/1472/बीस-ई-3-2020
लखनऊ: दिनांक 17 अप्रैल, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को रोकने के लिये जनपद लखनऊ में प्रभावी लॉक डाउन की अवधि में उत्तर प्रदेश सचिवालय के संचालन के सम्बन्ध में सचिवालय प्रशासन अनुभाग-3(अधि0) के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1432-बीस-ई-3/2020, दिनांक 23 मार्च, 2020, कार्याल-ज्ञाप संख्या-1468-बीस-ई-3/2020, दिनांक 31 मार्च, 2020 तथा कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1470-बीस-ई-3/2020, दिनांक 15 अप्रैल 2020, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या-40-3/2020-40-3/डी0एम-1(ए), दिनांक 15 अप्रैल, 2020 में जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश सचिवालय के विभागों को लॉक डाउन की अवधि में संचालित करने के सम्बन्ध में कार्यालय ज्ञाप संख्या-1470-बीस-ई-3/2020, दिनांक 15 अप्रैल 2020 के प्रस्तर-2(इ) में उल्लिखित व्यवस्था के स्थान पर दिनांक 20 अप्रैल, 2020 से निम्नवत् संशोधित व्यवस्था निर्धारित की जाती हैः-

उत्तर प्रदेश सचिवालय के सभी अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव तथा समूह‘‘क‘‘ के सभी अधिकारी और अनुभाग अधिकारी अनिवार्य रूप से लॉक डाउन की अवधि में अपने कार्यालय में कार्यालय समय में उपस्थित रहेंगे और शासकीय दायित्वों का निर्वहन करेंगे। संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव (यथास्थिति वरिष्ठतम) द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके विभाग में उपरोक्त के अलावा शेष सभी अधीनस्थ अन्य अधिकारी/कर्मचारी अधिकतम एक तिहाई संख्या में कार्यालय नियमित रूप से आयेंगे और शाासकीय कार्यों का निस्तारण करेंगे। इस हेतु विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव (यथास्थिति वरिष्ठतम) द्वारा एक रोस्टर तैयार किया जायेगा। रोस्टर बनाते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि दिव्यांगजनों तथा गम्भीर रूप से अस्वस्थ ऐसे कार्मिकों को कार्यालय न बुलाया जाये जो कि कोरोना वायरस के दृष्टिकोण से संवेदनशील हों।

जिला प्रशासन लखनऊ द्वारा चिन्हांकित हॉट स्पॉट क्षेत्रों (hotspot areas) में निवास करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा जिला प्रशासन लखनऊ द्वारा घर से कार्यालय आने के बारे में प्राविधानित व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

कार्यालय की कार्यावधि में सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य सुरक्षात्मक उपायों का पूरा ध्यान रखा जाय तथा जिला प्रशासन द्वारा आवागमन के सन्दर्भ में समय-समय पर निर्गत निर्देशों का भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये और जिला प्रशासन/पुलिस कर्मियों का जॉच पड़ताल में पूर्ण सहयोग किया जाये।

3- सचिवालय प्रशासन अनुभाग-3(अधि0) के उक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-1470-बीस-ई-3/2020, दिनांक 15 अप्रैल 2020 में वर्णित अन्य व्यवस्थायें यथावत् प्रभावी रहेंगी।

महेश कुमार गुप्ता
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-10/2020/1472 (1)/बीस-ई-3/2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
(2) कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
(3) औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन
(4) अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
(5) अपर मुख्य सचिव, श्रीराज्यपाल, उत्तर शासन।
(6) प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
(7) प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,उ0प्र0 शासन।
(8) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
(9) प्रमुख सचिव, विधानसभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
(10) स्थानिक आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली।
(11) मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल/पुलिस आयुक्त, लखनऊ नगर/जिलाधिकारी, लखनऊ।
(12) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(13) राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उ0प्र0 शासन।
(14) राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0,उ0प्र0।
(15) मुख्य सुरक्षा अधिकारी/मुख्य स्वागत अधिकारी/मुख्य व्यवस्था अधिकारी, उ0प्र0 सचिवालय।
(16) उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग (द्वारा शाखा अधिष्ठान)
(17) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुरजन सिंह)
विशेष सचिव

संख्या-10/2020/1472 (2)/बीस-ई-3/2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपि-निजी सचिव, समस्त मा0 उप मुख्य मंत्रीगण/मा0 मंत्रीगण/मा0 राज्य मंत्रीगण (स्वतंत्र प्रभार)/मा0 राज्य मंत्रीगण को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त व्यवस्था से मा0 उप मुख्य मंत्रीजी/मा0 मंत्रीजी/मा0 राज्य मंत्रीजी (स्वतंत्र प्रभार)/मा0 राज्य मंत्रीजी को अवगत कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(सुरजन सिंह)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-03/2020/05जी.आई./86-2020-14(सामान्य)/2020

प्रेषक,

डा0 रोशन जैकब
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊः दिनांक 17 अप्रैल, 2020

विषयः प्रदेश में नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव सुनिश्चित करते हुये खनन संक्रिया एवं खनिज परिवहन कार्य संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आदेश संख्या-40-3/2020DM-I(A) दिनांक-15.04.2020 के माध्यम से जनसामान्य की कठिनाईयों को देखते हुए चयनित अतिरिक्त गतिविधियों (Select Additional Activities), जिसमें खनिजों के उत्पादन/परिवहन सम्मिलित है, को दिनांक-20.04.2020 से अनुमति दिये जाने के निर्देश दिये गये है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में चिन्हित कोविड-19 के हाटस्पाट को छोड़कर शेष क्षेत्रों में निम्न व्यवस्थाओं को सम्मिलित करते हुए खनिजों का खनन/परिवहन कार्य प्रारम्भ किया जाये:-

1. नोवेल कोरोना वायरस की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु सोशल डिस्टेन्सिंग तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुसार न्यूनतम श्रमिकों के साथ मशीनों का उपयोग कर खनन क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार खनन गतिविधियां संचालित की जाये।
2. खनिजों का खनन/परिवहन का कार्य संचालित किये जाने हेतु खनन परिहार धारकों से खदानों में कोविड मैनेजेमेंट के लिए किये जाने वाले सुरक्षा उपायों की सूचना प्राप्त किया जाये, जिसमें सोशल डिस्टेन्सिंग, मशीन और कार्मिकों/श्रमिकों की तैनाती, नियोजित कार्मिकों/श्रमिकों हेतु व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) की व्यवस्था, प्रयुक्त मशीनों और वाहनों के सैनेटाइजेशन आदि का उल्लेख हो।
3. वर्तमान में देशव्यापी लाकडाउन के कारण खनिजों की मांग काफी कम है तथा दिनांक-01 जुलाई 2020 से प्रारम्भ होने वाले मानसून सत्र के दौरान खनिजों का खनन/परिवहन कार्य प्रतिबन्धित रहेगा। उक्त के दृष्टिगत प्रदेश में खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु वर्तमान में खनिजों का भण्डारण किया जाना आवश्यक है, जिसके लिए नये भण्डारण अनुज्ञप्ति/नवीनीकरण आवेदन पत्रों को नियमानुसार शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृत किया जाये।
4. शासकीय परियोजनाओं एवं अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं के खनिजों की मांग के आधार पर खनिज की आपूर्ति को प्राथमिकता प्रदान की जाये।
5. वर्तमान में दिनांक-22.03.2020 से लाकडाउन के दौरान खनन पट्टों से खनन/परिवहन का कार्य बन्द है। प्रदेश में खनन उद्योग एवं परिहारधारकों को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 के नियम-40(ज) एवं नियम-68 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत माह अप्रैल-2020 की देय किश्त की छूट इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान किया जायेगा कि माह अप्रैल, 2020 में परिवहन किये जाने वाली खनिज की मात्रा के आधार पर बिड दर के अनुसार अग्रिम भुगतान प्राप्त की जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

6. खान मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश एवं तत्क्रम में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-04जी0आई0/86-2020, दिनांक 30.03.2020 के अनुसार कोविड-19 के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जनपद की परिस्थिति एवं तात्कालिक आश्यकता के अनुसार स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं एवं आपातकालीन आवश्यकताओं हेतु डी0एम0एफ0 निधि से जिलाधिकारी द्वारा व्यय किया जा सकता है।

3. अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(डा0 रोशन जैकब)
सचिव।

संख्या-05जी.आई(1)/86-2020-तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, को उनके पत्र संख्या-02/ एम0-228/2017-खनन नीति(कोविड)/(पअ) दिनांक 15.04.2020 के सन्दर्भ में।

(2) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(डा0 रोशन जैकब)
सचिव।

http//shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-4
संख्या-7/2020/315/सामान्य-का-4-2020
लखनऊ दिनांक: 17 अप्रैल 2020

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

विषय:- सरकारी कार्यालयों में कोरोना वायरस नये (कोविड-19) के संबंध में सरकारी कार्यालयों को 20 अप्रैल, 2020 से खोले जाने के संबंध में:-

उत्तर प्रदेश में कोरोना प्रसार को रोकने के लिए कार्यालयों को खोले जाने के संबंध में पूर्व आदेश सं0-303/सा-का-4-2020 दिनांक 20 मार्च, 2020 एवं भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आदेश सं0-40-3/2020-40-3/डीएम-1(ए) दिनांक 15 अप्रैल, 2020 के प्रस्तर-3 एवं 19 के अनुक्रम में निम्नवत दिशा निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं-

1- पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेन्स, अग्निशमन, आकस्मिक सेवायें, आपदा प्रबन्धन, कारागार, नगर निकाय बिना किसी प्रतिबन्ध के यथावत अपने कार्यों को संपादित करेंगे।

2- प्रदेश के सभी विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष एवं समूह क तथा ख के सभी अधिकारी कार्यालयों में उपस्थित रहेंगे। कार्यालयों में प्रत्येक कार्यदिवस में समूह ग एवं घ के यथावश्यक, 33 प्रतिशत तक के कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने की व्यवस्था के लिये विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों के स्तर से आवश्यकता का निर्धारण करते हुये रोस्टर तय किया जायेगा। विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों को सुझाव दिया जाता है कि वह अपने यहां कार्यरत कर्मचारियों का रोस्टर इस प्रकार बना लें कि ऐसे कर्मी अलटरनेट दिवस में कार्यालय आयें परन्तु इससे शासकीय कार्य में, कोई व्यवधान उत्पन्न न हो, शासकीय कार्य हेतु आवश्यक कार्मिकों को ही कार्यालय में बुलाया जाय। कार्यालय की कार्यावधि में सोशल डिस्टैन्सिंग एवं अन्य सुरक्षात्मक उपायों का पूरा ध्यान रखा जाय।

रोस्टर के अनुसार घर से कार्य संपादित कर रहे कार्मिक इस अवधि में अपने मोबाइल एवं इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से कार्यालय के संपर्क में रहेंगे उन्हें आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय बुलाया जा सकेगा।

3- जिला प्रशासन, ट्रेजरी के कार्यों के संपादन के लिये भी आवश्यकतानुसार कार्मिकों को शासकीय कार्य के लिये नियोजित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ,अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://upshasanadesh.gov.in

4- उत्तर प्रदेश राज्य के रेजीडेंन्ट कमिश्नर कार्यालयों को भी कोविड-19 के संबंध में तथा आंतरिक किचन के संचालन के लिये उक्त प्रतिबन्धों के साथ संचालित किया जाय।

5- वन विभाग के कार्मिक जो प्राणिउद्यान के संचालन एवं प्रबन्धन पौधशालाओं, वन्य-जीव, जंगलों में अग्निरोधी उपायों या सिंचाई के कार्यों तथा पेट्रोलिंग एवं आवश्यक वाहन सेवाओं से जुडे हैं, वे अपने कार्यों का संपादन करते रहेंगे।

6- संक्रमण से प्रभावित क्षेत्रों (हॉट स्पॉट एरियाज) में कार्यालयों को बंद किये जाने के संबंध में जिला प्रशासन के स्तर से पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

यह दिशा निर्देश उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे जो ऐसी आकस्मिक एवं आवश्यक सेवाओं से जुडे हैं तथा कोविड-19 की रोकथाम में प्रत्यक्ष भूमिका अदा कर रहे हैं या जिन्हें गृह मंत्रालय, भारत सरकार के उक्त वर्णित आदेश सं0-40-3/2020-40-3/डीएम-1(ए) दिनांक 15 अप्रैल, 2020 के तहत कोई अतिरिक्त निर्देश दिये गये हैं।

इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव।

संख्या-7/2020/315(1)सा0-का-4-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष उत्तर प्रदेश ।

3- निदेशक सूचना विभाग उ0 प्र0 लखनऊ ।

आज्ञा से,
मुकुल सिहंल
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ,अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://up shasanadesh.gov.in

संख्या-04/2020/05जी.आई./86-2020-14(सामान्य)/2020

प्रेषक,

डा0 रोशन जैकब
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊः दिनांक 17 अप्रैल, 2020

विषयः प्रदेश में नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव सुनिश्चित करते हुये खनन संक्रिया एवं खनिज परिवहन कार्य संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आदेश संख्या-40-3/2020DM-I(A) दिनांक-15.04.2020 के माध्यम से जनसामान्य की कठिनाईयों को देखते हुए चयनित अतिरिक्त गतिविधियों (Select Additional Activities), जिसमें खनिजों के उत्पादन/परिवहन सम्मिलित है, को दिनांक-20.04.2020 से अनुमति दिये जाने के निर्देश दिये गये है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में चिन्हित कोविड-19 के हाटस्पाट को छोड़कर शेष क्षेत्रों में निम्न व्यवस्थाओं को सम्मिलित करते हुए खनिजों का खनन/परिवहन कार्य प्रारम्भ किया जाये:-

1. नोवेल कोरोना वायरस की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु सोशल डिस्टेन्सिंग तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुसार न्यूनतम श्रमिकों के साथ मशीनों का उपयोग कर खनन क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार खनन गतिविधियां संचालित की जाये।
2. खनिजों का खनन/परिवहन का कार्य संचालित किये जाने हेतु खनन परिहार धारकों से खदानों में कोविड मैनेजमेंट के लिए किये जाने वाले सुरक्षा उपायों की सूचना प्राप्त किया जाये, जिसमें सोशल डिस्टेन्सिंग, मशीन और कार्मिकों/श्रमिकों की तैनाती, नियोजित कार्मिकों/श्रमिकों हेतु व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) की व्यवस्था, प्रयुक्त मशीनों और वाहनों के सैनेटाइजेशन आदि का उल्लेख हो।
3. वर्तमान में देशव्यापी लाकडाउन के कारण खनिजों की मांग काफी कम है तथा दिनांक-01 जुलाई 2020 से प्रारम्भ होने वाले मानसून सत्र के दौरान खनिजों का खनन/परिवहन कार्य प्रतिबन्धित रहेगा। उक्त के दृष्टिगत प्रदेश में खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु वर्तमान में खनिजों का भण्डारण किया जाना आवश्यक है, जिसके लिए नये भण्डारण अनुज्ञप्ति/नवीनीकरण आवेदन पत्रों को नियमानुसार शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृत किया जाये।
4. शासकीय परियोजनाओं एवं अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं के खनिजों की मांग के आधार पर खनिज की आपूर्ति को प्राथमिकता प्रदान की जाये।
5. वर्तमान में दिनांक-22.03.2020 से लाकडाउन के दौरान खनन पट्टों से खनन/परिवहन का कार्य बन्द है। प्रदेश में खनन उद्योग एवं परिहारधारकों को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 के नियम-40(ज) एवं नियम-68 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत माह अप्रैल-2020 की देय किश्त की छूट इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान किया जायेगा

http://shasanadesh.up.nic.in

कि माह अप्रैल, 2020 में परिवहन किये जाने वाली खनिज की मात्रा के आधार पर बिड दर के अनुसार अग्रिम भुगतान प्राप्त की जायेगी।

6. खान मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश एवं तत्क्रम में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-04जी0आई0/86-2020, दिनांक 30.03.2020 के अनुसार कोविड-19 के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जनपद की परिस्थिति एवं तात्कालिक आश्यकता के अनुसार स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं एवं आपातकालीन आवश्यकताओं हेतु डी0एम0एफ0 निधि से जिलाधिकारी द्वारा व्यय किया जा सकता है।

3. अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(डा0 रोशन जैकब)
सचिव।

संख्या- (1)/86-2020-तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, को उनके पत्र संख्या-02/ एम0-228/2017-खनन नीति(कोविड)/(पअ) दिनांक 15.04.2020 के सन्दर्भ में।

(2) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(डा0 रोशन जैकब)
सचिव।

http//shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 9/2020/451/नौ-7-2020

प्रेषक,

संजय कुमार सिंह यादव,
विषेश सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

1. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
2. समस्त अधिषासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत।

नगर विकास अनुभाग-7 लखनऊः दिनांकः 17 अप्रैल, 2020

विषयः नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के दृष्टिगत हॉट–स्पॉट घोषित किये गये क्षेत्रों को शत–प्रतिशत सेनिटाइज करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि कोविड-19 के दृष्टिगत नगरीय निकाय क्षेत्रों में सफाई, स्वच्छता व सेनिटाइजेशन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। दिनांक 16.04.2020 तक कुल 269 क्षेत्रों को हॉट–स्पॉट घोषित किया गया है तथा भविष्य में महामारी के अवांछित प्रसार के दृष्टिगत अपेक्षाकृत और अधिक क्षेत्र हॉट–स्पॉट घोषित किये जा सकते हैं। नगरीय निकायों में जिन क्षेत्रों को हॉट–स्पॉट घोषित किया गया है तथा भविष्य में जिन्हें हॉट–स्पॉट घोषित किया जायेगा, वहॉ पर प्रत्येक घर, सार्वजनिक भवन, ड्रेन, सड़क तथा सार्वजनिक स्थलों का शत–प्रतिशत सेनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार हॉट–स्पॉट क्षेत्रों के अन्तर्गत जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए प्रत्येक घर, सार्वजनिक भवन, ड्रेन, सड़क तथा सार्वजनिक स्थलों का शत–प्रतिशत सेनिटाइजेशन वरीयता पर सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजय कुमार सिंह यादव)
विषेश सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0।
4. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज/नोडल अधिकारी, नगरीय व ग्रामीण पेयजल, स्वच्छता एवं सेनिटाइजेशन समिति, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 16.04.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ।

आज्ञा से,

(संजय कुमार सिंह यादव)
विषेश सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्य कता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यारपित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

mRrj izns'k 'kklu
fpfdRlk vuqHkkx&2
l[;k&12@2020@1046@ld&2&ikp&2020
y[kuÅ % fnukad% 18 vizSy] 2020

dk;kZy; Kki

rRdkfyd izHkko ls izknsf'kd fpfdRlk ,oa LokLF; lsok laox Z ds lEcf)r fpfdRlk vf/kdkfj;ksa ds chp ls fpfdRlkf/kdkjh MkW0 nhid vkgwtk ¼ofj0d0&6716½] iz/kkukpk;Z] vkj0,Q0ih0Vh0lh0] vkxjk dks tufgr esa vfxze vkns'kksa rd viu sorZeku nkf;Ro ds lkFk&lkFk vijs eq[; fpfdRlkf/kdkjh] xkSrecq)uxj ds in dk Hkh nkf;Ro lkSair gq, tuin xkSrecq)uxj ds eq[; fpfdRlkf/kdkjh vf/k"Bku dk foRrh; vf/kdkj ,rn~}kjk iznku fd;k tkrk gSA

2& MkW0 nhid vkgwtk dks funsf'kr fd;k tkrk gS fd og rRdky dk;ZHkkj xzg.k dj dk;ZHkkj izek.kd 'kklu dks miyC/k djk;sA

3& mDr dze esa MkW0 ,0ih0 prqosZnh] ukMy vf/kdkjh] dkfoM&19] xkSrecq)uxj dks vfxze vkns'kksa rd eq[; fpfdRlkf/kdkjh] xkSrecq)uxj ds in h; nkf;Ro lEca/kh dk;kZy;&Kki l[;k&978@ld&2&ikp&2019] fnukad 01-04-2020 dks mDr lhek rd la'kksf/kr le>k tk;sA

vfer eksgu izlkn
ize[k lfpoA

l[;k&12@2020@1046¼1½@ld&2&ikp&2020] rnfnukadA

izfrfyfi fuEufyf[kr dks lwpukFkZ ,oa vko';d dk;Zokgh gsrq izsf"kr%&

1- egkys[kkdkj ¼iFke½] m0iz0] iz;kxjktA
2- egkfuns'kd] fpfdRlk LokLF; lsok;sa] m0iz0] y[kuÅA
3- egkfuns'kd] ifjokj dY;k.k] m0iz0] y[kuÅA
4- funs'kd ¼iz'kklu½] fpfdRlk LokLF; lsok;sa] m0iz0] y[kuÅA
5- vf/k'kklh funs'kd] m0iz0 rduhdh lg;ksx bdkbZ] y[kuÅ dks bl vuqjks/k lfgr fd mDr vkns'k dks ekuo lEink lk¶Vos;j esa viyksM djkus dk d"V djsA
6- fe'ku funs'kd] ,u0,p0,e0] m0iz0] y[kuÅA
7- ftykf/kdkjh] xkSrecq)uxj@vkxjkA
8- vij funs'kd] fpfdRlk LokLF; ,oa ifjokj dY;k.k] ejB@vkxjk e.MyA
9- iz/kkukpk;Z] vkj0,Q0ih0Vh0lh0] vkxjkA
10- eq[; fpfdRlkf/kdkjh] xkSrecq)uxj@vkxjkA
11- MkW0 ,0ih0 prqosZnh] ukMy vf/kdkjh] dkfoM&19] xkSrecq)uxjA
12- eq[;@ofj"B dks"kkf/kdkjh] xkSrecq)uxj@vkxjkA
13- lEcfU/kr fpfdRlkf/kdkjhA
14- izHkkjh] dEI;wVj lsy dks bl vk'k; ls fd os lEcfU/kr fpfdRldksa dks izk:i&2 lEizsf"kr djus dk d"V djsA
15- xkMZ QkbyA

vkKk ls]

¼t0,y0 ;kno½
mi lfpoA

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्याः-04/2020/432/नौ-7/2020

प्रेषक,

दीपक कुमार,

प्रमुख सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।

2- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग-7 लखनऊ दिनांकः 19 मार्च, 2020

विषयः नोवेल कोरोना वायरस 2019 के नियंत्रण विषयक समुचित कार्यवाही/विशेष अभियान।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-409/नौ-7/2020 दिनांक 14.03.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नोवेल कोरोना वायरस 2019 के नियन्त्रण विषयक समुचित कार्यवाही करने/ विशेष अभियान चलाये जाने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये है।

2. अवगत कराना है कि प्रकरण में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा आज दिनांक 19.03.2020 को यह निर्देश दिये गये है कि नोवेल कोरोना वायरस 2019 के संक्रमण को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने हेतु सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित करते हुए प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में निम्नलिखित कार्यवाही प्रभावी रूप से करायी जाय:-

(1) नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी द्वारा अपने-अपने निकाय में विशेष कार्यदल का गठन कर वार्डवार जिम्मेदारी तय करते हुए सफाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

(2) सफाई अभियान के दौरान नाले/नालियों की सफाई सुनिश्चित की जाय तथा उनसे निकाला हुआ सिल्ट तत्काल सेनेटरी लैण्डफिल साइट अथवा उचित स्थान पर भिजवाया जाय।

(3) वेक्टर जनित रोगो के रोकथाम के लिये सम्बन्धित दवाई का नियमित छिड़काव व फागिंग की जाय।

(4) समस्त सामुदायिक शौचालय, पब्लिक टायलेट आदि की समुचित सफाई एवं रख-रखाव सुनिश्चित करते हुए खुले में शौच से मुक्ति के लक्ष्य को हासिल किया जाय।

(5) शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर किसी प्रकार के सामूहिक आयोजनों अथवा सार्वजनिक स्थल पर होने वाले कार्यक्रमों को यथा सम्भव वर्तमान में हतोत्साहित किया जाये तथापि यदि अपरिहार्यतावश जन समूह के एकत्रित होने संबंधी कोई आयोजन यदि निकाय क्षेत्र में होता है तो वहां पर उपरोक्त समारोह के आयोजक के साथ समन्वय कर कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव संबंधित संदेश के विषयगत प्रचार-प्रसार भली-भांति सुनिश्चित कर आम जन मानस को जागरूक किया जाये।

(7) कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु चिकित्सा विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सामग्री के अनुरूप कोरोना वायरस के विषयगत बरती जाने वाली सावधानी एवं सतर्कता के बिन्दु को आम जन मानस के मध्य विशेष रूप से प्रचार-प्रसार अभियान चलाया जाये।

(8) सार्वजनिक स्थलों, शासकीय भवनों एवं अन्य प्रमुख स्थलों आदि पर पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, हैंडबिल के माध्यम से प्रभावी रूप से नगरीय क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाये। उक्त कार्य हेतु स्वच्छ भारत मिशन नगरीय निदेशालय से आई0ई0सी0 मद में उपलब्ध करायी गयी धनराशि का उपयोग किया जा सकता है।

(9) कार्यालयों में तथा अन्य सार्वजनिक समागम स्थलों पर हैण्डवाश, साबुन, सेनेटाइजर, मास्क आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये उक्त निर्देशों तथा उक्त शासनादेश दिनांक 14.03.2020 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख स्टाफ आफीसर मुख्य सचिव, उ0प्र0।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0
4- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार सिंह यादव)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

उत्तर प्रदेश शासन
सचिवालय प्रशासन अनुभाग-3(अधि0)
संख्या-08/2020/1421/बीस-ई-3/2020
दिनांक: 19 मार्च, 2020

कार्यालय ज्ञाप

सचिवालय के अन्दर कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने को रोकने के दृष्टिगत विस्तृत दिश-निर्देश सचिवालय प्रशासन अनुभाग-3 (अधि0) के परिपत्र संख्या-1723/बीस-ई-3/2020 दिनांक 17-03-2020 द्वारा निर्गत किये गये है। अन्य बिन्दुओ के साथ-साथ उसमें सैनिटाईजेशन की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराने का बिन्दु समाहित है।

यद्यपि कि सचिवालय प्रशासन अनुभाग-7 (विविध) तथा मुख्य व्यवस्थाधिकारी के माध्यम से सैनिटाइजेशन की समुचित व्यवस्था करायी जा रही है, तथापि इसके निकटवर्ती पर्यवेक्षण हेतु पूरे सचिवालय परिसर में विभिन्न तलों पर तथा सचिवालय के सभी द्वारों पर अलग-अलग नोडल अधिकारी नामित किये जा रहे है। नोडल अधिकारी संलग्न-1 व 2 के अनुसार है। इन नोडल अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वह उन्हें आवंटित तल/स्थल पर आकस्मिक रूप से सैनिटाइजेशन की कार्यवाही की जॉच-पडताल करेंगे। यह देखेंगे कि सैनिटाइजेशन की कार्यवाही समुचित तरीके से हो रही है या नहीं और यदि कोई कमी आ रही है तो उसे सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारी के संज्ञान में लायेंगे। इस हेतु विस्तृत निर्देश निम्नानुसार निर्गत किये जाते है:-

- नोडल अधिकारी द्वारा अपने आवंटित तल पर नियमित रूप से कार्यालय समय में कम से कम 04 बार सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया जाएगा।
- निरीक्षण के दौरान निम्न बिन्दु चे किये जाएगें:-
    - अपने आवंटित तल पर सार्वजनिक प्रसाधन कक्षों में विक्विड सोप उपलब्ध है या नहीं।
    - आवंटित तल पर सभी स्थानों पर सैनिटाइजेशन के लिए पोछा लगा या नहीं।
    - आवंटित तल पर ऐसे सभी स्थान जहॉ पर हाथ का स्पर्श होता है, यथा-कुर्सी,मेज, दरवाजे, हैण्डिल, अलमारी की सतहों, टेलीफोन रिसीवर, लिफ्ट के बटन, प्रसाधन कक्षों के नल/फॉसिट, सीढियों की रेलिंग इत्यादि की नियमित रूप से सैनिटाइज करने की समुचित कार्यवाही की गयी या नहीं।
- जब भी कोई सफाई कर्मी उक्तानुसार सफाई करने आयेगा तो उस तल के नोडल अधिकारी को बताकर सैनेटाइजेशन का कार्य आरम्भ करेगा और सैनेटाइजेशन के पश्चात नोडल अधिकारी को बताकर ही जाएगा।
- यदि इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो नोडल अधिकारी सम्बन्धित भवन के व्यवस्थाधिकारी (मोबाइल नम्बर संलग्नक-3 के अनुसार)/अनुभाग अधिकारी, सचिवालय प्रशासन अनुभाग-7 (विविध) (मो0-9454412425)/मुख्य व्यवस्थाधिकारी (मो0-9454412495) से सम्पर्क किया जाएगा।
- यदि इन अधिकारियों से समस्या का निदान नहीं होता है तो श्री आर0पी0 सिंह, संयुक्त सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग (मो0-9454413189) और श्री सुरजन सिंह, विशेष सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग (मो0-9454412075) से सम्पर्क किया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- यदि नोडल अधिकारी किसी कारणवश अवकाश पर रहते है तो उनके लिंक अधिकारी द्वारा उनके दायित्वों का निर्वहन किया किया जाएगा।

कृपया इसका कडाई से अनूपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक-यथोपरि।

महेश कुमार गुप्ता
अपर मुख्य सचिव।

प्रतिलिपि: संख्या-08/2020/1421(1)/बीस-ई-3/2020 तद्दिनांक:-

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन को सूचनार्थ।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन को सूचनार्थ।
3. औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0शासन को सूचनार्थ।
4. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मन्त्री, उ0प्र0शासन को सूचनार्थ।
5. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0शासन को सूचनार्थ।
6. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,उ0प्र0शासन को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया स्वस्तर से आकस्मिक जॉच करने का कष्ट करें।
7. समस्त विशेष सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उ0प्र0शासन को इस अनुरोध के साथ कि कृपया यथानिर्देश समुचित प्रबन्ध सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
8. मुख्य व्यवस्थाधिकारी/समस्त व्यवस्थाधिकारी गण, उ0प्र0सचिवालय को अनुपालनार्थ।
9. मुख्य सुरक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश सचिवालय को इस आशय से कि कृपया अपने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
10. अनुभाग अधिकारी, सचिवालय प्रशासन अनुभाग-7(विविध) को अनुपालनार्थ।
11. नोडल अधिकारियों को अनुपालनार्थ।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महेश कुमार गुप्ता)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

संलग्नक-1

सचिवालय प्रशासन अनुभाग-3 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1421/बीस-ई-3-2020, दिनांक 19-03-2020 का संलग्नक

क्रमांक	भवन का नाम	तल वार स्थिति	नोडल अधिकारी				लिंक अधिकारी			
			नाम	पदनाम	मोबाईल सं0	विभाग का नाम	नाम	पदनाम	मोबाईल सं0	विभाग का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	लाल बहादूर शास्त्री भवन	भूतल तल	प्रवेन्द्र सिंह सागर	अनु सचिव	9454414001	कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	मनोज कुमार मौर्य	अनु सचिव	9454413745	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
2	लाल बहादूर शास्त्री भवन	प्रथम तल	धमेन्द्र कुमार पाठक	अनु सचिव	9454413326	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग	मनीष चन्द्र श्रीवास्तव	अनु सचिव	9454412667	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
3	लाल बहादूर शास्त्री भवन	द्वितीय तल	सत्य प्रकाश	अनु सचिव	9454413203	राजस्व विभाग	संजय कुमार दुबे	अनु सचिव	9454413865	राजस्व विभाग
4	लाल बहादूर शास्त्री भवन	तृतीय तल	प्रेमेन्द्र कुमार गुप्त	अनु सचिव	9454413874	उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप विभाग	अशोक कुमार पुत्र राम किशोर	अनु सचिव	9454413937	खाद्य तथा रसद विभाग
5	लाल बहादूर शास्त्री भवन	चतुर्थ तल	राजेन्द्र प्रसाद यादव	अनु सचिव	9454412603	आयुष विभाग	राज कुमार झा	अनु सचिव	9454412413	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
6	लाल बहादूर शास्त्री भवन	पंचम तल	प्रेम शंकर तिवारी	अनु सचिव	9454412482	चिकित्सा शिक्षा विभाग	राज कुमार झा	अनु सचिव	9454412413	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
7	बापू भवन	भूतल तल	संजीव श्रीवास्तव	अनु सचिव	9454413167	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	आन्नद कुमार त्रिपाठी	अनु सचिव	9454414112	ऊर्जा विभाग
8	बापू भवन	प्रथम तल	आनन्द कुमार त्रिपाठी	अनु सचिव	9454414112	ऊर्जा विभाग	संजीव श्रीवास्तव	अनु सचिव	9454413167	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
9	बापू भवन	द्वितीय तल	अजीत प्रताप सिंह	अनु सचिव	9454411707	सूचना विभाग	सत्यवान सिंह	अनु सचिव	9454412923	श्रम विभाग
10	बापू भवन	तृतीय तल	सुशील कुमार शुक्ल	अनु सचिव	9454412373	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग	चिरौंजी लाल	अनु सचिव	9454412379	श्रम विभाग
11	बापू भवन	चतुर्थ तल	डॉ रमेश चन्द्र तिवारी	अनु सचिव	9454412595	समाज कल्याण विभाग	राकेश मोहन चौधरी	अनु सचिव	9454413577	सैनिक कल्याण विभाग
12	बापू भवन	पंचम तल	राकेश कुमार सचन	अनु सचिव	9454413197	समाज कल्याण विभाग	डॉ दीपक कोहली	उप सचिव	9454410037	पर्यावरण तथा वन्य जलवायु परिवर्तन विभाग

Scanned with CamScanner

क्रमांक	भवन का नाम	तल वार स्थिति	नोडल अधिकारी				लिंक अधिकारी			
			नाम	पदनाम	मोबाईल सं0	विभाग का नाम	नाम	पदनाम	मोबाईल सं0	विभाग का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	बापू भवन	छट्ठम तल	विनोद कुमार सिंह	अनु सचिव	9454413761	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग	राम प्रकाश सिंह	अनु सचिव	9454412624	पर्यावरण तथा वन्य जलवायु परिवर्तन विभाग
14	बापू भवन	सत्तम तल	मदन मोहन त्रिपाठी	अनु सचिव	9454412395	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग	अलोक कुमार द्विवेदी	अनु सचिव	9454411500	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग
15	बापू भवन	अष्ठम तल	अखिलानन्द ब्रह्मचारी	अनु सचिव	9454413390	नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग	बृजेन्द्र सिंह	अनु सचिव	9454413534	नगर विकास विभाग
16	बापू भवन	नवम तल	बृज भूषण सिंह	अनु सचिव	9454412060	नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग	बृजेन्द्र सिंह	अनु सचिव	9454413534	नगर विकास विभाग
17	लोक भवन बी0 ब्लाक	बेसमेन्ट	विश्वनाथ दुबे	अनु सचिव	9454414150	नियुक्ति विभाग	शिव प्रसाद	अनु सचिव	9454413165	नियुक्ति विभाग
18	लोक भवन बी0 ब्लाक	भूतल तल	शिव प्रसाद	अनु सचिव	9454413165	नियुक्ति विभाग	विश्वनाथ दुबे	अनु सचिव	9454414150	नियुक्ति विभाग
19	लोक भवन बी0 ब्लाक	प्रथम तल	देवेश मिश्र	अनु सचिव	9454414106	नियुक्ति विभाग	विजय कुमार शंखवार	उप सचिव	9454412228	नियुक्ति विभाग
20	लोक भवन बी0 ब्लाक	द्वितीय तल	पुष्पेन्द्र सिंह	अनु सचिव	9454411441	नियुक्ति विभाग	प्रवीण कुमार सिंह	अनु सचिव	9454413012	नियुक्ति विभाग
21	लोक भवन बी0ब्लाक	तृतीय तल	अरविन्द मोहन	अनु सचिव	9454412574	मुख्यमंत्री कार्यालय लोक शिकायत	लाल साहब सिंह	अनु सचिव	9454413924	मुख्यमंत्री कार्यालय लोक शिकायत
22	लोक भवन बी0 ब्लाक	चतुर्थ तल	भाष्कर चन्द्र कान्डपाल	अनु सचिव	9454413532	मुख्यमंत्री कार्यालय लोक शिकायत	अजय कुमार तिवारी	अनु सचिव	9454413171	मुख्यमंत्री कार्यालय लोक शिकायत
23	लोक भवन बी0 ब्लाक	पंचम तल	अजय कुमार तिवारी	अनु सचिव	9454413171	मुख्यमंत्री कार्यालय लोक शिकायत	भाष्कर चन्द्र कान्डपाल	अनु सचिव	9454413532	मुख्यमंत्री कार्यालय लोक शिकायत
24	लोक भवन सी0 ब्लाक	भूतल तल	राजेश प्रताप सिंह	अनु सचिव	9454412470	कार्मिक विभाग	प्रेम कुमार पाण्डेय	अनु सचिव	9454413316	हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग
25	लोक भवन सी0 ब्लाक	प्रथम तल	प्रेम कुमार पाण्डेय	अनु सचिव	9454413316	हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग	राजेश प्रताप सिंह	अनु सचिव	9454412470	कार्मिक विभाग

Scanned with CamScanner

क्रमांक	भवन का नाम	तल वार स्थिति	नोडल अधिकारी				लिंक अधिकारी			
			नाम	पदनाम	मोबाईल सं0	विभाग का नाम	नाम	पदनाम	मोबाईल सं0	विभाग का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	लोक भवन सी0 ब्लाक	द्वितीय तल	रजनीकांत पाण्डेय	अनु सचिव	9454413445	औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना विभाग	राजेन्द्र कुमार	अनु सचिव	9454411620	एन0आर0आई0 विभाग
27	लोक भवन सी0 ब्लाक	तृतीय तल	विजय कुमार मिश्रा	अनु सचिव	9454412434	सतर्कता	प्रकाश चन्द्र अग्रवाल	अनु सचिव	9454412851	गृह/गोपन विभाग
28	लोक भवन सी0 ब्लाक	चतुर्थ तल	फिरोज आलम	अनु सचिव	9454411847	गृह/गोपन विभाग	महेंद्र सिंह	अनु सचिव	9454411872	गृह/गोपन विभाग
29	लोक भवन सी0 ब्लाक	पंचम तल	विश्वजीत सिंह	अनु सचिव	9454412558	गृह/गोपन विभाग	कमलाकांत	अनु सचिव	9454413252	गृह/गोपन विभाग
30	लोक भवन सी0 ब्लाक	छट्टम तल	हृदय नारायण सिंह यादव	अनु सचिव	9454412841	भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग	सत्येन्द्र कुमार श्रीवास्तव	अनु सचिव	9454413939	खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन
31	लोक भवन सी0 ब्लाक	सत्तम तल	कृष्ण कुमार सिंह	अनु सचिव	9454411266	कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग	विभाकर द्विवेदी	अनु सचिव	9454413244	नागरिक सुरक्षा विभाग
32	बहुखण्डी भवन एवं सचिव भवन	भूतल तल	संदीप परमार	अनु सचिव	9454413453	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	राम केशर यादव	अनु सचिव	9454413002	ग्राम्य विकास विभाग
33	बहुखण्डी भवन एवं सचिव भवन	प्रथम तल	धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा	अनु सचिव	9454413002	बेसिक शिक्षा	विनोद कुमार द्विवेदी	अनु सचिव	9454411946	पशुधन विभाग
34	बहुखण्डी भवन एवं सचिव भवन	द्वितीय तल	रवीन्द्र प्रताप सिंह	अनु सचिव	9454412925	कृषि विभाग	दिलीप कुमार शुक्ला	अनु सचिव	9454413365	विधायी विभाग
35	बहुखण्डी भवन एवं सचिव भवन	तृतीय तल	रमाकान्त शुक्ल	अनु सचिव	9454413221	ग्रामीण अभियंत्रण विभाग	महेंद्र कुमार त्रिपाठी	अनु सचिव	9454413324	नमामि गंगे एवं ग्रमीण जलपूर्ति विभाग
36	विकास भवन	प्रथम तल	राजेंद्र प्रसाद	अनु सचिव	9454412374	लोक निर्माण विभाग	भाष्कर पाण्डेय	उप सचिव	9454412214	लोक निर्माण विभाग
37	विकास भवन	द्वितीय तल	राज कुमार	अनु सचिव	9454413566	लोक निर्माण विभाग	दुर्गा सिंह	अनु सचिव	9454412519	लोक निर्माण विभाग
38	विकास भवन	चतुर्थ तल	अवनींद्र शुक्ल	अनु सचिव	9454413478	निर्वाचन विभाग	पंकज कुमार सिंह	अनु सचिव	9454411377	निर्वाचन विभाग
39	विकास भवन	सत्तम तल	ओम प्रकाश यादव	अनु सचिव	9454412412	निर्वाचन विभाग	पंकज कुमार सिंह	अनु सचिव	9454411377	निर्वाचन विभाग

Scanned with CamScanner

क्रमांक	भवन का नाम	तल वार स्थिति	नोडल अधिकारी				लिंक अधिकारी			
			नाम	पदनाम	मोबाईल सं0	विभाग का नाम	नाम	पदनाम	मोबाईल सं0	विभाग का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	नवीन भवन पूर्व	भूतल तल	दर्शपाल आर्य	अनु सचिव	9454412247	राज्य सम्पत्ति विभाग	राजाराम द्विवेदी	उप सचिव	9454413866	राज्य सम्पत्ति विभाग
41	नवीन भवन उत्तर	भूतल तल	अशोक कुमार पाण्डेय	अनु सचिव	9454413347	वित्त विभाग/ संस्थागत वित्त विभाग	हरेन्द्र कुमार सिंह	उप सचिव	9454411171	उच्च शिक्षा विभाग
42	नवीन भवन पश्चिम	भूतल तल	उमेश यादव	अनु सचिव	9454412377	सामान्य प्रशासन विभाग	भैरवनाथ शुक्ल	उप सचिव	9454413867	सचिवालय प्रशासन विभाग
43	नवीन भवन दक्षिण	भूतल तल	गुरुप्रसाद तिवारी	अनु सचिव	9454411527	राज्य सम्पत्ति विभाग	रमाशंकर यादव	उप सचिव	9454413169	राज्य सम्पत्ति विभाग
44	नवीन भवन पूर्व	प्रथम तल	सोमनाथ	अनु सचिव	9454412428	धर्मार्थ कार्य विभाग	अशोक कुमार तिवारी	उप सचिव	9454413016	धर्मार्थ कार्य विभाग
45	नवीन भवन उत्तर	प्रथम तल	राजेंद्र	अनु सचिव	9454411378	वित्त विभाग	सजीवन	अनु सचिव	9454413781	वित्त विभाग
46	नवीन भवन पश्चिम	प्रथम तल	प्रभाष कुमार	अनु सचिव	9454413918	सचिवालय प्रशासन विभाग	कृपा शंकर यादव	अनु सचिव	9454413887	मत्स्य विभाग
47	नवीन भवन दक्षिण	प्रथम तल	रघुबीर	अनु सचिव	9454411213	सचिवालय प्रशासन विभाग	मुन्ना लाल गुप्ता		9454411881	वित्त विभाग
48	अधिकारी भवन	भूतल	शिव प्रकाश सिंह	अनु सचिव	9454413175	वित्त विभाग/ संस्थागत वित्त विभाग	चंद्रशेखर मिश्र	अनु सचिव	9454412285	वित्त विभाग/ संस्थागत वित्त विभाग
49	अधिकारी भवन	प्रथम तल	अजय प्रताप सिंह	अनु सचिव	9454413258	वित्त विभाग/ संस्थागत वित्त विभाग	शिवगोपाल सिंह	उप सचिव	9454414136	वित्त विभाग/ संस्थागत वित्त विभाग
50	अधिकारी भवन	द्वितीय तल	उदयवीर सिंह राठौर	अनु सचिव	9454413784	वित्त विभाग/ संस्थागत वित्त विभाग	रविन्द्र नाथ सिंह	अनु सचिव	9454412925	वित्त विभाग/ संस्थागत वित्त विभाग
52	मुख्य भवन	भूतल तल	कमाल अहमद	अनु सचिव	9454412619	भाषा	हरिबक्श सिंह	अनु सचिव	9454411779	भाषा
53	मुख्य भवन	प्रथम तल	रमेश चन्द्र मिश्र	अनु सचिव	9454413242	ग्राम्य विकास विभाग	ओमकार नाथ पाण्डेय	अनु सचिव	9454413328	ग्राम्य विकास विभाग

Scanned with CamScanner

क्र	भवन का नाम	तल वार स्थिति	नोडल अधिकारी				लिंक अधिकारी			
			नाम	पदनाम	मोबाईल सं0	विभाग का नाम	नाम	पदनाम	मोबाईल सं0	विभाग का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	दरबारी लाल शर्मा		विद्या कुमार	अनु सचिव	9454413858	मुख्य व्यवस्थाधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग	राजाराम द्विवेदी	उप सचिव	9454413866	राज्य सम्पत्ति विभाग
51	योजना भवन	भूतल/द्वितीय/ पंचम तल	श्याम प्रकाश नारायण	उप सचिव	9454412343	उ0प्र0पुनर्गठन समन्वय विभाग	ऋषिकेश दुबे	संयुक्त सचिव	9454412779	नियोजन
	योजना भवन	एन0आइ0सी0 के	राज्य विज्ञान सूचना अधिकारी, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ द्वारा प्राधिकृत नोडल अधिकारी							

Scanned with CamScanner

संलग्नक-2

सचिवालय प्रशासन अनुभाग-3 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1421/बीस-इ-3-2020, दिनांक 19-03-2020 का संलग्नक

क्रमांक	भवन का नाम	समय	नोडल अधिकारी			लिंक अधिकारी		
			नाम	पदनाम	मोबाइल नं0	नाम	पदनाम	मोबाइल नं0
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	लाल बहादुर शास्त्री भवन सभी गेट	09.00 से 17.00 बजे तक	राकेश कुमार	उप निरीक्षक	9454412087	धारानाथ	अग्निशमन अधिकारी	9454412130
2	लाल बहादुर शास्त्री भवन सभी गेट	17.00 बजे से बन्द होने तक	अनुपम कुमार सिंह	उप निरीक्षक	9454413300			
3	बापू भवन सभी गेट	09.00 से 17.00 बजे तक	भोनेश्वर कुमार	उप निरीक्षक	9454411326	साहब सिंह यादव	अग्निशमन अधिकारी	9454411887
4	बापू भवन सभी गेट	17.00 बजे से बन्द होने तक	अनिलेश प्रकाश सिंह	उप निरीक्षक	9454414021			
5	लोक भवन गेट नं0- 1/2/3 एवं पास आफिस गेट	09.00 से 17.00 बजे तक	राजेन्द्र कुमार सिंह	निरीक्षक	9454413520	राम निवास	अग्निशमन अधिकारी	9454410654
6	लोक भवन गेट नं0- 1/2/3 एवं पास आफिस गेट	17.00 बजे से बन्द होने तक	राजेश कुमार	उप निरीक्षक	9454412832			
7	लोक भवन गेट नं0 7/9	09.00 से 17.00 बजे तक	हरिशंकर शर्मा	उप निरीक्षक	9454413819	चन्द्रशेखर	द्वितीय अग्निशमन अधिकारी	9454413951
8	लोक भवन गेट नं0 7/9	17.00 बजे से बन्द होने तक	विनोद कुमार सिंह	उप निरीक्षक	9454412467			
9	मुख्य भवन गेट नं0 1/2/3	09.00 से 17.00 बजे तक	सुनील कुमार त्रिपाठी	प्रतिसार निरीक्षक	9454413686	सतीश चन्द्र	द्वितीय अग्निशमन अधिकारी	9454410684
10	मुख्य भवन गेट नं0 1/2/3	17.00 बजे से बन्द होने तक	अविनाश चन्द्र मिश्रा	उप निरीक्षक	9454413912			
11	मुख्य भवन गेट नं0 8/ 9/10	09.00 से 17.00 बजे तक	केदार नाथ दुबे	उप निरीक्षक	9454411349	प्रकाश चन्द्र	द्वितीय अग्निशमन अधिकारी	9454413382
12	मुख्य भवन गेट नं0 8/ 9/10	17.00 बजे से बन्द होने तक	विजय कुमार त्रिपाठी	उप निरीक्षक	9454412922			

Scanned with CamScanner

क्रमांक	भवन का नाम	समय	नोडल अधिकारी			लिंक अधिकारी		
			नाम	पदनाम	मोबाइल नं0	नाम	पदनाम	मोबाइल नं0
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	विकास भवन सभी गेट	09.00 से 17.00 बजे तक	उमेश चन्द्र सिंह	उप निरीक्षक	9454410718	सुभाष चन्द्र यादव	द्वितीय अग्निशमन अधिकारी	9454413014
14	विकास भवन सभी गेट	17.00 बजे से बन्द होने तक	प्रदीप कुमार पाल	निरीक्षक	9454411585			
15	नवीन भवन गेट नं0 4/5/6/7	09.00 से 17.00 बजे तक	शिवाकान्त शुक्ला	उप निरीक्षक	9454410733	मो0 आफाक	द्वितीय अग्निशमन अधिकारी	9454412026
16	नवीन भवन गेट नं0 4/5/6/7	17.00 बजे से बन्द होने तक	उपेन्द्र कुमार मिश्रा	उप निरीक्षक	9454412857			
17	योजना भवन सभी गेट	09.00 से 17.00 बजे तक	राकेश कुमार पाण्डेय	उप निरीक्षक	9454412712	राम बरन यादव	द्वितीय अग्निशमन अधिकारी	9454413094
18	योजना भवन सभी गेट	17.00 बजे से बन्द होने तक	सतीश कुमार दीक्षित	निरीक्षक	9454411846			

Scanned with CamScanner

संलग्नक-3

...वालय प्रशासन अनुभाग-3 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1421/बीस-इ-3-2020, दिनांक 19-03-2020 का संलग्नक

सं0	पदनाम	नाम	भवन	मोबाइल नं0	कार्यालय दूरभाष
1	मुख्य व्यवस्थाधिकारी	सुमन चौधरी	नवीन भवन	9454412495 / 9415501483	2237978 / 2213491
2	व्यवस्थापक	मोहित अग्रवाल	लोक भवन	9454452906	2226787
3	व्यवस्थापक	मुकेश कुमार	लोक भवन	8877449944	2226787
4	व्यवस्थापक	सलमान मंसूरी	अधिकारी भवन/नवीन भवन/दरबारी लाल शर्मा भवन	9454453681	2213534 / 2237978
5	व्यवस्थापक	कामरान अहमद अलवी	योजना भवन	9454453477	2236654
6	व्यवस्थापक	हर्षिता पाण्डेय	बहुखण्डी भवन/सचिव भवन	9454452937	2213083
7	व्यवस्थापक	शान्तुनु त्यागी	विकास भवन	8527272363	2613484
8	व्यवस्थापक	कनिष्क सिंह	शास्त्री भवन	9454453023	2235316
9	व्यवस्थापक	अनुराग सिंह यादव	मुख्य भवन	9454412810	2213192
10	व्यवस्थापक	रविश सिद्दीकी	बापू भवन	9454453179	2214502
11	व्यवस्थापक	राम जनम यादव	बापू भवन	7905581947	2214502

Scanned with CamScanner

उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग-4

संख्या-303/सामान्य-का-4 -2020

लखनऊ दिनांक 20 मार्च, 2020

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

विषय:- सरकारी कार्यालयों में कोरोना वायरस नये (कोविड-19) के प्रसार को रोकने के लिये अपनाये जाने वाले निवारक उपाय:-

उत्तर प्रदेश में कोरोना प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार के स्तर से आदेश संख्या- 581/पांच-5-2020 दिनांक 17-03-2020 द्वारा विस्त्रत दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं। इसी क्रम में सरकारी कार्यालयों के लिये निम्नवत दिशा निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं-

1- सभी विभागाध्यक्ष इस प्रकार की व्यवस्था करेगें कि प्रत्येक दिन कार्यालयों में समूह ख, ग तथा घ के 50 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित हो तथा शेष 50 प्रतिशत घर से ही कार्य निष्पादित करें। इसके लिये विभागाध्यक्षों के स्तर से रोस्टर तय किया जायेगा। विभागाध्यक्षों को सुझाव दिया जाता है कि वह अपने यहां कार्यरत समूह ख, ग तथा घ के कर्मचारियों का साप्ताहिक रोस्टर इस प्रकार बना लें कि ऐसे कर्मी अलटरनेट सप्ताह में कार्यालय आयें परन्तु इससे शासकीय कार्य में, विशेष रूप से बजट के कार्य में व्यवधान उत्पन्न न हो। प्रथम सप्ताह में कार्यालय आने वाले कर्मियों का चिन्हीकरण करते समय घर से दूरी एवं कार्यालय आने में उपयोग किये जाने वाले स्वयं के साधनों का भी ध्यान रखा जायेगा।

2- कार्यालय आने वाले कार्मिकों के लिये भी समय का आवंटन तीन पालियों में निम्नानुसार किया जाय:-

क- प्रात: 9:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक

ख- प्रात: 10:00 बजे से सांय 6:00 बजे तक

ग- प्रात: 11:00 बजे से सांय 7:00 बजे तक

http://shasanadesh.up.gov.in

3- रोस्टर के अनुसार घर से कार्य संपादित कर रहे कार्मिक इस अवधि में अपने मोबाइल एवं इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से कार्यालय के संपर्क में रहेगें उन्हें आवश्यकता पडने पर कार्यालय बुलाया जा सकेगा।

4- अधीनस्थ कार्यालयों, स्थानीय निकायों, निगमों आदि के लिये भी इसी प्रकार की व्यवस्था की जाय।

5- यह दिशा निर्देश उन कर्मचारियों पर लागू नही होगें जो ऐसी आकस्मिक एवं आवश्यक सेवाओं से जुडे हैं जो कोविड-19 की रोकथाम में प्रत्यक्ष भूमिका अदा कर रहे हैं।

6- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें और 4 अप्रैल, 2020 तक लागू रहेगें। इन निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव।

संख्या- 303(1)सा0 - का-4 -2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

3- निदेशक सूचना विभाग उ0 प्र0 लखनऊ ।

आज्ञा से,

मुकुल सिंहल
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

उत्तर प्रदेश शासन

सचिवालय प्रशासन अनुभाग-3(अधि0)

संख्या-02/2020/1444/बीस-ई-2-2020-02(विविध)/12टी0सी0

लखनऊ: दिनांक 20 मार्च, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

सचिवालय परिसर में कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमाण के प्रसार को रोकने के दृष्टिगत् सचिवालय प्रशासन अनुभाग-3(अधि0) के परिपत्र संख्या-1723/बीस-ई-3-2020, दिनांक 17 मार्च, 2020 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1421/बीस-ई-3-2020, दिनांक 19 मार्च, 2020 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- कार्मिक अनुभाग-4 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-303/सामान्य-का0-4- 2020, दिनांक 20 मार्च, 2020 द्वारा सरकारी कार्यालयों में कार्मिकों की उपस्थिति के सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभागों/प्रकोष्ठों व कार्यालयों हेतु समूह-'ख'', 'ग' तथा 'घ' के कार्मिकों की उपस्थिति के सम्बन्ध में निम्नवत् दिशा-निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं:-

(1) समस्त अनुभागों/कार्यालयों के प्रभारी अधिकारी इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि प्रत्येक दिन कार्यालयों में समूह-'ख'', 'ग' तथा 'घ' के 50 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित हो तथा शेष 50 प्रतिशत् घर से ही कार्य निष्पादित करें। इसके लिए उनके स्तर से साप्ताहिक रोस्टर इस प्रकार बना लिया जाये ऐसे कर्मी आल्टर्नेट सप्ताह में कार्यालय आयें, परन्तु इससे शासकीय कार्य में विशेष रूप से बजट के कार्य में व्यवधान उत्पन्न न हो। प्रथम सप्ताह में कार्यालय आने वाले कार्मियों का चिन्हिकरण करते समय घर से दूरी एवं कार्यालय आने में उपयोग किये जाने वाले स्वयं के साधनों का भी ध्यान रखा जायेगा।

(2) कार्यालय आने वाले कार्मिकों के लिए भी समय का आवंटन 03 पालियों में निम्नानुसार किया जायेगा:-

(क) प्रातः 09.00 बजे सांय 05.00 बजे तक।

(ख) प्रातः 10.00 बजे सांय 06.00 बजे तक।

(ग) प्रातः 11.00 बजे सांय 07.00 बजे तक।

3- उपर्युक्त दिशा-निर्देश उन कार्मिकों पर लागू नहीं होगे, जो ऐसी आकस्मिक एवं आवश्यक सेवाओं से जुड़े है, जो कोविड-19 की रोकथाम में प्रत्यक्ष भूमिका अदा कर रहे हैं।

4- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और 04 अप्रैल, 2020 तक लागू रहेंगे। उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

महेश कुमार गुप्ता

अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-02/2020/1444(1)/बीस-ई-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित:-

1) मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2) कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन।
3) औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4) प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0शासन।
5) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0शासन।
6) स्थानिक आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली।
7) निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0शासन।
8) राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उ0प्र0शासन।
9) उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग द्वारा शाखा अधिष्ठान।
10) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुरजन सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन

श्रम अनुभाग-3

संख्या- 09 /2020/ 446 /36-03-2020- 30(सा०)/2020

लखनऊ : दिनांक : 20 मार्च, 2020

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि राज्य, कोविड-19 रोग के फैलाव से संकटग्रस्त है, जो कि खतरनाक महामारी है और सम्प्रति प्रवृत्त विधि के सामान्य उपबन्ध इस प्रयोजन हेतु अपर्याप्त हैं;

अतएव अब महामारी अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 3 सन् 1897) की धारा 2 के अधीन दी गयी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित विनियमावली विहित करती हैं : -

1- कोविड-19 से ग्रसित कर्मचारियों/कर्मकारों, जो कोविड-19 से संदिग्ध रूप से प्रभावित हों और पृथककरण में रखे गये हों, को उनके नियोजकों द्वारा 28 दिन का भुगतान युक्त अवकाश प्रदान किया जायेगा। ऐसा अवकाश केवल तभी अनुमन्य होगा जब ऐसे कर्मकार या कर्मचारी स्वस्थ होने के पश्चात् अपने नियोजक या प्राधिकृत व्यक्ति को चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान/प्रस्तुत करेंगे।

2- ऐसी दुकानों/वाणिज्यिक अधिष्ठानों/कारखानों, जो राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों से अस्थायी रूप से बन्द हैं, के कर्मचारियों/कर्मकारों को ऐसी अस्थायी बन्दी अवधि के लिये उनके नियोजकों द्वारा मजदूरी सहित अवकाश प्रदान किया जायेगा।

3- ऐसी समस्त दुकानों/वाणिज्यिक अधिष्ठानों/कारखानों, जहाँ दस या उससे अधिक कर्मकार नियोजित/योजित हों, को उक्त अधिष्ठानों के सूचना पट्ट और मुख्य द्वार पर, को कोविड-19 की रोकथाम के लिये केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा विहित सुरक्षा उपायों को प्रदर्शित करना होगा।

4. यह आदेश इस अधिसूचना को जारी किये जाने के तत्काल पश्चात् प्रवृत्त होगा।

आज्ञा से,

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या:- 09 / 2020 / 446 (1) / 36-03-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- अंग्रजी प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक 20 मार्च, 2020 की असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट-4(खण्ड ख) में प्रकाशित कर अधिसूचना की 150 मुद्रित प्रतियॉ श्रम अनुभाग-3 बापू भवन उ०प्र० सचिवालय लखनऊ एवं 150 प्रतियॉ श्रम आयुक्त उ०प्र० कानपुर पेटी संख्या-220 को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- प्रमुख सचिव मा० मुख्यमंत्री जी उ०प्र० शासन।

3- मुख्य सचिव उ०प्र० शासन।

4- अवस्थापना एवं औघोगिक विकास आयुक्त, उ०प्र० शासन।

5- समस्त मण्डलायुक्त उ०प्र०। (द्वारा श्रमायुक्त उ०प्र०)

6- समस्त जिलाधिकारी उ०प्र०। (द्वारा श्रमायुक्त उ०प्र०)

7- श्रम आयुक्त उ०प्र० कानपुर।

8- निदेशक कारखाना उ०प्र०कानपुर।

9- निजी सचिव, मा० मंत्री श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उ०प्र० शासन ।

10-सचिव, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड गोमती नगर लखनऊ।

11-समस्त अपर/उप/सहायक श्रम आयुक्त उ०प्र०। (द्वारा श्रमायुक्त उ०प्र०)

12-समस्त उप/सहायक निदेशक कारखाना उ०प्र०। (द्वारा निदेशक कारखाना उ०प्र०)

13-उघोग बंधु 12- सी माल एवेन्यू लखनऊ।

आज्ञा से,

(अजीज अहमद)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

UTTAR PRADESH SHASAN
SHRAM ANUBHAG-3

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 09 /2020/446/xxxvi-03-2020-30(sa)/2020 Dated 20 March, 2020

NOTIFICATION

No.09 /2020/446 /xxxvi- 03-2020-30(sa)/2020

Lucknow, Dated 20 March, 2020

WHEREAS the State Government is satisfied that the state is threatened with an outbreak of Covid-19 disease which is dangerous epidemic disease and the ordinary provisios of law for the time being in force are insufficient for the purpose,

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers given under section-2 of the Epidemic Disease Act-1897 (Act no.3 of 1897) the Governor is pleased to prescribe the following regulations-

1- The employees/workmen affected by Covid-19 or who are suspected to be affected by Covid-19 and kept in isolation will be provided paid leave of 28 days by their employers. Such leave shall be permissible only when such workman or employees provide/submit a medical certificate in this regard to their employer or authorised person at the time of joining duties after fitness.
2- Employee/Workmen of the shops/commercial establishment/factories which closed temporally by the orders of the State Government or District Magistrate shall be provided holiday with wages by their employer for the period of such temporary closure.
3- All shop/Commercial establishment/factories where ten or more workmen are employed shall display on notice board and main gate of the establishment safety measures prescribed by the Central Government or the State Government for prevention of Covid- 19.
4- This order shall come into force immediately after issuance of this notification.

By Order,

(Suresh Chandra)
Principal Secretary

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

उत्तर प्रदेश शासन
मुख्य प्रवेश पत्र कार्यालय
संख्या-4/2020/1177/बीस-मु0रि0का0-2020-01/2015
लखनऊः दिनांकः 20 मार्च, 2020

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर परामर्शी निर्देश निर्गत किये गये हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सचिवालय के संदर्भ में यह निर्णय लिया गया है कि सचिवालय परिसर में सचिवालय कर्मियों के अलावा गैर सचिवालय कर्मियों का यथा अन्य गैरसरकारी महानुभावों का नित्य प्रति प्रवेश यथासम्भव प्रतिबन्धित किया जाये।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि:-

1. सामान्य दशा में सचिवालय के बाहर के किसी अधिकारी/कर्मचारी या गैरसरकारी व्यक्ति को सचिवालय में प्रवेश हेतु सामान्य दशा में कोई अधियाचन स्लिप प्रवेश पत्र कार्यालय न भेजी जाये। अपरिहार्य परिस्थितियों में केवल ऐसे लोगों को सचिवालय में बुलाने पर विचार किया जा सकता है, जिनका आना परम आवश्यक एवं अपरिहार्य हो।
2. अधियाचन स्लिप केवल सचिव व उनसे वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के कैम्प कार्यालय से ही निर्गत की जायेगी और वह भी सम्बन्धित अधिकारी की अनुमति के बाद।
3. कृपया इन निर्देशों से अपने विभाग के सभी अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को अविलम्ब अवगत करा दिया जाये और इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(महेश कुमार गुप्ता)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-4/2020/1177(1)/बीस-मु0रि0का0-2020-01/2015, तददिनांक।

प्रतिलिपिः-

1- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ।
2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ।
3- औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ।
4- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ।
5- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया विधान सभा सचिवालय और विधान परिषद सचिवालय के माध्यम से अपरिहार्य परिस्थिति को छोड़कर सामान्य दशा में प्रवेश हेतु संस्तुति न भेजने पर विचार करने का कष्ट करें। साथ ही सम्मानित जनप्रतिनिधियों को भी यह परामर्श देने का कष्ट करें कि उनके स्तर से सचिवालय में प्रवेश हेतु सामान्य दशा में संस्तुतियाँ न भेजी जायें जब तक कि अपरिहार्य न हो।
6- प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ।
7- निजी सचिव गण, मा0 उप मुख्य मंत्रीगण/मा0 मंत्रीगण/मा0 राज्य मंत्रीगण (स्वतंत्र प्रभार)/मा0 राज्य मंत्रीगण को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त परिप्रेक्ष्य में अपने स्तर से भी समुचित कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
8- विशेष सचिव (श्री आकाश दीप), सचिवालय प्रशासन विभाग।
9- सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग, विकास भवन।
10- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लखनऊ।
11- गार्ड फाईल।

(महेश कुमार गुप्ता)
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-4
संख्या-303/सामान्य-का-4 -2020
लखनऊ दिनांक 20 मार्च, 2020

कार्यालय ज्ञाप

विषय:- सरकारी कार्यालयों में कोरोना वायरस नये (कोविड-19) के प्रसार को रोकने के लिये अपनाये जाने वाले निवारक उपाय:-

उत्तर प्रदेश में कोरोना प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार के स्तर से आदेश संख्या- 581/पांच-5-2020 दिनांक 17-03-2020 द्वारा विस्त्रत दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं। इसी क्रम में सरकारी कार्यालयों के लिये निम्नवत दिशा निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं-

1- सभी विभागाध्यक्ष इस प्रकार की व्यवस्था करेगें कि प्रत्येक दिन कार्यालयों में समूह ख, ग तथा घ के 50 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित हो तथा शेष 50 प्रतिशत घर से ही कार्य निष्पादित करें। इसके लिये विभागाध्यक्षों के स्तर से रोस्टर तय किया जायेगा। विभागाध्यक्षों को सुझाव दिया जाता है कि वह अपने यहां कार्यरत समूह ख, ग तथा घ के कर्मचारियों का साप्ताहिक रोस्टर इस प्रकार बना लें कि ऐसे कर्मी अलटरनेट सप्ताह में कार्यालय आयें परन्तु इससे शासकीय कार्य में, विशेष रूप से बजट के कार्य में व्यवधान उत्पन्न न हो। प्रथम सप्ताह में कार्यालय आने वाले कर्मियों का चिन्हीकरण करते समय घर से दूरी एवं कार्यालय आने में उपयोग किये जाने वाले स्वयं के साधनों का भी ध्यान रखा जायेगा।

2- कार्यालय आने वाले कार्मिकों के लिये भी समय का आवंटन तीन पालियों में निम्नानुसार किया जाय:-

क- प्रात: 9:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक

ख- प्रात: 10:00 बजे से सांय 6:00 बजे तक

ग- प्रात: 11:00 बजे से सांय 7:00 बजे तक

http://shasanadesh.up.gov.in

3- रोस्टर के अनुसार घर से कार्य संपादित कर रहे कार्मिक इस अवधि में अपने मोबाइल एवं इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से कार्यालय के संपर्क में रहेगें उन्हें आवश्यकता पडने पर कार्यालय बुलाया जा सकेगा।

4- अधीनस्थ कार्यालयों, स्थानीय निकायों, निगमों आदि के लिये भी इसी प्रकार की व्यवस्था की जाय।

5- यह दिशा निर्देश उन कर्मचारियों पर लागू नही होगें जो ऐसी आकस्मिक एवं आवश्यक सेवाओं से जुडे हैं जो कोविड-19 की रोकथाम में प्रत्यक्ष भूमिका अदा कर रहे हैं।

6- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें और 4 अप्रैल, 2020 तक लागू रहेगें। इन निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव।

संख्या- 303(1)सा0 - का-4 -2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

3- निदेशक सूचना विभाग उ0 प्र0 लखनऊ ।

आज्ञा से,

मुकुल सिंहल
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 03/2020/745/नौ-9-20-123ज/11

प्रेषक,

अवनीश कुमार शर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9 **लखनऊ दिनांक 20 अप्रैल, 2020**

विषय- 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत नागर निकायों को अंतरित एवं अवशेष धनराशि की उपयोगिता अवधि बढाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं 0-8/2681/142/सा0दि0नि0/2014-2015, दिनांक-02.04.2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें , जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि कोविड- 19/कोरोना महामारी के कारण घोषित लॉकडाउन के दृष्टिगत 14वें वित्त आयोग की धनराशि का उपयोग दिनांक- 31.03.2020 तक नहीं किया जा सका है , इस कारण 14वें वित्त आयोग की अप्रयुक्त धनराशि के उपयोग हेतु समयवृद्धि का अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत नागर निकायों को अंतरित एवं उपलब्ध अवशेष धनराशि की उपयोगिता अवधि **दिनांक-31.07.2020 तक** इस शर्त के अधीन बढायी जाती है कि निकाय प्रत्येक दशा में अप्रयुक्त धनराशि का नियमानुसार व्यय/उपभोग केन्द्रीय वित्त आयोग की गाइडलाइन्स के अन्तर्गत अनुमन्य कार्यों पर करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र पर निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी दशा में उपयोगिता अवधि उक्त तिथि से आगे नहीं बढायी जायेगी। निर्धारित अवधि में उक्त धनराशि का प्रयोग प्रत्येक दशा में कर लिया जाय। निर्धारित समय सीमा में धनराशि के उपभोग की समय-समय पर समीक्षा की जाती रहे, जिससे धनराशि किसी भी कारण अप्रयुक्त न रह जाय।

कृपया उक्त निर्देशों का अनुपालन व अनुश्रवण कड़ाई से सुनिश्चित कराते हुये कृत कार्यवाही की सूचना शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(अवनीश कुमार शर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैवः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0 (द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ)।
3. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ता क्षर की आवश्य कता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यारपित की जा सकती है ।

4. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश (द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ)।
5. वित्त (व्यय नियंतत्र) अनुभाग-09/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-02/संसाधन वित्त (वित्त आयोग) अनुभाग-01/वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग-01।
6. गार्ड फाइल/वेब मास्टर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार शर्मा)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

उत्तर प्रदेश शासन
श्रम अनुभाग-3
संख्या- 12 /2020/ 481 /36-03-2020- 30(सा०)/2020
लखनऊः दिनांकः 20 अप्रैल, 2020

कार्यालय आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य, कोविड-19 रोग के फैलाव से संकटग्रस्त है उक्त के दृष्टिगत देशभर में लॉक डाउन लागू है। लॉक डाउन अवधि में उत्तर प्रदेश के कारखानों एवं श्रमिकों की समस्याओं के निराकरण हेतु भारत सरकार नई दिल्ली से समन्वय स्थापित किये जाने हेतु श्री फैसल आफताब, अपर श्रमायुक्त, उ०प्र० कानपुर की अध्यक्षता में निम्नवत समिति का गठन किया जाता है:-

क्र०स०	नाम	पदनाम	मोबाइल न०	ई-मेल
1-	श्री फैसल आफताब, (आई०ए०एस०)	अपर श्रमायुक्त, उ०प्र०	7983114165	lcupknp@yahoo.com
2-	श्री शमीम अख्तर	उप श्रमायुक्त, उ०प्र०	9411814011	hq.sankhya@gmail.com
3-	श्री सियाराम	उपश्रमायुक्त, उ०प्र०	8765048315	hq.sankhya@gmail.com
4-	श्री गुलाब चन्द्र विश्वकर्मा,	उप निदेशक कारखाना, उ०प्र०	9936159261	dofknp@rediffmail.com dofup.2018@gmail.com

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव ।

संख्या:- 12 /2020/ 481 /36-03-2020 तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली ।
2- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री , उ०प्र० शासन।
3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
4- अवस्थापना एवं औघोगिक विकास आयुक्त, उ०प्र०लखनऊ ।
5- श्रम आयुक्त, उ०प्र कानपुर।
6- सचिव, भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड गोमती नगर लखनऊ।
7- उघोग बन्धु, उ०प्र०।
8- श्रम अनुभाग-2 एवं 4
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सत्यवान सिंह)
उप सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रेषक,

वी0 हेकाली झिमोमी,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, **लखनऊ।**

चिकित्सा अनुभाग-6 **लखनऊ दिनांक 21 मार्च**, 2020

विषय:-कोविड-19 के संदिग्ध रोगियों की पहचान हेतु 10 ट्राईपॉड माउन्टेड थर्मल इमेजर कैमरा का क्रय किये जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-9133, **दिनांक 19.03.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड-19 के संदिग्ध रोगियों की पहचान हेतु 10 ट्राईपॉड माउन्टेड थर्मल इमेजर कैमरा का क्रय किये जाने हेतु रू0 4716460.00 (सैतालिस लाख सोलह हजार चार सौ साठ रूपए मात्र) (जी0एस0टी0 सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-**

(1) **वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-**5, **भाग-**1 **में क्रय नियमों/प्रक्रिया के संबंध में दी गयी व्यवस्था**, **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अद्यतन क्रय नीति विषयक शासनादेश संख्या-**809/**पॉच-**1-2012-3(14)/04 **दिनांक** 14.06.12, **शासनादेश संख्या-**1878/**पॉच-**1-2012-3(14)/04 **दिनांक** 29.11.12 **व शासनादेश संख्या-**122/**पॉच-**1-2014-5(100)/13 **दिनांक** 18.02.14 **तथा वित्त (लेखा) अनुभाग-**1/**उद्योग विभाग के अद्यतन शासनादेशों के साथ–साथ क्रय संबंधी प्रचलित समस्त शासनादेशों/नियमों/विनियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(2) **यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत स्वीकृत किये जा रहे उपकरण चिकित्सालय में उपलब्ध शैयाओं के मानक के अनुसार है तथा प्रश्नगत उपकरणों/मशीनों/साज-सज्जा सामग्री मानक के अनुसार ही प्रस्तावित किये गये है। यदि मानक से इतर उपकरणों/मशीनों/साज-सज्जा सामग्री प्रस्तावित /क्रय किये जाते है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष/क्रयाधिकारी का होगा।**

(3) **प्रश्नगत उपकरण का क्रय उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लि**0 **द्वारा किया जायेगा।**

(4) **महानिदेशक**, **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें**, **उ**0**प्र**0 **लखनऊ द्वारा उक्त अवमुक्त धनराशि को उ**0**प्र**0 **मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लि**0 **को यथावश्यकतानुसार/नियमानुसार हस्तान्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।**

-2-

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(5) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत नये उपकरणों/मशीनों/साज-सज्जा सामग्री के स्थान पर पूर्व से उपलब्ध पुराने उपकरणों/मशीनों/साज-सज्जा सामग्री को शासनादेश संख्या-ए-2-1092/दस-2011-24(7)-95, दिनांक 25.11.11 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत् निष्प्रयोज्य घोषित कर उनको निस्तारित किया गया है और प्रश्नगत पुराने उपकरण अपना औसत कालावधि पूर्ण कर चुके है। निष्प्रयोज्य उपकरणों के निस्तारण से प्राप्त धनराशि को राजकीय कोष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) आहरित धनराशि व्यय करते समय विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से निर्गत किये गये मितव्ययिता संबंधी दिशा निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) उपकरणों/साज-सज्जा सामग्री की स्थल पर आपूर्ति की तिथि से ही लॉगबुक अनुरक्षित की जाएं, ताकि निरीक्षण/ऑडिट अधिकारियों द्वारा इन मशीनों की स्थापना और उसके बाद इनकी समय-समय पर क्षमता के उपयोग के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सके, जिससे शासन को भी अवगत करायेंगे।

(8) उपकरणों का अनुकूलतम सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक कुशल मानव शक्ति की उपलब्धता तत्परता से सुनिश्चित की जाए।

(9) प्रश्नगत उपकरणों की स्थापना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इनके रखने हेतु पर्याप्त स्थान एवं इनके संचालन हेतु दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध है।

(10) उक्त स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0, बैंक अथवा डाकघर में कदापि नहीं रखा जायेगा ।

(11) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिस प्रयोजन हेतु धनराशि आवंटित की गयी है, इसमें किसी प्रकार का व्यावर्तन शासन की अनुमति लेकर ही किया जायेगा।

(12) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत उपकरणों/साज-सज्जा सामग्री की स्थापना इससे पूर्व अथवा भविष्य में किसी अन्य योजना के वित्त पोषण से नहीं किया जायेगा।

(13) उपकरणों/साज-सज्जा सामग्री की मद चूंकि मितव्ययिता की मद है, अत: इनके क्रय में व्यापक प्रचार-प्रसार एवं न्यूनतम मूल्य पर क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) प्रश्नगत उपकरणों/साज-सज्जा सामग्री के क्रय की प्रक्रिया पूर्ण कर लिये जाने के बाद ही आवश्यकतानुसार धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदन से किया जायेगा। आहरित धनराशि का व्यय करते समय विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से निर्गत किये गये मितव्ययिता संबंधी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के फलस्वरूप नियमानुसार निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(16) धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष रहती है तो उसे तत्काल राजकोष में जमा कर दिया जायेगा।

(17) इस सबंध में लेखों का मिलान महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद से करके इसकी सूचना यथा समय शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

-3-

3- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-32 लेखा शीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-01 शहरी स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-64-जिला/संयुक्त चिकित्सालयों में विशिष्ट चिकित्सा सुविधायें-26-मशीनें और साज-सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र मद के नामे डाला जायेगा।

4- उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019-बी/1-170-दस/2019-231/201922 दिनांक ,.03.अनुपालन सुनिश्चित किया : का अक्षरशप्रतिबन्धों/की शर्तो 2019 जायेगा।।

भवदीया,
वी0 हेकाली झिमोमी
सचिव

<u>संख्या-74/2020/515(1)/पॉच-6-2020, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा–परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0, लखनउ।
6. संबंधित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक(नियोजन/बजट/संचारी/संक्रमाक रोग), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
8. निदेशक (चिकित्सा उपचार/भण्डार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
9. अपर निदेशक (विद्युत), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
10. अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
11. संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 ।
12. संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
13. संबंधित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका।
14. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/चिकित्सा अनुभाग-1/5 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन ।
15. कार्यालय आदेश पुस्तिका।
16. प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।
17. विभागीय वेबमास्टर।

आज्ञा से,
शशिकान्त शुक्ल
उप सचिव

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्याः-05/2020/432(1)/नौ-7/2020

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
2- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग-7 **लखनऊ** **दिनांकः 21 मार्च, 2020**

विषयः नोवेल कोरोना वायरस 2019 के नियंत्रण विषयक समुचित कार्यवाही/विशेष अभियान।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के संबंध में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या 409/नौ-7-2020, दिनांक 14 मार्च, 2020, संख्या 432/नौ-7-2020, दिनांक 19 मार्च, 2020 एवं निदेशक कैम्प 510/पी0ए0/2020, दिनांक 18.03.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं तद्विषयक नगर निकायों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के विषयगत आप सभी को विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये है। अग्रेतर उपरोक्त निर्देशों के क्रम में पुनः निम्न महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर अनुपालन सर्वोच्च प्राथमिकता पर सभी निकायों में सुनिश्चित कराया जायेः-

1. दिनांक 22.03.2020 को विशेष सफाई अभियानः- यद्यपि पूर्व निर्गत निर्देशों के क्रम में सतत रूप से सफाई अभियान को भली-भांति प्रभावी रूप से निकायों मंे सुनिश्चित किया जाना है एवं उक्त के क्रम में दिनांक 22.03.2020 को मा0 प्रधानमंत्री जी के द्वारा जनता कफ्र्यू दिवस के रूप में विशेष रूप से मनाये जाने विषयक किये गये आहवान के दृष्टिगत उक्त दिवस पर समस्त नगरीय निकायों द्वारा विशेष सफाई अभियान दिवस के रूप में कार्य किया जाये और सफाई के दृष्टिगत निर्गत निर्देशों को भली-भांति समस्त निकायों में तदनुसार उक्त तिथि मंे विशेष अभियान के रूप में सुनिश्चित किया जायेगा।

2. निकायों कर्मियों को पी0पी0ई0 (सुरक्षा उपकरण) उपलब्ध करानाः- निकायों के समस्त कर्मियों को सुरक्षा उपकरण के साथ कार्य किये जाने विषयगत पूर्व से ही प्रभावी दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है। वर्तमान में उपरोक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए समुचित पी0पी0ई0 समस्त कार्मिकों को भली-भांति उपलब्ध हो यह सुनिश्चित किया जाये और तदनुसार सभी कार्मिक उक्त सुरक्षा उपकरणों के साथ कार्य करे इस हेतु समुचित कार्यवाही करते हुए अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाये। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता नही होनी चाहिये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

3.	क्वारन्टाइन (फनंतंदजपदम) एवं विशेष सैनेटाइजेशन विषयक कार्यवाहीः- नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण को प्रभावी रूप से रोके जाने हेतु चिकित्सा विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित किये गये स्थलों/घरों/मोहल्लों आदि में जिला प्रशासन एवं चिकित्सा विभाग से समन्वय कर विशेष सफाई अभियान तथा इस विषयगत निर्गत निर्देशों के अनुरूप आवश्यकता पड़ने पर सैनेटाइजेशन किये जाने संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये और इस हेतु यथावश्यकता उक्त क्षेत्र/परिसर के स्वामियों के साथ भी संयोजन/समन्वय कर उपरोक्त कार्य को सुनिश्चित कराया जाये।

4.	हाथ धोने हेतु विशेष व्यवस्थाः- जैसाकि आप सभी अवगत है कि नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण को रोके जाने हेतु आम जन द्वारा अपने हाथों को स्वच्छ और वायरस मुक्त रखे जाने के दृष्टिगत नियमित रूप से भली-भांति साबुन/जल द्वारा धोते रहना आवश्यक है, जिससे कि संक्रमण की सम्भावना समाप्त हो, अतः उपरोक्त के दृष्टिगत निकायों में सार्वजनिक स्थलों/प्रमुख स्थलों/ भीड़-भाड़ अथवा आम जन के आवागमन संबंधी परिसर/स्थल के पास समुचित स्थान चिन्हित करते हुए निकायों द्वारा तदनुसार हाथ धोने हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये एवं उक्त स्थल पर जिसमें कि स्वच्छ जल/साबुन/सैनेटाइजर आदि समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। साथ ही साथ समस्त प्रकार के सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों में उपरोक्त व्यवस्था को सतत रूप से सुनिश्चित कराया जाये और यदि कहीं सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों का संचालन किसी अन्य संस्था द्वारा किया जा रहा है तो उनके साथ समन्वय कर उक्त व्यवस्था अनिवार्यतः सुनिश्चित करायी जाये।

5.	संक्रमण की रोकथाम हेतु निर्देशों का प्रचार-प्रसारः- पूर्व में निर्गत निर्देशों में आप सभी को विस्तृत रूप से वायरस के संक्रमण के विषयगत सावधानी/बचाव विषयक सामग्री/निर्देशों की जानकारी समुचित प्रचार-प्रसार करते हुए आम जन के मध्य भली-भांति पहुचायें जाने हेतु निर्देश दिये गये थे। उक्तानुसार सतत कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

6.	निकायों द्वारा की जा रही कार्यवाही की दैनिक रिपोर्ट तैयार की जाये और उपरोक्त नोवेल कोरोना वायरस की रोकथाम के विषयगत दैनिक रूप से की जा रही कार्यवाही के संबंध में आम जन मानस में भली-भांति जानकारी दिये जाने एवं उक्त संक्रमण को रोकने के विषयगत की जा रही व्यवस्था तथा सावधानियों के समुचित प्रसार-प्रचार के दृष्टिगत प्रेस-इलेक्ट्रानिक मीडिया को भी कृत कार्यवाही की जानकारी नियमित रूप से दी जाये।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- प्रमुख स्टाफ आफीसर मुख्य सचिव, उ0प्र0।

3- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0

4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय उ0प्र0।

5- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनुराग यादव)

सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

समयबद्ध

सर्वोच्च प्राथमिकता/ई-मेल

संख्या- 02/2020/ 698/नौ-9-2020-58ज/20

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम उ0प्र0।
3. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग-9 **लखनऊ: दिनांक 21 मार्च, 2020**

विषय-प्रदेश के नगरीय निकाय क्षेत्रों में दैनिक रूप मे कार्य कर जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों के विषय में सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत ही है कि कोविड-19 के सम्भावित संक्रमण को रोके जाने एवं इसके प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव से बचाव हेतु सुरक्षित उपायो को सुनिश्चित करना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस संदर्भ में नगरीय स्थानीय निकाय के क्षेत्रान्तर्गत दैनिक कार्य कर जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के विषय में सूचनाओं का संकलन किया जाना आवश्यक है , जिससे ऐसे व्यक्तियों को भविष्य में सुविधाजनक ढंग से रोजगार एवं सहायता उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही की जा सके। इस हेतु शासन के पूर्व पत्र सं 0-1509/पी0एस0एच0 (एन0वी0)/2020, दिनांक-18.03.2020 के माध्यम से प्रारूप का निर्धारण कर ऐसे व्यक्तियों की संख्या का आंकलन कराया गया है। ऐसे पंजीकृत/अपंजीकृत व्यक्तियों के विषय में संलग्न प्रारूप पर सूचनाओं की आवश्यकता है।

2. पंजीकृत अथवा अपंजीकृत व्यक्ति निम्नलिखित श्रेणी/वर्गों के हो सकते हैः-

(1) पटरी दुकानदार/वेन्डर्स।
(2) रिक्शा/इक्का, तांगा चालक।
(3) टैम्पो/आटो/ई-रिक्शा चालक।
(4) दैनिक दिहाड़ी मजदूर/मण्डियों में पल्लेदारी करने वाले/ठेलिया चलाने वाले।
(5) अन्य दैनिक कार्य करने वाले व्यक्ति।

3. उक्त पंजीकृत अथवा अपंजीकृत व्यक्तियों में वह व्यक्ति आच्छादित किये जायेंगे जो श्रम विभाग में पंजीकृत नहीं है तथा मनरेगा कार्ड धारक नहीं है।

4. उक्त प्रस्तर- 02 में उल्लिखित श्रेणी/वर्गों के संबंध में संलग्न प्रारूप पर उपलब्ध उक्तानुसार वांछित संकलित सूचनायें आनलाइन फीड कराने के लिये प्रत्येक नगर निगम में नामित नोडल अधिकारी , नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत में अधिशासी अधिकारी उत्तरदायी होंगे। जिलाधिकारी इन सूचनाओं को आनलाइन फीड कराने हेतु अपर जिलाधिकारी स्तर के एक अधिकारी को जिला स्तर पर नोडल अधिकारी तथा तहसील स्तर पर एक अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करेंगे। नगर निगम तथा तहसील स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि सूचनाओं के संकलन एवं आनलाइन फीडिंग में COVID-19 के परिप्रेक्ष्य में समय-समय पर निर्गत समस्त निर्दिष्ट सावधानियों तथा SOPs का अनुपालन सुनिश्चित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ता क्षर की आवश्य कता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यारपित की जा सकती है ।

किया जायेगा। नोडल अधिकारीगण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सूचनाओं के संकलन एवं आनलाइन फीडिंग में कोई लक्षित व्यक्ति छूटने न पाये। इस प्रकार अपलोड की गयी सूचनाओं के लिए नगर निगम स्तर से नगर आयुक्त एवं जिला स्तर पर जिलाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

5. उपर्युक्त प्रस्तर- 2 में अंकित श्रेणी के लिए नगरीय स्थानीय निकायों में पंजीकृत/सत्यापित पटरी दुकानदारों/वेन्डर्स की उपलब्ध सूची, रिक्शा चालक/इक्का, तांगा चालक की नगरीय स्थानीय निकायो में उपलब्ध पंजीकृत सूची का प्रयोग किया जा सकता है। टैम्पो/आटो/ई-रिक्शा चालकों की क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में उपलब्ध पंजीकृत सूची का प्रयोग किया जा सकता है। दैनिक दिहाड़ी मजदूरों के लिए लेबर अडडों पर एकत्र होने वाले व्यक्तियों से सम्पर्क कर सूचनाओं का संकलन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त दैनिक रूप से जीवन यापन करने वाले अन्य व्यक्तियों के पंजीकृत संगठनों से भी सम्पर्क कर वांछित सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है किन्तु यह सुनिश्चित किया जाये कि सूचनाएं सत्यापित हों एवं उनमें त्रुटि की सम्भावना न हों।

6. उपर्युक्त वांछित सूचनाएं अपलोड करने के लिए निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा आनलाइन पोर्टल अतिशीघ्र विकसित कर आनलाइन पोर्टल का यूजर आई 0डी0 एवं पासवर्ड अतिशीघ्र समस्त जनपदों के जिलाधिकारीगण को उपलब्ध कराया जायेगा जो नोडल अधिकारीगण को पासवर्ड उपलब्ध करायेंगे।

उपरोक्त कार्यवाही प्रत्येक दशा में आगामी 15 दिनों में पूर्ण की जानी है , अतः सूचनाओं का संकलन प्रत्येक दिन के आधार पर करते हुये उपरोक्तानुसार पूर्ण एवं संकलित सूचनायें शासन को 15 दिन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैवः-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि आनलाइन पोर्टल विकसित कर वांछित संकलित एवं पूर्ण सूचनाएं प्रत्येक दशा में शासन को आगामी 15 दिनों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. निजी सचिव, मा0 वित्त मंत्री जी/निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री जी/निजी सचिव, मा0 श्रम मंत्री जी।
4. कम्प्यूटर सेल/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्य कता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यारपित की जा सकती है ।

स्थानीय निकाय क्षेत्र में दैनिक जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के विषय में सूचना अपलोड करने हेतु प्रपत्र।

(नोट:उक्त प्रपत्र ऐसे व्यक्तियों के विषय में भरा जायेगा जो श्रम विभाग में पंजीकृत नहीं है तथा मनरेगा कार्ड धारक नहीं है)

1. नाम : 2. पिता/पति का नाम :

3. उम्र : 4. मो0 नं0 :

5. आधार संख्या : 6. राशन कार्ड संख्या :

7.	जीवनयापन हेतु किये जाने वाले दैनिक व्यवसाय की प्रकृति को चुने (√)	**क्रम सं0**	**व्यसाय की प्रकृति**	**पंजीकृत**	**अपंजीकृत**	**उक्त दैनिक व्यवसाय निकाय क्षेत्र में कब से किया जा रहा है।**	
						वर्ष	**माह**
		1	पटरी दुकानदार/वेन्डर				
		2	रिक्शा/इक्का/तांगा चालक				
		3	टैम्पो/आटो/ई-रिक्शा चालक				
		4	दैनिक दिहाडी मजदूर में पल्लेदारी करने वाले /ठेलिया चलाने वाले				
		5	उक्त क्रमांक-01 से 04 से इतर अन्य दैनिक व्यवसाय/कार्य यदि हो तो उसकी प्रकृति लिखे				
8.	बैंक खाता संख्या						
9	बैंक का नाम						
10.	बैंक शाखा						
11.	IFSC कोड						
12.	वर्तमान पता	1	वार्ड का नाम				
		2	मोहल्ला/कालोनी/बस्ती आदि का नाम				
		3	भवन संख्या (यदि कोई हो)				
13.	यदि वर्तमान पता स्थायी पता नहीं है तो स्थायी पता						
	13. A स्थायी पता यदि ग्रामीण क्षेत्र में है।	1	ग्राम का नाम				
		2	तहसील				
		3	जनपद				
	13. B स्थायी पता यदि शहरी क्षेत्र में है।	1	वार्ड का नाम				
		2	मोहल्ला/कालोनी/बस्ती आदि का नाम				
		3	भवन संख्या (यदि कोई हो)				

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताकक्षर की आवश्य कता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यारपित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
सचिवालय प्रशासन अनुभाग-3(अधि0)
संख्याः12/2020/1475/बीस-ई-3/2020
लखनऊ: दिनांक 21 अप्रैल, 2020

परिपत्र

विषय- सचिवालय परिसर में कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रसार को रोकने के लिए अपनाये जाने वाले निवारक उपाय।

सचिवालय परिसर में कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के प्रसार को रोकने के सम्बन्ध में सचिवालय प्रशासन अनुभाग-3(अधि0) के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1327/बीस-ई-3/2020, दिनांक 17 मार्च, 2020, कार्यालय ज्ञाप संख्या-1421-बीस-ई-3/2020, दिनांक 19 मार्च, 2020, कार्यालय ज्ञाप संख्या-1444/-बीस-ई-3/2020-02(विविध)/12 टी.सी./ दिनांक 20 मार्च 2020, कार्यालय ज्ञाप संख्या-1432/बीस-ई-3/2020 दिनांक 23 मार्च, 2020, कार्यालय ज्ञाप संख्या-1468 /बीस-ई-3/2020 दिनांक 31 मार्च, 2020, कार्यालय ज्ञाप संख्या-1470/बीस-ई-3/2020 दिनांक 15 अप्रैल, 2020 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-1472/बीस-ई-3/2020 दिनांक 17 अप्रैल, 2020 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- सचिवालय प्रशासन अनुभाग-3(अधि0) के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1472/बीस-ई-3/2020 दिनांक 17 अप्रैल, 2020 द्वारा दिनांक 20 अप्रैल, 2020 से उत्तर प्रदेश सचिवालय के सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव से लेकर अनुभाग अधिकारी स्तर तक के अधिकारियों को लॉक डाउन अवधि में कार्यालय समय में अपने कार्यालय में उपस्थित होकर शासकीय दायित्वों का निर्वहन करने तथा शेष सभी अधीनस्थ अन्य अधिकारी/कर्मचारी अधिकतम एक तिहाई संख्या में संबंधित विभागों द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार कार्यालय में नियमित रूप से उपस्थित होकर शासकीय कार्यों का निस्तारण करने के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किये गये हैं।

3- इसी क्रम में कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव हेतु उत्तर प्रदेश सचिवालय के विभागों में अपनाये जाने वाले सतर्कता प्रबन्ध/निवारक उपायों के सम्बन्ध में निम्नवत दिशा-निर्देश निर्गत किये जा रहे है:-

I. सभी अधिकारी एवं कर्मचारी सचिवालय परिसर में कार्यावधि में अनिवार्य रूप से मास्क पहनकर ही कार्य करेंगे। सभी अधिकारी/कर्मचारी अपने लिये मास्क की व्यवस्था स्वयं करेंगे।

II. सभी अधिकारी एवं कर्मचारी सचिवालय परिसर में कार्यावधि में समूह में एकत्रित न हों और सोशल डिस्टेसिंग एवं अन्य सुरक्षात्मक उपायों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें।

III. सचिवालय में प्रवेश के समय सचिवालय सुरक्षाकर्मियों द्वारा थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की गयीहै। सचिवालय सुरक्षा कर्मियों को यह भी निर्देश हैं कि थर्मल स्कैनिंग में किसी अधिकारी/कर्मचारी का उच्च तापमान पाये जाने पर उनसे अनुरोध कर लें कि वह अपनी चिकित्सकीय जांच करा लें और ठीक होने के बाद ही सचिवालय आयें। सभी अधिकारी एवं कर्मचारी से यह अनुरोध है कि वह थर्मल स्कैनिंग में सुरक्षा कर्मियों को पूरा सहयोग प्रदान करें।

IV. सचिवालय के सभी प्रवेश द्वारों पर वाश बेसिन तथा लिक्विड सोप की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। इसके अलावा सचिवालय के सभी प्रसा◌ाधन कक्षों में भी लिक्विड सोप की व्यवस्था की गयी है। सभी अधिकारी/कर्मचारी सचिवालय में प्रवेश के समय अनिवार्य रूप से सुरक्षात्मक उपायों में बताये गये तरीकों से साबुन से हाथ धोना सुनिश्चित करेंगे। सभी व्यवस्थाधिकारी तथा सचिवालय प्रशासन अनुभाग-7(विविध) द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सचिवालय के सभी भवनों के प्रवेश द्वारों पर लगाये गये वाश बेसिन तथा सभी प्रसाधन कक्षों में नित्य प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में लिक्विड सोप उपलब्ध रहे।

V. यद्यपि कि सचिवालय में आगन्तुकों के प्रवेश की मनाही है, तथापि यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में किसी गैर सचिवालय कर्मी को सचिवालय प्रवेश की आवश्यकता होती है तो ऐसे आगन्तुक से अनुरोध कर लिया जाये कि वह सचिवालय प्रवेश द्वार पर सुलभ वाश बेसिन पर सुरक्षात्मक उपायों में बताये गये तरीकों से साबुन से हाथ धोकर ही सचिवालय में प्रवेश करे।

VI. सचिवालय परिसर में ऐसे सभी स्थान जहां पर हाथ का स्पर्श होता है, यथा कुर्सी, मेज, दरवाजे, हैंडल, आलमारी की सतहों, टेलीफोन रिसीवर, लिफ्ट के बटन, प्रसाधन कक्षों के नल/फासिट, सीढ़ियों की रेलिंग इत्यादि को नियमित रूप

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

से दिन में दो या तीन बार सैनेटाइज करायी जाये। यह कार्यवाही सचिवालय प्रशासन अनुभाग-7(विविध) द्वारा सचिवालय कर्मियो/सेवाप्रदाता के माध्यम से संबंधित व्यवस्थाधिकारियों द्वारा सुनिश्चित करायी जायेगी। सचिवालय प्रशासन अनुभाग-3(अधि0) के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1421/बीस-ई-3/2020 दिनांक 19 मार्च, 2020 द्वारा सचिवालय के प्रत्येक भवन के प्रत्येक तल के लिए नोडल अधिकारी नामित किये गये थे और उनसे यह अपेक्षा की गयी थी कि वह उन्हें आवंटित तल पर सैनिटाइजेशन की कार्यवाही समुचित तरीके से हो रही है या नहीं, इसकी जॉच-पड़ताल करते रहेंगे और कमी पाये जाने पर उसका निराकरण भी करवायेंगे। कृपया इस कार्यालय ज्ञाप का भी अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

4- सचिवालय परिसर में विभिन्न सेवा प्रदाताओं के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों द्वारा भी उपरोक्त व्यवस्थाओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिष्चित किया जायेगा।

5- सचिवालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों के सचिवालय में कार्यावधि की व्यवस्था निम्नवत होगीः-

I. इस महामारी से निपटने के लिए कतिपय विभाग नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं। आवश्यक एवं आपातकालीन सेवाओं से जुडे ऐसे विभागों के अधिकारी/कर्मचारी पूर्ववत अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे।

II. प्रस्तर-5(I) में वर्णित विभागों को छोड़कर सचिवालय के अन्य सभी विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों के सचिवालय आने के बारे में निम्न व्यवस्था लागू होगीः-

क्र0	विभागों का विवरण	कार्यालय अवधि
1	सचिवालय प्रशासन अनुभाग-1(अधि0) के कार्यालय ज्ञाप संख्या-02/2018/793/बीस-1-ई-2018-513/2000 टी0सी0-2 दिनांक 16-04-2018 की अनूसूची-1 में वर्णित विभाग	प्रातः 09.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक
2	सचिवालय प्रशासन अनुभाग-1(अधि0) के कार्यालय ज्ञाप संख्या-02/2018/793/बीस-1-ई-2018-513/2000 टी0सी0-2 दिनांक 16-04-2018 की अनूसूची-2 में वर्णित विभाग	प्रातः 10.00 बजे से शाम 06.00 बजे तक
3	सचिवालय प्रशासन अनुभाग-1(अधि0) के कार्यालय ज्ञाप संख्या-02/2018/793/बीस-1-ई-2018-513/2000 टी0सी0-2 दिनांक 16-04-2018 की अनूसूची-3 में वर्णित विभाग	प्रातः 11.00 बजे से शाम 07.00 बजे तक

नोट-उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक16-04-2018 की अनुसूची-1,2 व 3 संलग्न है।

6- उपरोक्त दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगें और 'लाकडाउन अवधि' में प्रभावी रहेंगे।

संलग्नक-यथोक्त।

(महेश कुमार गुप्ता)
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-12/2020/1475(1)/बीस-ई-3/2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
8. प्रमुख सचिव, विधानसभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
9. मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल/पुलिस आयुक्त, लखनऊ नगर/जिलाधिकारी, लखनऊ।
10. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
11. राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उ0प्र0 शासन
12. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, उ0प्र0।
13. मुख्य सुरक्षा अधिकारी/मुख्य स्वागत अधिकारी/मुख्य व्यवस्था अधिकारी, उ0प्र0 सचिवालय।
14. उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग (द्वारा शाखा अधिष्ठान)
15. गार्डफाईल।

आज्ञा से,

(सुरजन सिंह)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>अनुसूची-1</u>

क्र0	विभाग का नाम	विभाग हेतु सृजित अनुभागों/लेखा प्रकोष्ठों/ अनुभागों की संख्या
1	2	3
1.	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग	11
2.	आबकारी विभाग	02
3.	आयुष विभाग	02
4.	बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग	01
5.	भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग	01
6.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	11
7.	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग	03
8.	चिकित्सा शिक्षा विभाग	04
9.	ग्रामीण अभियंत्रण विभाग	02
10.	वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग	05
11.	कृषि विभाग	07
12.	कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग	02
13.	कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग	01
14.	खेल विभाग	01
15.	लोक निर्माण विभाग	15
16.	लघु सिंचाई विभाग	02
17.	महिला कल्याण विभाग	02
18.	माध्यमिक शिक्षा विभाग	15
19.	नगर विकास विभाग	10
20.	नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग	01
21.	प्राविधिक शिक्षा विभाग	03
22.	पंचायती राज विभाग	03
23.	पशुधन विभाग	03
24.	परिवहन विभाग	05
25.	राज्य सम्पत्ति विभाग	07
26.	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग	14
27.	सतर्कता विभाग	04

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

28.	स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग	02
29.	उच्च शिक्षा विभाग	08
30.	वन विभाग	05
31.	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	01
	योग	153

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>अनुसूची-2</u>

क्र0	विभाग का नाम	विभाग हेतु सृजित अनुभागों/लेखा प्रकोष्ठों/अनुभागों की संख्या
1	2	3
1.	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	04
2.	दुग्ध विकास विभाग	02
3.	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	03
4.	ग्राम्य विकास विभाग	10
5.	होम गार्डस विभाग	01
6.	हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग	01
7.	कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग	05
8.	कार्मिक विभाग	05
9.	खाद्य तथा रसद विभाग	11
10.	खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन	01
11.	सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग	05
12.	मत्स्य विभाग	01
13.	नागरिक उड्डयन विभाग	01
14.	नियुक्ति विभाग	10
15.	पर्यटन विभाग	01
16.	पर्यावरण विभाग	02
17.	पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	02
18.	राजस्व विभाग	15
19.	समाज कल्याण विभाग	06
20.	सूचना विभाग	02
21.	सचिवालय प्रशासन विभाग	43
22.	सहकारिता विभाग	03
23.	संस्थागत वित्त विभाग	01
24.	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग	02

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

25.	संस्कृति विभाग	01
26.	सैनिक कल्याण विभाग	01
27.	श्रम विभाग	07
28.	उद्यान विभाग	01
29.	खाद्य प्रसंस्करण विभाग	01
30.	युवा कल्याण विभाग	01
31.	उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप विभाग	03
	योग	152

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुसूची-3

क्र0	विभाग का नाम	विभाग हेतु सृजित अनुभागों/लेखा प्रकोष्ठों/अनुभागों की संख्या
1	2	3
1.	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग	01
2.	औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना विभाग	06
3.	धर्मार्थ कार्य विभाग	01
4.	गृह विभाग	30
5.	गोपन विभाग	08
6.	कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	01
7.	खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग	02
8.	लोक सेवा प्रबंधन विभाग	01
9.	मुख्यमंत्री कार्यालय लोक शिकायत	12
10.	न्याय विभाग	10
11.	नियोजन विभाग	05
12.	नागरिक सुरक्षा विभाग	01
13.	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिषद विभाग/ राजनैतिक पेंशन विभाग	05
14.	भाषा विभाग	13
15.	निर्वाचन विभाग	01
16.	एन0आर0आई0 विभाग	01
17.	परती भूमि विकास विभाग	01
18.	प्रशासनिक सुधार विभाग	03
19.	प्रोटोकाल विभाग (मुख्यंत्री कार्यालय)	01
20.	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	01
21.	रेशम विभाग	02
22.	सामान्य प्रशासन विभाग	01
23.	सार्वजनिक उद्यम विभाग	02
24.	समन्वय विभाग	01

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

25.	संसदीय कार्य विभाग	03
26.	उ0प्र0पुनर्गठन समन्वय विभाग	02
27.	ऊर्जा विभाग	04
28.	वाह्य सहायतित परियोजना विभाग	01
29.	विधायी विभाग	02
30.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	01
31.	वित्त विभाग	32
	योग	155

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या: 34/2020/745 ई-2/तेरह-2020-01/2020

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 22 अप्रैल, 2020

विषय:-कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु किये गये देशव्यापी लॉकडाउन के कारण आबकारी नीति 2020-21 के प्राविधानों के अनुपालन में उत्पन्न कठिनाइयों के निवारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-270/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2020-21, दिनांक 13.04.2020 एवं पत्र संख्या-जी-272/दस-लाइसेंस-367/ सुझाव आबकारी नीति/2020-21, दिनांक 15.04.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि कोविड-19 महामारी की रोक थाम हेतु कतिपय अपवादों को छोड़ कर देश के समस्त प्रदेशों/संघशासित क्षेत्रों में दिनांक 22.03.2020 से लाकडाउन की स्थिति प्रारम्भ हुयी। इसके पूर्व से ही समस्त बार अनुज्ञापनों का संचालन प्रतिबंधित करा दिया गया था। मदिरा की फुटकर दुकानें भी कतिपय अपवादों को छोड़कर दिनांक 22.03.2020 से ही अधिकांश जिलों में बंद हो गयीं। लाक डाउन के प्रभाव से थोक अनुज्ञापनों, बाण्ड अनुज्ञापनों, आसवनियों एवं यवासवनियों से निकासी कार्य भी रुक गया और उत्पादन कार्य भी बंद हो गया।

2. उपरोक्त के अतिरिक्त आबकारी नीति 2020-21 के प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में दुकानों के व्यवस्थापन, नवीनीकरण, अनुज्ञापनों को निर्गत किये जाने, उनकी चौहद्दी एवं विक्रेताओं को अनुमोदन आदि से संबंधित कार्यों, फुटकर दुकानों, बार अनुज्ञापनों एवं थोक/बाण्ड अनुज्ञापनों के संचालन तथा आसवनियों/यवासवनियों में मदिरा/बीयर के उत्पादन एवं आपूर्ति आदि में लाकडाउन के उपरान्त की स्थिति में आने वाली कठिनाइयों को इंगित करते हुए उनके निवारण का अनुरोध भी किया गया है।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्रों के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश के राजस्व एवं जनहित के दृष्टिगत निम्नलिखित निर्णय लिये गये है:-

(क) 1- यद्यपि प्रदेश स्तर पर माह-मार्च 2020 के निर्धारित एम0जी0क्यू0 का उठान किया जा चुका है तथापि लगभग 3711 देशी मदिरा दुकानों द्वारा माह-मार्च 2020 में अपने निर्धारित एम0जी0क्यू जिसमें कुल राजस्व लगभग रु.75.88 करोड़ सन्निहित है का उठान नहीं किया जा सका है। अतः ऐसे दुकानों में लाकडाउन के कारण उत्पन्न विशेष परिस्थितियों में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

माह मार्च, 2020 के संपूर्ण मासिक एम0जी0क्यू0 के उठान की अनिवार्यता से देशी मदिरा दुकानों को छूट प्रदान की जायेगी।

2- नवीनीकरण प्रक्रिया के प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में नवीनीकृत लगभग 1857 दुकानों द्वारा माह-मार्च, 2020 तक निर्धारित एम0जी0क्यू0 से 2 प्रतिशत अधिक की निकासी जिसमें सन्निहित राजस्व (उपरोक्त प्रस्तर में सम्मिलित धनराशि के अतिरिक्त) रु.1.59 करोड़ है, नहीं ली जा सकी है। अतः नवीनीकरण प्रक्रिया के प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में नवीनीकृत ऐसे दुकानों को माह-मार्च,2020 तक निर्धारित एम0जी0क्यू0 से 2 प्रतिशत अधिक की निकासी लेने की अनिवार्यता से छूट प्रदान की जायेगी।

3- नवीनीकृत एवं ई-लाटरी के प्रथम चरण में व्यवस्थित लगभग 13451 दुकानों हेतु माह अप्रैल-2020 का निर्धारित एम0जी0क्यू0 384 लाख बल्क लीटर है जिसका उठान लाकडाउन के कारण संभव नहीं हो पा रहा है। इसमें लगभग रु.868 करोड़ का राजस्व सन्निहित है। अतः नवीनीकृत एवं ई-लाटरी के प्रथम चरण में व्यवस्थित ऐसे दुकानों को माह अप्रैल-2020 के एम0जी0क्यू0 को उठाने की अनिवार्यता से छूट प्रदान की जायेगी। लाक डाउन की अवधि में वृद्धि होने की दशा में आप द्वारा यथास्थिति किये जाने वाले प्रस्ताव पर निर्णय लेने की अधिकारिता मा. मुख्यमंत्री, उ.प्र. में निहित होगी।

(ख) 1- नवीनीकरण प्रक्रिया के प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में नवीनीकृत विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों और माडल शाप्स जिनकी कुल संख्या लगभग 1674 है द्वारा दिनांक 31.03.2020 तक दुकान पर ली जाने वाली निकासी में सन्निहित राजस्व गत वित्तीय वर्ष 2018-19 की संगत अवधि में ली गयी निकासी में सन्निहित राजस्व से 20 प्रतिशत अधिक की अनिवार्य निकासी से कम निकासी ली गयी है। इसमें लगभग रु.110.90 करोड़ का राजस्व सन्निहित है। अतः नवीनीकरण प्रक्रिया के प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में नवीनीकृत ऐसे विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों और माडल शाप्स को दिनांक 31.03.2020 तक दुकान पर ली जाने वाली निकासी में सन्निहित राजस्व गत वित्तीय वर्ष 2018-19 की संगत अवधि में ली गयी निकासी में सन्निहित राजस्व से 20 प्रतिशत अधिक होने की अनिवार्यता से छूट प्रदान की जायेगी।

2- वर्ष 2019-20 हेतु व्यवस्थित विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों और माडल शाप्स जिनकी कुल संख्या लगभग 940 है द्वारा वर्ष 2019-20 के अंतिम त्रैमास में गतवर्ष के अंतिम त्रैमास में दुकान पर ली गयी निकासी में सन्निहित कुल राजस्व के समतुल्य निकासी नहीं ली गयी है। इसमें लगभग रु.240.48 करोड़ का राजस्व सन्निहित है। अतः वर्ष 2019-20 हेतु व्यवस्थित ऐसे विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों और माडल शाप्स को वर्ष 2019-20 के अंतिम त्रैमास में गतवर्ष के अंतिम त्रैमास में दुकान पर ली गयी निकासी में सन्निहित कुल राजस्व के समतुल्य निकासी लिये जाने की अनिवार्यता से छूट प्रदान की जायेगी।

3- नवीनीकृत एवं ई-लाटरी के प्रथम चरण में व्यवस्थित 10470 दुकानों द्वारा वर्ष 2020-21 के प्रथम त्रैमास में गत वर्ष 2019-20 के प्रथम त्रैमास के बराबर राजस्व के समतुल्य निकासी लिया जाना लाकडाउन के कारण संभव प्रतीत नहीं होता है। इसमें माह अप्रैल-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

2020 का लगभग रु.833 करोड़ का राजस्व सन्निहित है। अतः नवीनीकृत एवं ई-लाटरी के प्रथम चरण में व्यवस्थित ऐसे दुकानों को वर्ष 2020-21 के प्रथम त्रैमास में गत वर्ष 2019-20 के प्रथम त्रैमास के बराबर राजस्व के समतुल्य निकासी लिये जाने की अनिवार्यता की गणना में माह अप्रैल- 2020 को सम्मिलित न किये जाने की छूट प्रदान की जायेगी। लाक डाउन की अवधि में वृद्धि होने की स्थिति में अग्रेतर अवधि के संबंध में निर्णय लेने हेतु आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को अधिकृत किया जायेगा।

(ग) 1- नवीनीकृत एवं ई-लाटरी के प्रथम चरण में व्यवस्थित लगभग 5497 दुकानों द्वारा प्रतिभूति जमा नहीं की जा सकी है। अतः नवीनीकृत एवं ई-लाटरी के प्रथम चरण में व्यवस्थित ऐसे दुकानों को प्रतिभूति जमा करने हेतु लाक डाउन के समाप्ति से 7 कार्य दिवस तक का समय प्रदान किया जायेगा।

2- बैंक ट्रांजैक्शन फेल्योर के तकनीकी कारणों से नवीनीकरण हेतु अर्ह एवं ई-लाटरी के प्रथम चरण में व्यवस्थित कुल 119 दुकानों द्वारा लाइसेंस फीस नहीं जमा की जा सकी है। अतः बैंक ट्रांजैक्शन फेल्योर के तकनीकी कारणों से नवीनीकरण हेतु अर्ह एवं ई-लाटरी के प्रथम चरण में व्यवस्थित ऐसे दुकानों की लाइसेंस फीस को जमा करने हेतु लाक डाउन के समाप्ति से 7 कार्य दिवस तक का समय प्रदान किया जायेगा।

(घ) (1) प्रत्येक स्तर के समस्त अनुज्ञापनों द्वारा लाकडाउन समाप्त होने के 24 घंटे के अंदर अवशेष स्टाक की घोषणा की जायेगी।

(2) देशी मदिरा के संबंध में

(i) देशी मदिरा की नवीनीकृत एवं अनवीनीकृत 12467 दुकानों पर कुल लगभग 736830 पेटी देशी मदिरा का स्टाक बचा हुआ है जिसका अनुमानित मूल्य लगभग रु. 215.20 करोड़ है। अतः देशी मदिरा की नवीनीकृत एवं अनवीनीकृत ऐसे फुटकर दुकानों को वर्ष 2019-20 की एम0आर0पी0 पर बिना रोलओवर शुल्क एवं प्रतिफलशुल्क का अंतर जमा किये अपने अवशेष स्टाक की बिक्री करने हेतु लाकडाउन की समाप्ति से 7 कार्य दिवस तक की अनुमति प्रदान की जायेगी। उपरोक्त 7 कार्य दिवसों के पश्चात देशी मदिरा की समस्त दुकानों पर वर्ष 2019-20 के बचे हुये स्टाक को नष्ट किया जायेगा।

(ii) देशी मदिरा के नवीनीकृत एवं अनवीनीकृत थोक अनुज्ञापनों पर लगभग 249954 पेटी देशी मदिरा का अवशेष स्टाक बचा हुआ है जिसका अनुमानित मूल्य लगभग 67.8 करोड़ है। अतः देशी मदिरा के नवीनीकृत एवं अनवीनीकृत ऐसे थोक अनुज्ञापनों के अवशेष स्टाक की निकासी वर्ष 2020-21 के इण्डेण्टों के सापेक्ष वर्ष 2019-20 की दरों पर लाकडाउन की समाप्ति से 7 कार्य दिवसों तक नवीनीकृत देशी मदिरा दुकानों एवं लाटरी में चयनित दुकानों पर किये जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। उपरोक्त 7 कार्य दिवसों में लाकडाउन के कारण विलम्बित 2019-20 के पारेषणों को प्राप्त किये जाने की भी अनुमति थोक अनुज्ञापनों को दी जायेगी। उक्त 7 कार्य दिवसों के पश्चात थोक अनुज्ञापनों पर वर्ष 2019-20 के बचे हुये स्टाक को नष्ट किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

(iii) देशी मदिरा उत्पादक आसवनियों पर लगभग 452051 पेटी देशी मदिरा का अवशेष स्टाक बचा हुआ है जिस पर देय प्रतिफलशुल्क लगभग रु.91.10 करोड़ है। अतः ऐसे देशी मदिरा उत्पादक आसवनियों के अवशेष स्टाक की निकासी वर्ष 2020-21 के इण्डेण्टों के सापेक्ष वर्ष 2019-20 की दरों पर लाकडाउन की समाप्ति से 7 कार्य दिवसों तक नवीनीकृत देशी मदिरा के थोक अनुज्ञापनों पर किये जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। उक्त 7 कार्य दिवसों के पश्चात देशी मदिरा उत्पादक आसवनियों पर वर्ष 2019-20 के बचे हुये स्टाक को नष्ट किया जायेगा।

(3) विदेशी मदिरा एवं बीयर के संबंध में

(i) विदेशी मदिरा एवं बीयर की नवीनीकृत एवं अनवीनीकृत फुटकर दुकानों तथा नवीनीकृत एवं अनवीनीकृत माडलशाप्स पर कुल लगभग 960036 पेटी विदेशी मदिरा और बीयर का स्टाक बचा हुआ है। अतः विदेशी मदिरा एवं बीयर की नवीनीकृत एवं अनवीनीकृत ऐसे फुटकर दुकानों तथा नवीनीकृत एवं अनवीनीकृत माडलशाप्स को वर्ष 2019-20 की एम0आर0पी0 पर बिना रोलओवर शुल्क एवं प्रतिफलशुल्क का अंतर जमा किये अपने अवशेष स्टाक की बिक्री करने हेतु लाकडाउन की समाप्ति से 7 कार्य दिवस तक की अनुमति प्रदान की जायेगी। उक्त 7 कार्य दिवस के पश्चात विदेशी मदिरा एवं बीयर की अनवीनीकृत फुटकर दुकानों एवं अनवीनीकृत माडलशाप्स पर बचे अवशेष स्टाक को आबकारी नीति वर्ष 2020-21 के प्रस्तर-2.7.4 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार नष्ट किया जायेगा।

(ii) विदेशी मदिरा एवं बीयर की नवीनीकृत फुटकर दुकानों एवं माडल शाप्स द्वारा अवशेष स्टाक की घोषणा, उपरोक्त 7 कार्य दिवस के पश्चात 24 घंटे के अंदर आबकारी नीति वर्ष 2020-21 के प्रस्तर-2.7.4 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार शपथ-पत्र पर किया जायेगा।

(iii) उपरोक्त प्रस्तर-ग**(ii)** के अनुसार घोषित स्टाक को आबकारी नीति वर्ष 2020-21 के प्रस्तर- 2.7.4 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार रोलओवर शुल्क एवं प्रतिफलशुल्क के अंतर की धनराशि जमा कराते हुये तद्नुसार अग्रेतर बिक्री की जायेगी।

(iv) वर्ष 2020-21 में पंजीकृत नहीं हुये ब्राण्डों के निस्तारण के संबंध में, आबकारी नीति वर्ष 2020-21 के प्रस्तर-2.7.4 में निर्धारित तिथि 30.06.2020 को लाकडाउन की अवधि के समतुल्य अवधि तक बढ़ाये जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

(v) बार एवं क्लब अनुज्ञापनों पर अवशेष स्टाक को इन अनुज्ञापनों हेतु लाकडाउन की समाप्ति तिथि से 15 दिवसों तक बिक्री की अनुमति प्रदान की जायेगी। इस 15 दिवस की अवधि के पश्चात 2020-21 हेतु नवीनीकृत बार एवं क्लब अनुज्ञापनों द्वारा अपने स्टाक की घोषणा कर आबकारी नीति वर्ष 2020-21 के प्रस्तर-2.7.4 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार बिक्री की जायेगी।

(vi) विदेशी मदिरा एवं बीयर के नवीनीकृत एवं अनवीनीकृत थोक अनुज्ञापनों पर कुल लगभग 454552 पेटी विदेशी मदिरा और बीयर का स्टाक बचा हुआ है जिसकी अनुमानित एम0आर0पी0 लगभग रु. 225.60 करोड़ है। अतः विदेशी मदिरा एवं बीयर के नवीनीकृत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

एवं अनवीनीकृत थोक अनुज्ञापनों के अवशेष स्टाक की निकासी बिना रोल ओवर शुल्क एवं प्रतिफलशुल्क का अंतर जमा किये वर्ष 2020-21 के इण्डेण्टों के सापेक्ष वर्ष 2019-20 की दरों पर लाकडाउन की समाप्ति से 7 कार्य दिवसों तक नवीनीकृत एवं लाटरी में चयनित विदेशी मदिरा, बीयर दुकानों एवं माडल शाप्स को करने की अनुमति प्रदान की जायेगी। उक्त 7 कार्य दिवसों में लाकडाउन के कारण विलम्बित 2019-20 के पारेषणों को प्राप्त किये जाने की भी अनुमति थोक अनुज्ञापनों को प्रदान की जायेगी।

(vii) उपरोक्त 7 कार्य दिवसों के पश्चात विदेशी मदिरा एवं बीयर के अनवीनीकृत थोक अनुज्ञापनों पर बचे स्टाक को आबकारी नीति वर्ष 2020-21 के प्रस्तर-2.7.4 के अनुसार नष्ट किये जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

(viii) विदेशी मदिरा एवं बीयर के नवीनीकृत थोक अनुज्ञापनों द्वारा उपरोक्त 7 कार्य दिवसों के पश्चात बचे स्टाक की घोषणा 24 घंटे के अंदर आबकारी नीति के प्रस्तर-2.7.4 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार निर्धारित शपथ-पत्र पर कर स्टाक का निस्तारण आबकारी नीति के उक्त प्रस्तर के अनुसार रोलओवर शुल्क एवं प्रतिफल शुल्क का अंतर एवं ट्रेक एण्ड ट्रेस फीस जमा कराकर किये जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

(ix) बाण्ड अनुज्ञापनों, आसवनियों और यवासवनियों पर कुल लगभग 1434179 पेटी विदेशी मदिरा और बीयर का स्टाक बचा हुआ है जिसकी अनुमानित एम0आर0पी0 लगभग रु. 281.40 करोड़ है। अतः ऐसे बाण्ड अनुज्ञापनों, आसवनियों और यवासवनियों के वर्ष 2019-20 के अवशेष स्टाक की निकासी वर्ष 2019-20 की दर पर बिना रोलओवर शुल्क एवं प्रतिफलशुल्क का अंतर जमा किये, वर्ष 2020-21 के इण्डेण्टों के सापेक्ष केवल नवीनीकृत थोक अनुज्ञापनों को किये जाने की अनुमति लाकडाउन की समाप्ति से 7 कार्य दिवसों तक किये जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। उक्त 7 कार्य दिवसों के पश्चात बाण्ड अनुज्ञापनों, आसवनियों और यवासवनियों के वर्ष 2019-20 के अवशेष स्टाक का निस्तारण आबकारी नीति वर्ष 2020-21 के प्रस्तर-2.7.4 के अनुसार किया जायेगा।

(x) एफ.एल.-2ए, एफ.एल.-9, एफ.एल.-9ए अनुज्ञापनों को लाक डाउन की समाप्ति से 7 कार्य दिवस तक बिना रोल ओवर शुल्क एवं प्रतिफलशुल्क का अंतर जमा किये अपने अवशेष स्टाक वर्ष 2019-20 की बिक्री यथावत किये जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। उपरोक्त 7 कार्य दिवस के पश्चात उपरोक्त अनुज्ञापनों पर बचे स्टाक वर्ष 2019-20 का निस्तारण रोल ओवर शुल्क, प्रतिफल शुल्क का अंतर तथा ट्रेक एण्ड ट्रेस फीस जमा करने के पश्चात आबकारी नीति वर्ष 2020-21 के अनुसार किया जायेगा।

(4) अनवीनीकृत दुकानें जिन्हें उपरोक्तानुसार अवशेष स्टाक की बिक्री की अनुमति प्रदान होगी,उक्त अवधि या अवशेष स्टाक समाप्त होने की अवधि, जो पहले हो, के लिये वैध अनुज्ञापन माने जायेंगे।

(ङ) 1. इण्डेण्टों के सापेक्ष निर्धारित समयावधि के पश्चात विलम्ब से आपूर्ति की दशा में जुर्माना आरोपित किये जाने के प्राविधान से आपूर्तकों को माह-मार्च, 2020 से लाक डाउन समाप्त होने से अगले माह तक छूट प्रदान की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. लाकडाउन के पूर्व निर्गत पासों/परमिटों की वैधता अवधि अनुरोध किये जाने पर लाकडाउन की समाप्ति से प्रदेश के बाहर के प्रकरणों में 14 कार्य दिवस तथा प्रदेश के अंदर के प्रकरणों में 7 कार्य दिवस तक बढ़ाये जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

3. वार्षिक विवरण प्रपत्रों को तैयार किये जाने हेतु लाकडाउन समाप्ति से 30 दिवस तक की अवधि प्रदान की जायेगी।

4. यदि निर्धारित फीस समयांतर्गत जमा कर दी गयी हो तब आसवनियों/यवासवनियों के अनुज्ञापन नवीनीकरण संबंधी औपचारिकताओं को पूर्ण करने हेतु लाकडाउन समाप्ति से 30 दिवस तक की अवधि प्रदान की जायेगी।

(च) उपरिवर्णित प्रकरणों के अतिरिक्त अन्य ऐसे प्रकरण भी एकाएक प्रकाश में आ सकते हैं जिनके निस्तारण हेतु समुचित निर्णय लिये जाने की आवश्यकता उत्पन्न हो जाय। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर आपसे प्राप्त प्रस्ताव पर निर्णय लेने की अधिकारिता मा. मुख्यमंत्री, उ.प्र. में निहित होगी।

(छ) उपरोक्त समस्त प्रस्तरों में लॉकडाउन समाप्ति तिथि का तात्पर्य ऐसी तिथि या तिथियां से है, जो राज्य सरकार द्वारा देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शाप्स, भांग की फुटकर दुकानों एवं थोक अनुज्ञापनों, बाण्ड अनुज्ञापनों, होटल, बार एवं क्लब अनुज्ञापनों को खोलने के लिए निर्धारित की जाएगी।

4. कृपया उपरोक्तानुसार यथास्थिति कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए निर्धारित राजस्व की प्राप्ति की प्रतिबद्धता के दृष्टिगत कार्ययोजना बनाकर निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सघन प्रयास किये जाने हेतु सर्वसम्बन्धित अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजय आर. भूसरेड्डी)
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-7/2020 /336/53-2-2020

प्रेषक,

रवि शंकर गुप्ता,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, आजमगढ़, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद, बरेली, कानपुर नगर, मेरठ, गोरखपुर, अलीगढ़, सहारनपुर एवं पीलीभीत।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊःदिनांक 23 मार्च, 2020

विषयः आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जनपदों में तरल दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद की आबाध आपूर्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन (पी0सी0डी0एफ0 लि0) के पत्र संख्या 2524 डी-2/एमएसडी/सीपी/ए/कोविड-19/2020 दिनांक 23.03.2020 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा सहकारी दुग्ध संघों के इकाई प्रभारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान करते हुए, उक्त की प्रति आपको भी जिला प्रशासन स्तर से आवश्यक सहयोग प्रदान कराने हेतु पृष्ठांकित की गयी है।

2. उल्लेखनीय है कि देश "कोरोना वायरस" (COVID-19) के दुष्प्रभाव को रोकने हेतु सजग प्रयास कर रहा है। इसके दृष्टिगत प्रदेश वासियों की सुरक्षा के लिये चिकित्सा अनुभाग उ0प्र0 शासन के कार्यालय आदेश सं0 679/पॉच-5-2020, दिनांक 22.03.2020 द्वारा उ0प्र0 के 16 जनपदों (लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, आजमगढ़, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद, बरेली, कानपुर नगर, मेरठ, गोरखपुर, अलीगढ़, सहारनपुर एवं पीलीभीत) में दिनांक, 23 से 25 मार्च, 2020 तक पूर्ण रुप से लाक-डाऊन करने का निर्णय लिया गया है। लाक-डाऊन की अवधि में इन जनपदों में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत तरल दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की आपूर्ति बनाये रखना आवश्यक है। जनपद स्तर पर दुग्ध व्यवसाय के अंतर्गत सहकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओ की इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका है।

3. अतः उपर्युक्त दोनों प्रकार की संस्थाओं द्वारा जनपद में तरल दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की आपूर्ति यथावत् बनाये रखने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों से दुग्ध उपार्जन, परिवहन, प्रसंस्करण एवं नगरीय तरल दुग्ध विक्रय हेतु दुग्ध वाहनों के निर्बाध आवागमन, कार्यरत कार्मिकों को कार्य स्थान पर जाने की अनुमति, दुग्ध ऐजेन्टों को दुग्ध विक्रय हेतु अनुमति आदि के लिये जिला प्रशासन के सहयोग की आवश्यकता होगी, ताकि स्थानीय उपभोक्ताओं तक दुग्ध की

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उपलब्धता सहज रुप सुनिश्चित की जा सके। जनपद में दुग्ध वितरण की सम्पूर्ण व्यवस्था हेतु दुग्ध संघ प्रभारी/ दुग्ध संयन्त्र प्रभारी नोडल अधिकारी होंगे तथा जनपद में प्राईवेट वेन्डर द्वारा वितरित किए जाने वाले तरल दुग्ध, दुग्ध उत्पाद का वितरण कार्य इनकी देख-रेख में ही किया जाए, जिससे अनावश्यक रूप से अव्यवस्था उत्पन्न न होने पाये।

4. अतएव उपर्युक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सहकारी दुग्ध संघ के इकाई प्रभारियों तथा निजी क्षेत्र की संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा सम्पर्क किये जाने पर कृपया उन्हें वाछिंत सहयोग प्रदान करते हुए आच्छादित जनपदों में जनहित में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कराने का कष्ट कष्ट करें ।

संलग्नकः उक्तवत्।

भवदीय,

(रवि शंकर गुप्ता)
विशेष सचिव।

संख्या-7/2020/336(1)/53-2-2020, व तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उ0प्र0।
(2) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
(3) विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
(4) निजी सचिव, मा0 दुग्ध विकास मंत्री जी, उ0प्र0।
(5) दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग उ0प्र0।
(6) प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0 लि0, 29 पार्क रोड लखनऊ।
(7) समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
(8) पुलिस आयुक्त, लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर/समस्त सम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक उ0प्र0।
(9) निदेशक जन सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0।
(10) सर्व सम्बन्धित द्वारा पी0सी0डी0एफ0।
(11) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रवि शंकर गुप्ता)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-7/2020 /336/53-2-2020

प्रेषक,

रवि शंकर गुप्ता,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, आजमगढ़, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद, बरेली, कानपुर नगर, मेरठ, गोरखपुर, अलीग�, सहारनपुर एवं पीलीभीत।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊःदिनांक 23 मार्च, 2020

विषयः आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जनपदों में तरल दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद की आबाध आपूर्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन (पी0सी0डी0एफ0 लि0) के पत्र संख्या 2524 डी-2/एमएसडी/सीपी/ए/कोविड-19/2020 दिनांक 23.03.2020 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा सहकारी दुग्ध संघों के इकाई प्रभारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान करते हुए, उक्त की प्रति आपको भी जिला प्रशासन स्तर से आवश्यक सहयोग प्रदान कराने हेतु पृष्ठांकित की गयी है।

2. उल्लेखनीय है कि देश "कोरोना वायरस" (COVID-19) के दुष्प्रभाव को रोकने हेतु सजग प्रयास कर रहा है। इसके दृष्टिगत प्रदेश वासियों की सुरक्षा के लिये चिकित्सा अनुभाग उ0प्र0 शासन के कार्यालय आदेश सं0 679/पॉच-5-2020, दिनांक 22.03.2020 द्वारा उ0प्र0 के 16 जनपदों (लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, आजमगढ़, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद, बरेली, कानपुर नगर, मेरठ, गोरखपुर, अलीग�, सहारनपुर एवं पीलीभीत) में दिनांक, 23 से 25 मार्च, 2020 तक पूर्ण रुप से लाक-डाऊन करने का निर्णय लिया गया है। लाक-डाऊन की अवधि में इन जनपदों में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत तरल दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की आपूर्ति बनाये रखना आवश्यक है। जनपद स्तर पर दुग्ध व्यवसाय के अंतर्गत सहकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओ की इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका है।

3. अतः उपर्युक्त दोनों प्रकार की संस्थाओं द्वारा जनपद में तरल दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की आपूर्ति यथावत् बनाये रखने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों से दुग्ध उपार्जन, परिवहन, प्रसंस्करण एवं नगरीय तरल दुग्ध विक्रय हेतु दुग्ध वाहनों के निर्बाध आवागमन, कार्यरत कार्मिकों को कार्य स्थान पर जाने की अनुमति, दुग्ध ऐजेन्टों को दुग्ध विक्रय हेतु अनुमति आदि के लिये जिला प्रशासन के सहयोग की आवश्यकता होगी, ताकि स्थानीय उपभोक्ताओं तक दुग्ध की

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उपलब्धता सहज रुप सुनिश्चित की जा सके। जनपद में दुग्ध वितरण की सम्पूर्ण व्यवस्था हेतु दुग्ध संघ प्रभारी/ दुग्ध संयन्त्र प्रभारी नोडल अधिकारी होंगे तथा जनपद में प्राईवेट वेन्डर द्वारा वितरित किए जाने वाले तरल दुग्ध, दुग्ध उत्पाद का वितरण कार्य इनकी देख-रेख में ही किया जाए, जिससे अनावश्यक रूप से अव्यवस्था उत्पन्न न होने पाये।

4. अतएव उपर्युक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सहकारी दुग्ध संघ के इकाई प्रभारियों तथा निजी क्षेत्र की संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा सम्पर्क किये जाने पर कृपया उन्हें वाछिंत सहयोग प्रदान करते हुए आच्छादित जनपदों में जनहित में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कराने का कष्ट कष्ट करें ।

संलग्नकः उक्तवत्।

भवदीय,

(रवि शंकर गुप्ता)
विशेष सचिव।

संख्या-7/2020/336(1)/53-2-2020, व तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उ0प्र0।
(2) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
(3) विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
(4) निजी सचिव, मा0 दुग्ध विकास मंत्री जी, उ0प्र0।
(5) दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग उ0प्र0।
(6) प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0 लि0, 29 पार्क रोड लखनऊ।
(7) समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
(8) पुलिस आयुक्त, लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर/समस्त सम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक उ0प्र0।
(9) निदेशक जन सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0।
(10) सर्व सम्बन्धित द्वारा पी0सी0डी0एफ0।
(11) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रवि शंकर गुप्ता)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-1

संख्या- 03/2020/ 452 /80-1-**2020-600(22)/2002** टी0सी0-II

लखनऊ : दिनांक : 23 **अप्रैल,** 2020

<u>अधिसूचना</u>

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964) की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं :-

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (बाइसवां संशोधन) नियमावली, 2020

संक्षिप्त नाम **1.** (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (बाइसवॉ संशोधन) नियमावली, 2020 कही जायेगी ।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी ।

नियम 58-क का संशोधन **2.** उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 58-क के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्

स्तम्भ-1 **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ-2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
(1) यथास्थिति भण्डार गृह, साइलो, शीतगृह या अन्य ऐसी संरचना या स्थानों, जिनकी भण्डारण क्षमता अन्यून पॉच हजार टन की हो, के स्वामी, जो ऐसे स्थान को मण्डी उप स्थल घोषित किये जाने का इच्छुक हो, को अधिनियम की धारा-7(क)(1) के अधीन प्रपत्र-तेरह में निदेशक, कृषि विपणन या उसके द्वारा प्राधकृित किसी अधिकारी को आवेदन करना होगा।	**(1)** यथास्थिति भण्डार गृह/साइलो/शीतगृह/ या अन्य ऐसी संरचना या स्थानों, जिनकी भण्डारण इकाई क्षमता अन्यून चार हजार टन या प्रसंस्करण क्षमता अन्यून दस टन प्रतिदिन हो, के स्वामी, जो ऐसे स्थान को मण्डी उप स्थल घोषित किये जाने का इच्छुक हो, को अधिनियम की धारा-7(क)(1) के अधीन प्रपत्र-तेरह में निदेशक, कृषि विपणन या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को आवेदन करना होगा। प्रतिबन्ध यह है कि केन्द्र/राज्य सरकार के सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम/निगम/सहकारी समूह के भण्डारगृह तथा साइलो, जो भण्डागार विकास तथा विनियामक प्राधिकरण में रजिस्ट्रीकृत हों, और निजी क्षेत्र के शीतगृह एवं प्रसंस्करण इकाई, जो निदेशक,

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग से लाइसेन्स प्राप्त हों, के स्वामी को राज्य सरकार द्वारा यथाविहित प्रपत्र तेरह (क) में निदेशक, कृषि विपणन या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को आवेदन करना होगा । अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि केन्द्र/राज्य सरकार के सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम/निगम/सहकारी समूह के भण्डारगृह/साइलो, विवरण संलग्न करके संयुक्त रूप से और निजी क्षेत्र के शीतगृह/साइलो, जो प्रपत्र तेरह (क) में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का लाइसेन्स धारण करते हों, के स्वामी, निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को आवेदन कर सकते हैं।
(2) ऐसे आवेदन के लिये शुल्क न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि के लिये प्रतिवर्ष दो हजार रूपये और बीस वर्ष के लिये बीस हजार रूपये होगा और पॉच लाख रूपये की प्रतिभूति भी प्रस्तुत करनी होगी ।	(2) ऐसे आवेदन के लिये शुल्क, न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि के लिये प्रतिवर्ष दो हजार रूपये अथवा बीस वर्ष के लिये बीस हजार रूपये होगा । प्रतिबन्ध यह है कि आवेदक वित्तीय वर्ष 2020-21 में शुल्क मुक्त होगा । अग्रतर प्रतिबंध यह है कि केन्द्र/राज्य सरकार के सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम/निगम/सहकारी समूह के भण्डारगृह/साइलो, आवेदन शुल्क से मुक्त होंगे ।
(3) निदेशक, कृषि विपणन आवेदक के दस्तावेजों तथा उसकी उपयुक्तता की जांच करेगा और उसे ऐसे अभिलेख को प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दे सकता है, जो उपमण्डी स्थल के संचालन हेतु आवश्यक हों और राज्य सरकार से उसे साठ दिनों के भीतर सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा उपमण्डी स्थल घोषित करने के लिये सिफारिश कर सकता है । प्रतिबन्ध यह है कि निदेशक, कृषि विपणन अपने अधीनस्थ अधिकारी को आवेदन पत्र में वर्णित विवरणों का सत्यापन करने के लिये प्राधिकृत कर सकता है ।	(3) निदेशक, कृषि विपणन आवेदक के दस्तावेजों तथा उसकी उपयुक्तता को सत्यापित करेगा और उसे ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निदेश दे सकता है, जो उपमण्डी स्थल के संचालन हेतु आवश्यक हों और राज्य सरकार से उसे साठ दिनों के भीतर गजट में अधिसूचना द्वारा उपमण्डी स्थल घोषित करने के लिये संस्तुति कर सकता है । प्रतिबन्ध यह है कि निदेशक, कृषि विपणन केन्द्र/राज्य सरकार के सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम/निगम/सहकारी समूह तथा निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग से लाइसेंस प्राप्त निजी क्षेत्र के शीतगृह एवं प्रसंस्करण इकाई के स्वामी को छोड़कर अन्य आवेदकों का सत्यापन करने के लिये किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकता है । अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि निदेशक, कृषि विपणन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मण्डी उप स्थल का आवेदन मण्डी उप स्थल घोषित करने के लिये उपयुक्त नहीं है तो इस प्रयोजनार्थ आवेदक को सुनवाई

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रतिबन्ध यह और है कि यदि निदेशक, कृषि विपणन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आवेदक का मामला, मण्डी उपस्थल घोषित किये जाने हेतु सिफारिश कियेे जाने के लिये उपयुक्त नहीं है, तो आवेदक को इस प्रयोजनार्थ सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा ।	का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा ।
(4) मण्डी उपस्थल में व्यापारी, दलाल, अढ़तिया, गोदाम परिचालक, तौलक या पल्लेदार के रूप में कारोबार या कार्य कर रहे व्यक्ति या व्यक्तियों को संबंधित मण्डी समिति से उपयुक्त लाइसेंस प्राप्त करना होगा और अधिनियम तथा नियमावली के उपबन्धों के अनुसार कार्य करना होगा ।	(4) मण्डी उपस्थल में व्यापारी, दलाल, अढ़तिया, गोदाम परिचालक, तौलक या पल्लेदार के रूप में कारोबार या कार्य कर रहे व्यक्ति या व्यक्तियों को संबंधित मण्डी समिति से उपयुक्त लाइसेंस प्राप्त करना होगा और अधिनियम तथा नियमावली के उपबन्धों के अनुसार कार्य करना होगा ।
	(5)निदेशक, मण्डी परिषद्, मण्डी उपस्थल की घोषणा के तत्काल पश्चात् मण्डी उपस्थल के स्वामी/आवेदक तथा अन्य लाइसेन्सधारियों के लिए प्रपत्र संख्या 6, प्रपत्र संख्या 9 की सुविधाएं तथा गेट पास आदि जारी करने, और मण्डी परिषद् के पोर्टल पर प्रवेश करने की सुविधाएं उपलब्ध करायेगा और दैनिक संव्यवहार तथा मण्डी शुल्क से संबंधित सूचना, निदेशक, कृषि विपणन या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के निरीक्षण के समय आनलाइन प्रवेश के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी । अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि मण्डी उप स्थल के स्वामी/लाइसेंसधारी को निदेशक, कृषि विपणन द्वारा विहित किये गये प्रारूप में दैनिक संव्यवहार, स्टाक तथा अधिसूचित वस्तुओं की बहिर्गामी मात्राओं तथा अन्तिम अतिशेष से संबंधित सूचना को अनुरक्षित करना होगा ।

नियम 58-ख का संशोधन 3- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 58-ख के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(1)कोई व्यक्ति, जिसमें कृषक सहकारी समूह, कृषक उत्पादक संगठन तथा प्रसंस्करणकर्ता/निर्यातकर्ता सम्मिलित हो, जो मुख्य मण्डी स्थल,/ मण्डी उपस्थल/उप मण्डी स्थल/निजी मण्डी स्थल के बाहर उत्पादन क्षेत्र के निकट आधारभूत संरचना विशेषतः स्थाई/अस्थाई गोदाम, तौलाई की सुविधा और कृषकों हेतु अन्य सामान्य सुविधाएं सहित संग्रह/संकलन केन्द्र के रूप में कृषकों से सीधे कृषि उत्पाद खरीदने का इच्छुक हो, धारा 7 (ख) के अधीन प्रपत्र चौदह में निदेशक, कृषि विपणन को संरचना का विवरण और प्रपत्र में विहित अन्य सूचनाओं के साथ आवेदन करेगा ।	(1)कोई व्यक्ति, जिसमें कृषक सहकारी समूह, कृषक उत्पादक संगठन तथा प्रसंस्करणकर्ता/निर्यातकर्ता सम्मिलित हो, जो मुख्य मण्डी स्थल,/ मण्डी उपस्थल/उप मण्डी स्थल/निजी मण्डी स्थल के बाहर उत्पादन क्षेत्र के निकट आधारभूत संरचना विशेषतः स्थाई/अस्थाई गोदाम, तौलाई की सुविधा और कृषकों हेतु अन्य सामान्य सुविधाएं सहित संग्रह/संकलन केन्द्र के रूप में कृषकों से सीधे कृषि उत्पाद क्रय करने का इच्छुक हो, धारा 7 (ख) के अधीन प्रपत्र चौदह में निदेशक, कृषि विपणन को संरचना का विवरण और प्रपत्र में विहित अन्य सूचनाओं के साथ आवेदन करेगा ।
(2)आवेदक, वित्तीय प्रास्थिति, सहायक दस्तावेजों सहित संसाधनों का विवरण, बैंक-विवरण, गत तीन वर्षों की आयकर विवरणी, स्थायी परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की सूची और कम्पनी के मामले में संगम ज्ञापन एवं संगम अनुच्छेद तथा उत्पादक विक्रेता से विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद सीधे क्रय करने हेतु आवेदक की विश्वसनीयता को दर्शाने वाले अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करेगा ।	(2)आवेदक, वित्तीय प्रास्थिति, सहायक दस्तावेजों सहित संसाधनों का विवरण, बैंक-विवरण, गत तीन वर्षों की आयकर विवरणी, स्थायी आस्तियों एवं देयताओं की सूची और कम्पनी के मामले में संगम ज्ञापन एवं संगम अनुच्छेद तथा उत्पादक विक्रेता से विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद सीधे क्रय करने हेतु आवेदक की विश्वसनीयता को दर्शाने वाले अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करेगा ।
(3)सीधे विपणन के लिये प्रत्येक क्रय केन्द्र हेतु एक लाख रूपये की प्रतिभूमि सहित लाइसेंस शुल्क, एक हजार रूपये प्रति वर्ष या 10,000 रूपये बीस वर्षों हेतु होगा । प्रतिबन्ध यह है कि यदि लाइसेंस की शर्तों का अनुपालन न करने से भिन्न किसी कारण से लाइसेंस स्वीकृत नहीं किया जाता है तो आवेदक द्वारा संदत्त लाइसेंस शुल्क की धनराशि तथा प्रतिभूति धनराशि का प्रतिसंदाय, प्रक्रिया लागत के रूप में शुल्क से दस प्रतिशत कटौती करने के पश्चात् किया जायेगा ।	(3)सीधे विपणन के लिये, प्रत्येक क्रय केन्द्र हेतु एक लाख रूपये की प्रतिभूति सहित लाइसेंस शुल्क, एक हजार रूपये प्रति वर्ष या दस हजार रूपये बीस वर्षों हेतु होगा । प्रतिबन्ध यह है कि यदि लाइसेंस की शर्तों का अनुपालन न करने से भिन्न किसी कारण से लाइसेंस स्वीकृत नहीं किया जाता है तो आवेदक द्वारा संदत्त लाइसेंस शुल्क की धनराशि तथा प्रतिभूति धनराशि का प्रतिसंदाय, प्रक्रिया लागत के रूप में शुल्क से दस प्रतिशत कटौती करने के पश्चात् किया जायेगा । प्रतिबन्ध यह है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में कृषक सहकारी समूह और कृषक उत्पादक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	संगठन, उपरोक्त शुल्क तथा प्रतिभूति से मुक्त होंगे
(4)आवेदक एक या अधिक मण्डी क्षेत्रों में, एक या अधिक सीधे क्रय केन्द्रों हेतु आवेदन कर सकता है।	(4)आवेदक एक या अधिक मण्डी क्षेत्रों में, एक या अधिक सीधे क्रय केन्द्रों हेतु आवेदन कर सकता है।
(5)निदेशक, कृषि विपणन किसी ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारियों, जिन्हें वह उचित समझे, के परामर्श से प्रस्ताव का परीक्षण करेगा और सुधार हेतु आवश्यक उपायों का सुझाव दे सकता है अथवा स्वयं का समाधान करने के पश्चात् प्रपत्र चौदह-क में लाइसेन्स स्वीकृत कर सकता है ।	(5)निदेशक, कृषि विपणन किसी ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारियों, जिन्हें वह उचित समझे, के परामर्श से प्रस्ताव का परीक्षण करेगा और सुधार हेतु आवश्यक उपायों का सुझाव दे सकता है अथवा स्वयं का समाधान करने के पश्चात् प्रपत्र चौदह-क में लाइसेन्स स्वीकृत कर सकता है ।
(6)लाइसेंस प्राधिकारी जैसे ही लाइसेंस जारी करेगा वैसे ही उसकी सूचना सम्बन्धित मण्डी समिति व निदेशक, मण्डी परिषद् को देगा ।	(6)लाइसेंस प्राधिकारी जैसे ही लाइसेंस जारी करेगा वैसे ही उसकी सूचना सम्बन्धित मण्डी समिति व निदेशक, मण्डी परिषद् को देगा ।
	6 (क) निदेशक, कृषि विपणन द्वारा सीधे विपणन करने का लाइसेंस जारी किये जाने के तत्काल पश्चात् निदेशक, मण्डी परिषद् प्रपत्र संख्या 6, प्रपत्र संख्या 9 की सुविधाएं, और गेट पास आदि जारी करने, और मण्डी परिषद् पोर्टल में प्रवेश करने की सुविधाएं उपलब्ध करायेगा। दैनिक संव्यवहार एवं मण्डी शुल्क संबंधी सूचना, निदेशक, कृषि विपणन या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को निरीक्षण करने के समय आनलाइन प्रवेश के रूप में प्रदान की जायेगी । अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि सीधे विपणन के लाइसेन्सधारी को निदेशक, कृषि विपणन द्वारा यथाविहित प्रारूप में अधिसूचित वस्तुओं के दैनिक संव्यवहार, स्टाक, बहिर्गामी मात्राओं एवं अन्तिम अतिशेष सम्बन्धी सूचना अनुरक्षित करनी होगी और मांगे जाने पर प्रस्तुत करनी होगी ।

आज्ञा से,
डा0 देवेश चतुर्वेदी
प्रमुख सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 03 /2020/ 452(1)/80-1-2020, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन ।
2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन ।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन
4- प्रमुख सचिव, सहकारिता/उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/खाद्य एवं रसद/कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन ।
5- निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, लखनऊ ।
6- निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्, लखनऊ ।
7- निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0, लखनऊ ।
8- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
9- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
10- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को उपरोक्त अधिसूचना की अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद दिनांक 23 अप्रैल, 2020 की प्रति सहित आगामी असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 के खण्ड में प्रकाशनार्थ । कृपया अधिसूचना की 50 प्रतियॉ शासन को भेजने का कष्ट करें ।
11- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

राजेन्द्र सिंह
विशेष सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
सचिवालय प्रशासन अनुभाग-3(अधि0)
संख्याः 13/2020/1476/बीस-ई-3/2020
लखनऊ: दिनांक 23 अप्रैल, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

सचिवालय परिसर में कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के प्रसार को रोकने के सम्बन्ध में सचिवालय प्रशासन अनुभाग-3(अधि0) के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1421-बीस-ई-3/2020, दिनांक 19 मार्च, 2020 जिसके द्वारा सचिवालय परिसर के प्रत्येक भवन के प्रवेश द्वारों एवं तलों पर सफाई व्यवस्था एवं सैनिटाइजेशन की कार्यवाही के पर्यवेक्षण हेतु नोडल अधिकारी/लिंक अधिकारी नामित किये गये हैं तथा परिपत्र संख्या-1475-बीस-ई-3/2020, दिनांक 21 अप्रैल, 2020 द्वारा इस हेतु अपनाए जाने वाले निवारक उपायों का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- सचिवालय परिसर के प्रत्येक भवन के प्रवेश द्वारों एवं तलों पर सफाई व्यवस्था एवं सैनिटाइजेशन की कार्यवाही के पर्यवेक्षण हेतु नामित नोडल अधिकारियों का विवरण संलग्नक 1 से 3 के अनुसार है। इन नोडल अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आवंटित तल/स्थल पर नियमित रूप से सफाई व्यवस्था एवं सैनिटाइजेशन की कार्यवाही का नियमित निरीक्षण करेंगे और इसकी नियमित रिपोर्ट सचिवालय प्रशासन अनुभाग-7(विविध) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। यदि कोई कमी दृष्टिगोचर हो तो उसे सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारी के संज्ञान में लाएंगे। नोडल अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान निम्न बिन्दु चेक किये जाएंगे:-

1) सचिवालय में प्रवेश के समय सचिवालय सुरक्षा कर्मियों द्वारा थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की गयी है। उन्हें यह भी निर्देश हैं कि थर्मल स्कैनिंग में किसी अधिकारी/कर्मचारी का उच्च तापमान पाये जाने पर उनसे अनुरोध कर लें कि वह अपनी चिकित्सकीय जांच करा लें और ठीक होने के उपरान्त ही सचिवालय आयें। उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है अथवा नहीं।
2) सचिवालय के सभी प्रवेश द्वारों पर वॉश बेसिन तथा लिक्विड सोप की व्यवस्था उपलब्ध है अथवा नहीं।
3) सचिवालय के सभी प्रसाधन कक्षों में लिक्विड सोप की व्यवस्था उपलब्ध है अथवा नहीं।
4) सचिवालय परिसर में ऐसे सभी स्थान जहां पर हाथ का स्पर्श होता है, यथा कुर्सी, मेज, दरवाजे, हैंडल, आलमारी की सतहों, टेलीफोन रिसीवर, लिफ्ट के बटन, प्रसाधन कक्षों के नल/फासिट, सीढ़ियों की रेलिंग इत्यादि को नियमित रूप से दिन में दो या तीन बार सैनिटाइज कराया जा रहा है अथवा नहीं।
5) सभी अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यावधि में मॉस्क पहनकर सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन कर रहे हैं अथवा नहीं।

3- यदि नोडल अधिकारी किसी कारणवश अवकाश पर रहते हैं तो उनके लिंक अधिकारी द्वारा उनके दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा।

संलग्नक-यथोक्त।

महेश कुमार गुप्ता
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-13/2020/1476(1)/बीस-ई-3/2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

(2) कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

(3) औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

(4) अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।

(5) प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।

(6) प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।

(7) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त व्यवस्थाओं का स्वस्तर से भी आकस्मिक जांच कराने का कष्ट करें।

(8) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

(9) राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उ0प्र0 शासन

(10) मुख्य सुरक्षा अधिकारी/मुख्य स्वागत अधिकारी/मुख्य व्यवस्था अधिकारी, उ0प्र0 सचिवालय।

(11) अनुभाग अधिकारी, सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुभाग-7 (विविध)।

(12) संबंधित नोडल अधिकारी/लिंक अधिकारी

आज्ञा से,

(सुरजन सिंह)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-1

सचिवालय प्रशासन अनुभाग-3 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1421/बीस-ई-3-2020, दिनांक 19-03-2020 का संलग्नक

क्रमांक	भवन का नाम	तल वार स्थिति	नोडल अधिकारी				लिंक अधिकारी			
			नाम	पदनाम	मोबाईल सं0	विभाग का नाम	नाम	पदनाम	मोबाईल सं0	विभाग का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	लाल बहादूर शास्त्री भवन	भूतल तल	प्रवेन्द्र सिंह सागर	अनु सचिव	9454414001	कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	मनोज कुमार मौर्य	अनु सचिव	9454413745	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
2	लाल बहादूर शास्त्री भवन	प्रथम तल	धमेन्द्र कुमार पाठक	अनु सचिव	9454413326	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग	मनीष चन्द्र श्रीवास्तव	अनु सचिव	9454412667	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
3	लाल बहादूर शास्त्री भवन	द्वितीय तल	सत्य प्रकाश	अनु सचिव	9454413203	राजस्व विभाग	संजय कुमार दुबे	अनु सचिव	9454413865	राजस्व विभाग
4	लाल बहादूर शास्त्री भवन	तृतीय तल	प्रेमेन्द्र कुमार गुप्त	अनु सचिव	9454413874	उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप विभाग	अशोक कुमार पुत्र राम किशोर	अनु सचिव	9454413937	खाद्य तथा रसद विभाग
5	लाल बहादूर शास्त्री भवन	चतुर्थ तल	राजेन्द्र प्रसाद यादव	अनु सचिव	9454412603	आयुष विभाग	राज कुमार झा	अनु सचिव	9454412413	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
6	लाल बहादूर शास्त्री भवन	पंचम तल	प्रेम शंकर तिवारी	अनु सचिव	9454412482	चिकित्सा शिक्षा विभाग	राज कुमार झा	अनु सचिव	9454412413	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
7	बापू भवन	भूतल तल	संजीव श्रीवास्तव	अनु सचिव	9454413167	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	आन्नद कुमार त्रिपाठी	अनु सचिव	9454414112	ऊर्जा विभाग
8	बापू भवन	प्रथम तल	आनन्द कुमार त्रिपाठी	अनु सचिव	9454414112	ऊर्जा विभाग	संजीव श्रीवास्तव	अनु सचिव	9454413167	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
9	बापू भवन	द्वितीय तल	अजीत प्रताप सिंह	अनु सचिव	9454411707	सूचना विभाग	सत्यवान सिंह	अनु सचिव	9454412923	श्रम विभाग
10	बापू भवन	तृतीय तल	सुशील कुमार शुक्ल	अनु सचिव	9454412373	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग	चिरौंजी लाल	अनु सचिव	9454412379	श्रम विभाग
11	बापू भवन	चतुर्थ तल	डॉ रमेश चन्द्र तिवारी	अनु सचिव	9454412595	समाज कल्याण विभाग	राकेश मोहन चौधरी	अनु सचिव	9454413577	सैनिक कल्याण विभाग
12	बापू भवन	पंचम तल	राकेश कुमार सचन	अनु सचिव	9454413197	समाज कल्याण विभाग	डॉ दीपक कोहली	उप सचिव	9454410037	पर्यावरण तथा वन्य जलवायु परिवर्तन विभाग

3l

क्रमांक	भवन का नाम	तल वार स्थिति	नोडल अधिकारी				लिंक अधिकारी			
			नाम	पदनाम	मोबाईल सं0	विभाग का नाम	नाम	पदनाम	मोबाईल सं0	विभाग का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	बापू भवन	छट्ठम तल	विनोद कुमार सिंह	अनु सचिव	9454413761	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग	राम प्रकाश सिंह	अनु सचिव	9454412624	पर्यावरण तथा वन्य जलवायु परिवर्तन विभाग
14	बापू भवन	सत्तम तल	मदन मोहन त्रिपाठी	अनु सचिव	9454412395	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग	अलोक कुमार द्विवेदी	अनु सचिव	9454411500	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग
15	बापू भवन	अष्ठम तल	अखिलानन्द ब्रह्मचारी	अनु सचिव	9454413390	नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग	बृजेन्द्र सिंह	अनु सचिव	9454413534	नगर विकास विभाग
16	बापू भवन	नवम तल	बृज भूषण सिंह	अनु सचिव	9454412060	नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग	बृजेन्द्र सिंह	अनु सचिव	9454413534	नगर विकास विभाग
17	लोक भवन बी0 ब्लाक	बेसमेन्ट	विश्वनाथ दुबे	अनु सचिव	9454414150	नियुक्ति विभाग	शिव प्रसाद	अनु सचिव	9454413165	नियुक्ति विभाग
18	लोक भवन बी0 ब्लाक	भूतल तल	शिव प्रसाद	अनु सचिव	9454413165	नियुक्ति विभाग	विश्वनाथ दुबे	अनु सचिव	9454414150	नियुक्ति विभाग
19	लोक भवन बी0 ब्लाक	प्रथम तल	देवेश मिश्र	अनु सचिव	9454414106	नियुक्ति विभाग	विजय कुमार शंखवार	उप सचिव	9454412228	नियुक्ति विभाग
20	लोक भवन बी0 ब्लाक	द्वितीय तल	पुष्पेन्द्र सिंह	अनु सचिव	9454411441	नियुक्ति विभाग	प्रवीण कुमार सिंह	अनु सचिव	9454413012	नियुक्ति विभाग
21	लोक भवन बी0ब्लाक	तृतीय तल	अरविन्द मोहन	अनु सचिव	9454412574	मुख्यमंत्री कार्यालय लोक शिकायत	लाल साहब सिंह	अनु सचिव	9454413924	मुख्यमंत्री कार्यालय लोक शिकायत
22	लोक भवन बी0 ब्लाक	चतुर्थ तल	भाष्कर चन्द्र कान्डपाल	अनु सचिव	9454413532	मुख्यमंत्री कार्यालय लोक शिकायत	अजय कुमार तिवारी	अनु सचिव	9454413171	मुख्यमंत्री कार्यालय लोक शिकायत
23	लोक भवन बी0 ब्लाक	पंचम तल	अजय कुमार तिवारी	अनु सचिव	9454413171	मुख्यमंत्री कार्यालय लोक शिकायत	भाष्कर चन्द्र कान्डपाल	अनु सचिव	9454413532	मुख्यमंत्री कार्यालय लोक शिकायत
24	लोक भवन सी0 ब्लाक	भूतल तल	राजेश प्रताप सिंह	अनु सचिव	9454412470	कार्मिक विभाग	प्रेम कुमार पाण्डेय	अनु सचिव	9454413316	हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग
25	लोक भवन सी0 ब्लाक	प्रथम तल	प्रेम कुमार पाण्डेय	अनु सचिव	9454413316	हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग	राजेश प्रताप सिंह	अनु सचिव	9454412470	कार्मिक विभाग

क्रमांक	भवन का नाम	तल वार स्थिति	नोडल अधिकारी				लिंक अधिकारी			
			नाम	पदनाम	मोबाईल सं0	विभाग का नाम	नाम	पदनाम	मोबाईल सं0	विभाग का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	लोक भवन सी0 ब्लाक	द्वितीय तल	रजनीकांत पाण्डेय	अनु सचिव	9454413445	औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना विभाग	राजेन्द्र कुमार	अनु सचिव	9454411620	एन0आर0आई0 विभाग
27	लोक भवन सी0 ब्लाक	तृतीय तल	विजय कुमार मिश्रा	अनु सचिव	9454412434	सतर्कता	प्रकाश चन्द्र अग्रवाल	अनु सचिव	9454412851	गृह/गोपन विभाग
28	लोक भवन सी0 ब्लाक	चतुर्थ तल	फिरोज आलम	अनु सचिव	9454411847	गृह/गोपन विभाग	महेंद्र सिंह	अनु सचिव	9454411872	गृह/गोपन विभाग
29	लोक भवन सी0 ब्लाक	पंचम तल	विश्वजीत सिंह	अनु सचिव	9454412558	गृह/गोपन विभाग	कमलाकांत	अनु सचिव	9454413252	गृह/गोपन विभाग
30	लोक भवन सी0 ब्लाक	छट्म तल	ह्रदय नारायण सिंह यादव	अनु सचिव	9454412841	भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग	सत्येन्द्र कुमार श्रीवास्तव	अनु सचिव	9454413939	खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन
31	लोक भवन सी0 ब्लाक	सत्तम तल	कृष्ण कुमार सिंह	अनु सचिव	9454411266	कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग	विभाकर द्विवेदी	अनु सचिव	9454413244	नागरिक सुरक्षा विभाग
32	बहुखण्डी भवन एवं सचिव भवन	भूतल तल	संदीप परमार	अनु सचिव	9454413453	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	राम केशर यादव	अनु सचिव	9454413002	ग्राम्य विकास विभाग
33	बहुखण्डी भवन एवं सचिव भवन	प्रथम तल	धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा	अनु सचिव	9454413002	बेसिक शिक्षा	विनोद कुमार द्विवेदी	अनु सचिव	9454411946	पशुधन विभाग
34	बहुखण्डी भवन एवं सचिव भवन	द्वितीय तल	रवीन्द्र प्रताप सिंह	अनु सचिव	9454412925	कृषि विभाग	दिलीप कुमार शुक्ला	अनु सचिव	9454413365	विधायी विभाग
35	बहुखण्डी भवन एवं सचिव भवन	तृतीय तल	रमाकान्त शुक्ल	अनु सचिव	9454413221	ग्रामीण अभियंत्रण विभाग	महेंद्र कुमार त्रिपाठी	अनु सचिव	9454413324	नमामि गंगे एवं ग्रमीण जलपूर्ति विभाग
36	विकास भवन	प्रथम तल	राजेंद्र प्रसाद	अनु सचिव	9454412374	लोक निर्माण विभाग	भाष्कर पाण्डेय	उप सचिव	9454412214	लोक निर्माण विभाग
37	विकास भवन	द्वितीय तल	राज कुमार	अनु सचिव	9454413566	लोक निर्माण विभाग	दुर्गा सिंह	अनु सचिव	9454412519	लोक निर्माण विभाग
38	विकास भवन	चतुर्थ तल	अवनींद्र शुक्ल	अनु सचिव	9454413478	निर्वाचन विभाग	पंकज कुमार सिंह	अनु सचिव	9454411377	निर्वाचन विभाग
39	विकास भवन	सत्तम तल	ओम प्रकाश यादव	अनु सचिव	9454412412	निर्वाचन विभाग	पंकज कुमार सिंह	अनु सचिव	9454411377	निर्वाचन विभाग

क्रमांक	भवन का नाम	तल वार स्थिति	नोडल अधिकारी				लिंक अधिकारी			
			नाम	पदनाम	मोबाईल सं0	विभाग का नाम	नाम	पदनाम	मोबाईल सं0	विभाग का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	नवीन भवन पूर्व	भूतल तल	दर्शपाल आर्य	अनु सचिव	9454412247	राज्य सम्पत्ति विभाग	राजाराम द्विवेदी	उप सचिव	9454413866	राज्य सम्पत्ति विभाग
41	नवीन भवन उत्तर	भूतल तल	अशोक कुमार पाण्डेय	अनु सचिव	9454413347	वित्त विभाग/ संस्थागत वित्त विभाग	होरेन्द्र कुमार सिंह	उप सचिव	9454411171	उच्च शिक्षा विभाग
42	नवीन भवन पश्चिम	भूतल तल	उमेश यादव	अनु सचिव	9454412377	सामान्य प्रशासन विभाग	भैरवनाथ शुक्ल	उप सचिव	9454413867	सचिवालय प्रशासन विभाग
43	नवीन भवन दक्षिण	भूतल तल	गुरुप्रसाद तिवारी	अनु सचिव	9454411527	राज्य सम्पत्ति विभाग	रमाशंकर यादव	उप सचिव	9454413169	राज्य सम्पत्ति विभाग
44	नवीन भवन पूर्व	प्रथम तल	सोमनाथ	अनु सचिव	9454412428	धर्मार्थ कार्य विभाग	अशोक कुमार तिवारी	उप सचिव	9454413016	धर्मार्थ कार्य विभाग
45	नवीन भवन उत्तर	प्रथम तल	राजेंद्र	अनु सचिव	9454411378	वित्त विभाग	सजीवन	अनु सचिव	9454413781	वित्त विभाग
46	नवीन भवन पश्चिम	प्रथम तल	प्रभाष कुमार	अनु सचिव	9454413918	सचिवालय प्रशासन विभाग	कृपा शंकर यादव	अनु सचिव	9454413887	मत्स्य विभाग
47	नवीन भवन दक्षिण	प्रथम तल	रघुबीर	अनु सचिव	9454411213	सचिवालय प्रशासन विभाग	मुन्ना लाल गुप्ता		9454411881	वित्त विभाग
48	अधिकारी भवन	भूतल	शिव प्रकाश सिंह	अनु सचिव	9454413175	वित्त विभाग/ संस्थागत वित्त विभाग	चंद्रशेखर मिश्र	अनु सचिव	9454412285	वित्त विभाग/ संस्थागत वित्त विभाग
49	अधिकारी भवन	प्रथम तल	अजय प्रताप सिंह	अनु सचिव	9454413258	वित्त विभाग/ संस्थागत वित्त विभाग	शिवगोपाल सिंह	उप सचिव	9454414136	वित्त विभाग/ संस्थागत वित्त विभाग
50	अधिकारी भवन	द्वितीय तल	उदयवीर सिंह राठौर	अनु सचिव	9454413784	वित्त विभाग/ संस्थागत वित्त विभाग	रविन्द्र नाथ सिंह	अनु सचिव	9454412925	वित्त विभाग/ संस्थागत वित्त विभाग
52	मुख्य भवन	भूतल तल	कमाल अहमद	अनु सचिव	9454412619	भाषा	हरिबक्श सिंह	अनु सचिव	9454411779	भाषा
53	मुख्य भवन	प्रथम तल	रमेश चन्द्र मिश्र	अनु सचिव	9454413242	ग्राम्य विकास विभाग	ओमकार नाथ पाण्डेय	अनु सचिव	9454413328	ग्राम्य विकास विभाग

क्रमांक	भवन का नाम	तल वार स्थिति	नोडल अधिकारी				लिंक अधिकारी			
			नाम	पदनाम	मोबाईल सं0	विभाग का नाम	नाम	पदनाम	मोबाईल सं0	विभाग का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	दरबारी लाल शर्मा		विद्या कुमार	अनु सचिव	9454413858	मुख्य व्यवस्थाधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग	राजाराम द्विवेदी	उप सचिव	9454413866	राज्य सम्पत्ति विभाग
51	योजना भवन	भूतल/द्वितीय/ पंचम तल	श्याम प्रकाश नारायण	उप सचिव	9454412343	उ0प्र0पुनर्गठन समन्वय विभाग	ऋषिकेश दुबे	संयुक्त सचिव	9454412779	नियोजन
	योजना भवन	एन0आइ0सी0 के	राज्य विज्ञान सूचना अधिकारी, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ द्वारा प्राधिकृत नोडल अधिकारी							

संलग्नक-2

सचिवालय प्रशासन अनुभाग-3 के कायालय ज्ञाप सं0-1421/बीस-इ-3-2020, दिनांक 19-03-2020 का संलग्नक

क्रमांक	भवन का नाम	समय	नोडल अधिकारी			लिंक अधिकारी		
			नाम	पदनाम	मोबाइल नं0	नाम	पदनाम	मोबाइल नं0
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	लाल बहादूर शास्त्री भवन सभी गेट	09.00 से 17.00 बजे तक	राकेश कुमार	उप निरीक्षक	9454412087	धारानाथ	अग्निशमन अधिकारी	9454412130
2	लाल बहादूर शास्त्री भवन सभी गेट	17.00 बजे से बन्द होने तक	अनुपम कुमार सिंह	उप निरीक्षक	9454413300			
3	बापू भवन सभी गेट	09.00 से 17.00 बजे तक	भोनेश्वर कुमार	उप निरीक्षक	9454411326	साहब सिंह यादव	अग्निशमन अधिकारी	9454411887
4	बापू भवन सभी गेट	17.00 बजे से बन्द होने तक	अनिलेश प्रकाश सिंह	उप निरीक्षक	9454414021			
5	लोक भवन गेट नं0- 1/2/3 एवं पास आफिस गेट	09.00 से 17.00 बजे तक	राजेन्द्र कुमार सिंह	निरीक्षक	9454413520	राम निवास	अग्निशमन अधिकारी	9454410654
6	लोक भवन गेट नं0- 1/2/3 एवं पास आफिस गेट	17.00 बजे से बन्द होने तक	राजेश कुमार	उप निरीक्षक	9454412832			
7	लोक भवन गेट नं0 7/9	09.00 से 17.00 बजे तक	हरिशंकर शर्मा	उप निरीक्षक	9454413819	चन्द्रशेखर	द्वितीय अग्निशमन अधिकारी	9454413951
8	लोक भवन गेट नं0 7/9	17.00 बजे से बन्द होने तक	विनोद कुमार सिंह	उप निरीक्षक	9454412467			
9	मुख्य भवन गेट नं0 1/2/3	09.00 से 17.00 बजे तक	सुनील कुमार त्रिपाठी	प्रतिसार निरीक्षक	9454413686	सतीश चन्द्र	द्वितीय अग्निशमन अधिकारी	9454410684
10	मुख्य भवन गेट नं0 1/2/3	17.00 बजे से बन्द होने तक	अविनाश चन्द्र मिश्रा	उप निरीक्षक	9454413912			
11	मुख्य भवन गेट नं0 8/ 9/10	09.00 से 17.00 बजे तक	केदार नाथ दुबे	उप निरीक्षक	9454411349	प्रकाश चन्द्र	द्वितीय अग्निशमन अधिकारी	9454413382
12	मुख्य भवन गेट नं0 8/ 9/10	17.00 बजे से बन्द होने तक	विजय कुमार त्रिपाठी	उप निरीक्षक	9454412922			

क्रमांक	भवन का नाम	समय	नोडल अधिकारी			लिंक अधिकारी		
			नाम	पदनाम	मोबाइल नं0	नाम	पदनाम	मोबाइल नं0
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	विकास भवन सभी गेट	09.00 से 17.00 बजे तक	उमेश चन्द्र सिंह	उप निरीक्षक	9454410718	सुभाष चन्द्र यादव	द्वितीय अग्निशमन अधिकारी	9454413014
14	विकास भवन सभी गेट	17.00 बजे से बन्द होने तक	प्रदीप कुमार पाल	निरीक्षक	9454411585			
15	नवीन भवन गेट नं0 4/5/6/7	09.00 से 17.00 बजे तक	शिवाकान्त शुक्ला	उप निरीक्षक	9454410733	मो0 आफाक	द्वितीय अग्निशमन अधिकारी	9454412026
16	नवीन भवन गेट नं0 4/5/6/7	17.00 बजे से बन्द होने तक	उपेन्द्र कुमार मिश्रा	उप निरीक्षक	9454412857			
17	योजना भवन सभी गेट	09.00 से 17.00 बजे तक	राकेश कुमार पाण्डेय	उप निरीक्षक	9454412712	राम बरन यादव	द्वितीय अग्निशमन अधिकारी	9454413094
18	योजना भवन सभी गेट	17.00 बजे से बन्द होने तक	सतीश कुमार दीक्षित	निरीक्षक	9454411846			

संलग्नक-3

सचिवालय प्रशासन अनुभाग-3 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1421/बीस-इ-3-2020, दिनांक 19-03-2020 का संलग्नक

क्रम सं0	पदनाम	नाम	भवन	मोबाइल नं0	कार्यालय दूरभाष
1	मुख्य व्यवस्थाधिकारी	सुमन चौधरी	नवीन भवन	9454412495 / 9415501483	2237978 / 2213491
2	व्यवस्थापक	मोहित अग्रवाल	लोक भवन	9454452906	2226787
3	व्यवस्थापक	मुकेश कुमार	लोक भवन	8877449944	2226787
4	व्यवस्थापक	सलमान मंसूरी	अधिकारी भवन/नवीन भवन/दरबारी लाल शर्मा भवन	9454453681	2213534 / 2237978
5	व्यवस्थापक	कामरान अहमद अलवी	योजना भवन	9454453477	2236654
6	व्यवस्थापक	हर्षिता पाण्डेय	बहुखण्डी भवन/सचिव भवन	9454452937	2213083
7	व्यवस्थापक	शान्तुनु त्यागी	विकास भवन	8527272363	2613484
8	व्यवस्थापक	कनिष्क सिंह	शास्त्री भवन	9454453023	2235316
9	व्यवस्थापक	अनुराग सिंह यादव	मुख्य भवन	9454412810	2213192
10	व्यवस्थापक	रविश सिद्दीकी	बापू भवन	9454453179	2214502
11	व्यवस्थापक	राम जनम यादव	बापू भवन	7905581947	2214502

संख्या-07/2020/ 964/ 77-6-2020

प्रेषक,

सुजाता शर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त उपायुक्त जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 24 मार्च, 2020

विषय- कोविड-19 के सम्बन्ध में कर्मचारियों/कर्मकारों, को भुगतान युक्त अवकाश प्रदान किए जाने एवं कोविड-19 के रोकथाम के संबंध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्रम अनुभाग-3 के अधिसूचना संख्या-09/2020/446/36-03-2020-30(सा0)/2020 दिनांक 20 मार्च, 2020 (प्रति संलग्न) के संदर्भ में निम्नलिखित दिशा- निर्देश निर्गत किए जा रहें हैं:-

1. कोविड-19 से ग्रसित कर्मचारियों/कर्मकारों, जो कोविड-19 से संदिग्ध रूप से प्रभावित हों और पृथककरण में रखे गए हों, को उनके नियोजकों द्वारा 28 दिन का भुगतान युक्त अवकाश प्रदान किया जाएगा। ऐसा अवकाश केवल तभी अनुमन्य होगा जब ऐसे कर्मकार या कर्मचारी स्वस्थ होने के पश्चात अपने नियोजक या प्राधिकृत व्यक्ति को चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान/प्रस्तुत करेंगे।

2- ऐसी दुकानों/वाणिज्यिक अधिष्ठानों/कारखानों, जो राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों से अस्थायी रूप से बन्द हैं, के कर्मचारियों/कर्मकारों को ऐसी अस्थायी बन्दी अवधि के लिये उनके नियोजकों द्वारा मजदूरी सहित अवकाश प्रदान किया जाएगा।

3- ऐसी समस्त दुकानों/वाणिज्यिक अधिष्ठानों/कारखानों, जहां दस या उससे अधिक कर्मकार नियोजित/योजित हों, को उक्त अधिष्ठानों के सूचना पट्ट और मुख्य द्वार पर, कोविड-19 की रोकथाम के लिये केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा विहित सुरक्षा उपायों को प्रदर्शित करना होगा।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोक्त-

भवदीया,

(सुजाता शर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या 07/2020/ 964 /77-6-2020 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, श्रम विभाग उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, एम0एस0एम0ई0, उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

6. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु 12-सी मॉल एवेन्यू।
7. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग कानपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग उ0प्र0 शासन।
9. समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0 (द्वारा आयुक्त एवं निदेशक उद्योग)।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुजाता शर्मा)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-1
संख्या-3/2020-305/का-1-2020
लखनऊः 24 मार्च, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

विषय- सरकारी कार्यालयों में कोरोना वायरस नये (कोविड-19) के प्रसार को रोकने के लिये अपनाये जाने वाले निवारक उपाय।

उपर्युक्त विषयक चिकित्सा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या-679/पांच-2020 दिनांक 22-03-2020 का संज्ञान लेते हुए कार्मिक अनुभाग-4 द्वारा निर्गत कार्यालय-ज्ञाप संख्या-303 /सामान्य-का-4-2020 दिनांक 20-03-2020 को संशोधित करते हुए निम्नवत् दिशा निर्देश दिये जाते है:-

(1) विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्य इस प्रकार का रोस्टर तैयार करेगे कि समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों, जिनमें सलाहकार एवं संविदा तथा आउटसोर्स कार्मिक भी शामिल है और जो प्रत्येक विभाग में आवश्यक सेवायें संपादित कर रहें है, उन्हें ही दिनांक 23.03.2020 से दिनांक 31.03.2020 तक की अवधि में कार्यालय उपस्थित होने हेतु कहा जाय। अन्य शब्दों में कार्यालय के कार्य अल्प स्टाफ (Skeletal Staff) द्वारा संचालित करायें जायें। ऐसे कार्मिक जो घर से कार्य कर रहें है वह हर समय टेलीफोन एवं इलेक्ट्रानिक माध्यम पर किसी भी तरह के सम्वाद के लिये उपलब्ध रहेगे। वह कार्यालय में तभी उपस्थित होगें, जब उन्हें किसी कार्य की आकस्मिकतावश बुलाया जाय।

(2) यह निर्देश सामान्यतया सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्तशासी/सांविधिक (Statutory) संस्थाओं के लिये भी निर्गत माने जायेंगें। जहां इस हेतु विशिष्ट आदेशों की आवश्यकता है, वहॉ सक्षमस्तर से आदेश निर्गत किये जा सकते हैं ।

(3) सार्वजनिक उद्यम विभाग भी इस आशय के निर्देश सार्वजनिक उद्यमों के लियें निर्गत कर सकते है।

(4) यह दिशा-निर्देश उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होगे जो ऐसी आकस्मिक/ आवश्यक सेवाओं से जुड़े है तथा जो कोविड-19 की रोकथाम में प्रत्यक्ष भूमिका अदा कर रहें है।

2- उपर्युकत निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होगें ।

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव।

<u>संख्या-305 (1)/का-1-2020, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3- निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

आज्ञा से,
मुकुल सिंहल
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-07/2020/ 964/ 77-6-2020

प्रेषक,

सुजाता शर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त उपायुक्त जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 24 मार्च, 2020

विषय- कोविड-19 के सम्बन्ध में कर्मचारियों/कर्मकारों, को भुगतान युक्त अवकाश प्रदान किए जाने एवं कोविड-19 के रोकथाम के संबंध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्रम अनुभाग-3 के अधिसूचना संख्या-09/2020/446/36-03-2020-30(सा0)/2020 दिनांक 20 मार्च, 2020 (प्रति संलग्न) के संदर्भ में निम्नलिखित दिशा- निर्देश निर्गत किए जा रहें हैं:-

1. कोविड-19 से ग्रसित कर्मचारियों/कर्मकारों, जो कोविड-19 से संदिग्ध रूप से प्रभावित हों और पृथककरण में रखे गए हों, को उनके नियोजकों द्वारा 28 दिन का भुगतान युक्त अवकाश प्रदान किया जाएगा। ऐसा अवकाश केवल तभी अनुमन्य होगा जब ऐसे कर्मकार या कर्मचारी स्वस्थ होने के पश्चात अपने नियोजक या प्राधिकृत व्यक्ति को चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान/प्रस्तुत करेंगे।

2- ऐसी दुकानों/वाणिज्यिक अधिष्ठानों/कारखानों, जो राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों से अस्थायी रूप से बन्द हैं, के कर्मचारियों/कर्मकारों को ऐसी अस्थायी बन्दी अवधि के लिये उनके नियोजकों द्वारा मजदूरी सहित अवकाश प्रदान किया जाएगा।

3- ऐसी समस्त दुकानों/वाणिज्यिक अधिष्ठानों/कारखानों, जहां दस या उससे अधिक कर्मकार नियोजित/योजित हों, को उक्त अधिष्ठानों के सूचना पट्ट और मुख्य द्वार पर, कोविड-19 की रोकथाम के लिये केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा विहित सुरक्षा उपायों को प्रदर्शित करना होगा।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोक्त-

भवदीया,

(सुजाता शर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या 07/2020/ 964 /77-6-2020 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, श्रम विभाग उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, एम0एस0एम0ई0, उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

6. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु 12-सी मॉल एवेन्यू।
7. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग कानपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग उ0प्र0 शासन।
9. समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0 (द्वारा आयुक्त एवं निदेशक उद्योग)।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुजाता शर्मा)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-1
संख्या-3/2020-305/का-1-2020
लखनऊ: 24 मार्च, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

विषय- सरकारी कार्यालयों में कोरोना वायरस नये (कोविड-19) के प्रसार को रोकने के लिये अपनाये जाने वाले निवारक उपाय।

उपर्युक्त विषयक चिकित्सा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या-679/पांच-2020 दिनांक 22-03-2020 का संज्ञान लेते हुए कार्मिक अनुभाग-4 द्वारा निर्गत कार्यालय-ज्ञाप संख्या-303 /सामान्य-का-4-2020 दिनांक 20-03-2020 को संशोधित करते हुए निम्नवत् दिशा निर्देश दिये जाते है:-

(1) विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्य इस प्रकार का रोस्टर तैयार करेगे कि समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों, जिनमें सलाहकार एवं संविदा तथा आउटसोर्स कार्मिक भी शामिल है और जो प्रत्येक विभाग में आवश्यक सेवायें संपादित कर रहें है, उन्हें ही दिनांक 23.03.2020 से दिनांक 31.03.2020 तक की अवधि में कार्यालय उपस्थित होने हेतु कहा जाय। अन्य शब्दों में कार्यालय के कार्य अल्प स्टाफ (Skeletal Staff) द्वारा संचालित करायें जायें। ऐसे कार्मिक जो घर से कार्य कर रहें है वह हर समय टेलीफोन एवं इलेक्ट्रानिक माध्यम पर किसी भी तरह के सम्वाद के लिये उपलब्ध रहेगे। वह कार्यालय में तभी उपस्थित होगें, जब उन्हें किसी कार्य की आकस्मिकतावश बुलाया जाय।

(2) यह निर्देश सामान्यतया सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्तशासी/सांविधिक (Statutory) संस्थाओं के लिये भी निर्गत माने जायेंगें। जहां इस हेतु विशिष्ट आदेशों की आवश्यकता है, वहॉं सक्षमस्तर से आदेश निर्गत किये जा सकते हैं ।

(3) सार्वजनिक उद्यम विभाग भी इस आशय के निर्देश सार्वजनिक उद्यमों के लियें निर्गत कर सकते है।

(4) यह दिशा-निर्देश उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होगे जो ऐसी आकस्मिक/ आवश्यक सेवाओं से जुड़े है तथा जो कोविड-19 की रोकथाम में प्रत्यक्ष भूमिका अदा कर रहें है।

2- उपर्युकत निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होगें ।

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव।

<u>संख्या-305 (1)/का-1-2020, तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3- निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

आज्ञा से,
मुकुल सिंहल
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1
संख्या-2/2020-वे0आ0-1-314/दस-2020-8(एम)/2016
लखनऊ: दिनांक: 24 अप्रैल, 2020

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

कोविड-19 से उत्पन्न संकट को देखते हुए भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या-1/1/2020-ई-।।(बी), दिनांक 23 अप्रैल, 2020 द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया है:--

"केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को 01 जनवरी, 2020 से देय मंहगाई भत्ते और केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों की मंहगाई राहत की अतिरिक्त किश्त का भुगतान नहीं किया जायेगा। 01 जुलाई, 2020 और 01 जनवरी, 2021 से देय मंहगाई भत्ते और मंहगाई राहत की अतिरिक्त किश्तों का भुगतान भी नहीं किया जायेगा। तथापि, मंहगाई भत्ते और मंहगाई राहत का मौजूदा दरों पर भुगतान किया जाता रहेगा।

जैसे ही सरकार द्वारा 01 जुलाई, 2021 से देय मंहगाई भत्ते और मंहगाई राहत की भावी किश्तों को जारी करने का निर्णय लिया जाता है, 01 जनवरी, 2020, 01 जुलाई, 2020 और 01 जनवरी, 2021 से प्रभावी मंहगाई भत्ते और मंहगाई राहत की दरों को भावी प्रभाव से बहाल कर दिया जायेगा और उन्हें 01 जुलाई, 2021 से प्रभावी संचयी संशोधित दर में सम्मिलित कर दिया जायेगा। 01 जनवरी, 2020 से 30 जून, 2021 तक की अवधि का कोई बकाया नहीं दिया जायेगा।"

2. राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनरों को भारत सरकार द्वारा अनुमन्य दर पर मंहगाई भत्ते एवं मंहगाई राहत का भुगतान किया जाता है। कोविड-19 के कारण राज्य सरकार के राजस्व में भी कमी आयी है और साथ ही कोविड-19 के रोकथाम के लिये किये जा रहे उपायों हेतु पर्याप्त वित्तीय संसाधन की आवश्यकता है। अतएव भारत सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुरूप शासन द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों एवं कार्य प्रभारित कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2020, 01 जुलाई, 2020 तथा 01 जनवरी, 2021 से देय मंहगाई भत्ता एवं इसी प्रकार राज्य सरकार के पेंशनरों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के पेंशनरों को दिनांक 01 जनवरी, 2020, 01 जुलाई, 2020 तथा 01 जनवरी, 2021 से देय मंहगाई राहत की अतिरिक्त किश्तों का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त कर्मचारियों एवं पेंशनरों को दिनांक 01 जुलाई, 2019 से लागू दरों पर अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं मंहगाई राहत का भुगतान किया जाता रहेगा।

राज्य सरकार द्वारा जैसे ही दिनांक 01 जुलाई, 2021 से देय मंहगाई भत्ता एवं मंहगाई राहत की भावी किश्तों को जारी करने का निर्णय लिया जायेगा, दिनांक 01 जनवरी, 2020, 01 जुलाई, 2020 तथा 01 जनवरी, 2021 से प्रभावी मंहगाई भत्ता एवं मंहगाई राहत की दरों को भावी प्रभाव से बहाल कर दिया जायेगा और उन्हें 01 जुलाई, 2021 से प्रभावी संचयी संशोधित दर में सम्मिलित कर दिया जायेगा। दिनांक 01 जनवरी, 2020 से 30 जून, 2021 तक की अवधि का कोई बकाया नहीं दिया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या-2/2020-वे0आ0-1-314(1)/दस-2020, तद्दिनांक।</u>

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1 एवं 2 तथा (आडिट)-1 एवं 2, उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
(3) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
(4) वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) कमरा नं0-261, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली-110001

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(5) प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, लखनऊ।
(6) प्रमुख सचिव, विधान सभा/परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
(7) महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, प्रयागराज।
(8) रीजनल प्राविडेट फण्ड कमिश्नर, कानपुर।
(9) अपर निदेशक, कोषागार, शिविर कार्यालय, नवीन कोषागार भवन (प्रथम तल) कचहरी रोड़, प्रयागराज।
(10) निदेशक, पंचायतीराज (लेखा) इन्दिरा भवन, उ0प्र0, लखनऊ (90 अतिरिक्त प्रतियों सहित जो समस्त वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायतें, उ0प्र0 को भेजी जायेंगी)।
(11) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
(12) निदेशक, सूचना, उ0प्र0, लखनऊ।
(13) शिक्षा अनुभाग-3,5,6,8 और 11, उच्च शिक्षा अनु0-2 व 4, प्राविधिक शिक्षा अनु0-1 व 2, नगर विकास अनु0-1 तथा पंचायती राज अनु0-1, सार्वजनिक उद्यम अनु0-1 व 2 (अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
(14) इरला चेक अनुभाग/इरला चेक (वेतन पर्ची प्रकोष्ठ)
(15) वित्त (ई-6), वित्त (सामान्य) अनुभाग-1 व 2, पुनर्गठन समन्वयन अनुभाग, चिकित्सा अनु0-2, कृषि अनु0-8, पंचायती राज अनु0-3, आवास अनु0-2, नगर विकास अनु0-3
(16) सचिवालय के अन्य समस्त अनुभाग।
(17) महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,
सरयू प्रसाद मिश्र,
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

<u>संख्या:35/2020/758 ई-2/तेरह-2020-56/2013</u>

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी
प्रमुख सचिव,
<u>उत्तर प्रदेश शासन</u>।

सेवा में,

1.समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ.प्र. शासन।
2.समस्त विभागाध्यक्ष, उ.प्र.।
3.समस्त मण्डलायुक्त, उ.प्र.।
4.समस्त जिलाधिकारी, उ.प्र.।

<u>आबकारी अनुभाग-2</u> लखनऊ: दिनांक 24 अप्रैल, 2020

विषय:-कोविड-19 के निवारण के संदर्भ में निर्गत भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.03.2020 एवं 21.03.2020 के क्रम में सेनेटाइजर निर्माण हेतु प्रयुक्त अल्कोहल को आवश्यक वस्तु घोषित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया भारत सरकार के खाद्य उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या-FS-26/1/2020-ECR&E, दिनांक 21-03-2020 एवं अधिसूचना संख्या-S-26/1/2020, दिनांक 19-03-2020 का संदर्भ ग्रहण करे।

2. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के खाद्य उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 19-03-2020 के प्रस्तर-2(2) अनुसार हैण्ड सेनटाइजर निर्माण में प्रयोग किये जाने वाले अल्कोहल के उत्पादन, गुणवत्ता, वितरण एवं मूल्य को नियंत्रित किये जाने के उद्देश्य से अल्कोहल को आवश्यक वस्तु घोषित करते हुए सेनटाइजर निर्माण में प्रयुक्त होने वाले अल्कोहल के दिनांक 05-03-2020 को प्रचलित मूल्य से अधिक मूल्य बिना भारत सरकार की सहमति से नहीं लिया जा सकता।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के खाद्य उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की उपर्युक्त अधिसूचनाओं के क्रम में सरकारी विभागों/अर्द्धसरकारी विभागों/निगमों/सार्वजनिक उपक्रमों/स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित विभागों आदि के लिए सैनेटाइजर की दर न्यूनतम पॉच लीटर के पैक में क्रय नियमों का पालन करते हुए न्यूनतम दरों पर जो किसी भी दशा में अधिकतम रू.110/- प्रति ली. होगी, जिसमें समस्त अनुमन्य कर भी सन्निहित है। समानुपातिक रूप से बड़े पैक की दर में ह्रास एवं छोटे पैक की दर में पैकेजिंग आदि के दृष्टिगत सामान्य वृद्धि होगी। सरकारी विभागों/अर्द्धसरकारी विभागों/निगमों/सार्वजनिक उपक्रमों/स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित विभागों द्वारा हैण्ड सैनेटाइजर की आपूर्ति लेते समय उपरोक्तका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। उक्त का उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार सुसंगत नियमों के अंतर्गत कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

भवदीय,

(संजय आर. भूसरेड्डी)
प्रमुख सचिव

<u>संख्या:35/2020/758(1) ई-2/तेरह-2020तददिनांक।</u>

उक्त की प्रतिलिपि आबकारी आयुक्त, उ.प्र. प्रयागराज को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह अपने स्तर से प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव

<u>संख्या:36/2020/759 ई-2/तेरह-2020-56/2013</u>

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी
प्रमुख सचिव,
<u>उत्तर प्रदेश शासन</u>।

सेवा में,

1.समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ.प्र. शासन।
2.समस्त विभागाध्यक्ष, उ.प्र.।
3.समस्त मण्डलायुक्त, उ.प्र.।
4.समस्त जिलाधिकारी, उ.प्र.।

<u>आबकारी अनुभाग-2</u> लखनऊ: दिनांक 24 अप्रैल, 2020

विषय:-कोविड-19 के निवारण के संदर्भ में निर्गत भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.03.2020 एवं 21.03.2020 के क्रम में सेनेटाइजर निर्माण हेतु प्रयुक्त अल्कोहल को आवश्यक वस्तु घोषित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया भारत सरकार के खाद्य उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या:-FS-26/1/2020-ECR&E, दिनांक 21-03-2020 एवं अधिसूचना संख्या:-S-26/1/2020, दिनांक 19-03-2020 का संदर्भ ग्रहण करे।

2. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के खाद्य उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 19-03-2020 के प्रस्तर-2(2) अनुसार हैण्ड सेनटाइजर निर्माण में प्रयोग किये जाने वाले अल्कोहल के उत्पादन, गुणवत्ता, वितरण एवं मूल्य को नियंत्रित किये जाने के उद्देश्य से अल्कोहल को आवश्यक वस्तु घोषित करते हुए सेनटाइजर निर्माण में प्रयुक्त होने वाले अल्कोहल के दिनांक 05-03-2020 को प्रचलित मूल्य से अधिक मूल्य बिना भारत सरकार की सहमति से नहीं लिया जा सकता।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के खाद्य उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 21-03-2020 के प्रस्तर-2(3) के अनुसार हैण्ड सेनटाइजर की कीमतें 200 एम.एल. की प्रत्येक बोतल के लिए रू.100/- से अधिक नहीं होंगी, हैण्ड सेनटाइजर की अन्य मात्रा के लिए कीमतें इन कीमतों के यथानुपातिक आधार पर निर्धारित की जायेंगी, जिसके दृष्टिगत जन-सामान्य से हैण्ड सेनटाइजर का फुटकर मूल्य प्रति 200 एम.एल. पैक अधिकतम रू.100 एवं इससे अधिक मात्रा के सेनटाइजर पैक का मूल्य इसी अनुपात में होगा और इससे अधिक मूल्य फुटकर विक्रेताओं द्वारा नहीं लिया जा सकता है। हैण्ड सैनेटाइजर की काला-बाजारी रोकने के लिए ग्राहको द्वारा मूल्य भुगतान का बिल अवश्य लेने हेतु प्रचार-प्रसार के माध्यम से जागरूक किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए। उक्त का उल्लंघन पाये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं आवश्यक वस्तु आदेश, 2020 तथा अन्य सुसंगत नियमों के अंतर्गत कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

भवदीय,

(संजय आर. भूसरेड्डी)
प्रमुख सचिव

संख्या:36/2020/759(1) ई-2/तेरह-2020तददिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि आबकारी आयुक्त, उ.प्र. प्रयागराज को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह अपने स्तर से प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
सचिवालय प्रशासन अनुभाग-3(अधि0)
संख्याः 06/2020/1457/बीस-ई-3/2020
लखनऊ: दिनांक 25 मार्च, 2020

परिपत्र

कोरोनावायरस (कोविड-19) के प्रसारकोरोकने के लिए जनपद लखनऊ में लॉकडाउन की अवधि में उत्तर प्रदेश सचिवालय के संचालन के सम्बन्ध में सचिवालय प्रशासन अनुभाग-3(अधि0) के कार्यालय ज्ञाप-संख्या-1432/बीस-ई-3/2020 दिनांक 23 मार्च, 2020 द्वारा निर्गत विस्तृत दिशा-निर्देश के क्रम में परिपत्र संख्या-1455/बीस-ई-3/2020 दिनांक 24 मार्च, 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया लॉकडाउन की अवधि में अपने-अपने विभागों से संबंधित जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव बुलाना चाहते हैं, उनके नामों की सूची मुख्य स्वागताधिकारी, मुख्य प्रवेश-पत्र कार्यालय, उत्तर प्रदेश सचिवालय (गेट नं0-9) को प्रेषित कर ड्यूटी पास प्राप्त करने हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

3- कृपया उन्हें यह भी निर्देशित करने का कष्ट करें कि वह केवल शासकीय कार्य से कार्यालय आएंगे और चेकिंग के दौरान अपना ड्यूटी पास एवं सचिवालय परिचय-पत्र/प्रवेश-पत्र दिखाते हुए पुलिसजनों को जांच में पूरा सहयोग प्रदान करेंगे।

महेश कुमार गुप्ता
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 06/2020/1457(1)/बीस-ई-2020, तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
(2) कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
(3) औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
(4) अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
(5) प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
(6) प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,उ0प्र0 शासन।
(7) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
(8) स्थानिक आयुक्त, कार्यालय, नई दिल्ली।
(9) मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
(10)पुलिस आयुक्त, लखनऊ नगर, लखनऊ।
(11)जिलाधिकारी, लखनऊ।
(12)निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(13)समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उपसचिव/सचिवालय प्रशासन विभाग।
(14)मुख्य सुरक्षाअधिकारी/मुख्य स्वागत अधिकारी, उ0प्र0 सचिवालय।
(15)उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग द्वारा शाखा अधिष्ठान।
(16)गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुरजन सिंह)
विशेषसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

उत्तर प्रदेश शासन
सचिवालय प्रशासन अनुभाग-3(अधि0)
संख्याः 06/2020/1457/बीस-ई-3/2020
लखनऊ: दिनांक 25 मार्च, 2020

परिपत्र

कोरोनावायरस (कोविड-19) के प्रसारकोरोकने के लिए जनपद लखनऊ में लॉकडाउन की अवधि में उत्तर प्रदेश सचिवालय के संचालन के सम्बन्ध में सचिवालय प्रशासन अनुभाग-3(अधि0) के कार्यालय ज्ञाप-संख्या-1432/बीस-ई-3/2020 दिनांक 23 मार्च, 2020 द्वारा निर्गत विस्तृत दिशा-निर्देश के क्रम में परिपत्र संख्या-1455/बीस-ई-3/2020 दिनांक 24 मार्च, 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया लॉकडाउन की अवधि में अपने-अपने विभागों से संबंधित जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव बुलाना चाहते हैं, उनके नामों की सूची मुख्य स्वागताधिकारी, मुख्य प्रवेश-पत्र कार्यालय, उत्तर प्रदेश सचिवालय (गेट नं0-9) को प्रेषित कर ड्यूटी पास प्राप्त करने हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

3- कृपया उन्हें यह भी निर्देशित करने का कष्ट करें कि वह केवल शासकीय कार्य से कार्यालय आएंगे और चेकिंग के दौरान अपना ड्यूटी पास एवं सचिवालय परिचय-पत्र/प्रवेश-पत्र दिखाते हुए पुलिसजनों को जांच में पूरा सहयोग प्रदान करेंगे।

महेश कुमार गुप्ता
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 06/2020/1457(1)/बीस-ई-2020, तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
(2) कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
(3) औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
(4) अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
(5) प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
(6) प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,उ0प्र0 शासन।
(7) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
(8) स्थानिक आयुक्त, कार्यालय, नई दिल्ली।
(9) मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
(10)पुलिस आयुक्त, लखनऊ नगर, लखनऊ।
(11)जिलाधिकारी, लखनऊ।
(12)निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(13)समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उपसचिव/सचिवालय प्रशासन विभाग।
(14)मुख्य सुरक्षाअधिकारी/मुख्य स्वागत अधिकारी, उ0प्र0 सचिवालय।
(15)उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग द्वारा शाखा अधिष्ठान।
(16)गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुरजन सिंह)
विशेषसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

<u>सर्वोच्च प्राथमिकता/ई-मेल</u>

संख्याः-01/2020/ 700/नौ-9-2020-58ज/20

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम उ0प्र0।
3. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग-9 **लखनऊ दिनांक 26 मार्च, 2020**

विषयः विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित महामारी कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में सहायता उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयगत राजस्व विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं 0-198/एक-11-2020- रा-11, दिनांक-24 मार्च 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें , जो कि मा 0 मंत्री समिति द्वारा दिनांक-20.03.2020 को दी गयी रिपोर्ट में की गयी 07 संस्तुतियों के अनुक्रम में है। उपरोक्त रिपोर्ट में कतिपय वर्ग के व्यक्तियों को सहायता देने की संस्तुतियां (संस्तुति बिन्दु संख्यावार) की गयी हैः-

संस्तुति बिन्दु संख्या 2. प्रदेश के श्रम विभाग में 20.37 लाख पंजीकृत निर्माण श्रमिक।

संस्तुति बिन्दु संख्या 3. शहरों में घुमंतू प्रकृति जैसे-ठेला, खोमचे, साप्ताहिक बाजार आदि का कार्य करने वाले श्रमिक जिनकी अनुमानित संख्या प्रदेश में लगभग 15 लाख है।

संस्तुति बिन्दु संख्या 5. मनरेगा के अन्तर्गत प्रदेश में नियमित रूप से कार्य कर रहे परिवार , जिनकी संख्या 88.40 लाख है।

संस्तुति बिन्दु संख्या 6. प्रदेश में अन्त्योदय योजना के राशनकार्ड धारक, जिनकी संख्या-40.94 लाख है।

संस्तुति बिन्दु संख्या 7. प्रदेश में लागू विभिन्न पेंशन योजनाओं (वृद्धावस्था पेंशन , दिव्यांगजन सशक्तीकरण पेंशन, निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण हेतु पेंशन) जिनकी कुल संख्या-83.83 लाख है।

तदनुसार उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं के क्रम में बिन्दु संख्या- 03 के संबंध में कार्यवाही किये जाने हेतु राजस्व विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या- 198/एक-2020-रा-11, दिनांक-24 मार्च 2020 के प्रस्तर 6 (II) के अनुसार कार्यवाही करने एवं सूचनायें संकलित किये जाने हेतु पूर्व में ही नगर विकास विभाग के शासनादेश संख्या-425/38-7/2020, दिनांक 23 मार्च 2020 द्वारा आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये है। उपरोक्त के दृष्टिगत सूचना के संकलन के लिये विभिन्न निकाय द्वारा इस आशय की जिज्ञासा व्यक्त की गयी कि कोविड-19 के संक्रमण को रोके जाने हेतु निकाय में प्रभावी रूप से लॉकडाउन की सुनिश्चित कराये जाने के दृष्टिगत अपेक्षित सूचना के संकलन हेतु सर्वे अथवा फार्म भरे जाने हेतु लाभार्थियों को चिन्हित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उपरोक्त के दृष्टिगत निर्धारित प्रारूप पर सूचना संलग्न कर उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत निम्न मुख्य बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही की जायेः-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्तायक्षर की आवश्य कता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यारपित की जा सकती है ।

1. पथ विक्रेताओं के विषयगत सर्वेक्षण/ पंजीकरण का कार्य अधिकांश निकायों में कराया गया है। अतएव प्राथमिकता के आधार पर उपरोक्त सर्वे/सत्यापित डेटा की सूची के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र पर सूचना की सही प्रविष्टि किये जाने की कार्यवाही की जा सकती है।

2. उपरोक्त सर्वेक्षण/पंजीकरण की सूची के अतिरिक्त निकायों में विभिन्न प्रकार के दैनिक व्यवसाय/कार्यों जैसाकि रिक्शा/तांगा/टैम्पों/आटो/ई-रिक्शा के विषयगत निकाय द्वारा लाइसेन्स दिये जाते है। साथ ही साथ टैम्पों/ ई-रिक्शा हेतु संबंधित वाहन/चालक का पंजीकरण परिवहन विभाग में भी उपलब्ध हो सकता है। अतएवं उक्त श्रेणी के व्यवसाय /कार्य करने वाले अर्थात दैनिक रूप से कार्य कर जीवनयापन हेतु विभिन्न प्रकार की श्रेणियों में पूर्व से निकाय अथवा जनपद स्तर पर किसी अन्य विभाग के साथ पंजीकृत व्यक्तियों के डेटा की सूची को भी तदनुसार प्राप्त कर यथाशीघ्र निर्धारित प्रारूप पर संकलित कियया जा सकता है। (**विशेष नोट- निर्माण कार्य के श्रमिकों केा इसमें सम्मिलित न किया जाये क्योंकि उपरोक्त हेतु पृथक से श्रम विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है।)**

3. उपरोक्त प्रकार से कार्यवाही किये जाने में निकाय अन्तर्गत अधिकाशतः इस प्रकार के व्यक्तियों की सूची तैयार की जा सकती है , जोकि दैनिक कार्य करके अपना जीविकोपार्जन करते है। उपरोक्त सूचना संकलन में विभिन्न प्रकार के दैनिक कार्य कर जीविकोपार्जन करने वाले व्यक्तियों के विषय में निकाय/जनपदों में उनके संगठन की भी सहायता ली जा सकती है जैसाकि रिक्शा चालक संघ /व्यापार मण्डल/साप्ताहिक बाजार संघ /पल्लेदारों के विषयगत बाजार संघ इत्यादि। उपरोक्तानुसार ऐसे संघ/यूनियन के पदाधिकारियों के साथ समन्वय कर उपके द्वारा भी तदनुसार निर्धारित प्रारूप पर सूचना संकलित कर निकाय को उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में उक्त को सत्यापित करते हुये तदनुसार सूची तैयार करायी जा सकती है। यह ध्यान रखे की प्रारूप पर संकलन किये जाने में आधार कार्ड नं 0 के विषयगत यू 0आई0डी0ए0आई0 द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका का अनुपालन किया जायेगा। साथ ही साथ कोविड-19 के संक्रमण को प्रभावी रूप से रोके जाने के विषय में यह विशेष रूप से ध्यान रखा जाये कि उक्तानुसार आकडों के संग्रहण को प्रभावी रूप से किये जाने में किसी भी प्रकार के कोई आवेदन फार्म सामान्य रूप से वितरित किये जाने का कार्य अथवा इस प्रकार की कोई अन्य गतिविधि किये जाने का कार्य न किया जाये , जिससे कि अनावश्यक रूप से आम जन को उक्त हेतु बाहर आना हो अथवा किसी कार्यालय पर आना हो और नगर में लागू लॉकडाउन की स्थिति प्रभावित होने की कोई सम्भावना विद्यमान हो अथवा किसी स्थल पर भीड़-भाड़/ जन समूह एकत्रित हो।

4. उक्त कार्य को पूर्ण रूप से इस प्रकार सुनिश्चित किया जाना है कि आरम्भिक चरण में संबंधित व्यक्तियों के विषय में पूर्व से विभिन्न स्तर पर उपलब्ध सूचनाओं एवं संबंधित व्यक्तियों के समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले संघ/यूनियन आदि के पदाधिकारी के साथ इस विषय पर समन्वय कर तदनुसार अपेक्षित सूचना तैयार कर ली जाये।

5. जैसा कि राजस्व विभाग द्वारा जारी शासनादेश यंख्या- 198/एक-11-2020-रा-11, दिनांक- 24 मार्च , 2020 में निर्दिष्ट है , तदनुसार जनपद स्तर पर उपरोक्त लाभार्थियों कर सूची का संकलन नगरीय निकायों के विषयगत निम्नवत् सुनिश्चित किया जायेगाः-

(क) समस्त नगर निगमों में नगर आयुक्त द्वारा लाभार्थियों की सूची संकलित करते हुये धनराशि आंवटित किये जाने हेतु उपरोक्त सूची जिलाधिकारी द्वारा नियुक्त नोडल अपर जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

(ख) नगर निगमों के अतिरिक्त अन्य स्थानीय नगर निकायों (नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत) में उपरोक्तानुसार लाभार्थियों की सूची संबंधित निकाय के अधिशासी अधिकारी द्वारा तैयार करते हुये निकाय के उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अपर जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्तानक्षर की आवश्य कता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यारपित की जा सकती है ।

6. जैसाकि राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या- 198/एक-11-2020-रा-11, दिनांक-24.03.2020 के प्रस्तर-4 में वर्णित है कि सहायता देने के बाद भी ऐसे व्यक्ति बच सकते है , जिनके पास अपने परिवार के भरण-पोषण की सुविधा नहीं है। उपरोक्त के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा ऐसे शहरी क्षेत्रों में जहां नगर निगम है वहां नगर निगम एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों की संयुक्त समिति का गठन किया जायेगा जो ऐसे व्यक्तियों /परिवारों/लाभार्थियों की सूची जिलाधिकारी के अनुमोदनार्थ प्रेषित करेगी। इसी प्रकार नगर पालिका परिषद /नगर पंचायत के विषयगत जिलाधिकारी द्वारा राजस्व प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी एवं संबंधित नगरीय निकायों के अधिकारी की संयुक्त समिति का गठन किया जायेगा। तदनुसार गठित समिति द्वारा अपनी संस्तुति जिलाधिकारी द्वारा इस विषयगत नामित नोडल अधिकारी के माध्यम से जिलसधिकारी को अनुमोदनार्थ प्रेषित की जायेगी।

7. कृपया कियी भी प्रकार के मार्गदर्शन हेतु डा 0 काजल, निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय की ई-मेल **आई0 डी0- diruplb2012@gmail.com** से समन्वय स्थापित किया जा सकता है।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

<u>**संख्या एवं दिनांक तदैवः-**</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वांछित सूचना संकलित कर प्रत्येक दशा में शासन को यथाशीघ्र आगामी 15 दिनों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. कम्प्यूटर सेल/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्य कता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यारपित की जा सकती है ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ता।क्षर की आवश्य कता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यारपित की जा सकती है ।

प्रेषक,

शत्रुन्जय कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 26 मार्च, 2020

विषय:-कोरोना वाइरस (कोविड-19) के रोकथाम, बचाव एवं नियंत्रण के लिए उपकरणों के क्रय हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-11फ/प्रस्ताव/2019-20/कैम्प-8032, दिनांक 25.03.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोरोना वाइरस (कोविड-19) के रोकथाम, बचाव एवं नियंत्रण के लिए उपकरणों के क्रय हेतु रू0 4175268.30 (इकतालिस लाख पचहत्तर हजार दो सौ अड़सठ रूपए तीस पैसे) (जी0एस0टी0 सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-5, भाग-1 में क्रय नियमों/प्रक्रिया के संबंध में दी गयी व्यवस्था, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अद्यतन क्रय नीति विषयक शासनादेश संख्या-809/पॉच-1-2012-3(14)/04 दिनांक 14.06.12, शासनादेश संख्या-1878/पॉच-1-2012-3(14)/04 दिनांक 29.11.12 व शासनादेश संख्या-122/पॉच-1-2014-5(100)/13 दिनांक 18.02.14 तथा वित्त (लेखा) अनुभाग-1/उद्योग विभाग के अद्यतन शासनादेशों के साथ–साथ क्रय संबंधी प्रचलित समस्त शासनादेशों/नियमों/विनियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत स्वीकृत किये जा रहे उपकरण चिकित्सालय में उपलब्ध शैयाओं के मानक के अनुसार है तथा प्रश्नगत उपकरणों/मशीनों/साज-सज्जा सामग्री मानक के अनुसार ही प्रस्तावित किये गये है। यदि मानक से इतर उपकरणों/मशीनों/साज-सज्जा सामग्री प्रस्तावित /क्रय किये जाते है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष/क्रयाधिकारी का होगा।

(3) प्रश्नगत उपकरण का क्रय उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0 द्वारा किया जायेगा।

(4) महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उक्त अवमुक्त धनराशि को उ0प्र0 मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0 को यथावश्यकतानुसार/नियमानुसार हस्तान्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(5) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत नये उपकरणों/मशीनों/साज-सज्जा सामग्री के स्थान पर पूर्व से उपलब्ध पुराने उपकरणों/मशीनों/साज-सज्जा सामग्री को शासनादेश संख्या-ए-2-1092/दस-2011-24(7)-95, दिनांक 25.11.11 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत् निष्प्रयोज्य घोषित कर उनको निस्तारित किया गया है और प्रश्नगत पुराने उपकरण अपना औसत कालावधि पूर्ण कर चुके है। निष्प्रयोज्य उपकरणों के निस्तारण से प्राप्त धनराशि को राजकीय कोष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) आहरित धनराशि व्यय करते समय विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से निर्गत किये गये मितव्ययिता संबंधी दिशा निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) उपकरणों/साज-सज्जा सामग्री की स्थल पर आपूर्ति की तिथि से ही लॉगबुक अनुरक्षित की जाएं, ताकि निरीक्षण/ऑडिट अधिकारियों द्वारा इन मशीनों की स्थापना और उसके बाद इनकी समय-समय पर क्षमता के उपयोग के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सके, जिससे शासन को भी अवगत करायेंगे।

(8) उपकरणों का अनुकूलतम सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक कुशल मानव शक्ति की उपलब्धता तत्परता से सुनिश्चित की जाए।

(9) प्रश्नगत उपकरणों की स्थापना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इनके रखने हेतु पर्याप्त स्थान एवं इनके संचालन हेतु दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध है।

(10) उक्त स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0, बैंक अथवा डाकघर में कदापि नहीं रखा जायेगा ।

(11) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिस प्रयोजन हेतु धनराशि आवंटित की गयी है, इसमें किसी प्रकार का व्यावर्तन शासन की अनुमति लेकर ही किया जायेगा।

(12) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत उपकरणों/साज-सज्जा सामग्री की स्थापना इससे पूर्व अथवा भविष्य में किसी अन्य योजना के वित्त पोषण से नहीं किया जायेगा।

(13) उपकरणों/साज-सज्जा सामग्री की मद चूंकि मितव्ययिता की मद है, अत: इनके क्रय में व्यापक प्रचार-प्रसार एवं न्यूनतम मूल्य पर क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) प्रश्नगत उपकरणों/साज-सज्जा सामग्री के क्रय की प्रक्रिया पूर्ण कर लिये जाने के बाद ही आवश्यकतानुसार धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदन से किया जायेगा। आहरित धनराशि का व्यय करते समय विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से निर्गत किये गये मितव्ययिता संबंधी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के फलस्वरूप नियमानुसार निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(16) धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष रहती है तो उसे तत्काल राजकोष में जमा कर दिया जायेगा।

(17) इस सबंध में लेखों का मिलान महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद से करके इसकी सूचना यथा समय शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

3- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-32 लेखा शीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-01 शहरी स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-64-जिला/संयुक्त चिकित्सालयों में विशिष्ट चिकित्सा सुविधायें-26-मशीनें और साज-सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र मद के नामे डाला जायेगा।

-3-

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

4- वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 की शर्तों/प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,
शत्रुन्जय कुमार सिंह
उप सचिव

संख्या-88/2020/517 (1)/पॉच-6-2020, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा–परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0, लखनउ।
6. संबंधित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक(नियोजन/बजट/संचारी/संक्रमाक रोग), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
8. निदेशक (चिकित्सा उपचार/भण्डार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
9. अपर निदेशक (विद्युत), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
10. अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
11. संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 ।
12. संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
13. संबंधित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका।
14. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/चिकित्सा अनुभाग-1/5 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन ।
15. कार्यालय आदेश पुस्तिका।
16. प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।
17. विभागीय वेबमास्टर।

आज्ञा से,
शशिकान्त शुक्ल
उप सचिव

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

प्रेषक,

शत्रुन्जय कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उ0**प्र**0 **शासन।**

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, **लखनऊ।**

चिकित्सा अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक 26 मार्च**, 2020

विषय:-कोरोना वाइरस (कोविड-19) के रोकथाम, **बचाव एवं नियंत्रण के लिए उपकरणों के क्रय हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-11फ/प्रस्ताव/2019-20/**कैम्प-8032**, **दिनांक 25.03.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोरोना वाइरस (कोविड-19) के रोकथाम**, **बचाव एवं नियंत्रण के लिए उपकरणों के क्रय हेतु रू0 4175268**.3**0 (इकतालिस लाख पचहत्तर हजार दो सौ अड़सठ रूपए तीस पैसे) (जी0एस0टी0 सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-**

(1) **वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-**5, **भाग-**1 **में क्रय नियमों/प्रक्रिया के संबंध में दी गयी व्यवस्था**, **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अद्यतन क्रय नीति विषयक शासनादेश संख्या-**809/**पॉच-**1-2012-3(14)/04 **दिनांक** 14.06.12, **शासनादेश संख्या-**1878/**पॉच-**1-2012-3(14)/04 **दिनांक** 29.11.12 **व शासनादेश संख्या-**122/**पॉच-**1-2014-5(100)/13 **दिनांक** 18.02.14 **तथा वित्त (लेखा) अनुभाग-**1/**उद्योग विभाग के अद्यतन शासनादेशों के साथ–साथ क्रय संबंधी प्रचलित समस्त शासनादेशों/नियमों/विनियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(2) **यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत स्वीकृत किये जा रहे उपकरण चिकित्सालय में उपलब्ध शैयाओं के मानक के अनुसार है तथा प्रश्नगत उपकरणों/मशीनों/साज-सज्जा सामग्री मानक के अनुसार ही प्रस्तावित किये गये है। यदि मानक से इतर उपकरणों/मशीनों/साज-सज्जा सामग्री प्रस्तावित /क्रय किये जाते है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष/क्रयाधिकारी का होगा।**

(3) **प्रश्नगत उपकरण का क्रय उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लि**0 **द्वारा किया जायेगा।**

(4) **महानिदेशक**, **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें**, **उ**0**प्र**0 **लखनऊ द्वारा उक्त अवमुक्त धनराशि को उ**0**प्र**0 **मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लि**0 **को यथावश्यकतानुसार/नियमानुसार हस्तान्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।**

-2-

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(5) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत नये उपकरणों/मशीनों/साज-सज्जा सामग्री के स्थान पर पूर्व से उपलब्ध पुराने उपकरणों/मशीनों/साज-सज्जा सामग्री को शासनादेश संख्या-ए-2-1092/दस-2011-24(7)-95, दिनांक 25.11.11 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत् निष्प्रयोज्य घोषित कर उनको निस्तारित किया गया है और प्रश्नगत पुराने उपकरण अपना औसत कालावधि पूर्ण कर चुके है। निष्प्रयोज्य उपकरणों के निस्तारण से प्राप्त धनराशि को राजकीय कोष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) आहरित धनराशि व्यय करते समय विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से निर्गत किये गये मितव्ययिता संबंधी दिशा निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) उपकरणों/साज-सज्जा सामग्री की स्थल पर आपूर्ति की तिथि से ही लॉगबुक अनुरक्षित की जाएं, ताकि निरीक्षण/ऑडिट अधिकारियों द्वारा इन मशीनों की स्थापना और उसके बाद इनकी समय-समय पर क्षमता के उपयोग के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सके, जिससे शासन को भी अवगत करायेंगे।

(8) उपकरणों का अनुकूलतम सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक कुशल मानव शक्ति की उपलब्धता तत्परता से सुनिश्चित की जाए।

(9) प्रश्नगत उपकरणों की स्थापना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इनके रखने हेतु पर्याप्त स्थान एवं इनके संचालन हेतु दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध है।

(10) उक्त स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0, बैंक अथवा डाकघर में कदापि नहीं रखा जायेगा ।

(11) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिस प्रयोजन हेतु धनराशि आवंटित की गयी है, इसमें किसी प्रकार का व्यावर्तन शासन की अनुमति लेकर ही किया जायेगा।

(12) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत उपकरणों/साज-सज्जा सामग्री की स्थापना इससे पूर्व अथवा भविष्य में किसी अन्य योजना के वित्त पोषण से नहीं किया जायेगा।

(13) उपकरणों/साज-सज्जा सामग्री की मद चूंकि मितव्ययिता की मद है, अत: इनके क्रय में व्यापक प्रचार-प्रसार एवं न्यूनतम मूल्य पर क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) प्रश्नगत उपकरणों/साज-सज्जा सामग्री के क्रय की प्रक्रिया पूर्ण कर लिये जाने के बाद ही आवश्यकतानुसार धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदन से किया जायेगा। आहरित धनराशि का व्यय करते समय विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से निर्गत किये गये मितव्ययिता संबंधी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के फलस्वरूप नियमानुसार निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(16) धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष रहती है तो उसे तत्काल राजकोष में जमा कर दिया जायेगा।

(17) इस सबंध में लेखों का मिलान महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद से करके इसकी सूचना यथा समय शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

3- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-32 लेखा शीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-01 शहरी स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-64-जिला/संयुक्त चिकित्सालयों में विशिष्ट चिकित्सा सुविधायें-26-मशीनें और साज-सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र मद के नामे डाला जायेगा।

-3-

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

4- वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 की शर्तो/प्रतिबन्धों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,
शत्रुन्जय कुमार सिंह
उप सचिव

संख्या-88/2020/517 (1)/पॉच-6-2020, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा–परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0, लखनउ।
6. संबंधित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक(नियोजन/बजट/संचारी/संक्रमाक रोग), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
8. निदेशक (चिकित्सा उपचार/भण्डार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
9. अपर निदेशक (विद्युत), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
10. अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
11. संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 ।
12. संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
13. संबंधित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका।
14. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/चिकित्सा अनुभाग-1/5 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन ।
15. कार्यालय आदेश पुस्तिका।
16. प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।
17. विभागीय वेबमास्टर।

आज्ञा से,
शशिकान्त शुक्ल
उप सचिव

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

<u>सर्वोच्च प्राथमिकता/ई-मेल</u>

संख्याः-01/2020/ 700/नौ-9-2020-58ज/20

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम उ0प्र0।
3. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग-9 **लखनऊ दिनांक 26 मार्च, 2020**

विषयः विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित महामारी कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में सहायता उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयगत राजस्व विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं 0-198/एक-11-2020- रा-11, दिनांक-24 मार्च 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें , जो कि मा 0 मंत्री समिति द्वारा दिनांक-20.03.2020 को दी गयी रिपोर्ट में की गयी 07 संस्तुतियों के अनुक्रम में है। उपरोक्त रिपोर्ट में कतिपय वर्ग के व्यक्तियों को सहायता देने की संस्तुतियां (संस्तुति बिन्दु संख्यावार) की गयी हैः-

संस्तुति बिन्दु संख्या 2. प्रदेश के श्रम विभाग में 20.37 लाख पंजीकृत निर्माण श्रमिक।

संस्तुति बिन्दु संख्या 3. शहरों में घुमंतू प्रकृति जैसे-ठेला, खोमचे, साप्ताहिक बाजार आदि का कार्य करने वाले श्रमिक जिनकी अनुमानित संख्या प्रदेश में लगभग 15 लाख है।

संस्तुति बिन्दु संख्या 5. मनरेगा के अन्तर्गत प्रदेश में नियमित रूप से कार्य कर रहे परिवार , जिनकी संख्या 88.40 लाख है।

संस्तुति बिन्दु संख्या 6. प्रदेश में अन्त्योदय योजना के राशनकार्ड धारक, जिनकी संख्या-40.94 लाख है।

संस्तुति बिन्दु संख्या 7. प्रदेश में लागू विभिन्न पेंशन योजनाओं (वृद्धावस्था पेंशन , दिव्यांगजन सशक्तीकरण पेंशन, निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण हेतु पेंशन) जिनकी कुल संख्या-83.83 लाख है।

तदनुसार उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं के क्रम में बिन्दु संख्या- 03 के संबंध में कार्यवाही किये जाने हेतु राजस्व विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या- 198/एक-2020-रा-11, दिनांक-24 मार्च 2020 के प्रस्तर 6 (II) के अनुसार कार्यवाही करने एवं सूचनायें संकलित किये जाने हेतु पूर्व में ही नगर विकास विभाग के शासनादेश संख्या-425/38-7/2020, दिनांक 23 मार्च 2020 द्वारा आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये है। उपरोक्त के दृष्टिगत सूचना के संकलन के लिये विभिन्न निकाय द्वारा इस आशय की जिज्ञासा व्यक्त की गयी कि कोविड-19 के संक्रमण को रोके जाने हेतु निकाय में प्रभावी रूप से लॉकडाउन की सुनिश्चित कराये जाने के दृष्टिगत अपेक्षित सूचना के संकलन हेतु सर्वे अथवा फार्म भरे जाने हेतु लाभार्थियों को चिन्हित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उपरोक्त के दृष्टिगत निर्धारित प्रारूप पर सूचना संलग्न कर उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत निम्न मुख्य बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही की जायेः-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्तायक्षर की आवश्य कता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यारपित की जा सकती है ।

1. पथ विक्रेताओं के विषयगत सर्वेक्षण/ पंजीकरण का कार्य अधिकांश निकायों में कराया गया है। अतएव प्राथमिकता के आधार पर उपरोक्त सर्वे/सत्यापित डेटा की सूची के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र पर सूचना की सही प्रविष्टि किये जाने की कार्यवाही की जा सकती है।

2. उपरोक्त सर्वेक्षण/पंजीकरण की सूची के अतिरिक्त निकायों में विभिन्न प्रकार के दैनिक व्यवसाय/कार्यों जैसाकि रिक्शा/तांगा/टैम्पों/आटो/ई-रिक्शा के विषयगत निकाय द्वारा लाइसेन्स दिये जाते है। साथ ही साथ टैम्पों/ ई-रिक्शा हेतु संबंधित वाहन/चालक का पंजीकरण परिवहन विभाग में भी उपलब्ध हो सकता है। अतएवं उक्त श्रेणी के व्यवसाय /कार्य करने वाले अर्थात दैनिक रूप से कार्य कर जीवनयापन हेतु विभिन्न प्रकार की श्रेणियों में पूर्व से निकाय अथवा जनपद स्तर पर किसी अन्य विभाग के साथ पंजीकृत व्यक्तियों के डेटा की सूची को भी तदनुसार प्राप्त कर यथाशीघ्र निर्धारित प्रारूप पर संकलित कियया जा सकता है। (**विशेष नोट- निर्माण कार्य के श्रमिकों केा इसमें सम्मिलित न किया जाये क्योंकि उपरोक्त हेतु पृथक से श्रम विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है।)**

3. उपरोक्त प्रकार से कार्यवाही किये जाने में निकाय अन्तर्गत अधिकाशतः इस प्रकार के व्यक्तियों की सूची तैयार की जा सकती है , जोकि दैनिक कार्य करके अपना जीविकोपार्जन करते है। उपरोक्त सूचना संकलन में विभिन्न प्रकार के दैनिक कार्य कर जीविकोपार्जन करने वाले व्यक्तियों के विषय में निकाय/जनपदों में उनके संगठन की भी सहायता ली जा सकती है जैसाकि रिक्शा चालक संघ /व्यापार मण्डल/साप्ताहिक बाजार संघ /पल्लेदारों के विषयगत बाजार संघ इत्यादि। उपरोक्तानुसार ऐसे संघ/यूनियन के पदाधिकारियों के साथ समन्वय कर उपके द्वारा भी तदनुसार निर्धारित प्रारूप पर सूचना संकलित कर निकाय को उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में उक्त को सत्यापित करते हुये तदनुसार सूची तैयार करायी जा सकती है। यह ध्यान रखे की प्रारूप पर संकलन किये जाने में आधार कार्ड नं 0 के विषयगत यू 0आई0डी0ए0आई0 द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका का अनुपालन किया जायेगा। साथ ही साथ कोविड-19 के संक्रमण को प्रभावी रूप से रोके जाने के विषय में यह विशेष रूप से ध्यान रखा जाये कि उक्तानुसार आकडों के संग्रहण को प्रभावी रूप से किये जाने में किसी भी प्रकार के कोई आवेदन फार्म सामान्य रूप से वितरित किये जाने का कार्य अथवा इस प्रकार की कोई अन्य गतिविधि किये जाने का कार्य न किया जाये, जिससे कि अनावश्यक रूप से आम जन को उक्त हेतु बाहर आना हो अथवा किसी कार्यालय पर आना हो और नगर में लागू लॉकडाउन की स्थिति प्रभावित होने की कोई सम्भावना विद्यमान हो अथवा किसी स्थल पर भीड़-भाड़/ जन समूह एकत्रित हो।

4. उक्त कार्य को पूर्ण रूप से इस प्रकार सुनिश्चित किया जाना है कि आरम्भिक चरण में संबंधित व्यक्तियों के विषय में पूर्व से विभिन्न स्तर पर उपलब्ध सूचनाओं एवं संबंधित व्यक्तियों के समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले संघ/यूनियन आदि के पदाधिकारी के साथ इस विषय पर समन्वय कर तदनुसार अपेक्षित सूचना तैयार कर ली जाये।

5. जैसा कि राजस्व विभाग द्वारा जारी शासनादेश यंख्या- 198/एक-11-2020-रा-11, दिनांक- 24 मार्च, 2020 में निर्दिष्ट है, तदनुसार जनपद स्तर पर उपरोक्त लाभार्थियों कर सूची का संकलन नगरीय निकायों के विषयगत निम्नवत् सुनिश्चित किया जायेगाः-

(क) समस्त नगर निगमों में नगर आयुक्त द्वारा लाभार्थियों की सूची संकलित करते हुये धनराशि आंवटित किये जाने हेतु उपरोक्त सूची जिलाधिकारी द्वारा नियुक्त नोडल अपर जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

(ख) नगर निगमों के अतिरिक्त अन्य स्थानीय नगर निकायों (नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत) में उपरोक्तानुसार लाभार्थियों की सूची संबंधित निकाय के अधिशासी अधिकारी द्वारा तैयार करते हुये निकाय के उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अपर जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्तानक्षर की आवश्य कता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यारपित की जा सकती है ।

6. जैसाकि राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या- 198/एक-11-2020-रा-11, दिनांक-24.03.2020 के प्रस्तर-4 में वर्णित है कि सहायता देने के बाद भी ऐसे व्यक्ति बच सकते है , जिनके पास अपने परिवार के भरण-पोषण की सुविधा नहीं है। उपरोक्त के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा ऐसे शहरी क्षेत्रों में जहां नगर निगम है वहां नगर निगम एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों की संयुक्त समिति का गठन किया जायेगा जो ऐसे व्यक्तियों /परिवारों/लाभार्थियों की सूची जिलाधिकारी के अनुमोदनार्थ प्रेषित करेगी। इसी प्रकार नगर पालिका परिषद /नगर पंचायत के विषयगत जिलाधिकारी द्वारा राजस्व प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी एवं संबंधित नगरीय निकायों के अधिकारी की संयुक्त समिति का गठन किया जायेगा। तदनुसार गठित समिति द्वारा अपनी संस्तुति जिलाधिकारी द्वारा इस विषयगत नामित नोडल अधिकारी के माध्यम से जिलसधिकारी को अनुमोदनार्थ प्रेषित की जायेगी।

7. कृपया कियी भी प्रकार के मार्गदर्शन हेतु डा 0 काजल, निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय की ई-मेल **आई0 डी0- diruplb2012@gmail.com** से समन्वय स्थापित किया जा सकता है।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैवः-</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वांछित सूचना संकलित कर प्रत्येक दशा में शासन को यथाशीघ्र आगामी 15 दिनों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. कम्प्यूटर सेल/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्य कता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यारपित की जा सकती है ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ता।क्षर की आवश्य कता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यारपित की जा सकती है ।

संख्या-143/2020/590/पांच-6-2020-1(बजट)/19टी.सी.

प्रेषक

शत्रुन्जय कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0,
लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6 **लखनऊ: दिनांक 26 अप्रैल, 2020**

विषयः- नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) की रोकथाम एवं उपचार हेतु आवश्यक सामग्री के क्रय के लिये बजट के दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-यू.पी.एम.एस.सी.एल/08/2020/2902, दिनांक 07.04.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन शासकीय व निजी मेडिकल कालेजों में आपूर्ति त औषधियों एवं अन्य सामाग्रियों के क्रय एवं भुगतान हेतु उपलब्ध कराये गये बजट के उपयोग के सम्बन्ध में उचित दिशा-निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

2- **इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में निम्नानुसार कार्यवाहीसुनिश्चित कराने का कष्ट करें -**

(1) **उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों/चिकित्सालयों तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों के लिये पी0पी0ई0 किट्स, एन-95 मास्क, ट्रिपिल लेयर मास्क का क्रय सीधे न करके महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण की मांग के आधार पर किया जाएगा।**

(2) **उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को अपने वेयर हाउसों के माध्यम से सामग्री उपलब्ध करायेंगे।**

(3) **महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, सामग्री की प्राप्ति/वितरण/उपयोगिता का प्रमाण-पत्र उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन को उपलब्ध करायेंगे।**

भवदीय,
शत्रुन्जय कुमार सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-143/2020/590(1)/पांच-6-2020 एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. **अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।**
2. **प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।**
3. **राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ।**
4. **मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।**
5. **महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।**
6. **महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, लखनऊ।**
7. **वित्त नियन्त्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।**
8. **गार्ड फाईल।**

आज्ञा से,
शत्रुन्जय कुमार सिंह
विशेष सचिव।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या- 06 /2020/447/नौ-7-2020

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त नगर आयुक्त।
3. समस्त अधिशासी अधिकारी,
   नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत।

नगर विकास अनुभाग-7 लखनऊ: दिनांकः 27 मार्च, 2020

विषय—प्रदेश के नगरीय निकायों में खाद्य समग्री, तरल दग्ध एवं दुग्ध उत्पाद की सामग्री उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत है कि कोरोना वायरस कोविड—19 के कारण सम्पूर्ण देश लॉक—डाउन की स्थिति में है। इस अवधि में सामान्य जनता तक प्रत्येक खाद्य सामग्री आदि डोर—टू—डोर उपलब्ध कराया जाना राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है। तरल दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद एक आवश्यक वस्तु है जिसकी जरूरत प्रत्येक नागरिक को प्रतिदिन रहती है। दुग्ध विकास विभाग एवं प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन ने सभी दुग्ध संघों (पराग डेयरी) को अपना कार्य योजना बनाकर पराग के साथ अन्य निजी क्षेत्र की दुग्ध उत्पादन/वितरक संस्थाओं यथा—अमूल, नमस्ते इण्डिया, ज्ञान, पारस इत्यादि के साथ ही निजी डेयरियों एवं दूधियों के द्वारा उत्पादित/वितरित किए जाने वाले दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद के सुनियोजित रूप से डोर—टू—डोर वितरण कराने हेतु निर्देश निर्गत किये हैं एवं दुग्ध संघ प्रभारी/प्रबन्धक को सम्बन्धित जनपद हेतु नोडल बनाया है।

स्थानीय निकाय अपने क्षेत्र में सीधे जनता से जुड़े रहकर जन सुविधा के कार्यों को कर रहे हैं। दुग्ध संघों के सीमित मैन—पावर को देखते हुए सम्यक विचारोपरान्त जनहित में यह निर्णय लिया गया है कि नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी अपने—अपने क्षेत्र में दुग्ध संघों में नामित नोडल अधिकारियों से समन्वय कर यह सुनिश्चित करायें कि समान्य जनता को तरल दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद घर पर ही मिल सके। दुग्ध संघ प्रबन्धक (पराग डेरी) इस उद्देश्य हेतु नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी के साथ समन्वयक के रूप में कार्य करेगें।

तदनुसार सभी नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी अपने—अपने क्षेत्र में दुग्ध आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने में समन्वय एवं सहयोग प्रदान करें ताकि डोर—टू—डोर दुग्ध आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

प्रतिलिपि:

1— कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन को सूचनार्थ।
2— प्रमुख सचिव, दुग्ध विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3— समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4— प्रबन्ध निदेशक, पीसीडीएफ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त के क्रम में अपने स्तर से भी आवश्यक निर्देश निर्गत करें।
5— दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6— कम्प्यूटर सेल/गार्ड फाइल।

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 06 /2020/447/नौ-7-2020

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त नगर आयुक्त।
3. समस्त अधिशासी अधिकारी,
   नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत।

नगर विकास अनुभाग-7 लखनऊ: दिनांकः 27 मार्च, 2020

विषय—प्रदेश के नगरीय निकायों में खाद्य समग्री, तरल दग्ध एवं दुग्ध उत्पाद की सामग्री उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत है कि कोरोना वायरस कोविड—19 के कारण सम्पूर्ण देश लॉक—डाउन की स्थिति में है। इस अवधि में सामान्य जनता तक प्रत्येक खाद्य सामग्री आदि डोर—टू—डोर उपलब्ध कराया जाना राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है। तरल दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद एक आवश्यक वस्तु है जिसकी जरूरत प्रत्येक नागरिक को प्रतिदिन रहती है। दुग्ध विकास विभाग एवं प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन ने सभी दुग्ध संघों (पराग डेयरी) को अपना कार्य योजना बनाकर पराग के साथ अन्य निजी क्षेत्र की दुग्ध उत्पादन/वितरक संस्थाओं यथा—अमूल, नमस्ते इण्डिया, ज्ञान, पारस इत्यादि के साथ ही निजी डेयरियों एवं दूधियों के द्वारा उत्पादित/वितरित किए जाने वाले दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद के सुनियोजित रूप से डोर—टू—डोर वितरण कराने हेतु निर्देश निर्गत किये हैं एवं दुग्ध संघ प्रभारी/प्रबन्धक को सम्बन्धित जनपद हेतु नोडल बनाया है।

स्थानीय निकाय अपने क्षेत्र में सीधे जनता से जुड़े रहकर जन सुविधा के कार्यों को कर रहे हैं। दुग्ध संघों के सीमित मैन—पावर को देखते हुए सम्यक विचारोपरान्त जनहित में यह निर्णय लिया गया है कि नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी अपने—अपने क्षेत्र में दुग्ध संघों में नामित नोडल अधिकारियों से समन्वय कर यह सुनिश्चित करायें कि समान्य जनता को तरल दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद घर पर ही मिल सके। दुग्ध संघ प्रबन्धक (पराग डेरी) इस उद्देश्य हेतु नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी के साथ समन्वयक के रूप में कार्य करेगें।

तदनुसार सभी नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी अपने—अपने क्षेत्र में दुग्ध आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने में समन्वय एवं सहयोग प्रदान करें ताकि डोर—टू—डोर दुग्ध आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

प्रतिलिपि:

1— कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन को सूचनार्थ।
2— प्रमुख सचिव, दुग्ध विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3— समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4— प्रबन्ध निदेशक, पीसीडीएफ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त के क्रम में अपने स्तर से भी आवश्यक निर्देश निर्गत करें।
5— दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6— कम्प्यूटर सेल/गार्ड फाइल।

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या–30.5/2020–सीएक्स–3

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
2. पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर/लखनऊ ।
3. समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

गृह(गोपन) अनुभाग–3

लखनऊ: दिनांक– 28, अप्रैल, 2020

विषय–जनहित में ईंट–भट्ठा संचालन में परिवहन/ईंट बिक्री परिवहन में पुलिस/प्रशासन द्वारा किये जा रहे उत्पीड़न को रोके जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया संज्ञान में आया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ईंट–भट्ठों का संचालन शुरू हो गया है, परन्तु भट्ठों से ईंटों को ले जाने में पुलिस/प्रशासन द्वारा उनको रोका जा रहा है । आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि निर्माण कार्य हेतु आवश्यक सामग्री यथा ईंट, बालू, मौरंग, सरिया तथा सीमेंट आदि को न रोका जाए। कृपया अपने अधीनस्थों को इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव, मा० मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन ।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
3. प्रमुख सचिव, परिवहन/उद्योग/लोक निर्माण/आवास/नगर विकास, उत्तर प्रदेश शासन।
4. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।
5. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, जोन, उत्तर प्रदेश।
6. पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश ।

कार्यालय जिलाधिकारी, बलरामपुर 28.4.2020
प्राप्ति संख्या............/दिनांक..................
अधिकारी का पदनाम.................. SP | ADM | OC. Mines
महत्वपूर्ण/समायोजनार्थ/आख्या सहित/
....

आज्ञा से,

(अमिताभ त्रिपाठी)
विशेष सचिव

जिलाधिकारी बलरामपुर 28.4.2020

CS Scanned with CamScanner

<u>महत्वपूर्ण</u>

<u>संख्या–677 / पॉच–5–2020</u>

प्रेषक,

वी0 हेकाली झिमोमी,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

चिकित्सा अनुभाग–5 **लखनऊ दिनॉक 22 मार्च, 2020**

विषय–कोविड–19 से बचाव हेतु व्यावसायिक स्थानों, सार्वजनिक स्थलों तथा मेट्रों स्टेशन आदि का कीटाणुशोधन के संबंध में दिशा–निर्देश। ।

महोदय,

कोविड–19 से बचाव हेतु व्यावसायिक स्थानों, सार्वजनिक स्थलों तथा मेट्रों स्टेशन आदि का कीटाणुशोधन के संबंध में दिशा–निर्देश की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोरोना वायरस (कोविड–19) से बचाव हेतु उक्त दिशा–निर्देश के अनुसार अपने अधीन सर्व संबंधित को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

<u>संलग्नकः यथोक्त</u>

भवदीया,

(वी0 हेकाली झिमोमी)
सचिव

<u>संख्या एवं दिनॉक यथोक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।
4. निदेशक, संचारी रोग, उ0प्र0।
5. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
6. गार्ड फाइल।

<u>संलग्नकः यथोक्त</u>

आज्ञा से,

22/3/2020

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव

vk sir.go-com4

संख्या – 677/पांच–5–2020

कोरोना वायरस (COVID 19) से बचाव हेतु व्यावसायिक स्थानों, सार्वजनिक स्थलों तथा मेट्रो–स्टेशन आदि का कीटाणुशोधन (disinfection)

कोरोना वायरस खांसी व छींक इत्यादि से निकली संक्रमित छोटी–छोटी बूंदों एवं संक्रमित सतहों को छूने से फैलता है। सभी संभावित संक्रमित सतहों का कीटाणुशोधन करके इस वायरस के फैलाव की रोकथाम की जा सकती हैं। बाजार में आसानी से उपलब्ध ब्लीचिंग पाउडर से बना घोल या तरल ब्लीच का उपयोग सतहों के कीटाणुशोधन के लिए किया जा सकता है। इस घोल को बनाना बहुत आसान है। इस घोल को बनाने की विधि निम्न प्रकार से है :–

घोल तैयार करने से पहले रबर के दस्ताने, मास्क और एप्रन पहनें, ताकि आपके हाथ व कपड़े सुरक्षित रहें।

(अ) **2% ब्लीचिंग घोल तैयार करने की विधि (ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करके) –**

चरण 1: प्लास्टिक के पात्र में एक लीटर पानी लें।

चरण 2: प्लास्टिक के पात्र में 12 चाय वाले चम्मच (60 ग्राम) ब्लीचिंग पाउडर (लगभग 33% घनत्व) लें और गाढ़ा पेस्ट बनाने के लिए पात्र से थोड़ा पानी मिलायें।

चरण 3: इसे अच्छी तरह से तब तक मिलाते रहें जब तक पेस्ट चिकना न हो जाए और इसमें दाने न हों।

चरण 4: इस पेस्ट को पानी वाले पात्र में डालें और अच्छी तरह से मिलायें। प्रयोग से पहले अच्छी तरह से मिलाकर सुनिश्चित कर लें कि पात्र के नीचे कोई अवशेष नहीं बचा है।

चरण 5 : यह घोल सिर्फ तीन घण्टे तक इस्तेमाल किया जाए, तदोपरान्त नया घोल तैयार करें।

(ब) **1% सोडियम हाइपोक्लोराइट घोल तैयार करने की विधि (तरह ब्लीच का उपयोग करके)**

चरण 1 : प्लास्टिक के पात्र में तरल ब्लीच (5% सोडियम हाइपोक्लोराइट) का एक हिस्सा लें और इसमें छः भाग पानी मिलायें।

चरण 2 : इसे अच्छी तरह मिलायें।

चरण 3 : शेष घोल के भण्डारण के लिए पात्र का ढक्कन बन्द कर दें।

चरण 4 : इस घोल का इस्तेमाल छः घण्टे तक या खराब/गंदा होने तक, जो भी पहले हो, किया जा सकता है।

संक्रमित सतहों को साफ व कीटाणुशोधित करने के लिए साफ कपड़ा इस्तेमाल करें।

UPTSU द्वारा बनायी गयी सचिव कैम्प से प्राप्त हुआ है। विजय 22/03/2020

तैयार किये गये घोल को कहां व कैसे इस्तेमाल करें :–

उत्तर प्रदेश के चार शहरों में नवीन–कोरोना–वायरस का पता लगने के दृष्टिगत भीडभाड़ वाले विभिन्न स्थानों जहां पर अधिक संख्या में लोग इकटठे होते हैं, के लिए निम्नलिखित कीटाणुशोधन प्रोटोकॉल विकसित किया गया है :–

1. **समस्त व्यावसायिक स्थल**

1.1 **सामान्य कीटाणुशोधन**

हॉल का फर्श	छः घण्टे में एक बार साफ करें	1% हाइपोक्लोराइट घोल
	तीन घण्टे में एक बार साफ करें	2% ब्लीचिंग घोल
फर्श से सात फीट तक की ऊँचाई की दीवार की सतह	छः घण्टे में एक बार साफ करें	1% हाइपोक्लोराइट घोल
वाशरूम / बाथरूम / ट्ायलेट	छः घण्टे में एक बार साफ करें	1% हाइपोक्लोराइट घोल
	तीन घण्टे में एक बार साफ करें	2% ब्लीचिंग घोल
	सामान्य साफ–सफाई पूर्व की भांति यथावत् रहेगी।	
अक्सर सम्पर्क में आने वाली / छुई जाने वाली सतहें जैसे–इण्टरकाम फोन्स, लिफ्ट के बटन, दरवाज़े के हैण्डिल, एस्केलेटर के हैण्डरेल्स, लिफट के अन्दर की दीवारों की सतह, टवाएलेट, सभी नल एवं सभी काउन्टर्स।	प्रति घण्टा साफ करें	1% हाइपोक्लोराइट घोल

1.2 कोविड–19 से संक्रमित व्यक्ति या ऐसे संदिग्ध व्यक्ति जो कोविड–19 से संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आये हों, द्वारा व्यावसायिक स्थल के भ्रमण की स्थिति में, कीटाणुशोधन –

कार्य–योजना :–

- उस व्यावसायिक स्थल को कम से कम तीन दिन के लिए पूर्णतः बन्द कर दिया जाए।
- पूरे व्यावसायिक स्थल के सभी सतहों को तीन दिन तक 1% हाइपोक्लोराइट घोल से प्रत्येक छः घण्टे के अन्तराल पर पूर्णतः कीटाणुशोधन किया जाए।

2. **बाजार में प्रत्येक दुकान का सामान्य कीटशोधन –**

हॉल का फर्श	छः घण्टे में एक बार साफ करें	1% हाइपोक्लोराइट घोल
	तीन घण्टे में एक बार साफ करें	2% ब्लीचिंग घोल
फर्श से सात फिट तक की ऊँचाई की दीवार की सतह	छः घण्टे में एक बार साफ करें	1% हाइपोक्लोराइट घोल
वाशरूम / बाथरूम / ट्रायलेट	छः घण्टे में एक बार साफ करें	1% हाइपोक्लोराइट घोल
	तीन घण्टे में एक बार साफ करें	2% ब्लीचिंग घोल
	सामान्य साफ–सफाई पूर्व की भांति यथावत् रहेगी।	
अक्सर सम्पर्क में आने वाली / छुई जाने वाली सतहें जैसे–इण्टरकाम फोन्स, दरवाज़े के हैण्डिल, टवाएलेट, सभी नल एवं सभी काउन्टर्स।	प्रति घण्टा साफ करें	1% हाइपोक्लोराइट घोल

3. **व्यावसायिक स्थलों में कोरोना–वायरस से बचाव हेतु सामान्य उपाय –**

- उक्त स्थलों के समस्त प्रवेश–द्वार पर अल्कोहल–आधारित–सैनिटाइज़र डिस्पेन्सर्स लगाये / रखे जायेंगे तथा हैण्डवाशिंग हेतु अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था की जाए।
- व्यावसायिक स्थलों में सार्वजनिक स्थलों की सफाई एवं कीटाणुशोधन हेतु अतिरिक्त सफाई कर्मियों की व्यवस्था की जाए।
- कुछ सामग्री जिनकी सफाई आसान नहीं है और जिनमें पानी एवं धूल को सोखने एवं समाहित करने की क्षमता है, (जैसेः समाचार–पत्र, पत्रिकायें, साफ्ट ट्वायज आदि) को सार्वजनिक पहुंच से दूर करने की सलाह दी जाती है।
- व्यवसायिक स्थलों को हवादार रखने से (खिड़की इत्यादि खोलकर) संक्रमण के फैलने की संभावनाएं कम हो जाती है।
- कोरोनावायरस के फैलने से बचाव के तरीकों के प्रति स्टाफ में जागरूकता पैदा की जाए।
- व्यावसायिक स्थलों में भीड़ से बचाव किया जाए।
- डिजिटल लेने–देन को बढ़ावा दिया जाए।

- **व्यवसायिक स्थलों में ग्राहकों से बातचीत के दौरान तथा सिनेमा हाल में प्रवेश एवं निकास द्वार तथा पंक्ति में दो व्यक्तियों के मध्य कम से कम एक मीटर की दूरी बनाये रखी जाए।**

4. बस स्टेशन, मेट्रो स्टेशन एवं सार्वजनिक परिवहन साधनों में 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट या ब्लीच घोल से सामान्य कीटाणुशोधन –

कार्य–योजना–

- फर्श एवं दीवारों (7 फीट तक) को 1% हाइपोक्लोराइट घोल से प्रत्येक छः घण्टे के अन्तराल पर पूर्णतः कीटाणुशोधन किया जाए।
- अक्सर सम्पर्क में आने वाली/छुई जाने वाली सतहें (लिफ्ट के बटन, दरवाज़े के हैण्डिल, एस्केलेटर के हैण्डरेल्स, लिफट के अन्दर की दीवारों की सतह, वाशरूम/ट्ायलेट, सभी नल एवं सभी काउन्टर्स) को 1% हाइपोक्लोराइट घोल से प्रत्येक चार घण्टे के अन्तराल पर पूर्णतः कीटाणुशोधन किया जाए।
- **बसों, मेट्रो ट्रेन एवं टैक्सी का कीटाणुशोधन** – सभी सतहें, सीटे, हैण्डरेल्स, Stanchion (जैसे – अपराइट बार, सपोर्ट या बैरियर का फ्रेम) का प्रतिदिन 1% हाइपोक्लोराइट घोल से प्रत्येक छः घण्टे के अन्तराल पर पूर्णतः कीटाणुशोधन किया जाये।

ध्यान देने योग्य महत्वूपर्ण बातें :–

सतह अथवा वस्तुएं जो ठोस चीजों से बनी हुई हैं जैसे स्टील, प्लास्टिक इत्यादि में कोरोना वायरस अधिक देर तक सक्रिय रहता है, इसलिए उन्हें प्रत्येक तीन घण्टे में (2%ब्लीचिंग पाउडर के घोल से) या छः घण्टे में (1%सोडियम हाइपोक्लोराइट से) अवश्य रूप से पूर्णतः कीटाणुशोधन करें।